بسم الله الرحمن الرحيم

IN THE NAME OF ALLAH The All-Beneficent, The All-Merciful

तालीम ए अहकाम
(इबादात)

मुताबिक़े फ़तावा
रहबरे इनक़लाबे इस्लामी व मरजए आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सै० अली ख़ामेनई मुद्दा ज़िल्लहुल आली

मुतर्जिम
हुज्जतुल इस्लाम सक़लैन बाक़री

जुमला हुक़ूक़ बहक़्क़े नाशिर महफ़ूज़ हैं

किताब का नाम	:	तालीम ए अहकाम (इबादात)
फ़तावा	:	रहबरे इनक़लाबे इस्लामी व मरजए आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सै० अली ख़ामेनई मुद्दा ज़िल्लहुल आली
मुतर्जिम	:	हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सै० सक़लैन बाक़री
तबाअत	:	पहली बार
तादाद	:	एक हज़ार (1000)
सने इशाअत	:	नवम्बर 2017
क़ीमत (मूल्य)	:	दो सौ पचास (250) रुपया

नाशिर

विलायत पब्लिकेशन्ज़, नई देहली

अर्ज़े नाशिर (पब्लिशर नोट)

इस्लाम में इल्म को जितनी अहमियत दी गई है किसी दूसरे दीन में नहीं दी गई है, पैग़म्बर की हदीस है कि "बचपन से लेकर ज़िंदगी की आख़री सांस तक इल्म हासिल करो" और इसी तरह दूसरी हदीसों में भी उल्मा के साथ उठने बैठने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है।

आज के दौर में साइंस की तरक़्क़ी और लेटेस्ट टेक्नालॉजी ने इस सच्चाई को सबके लिए वाज़ेह कर दिया है कि इल्म के बिना कामयाबी तक नहीं पहुंचा जा सकता है, न दुनिया मिलेगी और न ही आख़िरत में कामयाबी नसीब होगी।

लेकिन इल्म की भी मुख़्तलिफ़ क़िस्में हैं जिनमें से कुछ इल्म ऐसे हैं जिनका हासिल करना ज़रूरी है तो कुछ का हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बल्कि अगर उन्हें न सीखा जाए तो दुनिया व आख़िरत दोनों जगह घाटा ही घाटा है। मासूमीन अ. की हदीसों की रौशनी में दुनिया व आख़िरत की कामयाबी सिर्फ़ "शरीअत के अहकाम" जानने से ही मिल सकती है, यह एक ऐसा इल्म है कि जिसके लिए यक़ीनी तौर पर यह बात कही जा सकती है कि यह इल्म, हदीस "العلم فريضه على كل مسلم و مسلمه" (हर मुसलमान मर्द व औरत पर इल्म हासिल करना वाजिब है) का सबसे कामिल मिस्दाक़ है। इसलिए कि दीनी अहकाम को जाने बिना दुनियादारी करना हक़ीक़त में आख़िरत को ख़राब करना है बल्कि इस इल्म के बिना मुसलमानों को बाज़ारों में मामला करने तक से मना किया गया है और हलाल व हराम और

पाक व नजिस की पहचान के बिना लेनदेन और इबादतें सही नहीं हो सकती हैं।

आज हर मुसलमान मर्द व औरत पर वाजिब है कि वह बहुत जल्द ख़त्म हो जाने वाली दुनिया में अपनी आख़िरत की हिफ़ाज़त के लिए सही तरीक़े से इबादतें करने और हलाल व हराम की पहचान के लिए सबसे पहले इस इल्म को हासिल करने के लिए क़दम उठाए ताकि गुमराही से नजात पाए और दुनिया व आख़िरत में उसे कामयाबी नसीब हो, इसी मक़सद को नज़र में रखते हुए हमने यह किताब "तालीमे अहकाम" आने वाली नस्लों की आसानी के लिए आसान ज़बान में पेश करने की कोशिश की है।

विलायत पब्लिकेशन्स मौलाना मुहम्मद सक़लैन बाक़री साहब का आभारी है कि उन्होंने "रहबरे इंक़ेलाबे इस्लामी हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा **सय्यद अली ख़ामेनई** मुद्दा ज़िल्लुहुल आली" के इबादात से रिलेटेड फ़त्वों को आसान ज़बान में तर्जुमा किया, इसी तरह अल्लाह की बारगाह में उन तमाम लोगों की कामयाबी के लिए भी दुआ करते हैं कि जिन्होंने इस किताब के प्रकाशन में मदद की है और हमें उमीद है कि अल्लाह तआला हमारी इस कोशिश को अपनी रहमत के साये में क़बूल फ़रमाएगा।

नाशिर

विलायत पब्लिकेशन्ज़, नई देहली

फ़ेहरिस्त

पहला चैप्टर तक़लीद 19

पाठ 1 तक़लीद (1) मुक़द्देमा 21

अहकाम जानने के तरीक़े 22

तक़लीद की क़िस्में 24

तक़लीद के बिना अंजाम दिए गए आमाल 26

पाठ 2 तक़लीद (2) मरजए तक़लीद की शर्तें 27

तक़लीद में तबईज़ 30

पाठ 3 तक़लीद (3) मुक़द्देमा 33

जामेउश्शराएत मुज्तहिद को पहचानने के रास्ते 33

मुज्तहिद का फ़तवा हासिल करने के तरीक़े 33

उदूल के अहकाम 34

तक़लीद के कुछ दूसरे मसअले 35

पाठ 4 विलायते फ़क़ीह और लीडरशिप 39

विलायते फ़क़ीह का मतलब 39

विलायते फ़क़ीह की ज़रूरत 40

विलायते फक़ीह का दायरा 40

वली ए फ़क़ीह और मरजए तक़लीद के बीच इख़्तेलाफ़ 42

दूसरा चैप्टर तहारत (पाकीज़गी) 45

पाठ 5 पानी 47

पानी की क़िस्में 47

मुज़ाफ़ पानी का मतलब 47

मुज़ाफ़ पानी के अहकाम 48

मुतलक़ पानी (ख़ालिस व प्योर पानी) 48
मुतलक़ पानी के अह्काम 49
पानी के बारे में शक के अह्काम 50
पाठ 6 टॉयलेट **53**
टॉयलेट के अह्काम 53
इस्तिबरा 54
पेशाब, पाख़ाने की जगह् को पाक करना 55
पाठ 7 नेजासात (1) **59**
पाठ 8 नेजासात (2) **65**
पाठ 9 नेजासात (3) **69**
नेजासत साबित होने के रास्ते 69
पाक चीज़ें किस तरह् नजिस होती हैं ? 69
नेजासात के अह्काम 71
शक और उसका इलाज 71
पाठ 10 मुतह्हेरात (1) **75**
पाठ 11 मुतह्हेरात (2) **79**
पाठ 12 मुतह्हेरात (3) **83**
तहारत साबित होने के तरीक़े 83
बर्तनों के अह्काम 85
पाठ 13 वुज़ू (1) **87**
वुज़ू 87
वुज़ू का मतलब 87
वुज़ू का तरीक़ा 87
पाठ 14 वुज़ू (2) **93**

पाठ 15 वुज़ू (3) **97**

पाठ 16 वुज़ू (4) **103**

इरतेमासी वुज़ू 103

जबीरा वुज़ू 104

मुब्तेलाते वुज़ू (वह चीज़ें जिनसे वुज़ू टूट जाता है।) 104

वुज़ू के अहकाम 105

पाठ 17 वुज़ू (5) **109**

पाठ 18 ग़ुस्ल (1) **117**

ग़ुस्ल का मतलब 117

ग़ुस्ल की क़िस्में 117

ग़ुस्ल का तरीक़ा 118

जबीरा ग़ुस्ल 119

पाठ 19 ग़ुस्ल (2) **121**

ग़ुस्ल की शर्तें 121

ग़ुस्ल के अहकाम 122

पाठ 20 ग़ुस्ल (3) **125**

ग़ुस्ले जेनाबत 125

पाठ 21 ग़ुस्ल (4) **131**

औरतों के ख़ास ग़ुस्ल 131

पाठ 22 मय्यत के अहकाम (1) **135**

मय्यत के अहकाम 135

ग़ुस्ले मसे मय्यत 135

मोहतज़र के अहकाम (जिसका दम निकल रहा हो) 136

मौत के बाद के वाजिब काम 137

पाठ 23 मय्यत के अह्काम (2) **139**
ग़ुस्ले मय्यत 139
हुनूत 140
कफ़न 141
पाठ 24 मय्यत के अह्काम (3) **143**
नमाज़े मय्यत 143
दफ़्न 145
नब्शे क़ब्र के अह्काम 146
शहीद के अह्काम 147
मौत की सज़ा पाने वाले के अह्काम 147
पाठ 25 तयम्मुम (1) **149**
तयम्मुम की जगहें 149
जिन चीज़ों पर तयम्मुम सही है 152
तयम्मुम का तरीक़ा 152
व जबीरा तयम्मुम 153
पाठ 26 तयम्मुम (2) **155**
तयम्मुम की शर्तें 155
तयम्मुम के अह्काम 157
तीसरा चैप्टर नमाज़ **161**
पाठ 27 नमाज़ **163**
नमाज़ों की क़िस्में 163
वाजिब और मुस्तहब्बी नमाज़ें 163
रोज़ाना की नाफ़िला नमाज़ें 164
पाठ 28 नमाज़ी का लिबास (1) **169**

वह हिस्सा जिसका नमाज़ में छिपाना वाजिब है 169
नमाज़ी के लिबास की शर्तें 170
पाठ 29 नमाज़ी का लिबास (2) **175**
नमाज़ी के लिबास की शर्तें 175
वह जगहें जिनमें नमाज़ी के बदन या लिबास का पाक होना ज़रूरी नहीं है.........176
पाठ 30 नमाज़ पढ़ने की जगह (1) **181**
नमाज़ पढ़ने की जगह की शर्तें..181
पाठ 31 नमाज़ पढ़ने की जगह (2) **185**
नमाज़ पढ़ने की जगह की शर्तें..185
पाठ 32 मस्जिद के अहकाम (1) **189**
मस्जिद के मुहर्रमात 189
पाठ 33 मस्जिद के अहकाम (2) **195**
मस्जिद के मुस्तहब्बात..195
पाठ 34 क़िब्ला **199**
क़िब्ला 199
क़िब्ले के अहकाम 199
पाठ 35 पंजेगाना नमाज़ें (1) **203**
पंजेगाना नमाज़ों की अहमियत 203
पंजगाना नमाज़ों की तादाद 204
नमाज़े पंजगाना का वक़्त 204
पाठ 36 पंजेगाना नमाज़ें (2) **207**
वक़्त के अहकाम 207
नमाज़ों के बीच तरतीब (क्रम) 209
पाठ 37 पंजेगाना नमाज़ें (3) **213**

अज़ान व इक़ामत 213

पाठ 38 पंजेगाना नमाज़ें (4) **217**

नमाज़ के वाजिबात 217

पाठ 39 पंजेगाना नमाज़ें (5) **217**

क़ियाम के अह्काम 224

पाठ 40 पंजेगाना नमाज़ें (6) **227**

रोज़ाना की वाजिब नमाज़ों में क़िराअत....................................227

पाठ 41 पंजेगाना नमाज़ें (7) **233**

नमाज़ के वाजेबात (4) 233

क़िराअत के वाजेबात 235

क़िराअत के आदाब 238

पाठ 42 पंजेगाना नमाज़ें (8) **241**

नमाज़ के वाजेबात (5) 241

पाठ 43 पंजेगाना नमाज़ें (9) **247**

पाठ 44 पंजेगाना नमाज़ें (10) **255**

नमाज़ के वाजेबात (7) 255

सजदे के कुछ मुस्तहब्बात 258

सजदे वाली आयतें 259

पाठ 45 पंजेगाना नमाज़ें (11) **261**

नमाज़ के वाजेबात (8) 261

तशह्हुद 263

सलाम 264

पाठ 46 पंजेगाना नमाज़ें (12) **267**

नमाज़ के वाजेबात (9) क़ुनूत -ताक़ीब 267

पाठ 47 पंजेगाना नमाज़ें (13) **273**

नमाज़ का हिंदी ट्रांस्लेशन 273

पाठ 48 पंजेगाना नमाज़ें (14) **279**

मुब्तेलाते नमाज़ 279

पाठ 49 पंजेगाना नमाज़ें (15) **279**

शक्कियाते नमाज़ 285

पाठ 50 पंजेगाना नमाज़ें (16) **291**

जुमे की नमाज़ 291

नमाज़े जुमा का हुक्म 291

नमाज़े जुमा की शर्तें 293

नमाज़े जुमा का वक़्त 295

नमाज़े जुमा का तरीक़ा 296

पाठ 51 पंजेगाना नमाज़ें (17) **299**

मुसाफ़िर (यात्री) की नमाज़ (1) 299

पाठ 52 पंजेगाना नमाज़ें (18) **307**

मुसाफ़िर की नमाज़ (2) 307

वतन 308

अपनाए गए वतन की शर्तें 308

पाठ 53 पंजेगाना नमाज़ें (19) **313**

मुसाफ़िर की नमाज़ (3) 313

पाठ 54 पंजेगाना नमाज़ें (20) **319**

क़ज़ा नमाज़ 319

पाठ 55 नमाज़े आयात 325

नमाज़े आयात पढ़ने का तरीक़ा 326

ईदुल फ़ित्र और ईदे क़ुरबान की नमाज़ें 328
पाठ 56 नमाज़े जमाअत (1) **331**
नमाज़े जमाअत की शरई हैसियत व अहमियत 331
पाठ 57 नमाज़े जमाअत (2) **337**
नमाज़ के कुछ अहेम मसअले 337
इमामे जमाअत की शर्तों के सिलसिले में कुछ बातें 342
चौथा चैप्टर रोज़ा **345**
पाठ 58 रोज़ा (1) **347**
रोज़े का मतलब 347
रोज़े की क़िस्में 348
वाजिब रोज़े 349
रोज़ा वाजिब होने की शर्तें 349
पाठ 59 रोज़ा (2) **353**
रोज़े की नियत 353
मुस्तहब्ब रोज़े 353
वाजिब रोज़े 353
पाठ 60 रोज़ा (3) **359**
मुफ़तेरात (1) 359
पाठ 61 रोज़ा (4) **365**
मुफ़तेरात (2) 365
पाठ 62 रोज़ा (5) **373**
रमज़ानुल मुबारक में जानबूझ कर इफ़्तार करने का कफ़्फ़ारा 373
कफ़्फ़ारे की मात्रा और तरीका 375
कफ़्फ़ारे के अहकाम 376

पाठ 63 रोज़ा (6) **379**
रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को तोड़ने का कफ़्फ़ारा 379
फ़िदया 381
पाठ 64 रोज़ा (7) **385**
जहां क़ज़ा वाजिब है मगर कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं 385
क़ज़ा रोज़ों के अहकाम 387
रोज़ों की क़ज़ा के बारे में एक मसअला। 389
माँ बाप के क़ज़ा रोज़ों के अहकाम 389
मुसाफ़िर के रोज़ों के अहकाम 390
पाठ 65 रोज़ा (8) **393**
महीने की पहली तारीख़ साबित होने के रास्ते 393
रोज़े के कुछ दूसरे मसअले **396**
पांचवा चैप्टर ख़ुम्स 399
पाठ 66 ख़ुम्स 401
ख़ुम्स का मतलब 401
ख़ुम्स का वाजिब होना 402
ख़ुम्स सात चीज़ों पर वाजिब है 403
ख़ुम्स न देने के कुछ बुरे प्रभाव 404
पाठ 67 आमदनी पर ख़ुम्स (1) **405**
आमदनी का मतलब 405
आमदनी की क़िस्में 405
जिन चीज़ों की गिनती आमदनी में नहीं होती है 406
पाठ 68 आमदनी पर ख़ुम्स (2) **411**
वह मऊना जो ज़रूरत से ज़्यादा हो 411

मऊना (साल भर ख़र्च) की सीमा 411

पाठ 69 आमदनी पर ख़ुम्स (3) **417**

वह चीज़ें जो मऊना में शामिल नही हैं 417

पाठ 70 आमदनी पर ख़ुम्स (4) **425**

इस्तेमाल से ख़त्म और बाक़ी रह जाने वाली चीज़ें 425

क़िस्तों में ख़रीदी जाने वाली ज़रूरी चीज़ें 427

उधार चुकाना 428

पगड़ी और एडवांस किराया 429

पाठ 71 आमदनी पर ख़ुम्स (5) **431**

आमदनी के ख़ुम्स का हिसाब व किताब और उसे देने का तरीक़ा 431

ख़ुम्स वाजिब होने का वक़्त 431

सालाना आमदनी के ख़र्चे को कम करना 432

सालाना ख़र्चों पर ख़ुम्स का न होना 432

हर साल के ख़र्चों का उसी साल की आमदनी से कम होना 432

आमदनी में से ख़र्च करने के लिए दूसरा माल होना शर्त नहीं है। 432

ख़ुम्स की तारीख़ का फ़िक्स होना। 433

ख़ुम्स के शुरुआती साल का तय होना 434

ख़ुम्स की तारीख़ तय करने का अधिकार 434

पाठ 72 आमदनी पर ख़ुम्स (6) **437**

पूंजी में ख़ुम्स के हिसाब किताब करने का तरीक़ा 437

ख़ुम्स के हिसाब किताब के सही होने में शक 438

ख़ुम्स निकालने में शक 438

मुसालेहत (समझौता) 438

दस्तगरदान 439

पाठ 73 खान का ख़ुम्स – ख़ज़ाना 441
ख़ुम्स ख़र्च करने की जगहें 441
खान का ख़ुम्स 441
हलाल माल, हराम में मिल जाए 442
ख़ुम्स का मसरफ़ (ख़र्च करने की जगहें) 443
जिन्हें सहमे सादात दिया जा सकता है उनकी शर्तें 445
ख़ुम्स के कुछ और मसअले। 446
छठा चैप्टर अनफ़ाल 449
पाठ 74 अनफ़ाल का मतलब 451
अनफ़ाल का मतलब 451
अनफ़ाल के सोर्स 451
सातवां चैप्टर जेहाद 455
पाठ 75 जेहाद 457
जेहाद का मतलब 457
जेहाद का वाजिब होना 457
जेहाद की क़िस्में 457
जेहादे देफ़ाई (आत्मरक्षा के लिए जेहाद) 459
आठवां चैप्टर अम्र बिल मारूफ़ व नहि अनिल मुनकर 461
पाठ 76 अम्र बिल मारूफ़ व नहि अनिल मुनकर (1) 463
अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का मतलब। 463
अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का वाजिब होना 463
अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का दायरा 466
अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की शर्तें 466
मारूफ़ और मुनकर का इल्म होना 466

टोकने पर असर होने की उमीद 467
गुनाह पर ज़ोर दो रहा हो..467
कोई ख़राबी पैदा न हो..468
पाठ 77 अम्र बिल मारूफ़ व नहि अनिल मुनकर (2) **471**
अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के चरण व स्तर 471
दिल से अम्र और नहि करना..472
ज़बान से अम्र व नहि करना। 472
अमल से अम्र और नहि..473
अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के कुछ दूसरे मसअले 475

पहला चैप्टर

तक़लीद

पाठ 1

मुक़द्देमा (प्रीफ़ेस) – अहकाम जानने के रास्ते – तक़लीद की क़िस्में -तक़लीद के बिना अंजाम दिए गए काम

1) मुक़द्देमा (प्रीफ़ेस)

मुकल्लफ़ के लिए रोज़ाना पेश आने वाले मसअलों का सीखना ज़रूरी है यानि जिनके सीखे बिना रोज़ाना के शरई अहकाम को अंजाम न दिया जा सके जैसे नमाज़, रोज़े, तहारत (पवित्रता) और कुछ लेनदेन के मसअले। अगर अहकाम न सीखने की वजह से उससे वाजिब छूट जाए या कोई हराम काम अंजाम पा जाए तो वह गुनहगार है।

- मुकल्लफ़ उस इंसान को कहते हैं जिसमें इस्लामी अहकाम के वाजिब होने की शर्तें पाई जाती हों।

➢ **तकलीफ़ की शर्तें**

1. बुलूग़ (बालिग़ हो)
2. अक़्ल
3. क़ुदरत (अहकाम को अन्जाम देने की ताक़त रखता हो)

➢ **बालिग़ होने की निशानियाँ**

इन तीन निशानियों में से कोई एक निशानी पाई जाए।

1. नाभि के नीचे सख़्त बालों का उगना।
2. एहतेलाम (सोते या जागते मे मनी (वीर्य) का निकलना)

3. लड़को का चांद के हिसाब से 15 और लड़कियों का 9 साल पूरा कर लेना।

- जब तक किसी इंसान में ऊपर बताई गई निशानियों में से कोई एक निशानी न पाई जाए उस वक़्त तक वह शरीअत की निगाह में बालिग़ नहीं है और उस पर इस्लामी अहकाम लागू नहीं होंगे।
- नौ साल पूरे होने से पहले अगर किसी लड़की को ख़ून आए तो वह बालिग़ होने की शरई निशानी नहीं है।
- लड़का या लड़की क़मरी साल (चाँद के साल) के हिसाब से बालिग़ होते हैं इसलिए अगर डेट ऑफ़ बर्थ शम्सी (ईसवी) साल के हिसाब से लिखी गई हो तो उसे क़मरी व शम्सी साल में पाए जाने वाले फ़र्क़ का हिसाब लगा कर चाँद के साल में बदला जा सकता है। (हर क़मरी साल शम्सी साल से 10 दिन 21 घंटे 17 सेकेन्ड कम होता है।)

2) अहकाम जानने के तरीक़े

दीनी अहकाम जानने और उन पर अमल करने के तीन तरीक़े हैं।

1. इज्तेहाद।
2. तक़लीद।
3. एहतियात।

1. इज्तेहाद

इज्तेहाद यानि फ़ुक़हा[1] के नज़दीक साबित स्रोतों (Sources) से दीनी हुक्म और इलाही क़ानून को हासिल करना।

2. एहतियात

एहतियात यानि इस तरह इस्लामी अहकाम को अंजाम दिया जाए कि शरई ज़िम्मेदारी अदा होने का इत्मीनान हासिल हो जाए

1. शरई हुक्म और इस्लामी क़ानून व संविधान के जानकार को फ़क़ीह कहते हैं।

जैसे उस काम को अंजाम न दे जिसे कुछ मुज्तहिद हराम कहते हैं और दूसरे कुछ मुज्तहिद हराम नहीं मानते। और इसी तरह जिस अमल को कुछ मुज्तहिद वाजिब कहते हैं और कुछ दूसरे वाजिब नहीं जानते उसे अंजाम दे। (ताकि उसे इत्मीनान हासिल हो जाए कि उसने अपनी शरई ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है।)

3. तक़लीद

तक़लीद यानि शरई हुक्म को जानने के लिए जामिउश्शराएत मुज्तहिद[1] से सम्पर्क करना और दूसरे शब्दों में शरई अहकाम को मुज्तहिद के फ़तवे के अनुसार अंजाम देना।

- तक़लीद जहां कुर्आन व हदीस से साबित है वही इंसान की अक़्ल भी कहती है कि जो शरीअत के अहकाम नहीं जानता है उसे जामेउश्शराएत मुज्तहिद के फ़त्वे के हिसाब से अमल करना चाहिए।
- अगर मुकल्लफ़ ख़ुद मुज्तहिद न हो तो उसे किसी मुज्तहिद की तक़लीद या एहतियात पर अमल करना चाहिए।
- चूंकि एहतियात पर अमल करने के लिए एहतियात के तमाम रास्तों और तरीक़ों को जानना ज़रूरी है और एहतियात पर अमल करने में वक़्त भी ज़्यादा लगता है इसलिए बेहतर यही है कि इंसान जामेउश्शराएत मुज्तहिद की तक़लीद करे।
- जिसमें यह तीन शर्ते पाई जाती हों उस पर तक़लीद वाजिब है।
    1. मुकल्लफ़ हो।
    2. ख़ुद मुज्तहिद न हो।
    3. एहतियात पर अमल न करता हो।

---

1. ऐसा मुज्तहिद जिसके अंदर मरजा होने की तमाम शर्तें मौजूद हों और मुज्तहिद उस इंसान को कहते हैं जिसका इल्म उस दर्जे पर पहुंच चुका हो कि वह दलीलों और तर्कों द्वारा इस्लामी अहकाम को हासिल करने की ताक़त रखता हो। और मरजा उसे कहते हैं जिसकी तक़लीद की जाती है।

3) तक़लीद की क़िस्में

एक हिसाब से मुर्दा मुज्तहिद की तक़लीद दो तरह से हो सकती है।

1. **इब्तेदाई** (यानि मुज्तहिद की ज़िंदगी में उसकी तक़लीद किए बिना मरने के बाद उसकी तक़लीद करना) एहतियाते वाजिब[1] की बिना पर तक़लीदे इब्तेदाई जाएज़ नहीं है।
2. **बक़ाईः** (यानि जिस मुज्तहिद की तक़लीद कर रहा था मरने के बाद भी उसकी तक़लीद पर बाक़ी रहना) सभी मसअलों में यहां तक कि उन मसअलों में भी जिनमें

---

1. एहतियात या वाजिब है या मुस्तहब और दोनों के बीच दो तरह का फ़र्क़ पाया जाता है, एक पहचानने और परखने में कि एहतियात से मुराद कौन सी एहतियात है और दूसरे अमल में है कि दोनों तरह की एहतियात में इंसान की ज़िम्मेदारी क्या है?

पहला फ़र्क़ः अगर मुजतहिद ने किसी मसअले में फ़तवा दिया हो और फिर एहतियात भी की हो तो इसे एहतियाते मुस्तहब कहा जाता है जैसे ग़ुस्ले इर्तेमासी में अगर ग़ुस्ले इर्तेमासी की नियत से धीरे धीरे पानी में जाए यहां तक कि उसका पूरा जिस्म पानी में डूब जाए तो उसका ग़ुस्ल सही है और एहतियात यह है कि धीरे धीरे जाने के बजाए एक बार में पानी में डुबकी लगा ले (यहां मुजतहिद ने पहले फ़तवा बयान किया है फिर कहा है कि एहतियात यह है कि...) लेकिन अगर मुजतहिद ने फ़तवा न दिया हो और शुरू ही से एहतियात की हो तो उसे एहतियाते वाजिब कहते हैं जैसे अगर नज़्र करे कि फ़लाँ फ़क़ीर को सदक़ा (दान) देगा तो दूसरे फ़क़ीर को नहीं दे सकता और अगर वह फ़क़ीर मर जाए तो एहतियात यह है कि उसके वारिसों को दिया जाए। (यहां पर मुजतहिद ने फ़क़ीर के मरने की सूरत में फ़तवा नहीं दिया है बल्कि कह दिया कि एहतियात यह है कि...)

दूसरा फ़र्क़ः एहतियाते मुस्तहब में तक़लीद करने वाले की ज़िम्मेदारी है कि वह उसी एहतियात पर अमल करे या पहले बयान किए गए फ़तवे पर अमल करे और उसे दूसरे मुजतहिद के फ़तवे पर अमल करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन एहतियाते वाजिब में तक़लीद करने वाले को छूट है कि वह उसी एहतियात पर अमल करे या दूसरे मुजतहिद (जो उसके मरजा के बाद दूसरे मुजहिदों से ज़्यादा इल्म रखता है) के फ़तवे पर अमल करे।

मुकल्लफ़ ने अभी तक अमल नहीं किया है, मुर्दा मुज्तहिद की तक़लीद जाएज़ है।

- बक़ाई तक़लीद में मुर्दा मुज्तहिद की तक़लीद जाएज़ है चाहे वह आलम (सबसे बड़ा आलिम) हो या न हो। लेकिन एहतियात की बिना पर बेहतर यही है कि अगर मुर्दा मुज्तहिद आलम था तभी उसकी तक़लीद पर बाक़ी रहा जाए।
- तक़लीदे इब्तेदाई या मय्यत की तक़लीद पर बाक़ी रहने के लिए ज़िंदा मुज्तहिद और एहतियाते वाजिब की बिना पर आलम की इजाज़त ज़रूरी है। हाँ अगर मय्यत की तक़लीद पर बाक़ी रहने के जाएज़ होने पर मौजूदा दौर के सभी फ़ोक़हा एकमत हों तो आलम की इजाज़त ज़रूरी नहीं है।
- जो लोग मुज्तहिद जामेउश्शराएत की ज़िंदगी में नाबालिग़ रहे हों लेकिन उन्होंने सही तरीक़े से मुज्तहिद की तक़लीद की हो तो मुज्तहिद के मरने के बाद उसकी तक़लीद पर बाक़ी रह सकते हैं।
- जो इंसान किसी मुज्तहिद की तक़लीद करता हो फिर उसके मरने के बाद कुछ मसअलों में किसी दूसरे मुज्तहिद की तक़लीद कर ले फिर दूसरा मुज्तहिद भी मर जाए तो जिन मसअलों में उसने दूसरे मुज्तहिद की तरफ़ उदूल (दूसरे मुज्तहिद से सम्पर्क) नहीं किया था उनमें वह पहले मुज्तहिद की तक़लीद पर बाक़ी रह सकता है। और जिन मसअलों में उसने दूसरे मुज्तहिद की तरफ़ उदूल कर लिया था उनमें उसे इख़्तियार है कि उसी मुज्तहिद के फ़तवे पर बाक़ी रहे या ज़िंदा मुज्तहिद की तक़लीद कर ले।

4) तक़लीद के बिना अंजाम दिए गए आमाल

जो लोग सिरे से तक़लीद नहीं करते या ग़लत व बातिल तरीक़े से तक़लीद करते हैं उनके आमाल इस सूरत में सही हैं जबः

1. एहतियात के अनुसार अमल किया हो।
2. उन्होंने जो अमल अंजाम दिया है हक़ीक़त में भी वही सही और अल्लाह तआला के हुक्म के अनुसार हो।
3. जिस मुज्तहिद की तक़लीद उस पर वाजिब थी उसी के फ़तवे के हिसाब से अमल अंजाम दिया हो।

✓ सवाल

1. जिसने ज़रूरी अहकाम सीखने में लापरवाही बरती है क्या वह गुनहगार है?
2. बालिग़ होने की निशानियां बयान कीजिए?
3. अहकाम जानने के तरीक़े क्या हैं? बयान कीजिए।
4. एहतियात पर अमल करना अच्छा है या तक़लीद करना और क्यूं?
5. तक़लीद कितनी तरह की होती है?
6. तक़लीद के बिना अंजाम दिए गए कामों का क्या हुक्म है?

पाठ 2

तक़लीद (2)

मरजए तक़लीद की शर्तें – तक़लीद में तबईज़ (मुख़्तलिफ़ (अलग-अलग) चैप्टरों में मुख़्तलिफ़ मराजे की तक़लीद)

5) मरजए तक़लीद की शर्तें

ऐसे इंसान की तक़लीद करनी चाहिए जिसमें नीचे बयान की जा रही शर्तें पाई जाती हों।

1. मर्द हो।
2. बालिग़ हो।
3. आक़िल हो (पागल, दीवाना न हो)।
4. शिया इसना अशरी हो।
5. हलालज़ादा हो।
6. एहतियाते वाजिब की बिना पर ज़िंदा हो।
7. आदिल (न्यायी) हो।
8. फ़तवा जारी करने में मरजईयत के अहेम और सेंसेटिव (संवेदनशील) होने की वजह से एहतियाते वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि मुज्तहिद अपनी बाग़ी दिली

चाहतों को वश में करने की ताक़त रखता है और दुनिया का लालची न हो।

9. मुज्तहिद हो।
10. एहतियाते वाजिब की बिना पर आलम (सबसे बड़ा आलिम) हो।

❖ आदिल हो

1. अदालत उस भीतरी हालत को कहते हैं जिसकी वजह से इंसान में ऐसा तक़वा व सदाचार पाया जाता है जिसके नतीजे में वह वाजिबात को अंजाम देता है और हराम कामों से दूर रहता है।

2. आदिल उसे कहते हैं जिसके अंदर अदालत व न्याय पाया जाए। दूसरे शब्दों में आदिल वह इंसान है जो तक़वे व सदाचार की उस हद तक पहुँच जाए कि जानबूझ कर गुनाह न करे। (वाजिब को न छोड़े और हराम काम न करे)।

3. अदालत के साबित होने के लिए यही काफ़ी है कि वह देखने में अच्छा आदमी हो और गुनाह न करता हो।

❖ मुज्तहिद हो

1) एक तरह से इज्तेहाद दो तरह का होता है:

1. **इज्तेहादे मुतलक़ः** उस इज्तेहाद को कहा जाता है जिसमें मुज्तहिद सारे फ़िक़्ही चैपटरों में शरई अहकाम (आदेशों) को हासिल करने और समझने की योग्यता रखता हो। ऐसे इंसान को मुज्तहिदे मुतलक़ कहते हैं।

2. **इज्तेहाद मुतजज़्ज़ीः** उस इज्तेहाद को कहा जाता है जिसमें मुज्तहिद कुछ फ़िक़्ही चैप्टरों जैसे नमाज़ व रोज़े में मुज्तहिद हो। ऐसे इंसान को मुतजज़्ज़ी मुज्तहिद कहा जाता है।

2) मुज्तहिदे मुतलक़ का फ़तवा ख़ुद उसके लिए मान्य और हुज्जत है और दूसरे लोग भी उसकी तक़लीद कर सकते हैं। यही हुक्म मुतजज़्ज़ी मुज्तहिद के फ़तवे का भी है अगरचे एहतियाते मुस्तहब यह है कि मुतजज़्ज़ी मुज्तहिद की तक़लीद न की जाए।

❖ एहतियाते वाजिब की बिना पर आलम हो

1. आलम उस इंसान को कहते हैं जिसमें (किताब व सुन्नत..से) अहकाम को हासिल करने की सबसे ज़्यादा योग्यता हो। दूसरे शब्दों में आलम वह इंसान है जिसमें दूसरे मुज्तहिदों के मुक़ाबले में शरई अहकाम की पहचान और दलीलों और प्रमाणों से उनको हासिल करने की सबसे ज़्यादा क्षमता हो। और अपने ज़माने के हालात की इतनी जानकारी रखता हो कि जितनी अहकाम के विषयों की पहचान और नज़रिया देने में प्रभावी हो।

2. आलम की तक़लीद वाजिब होने की दलील, बुद्धिमानों की कार्यशैली (सीरा-ए-उक़ला) और अक़्ल का हुक्म है।[1]

3. एहतियाते वाजिब की बिना पर उन मसअलों में आलम की तक़लीद वाजिब है जिनमें आलम का फ़तवा, ग़ैर आलम के फ़तवे से अलग हो।

4. केवल इस सम्भावना की वजह से कि आलम में ज़रूरी शर्तें मौजूद नहीं हैं, जिन मसअलों में आलम व ग़ैर आलम के बीच इख़्तिलाफ़ व मतभेद हो, (एहतियाते वाजिब की बिना पर) ग़ैरे आलम की तक़लीद जाएज़ नहीं है।

---

1. समझदार और पढ़े लिखे लोगों का तरीक़ा यही है कि वह किसी भी काम में उसके एक्सपर्ट से मदद लेते हैं और अक़्ल भी यही कहती है कि सही नतीजे तक पहुंचने के लिए सबसे बड़े एक्सपर्ट का सहारा लिया जाए। (अनुवादक)

- जामेउश्शराएत मुज्तहिद की तक़लीद सही होने के लिए उस मुज्तहिद का मरजा होना या उसके पास तौज़ीहुल मसाएल का होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए अगर मुकल्लफ़ के नज़दीक साबित हो जाए कि वह मुज्तहिद जो मरजा नहीं है और जिसके पास तौज़ीहुल मसाएल भी नहीं है, जामेउश्शराएत मुज्तहिद है तो उसकी तक़लीद कर सकता है।
- जामेउश्शराएत मुज्तहिद के लिए यह शर्त नहीं है कि वह मुकल्लफ़ के मुल्क या उसके शहर का रहने वाला हो।
- जो बच्चे हाल ही में बालिग़ हुए हैं और किसी मरजा-ए-तक़लीद की तक़लीद करना उनकी शरई ज़िम्मेदारी है लेकिन तक़लीद के मसअलों की बारीकियों को समझना उनके लिए सख़्त है तो मां बाप की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की मदद व रहनुमाई करें।

6) तक़लीद में तबईज़ (मुख़्तलिफ़ चैपटरों में मुख़्तलिफ़ मराजे की तक़लीद)

1. तक़लीद में तबईज़ का मतलब है तक़लीद को कई हिस्सों में बांटना और हर चैप्टर के अहकाम में उस चैप्टर के आलम की तक़लीद करना।
2. मुक़ल्लिद के लिए जाएज़ है कि वह कुछ मसलों में उस मुज्तहिद की तक़लीद करे जो उनमें ज्यादा एक्सपर्ट है जैसे वह इबादात (नमाज़, रोज़ा..) में एक मुज्तहिद की तक़लीद करे और मामलात (लेनदेन के मसलों) में दूसरे मुज्तहिद की तक़लीद करे। या फ़र्दी व निजी अहकाम में किसी एक की और सोशल, पॉलीटिकल व फाइनैंशल अहकाम में दूसरे की तक़लीद करे। बल्कि जिन मसअलों में उसे तक़लीद करना है, अगर उनमें अलग-अलग मुज्तहिदों का आलम होना साबित हो जाए तो फ़तवों में इख़्तिलाफ़ व मतभेद की सूरत में

एहतियाते वाजिब है कि उन मसअलों में अलग अलग मुज्तहिदों की तक़लीद की जाए। (यानि जिस चैप्टर में जो आलम हो उसमें उसकी तक़लीद वाजिब है।)

सवाल

1. मरजा-ए-तक़लीद की शर्तें बयान कीजिए?
2. अदालत क्या है और आदिल किसे कहते हैं?
3. क्या मोतजज़्ज़ी मुज्तहिद का फ़त्वा उसके और दूसरों के लिए हुज्जत और मान्य है?
4. आलम की तक़लीद क्यूं करनी चाहिए?
5. क्या ऐसे मुज्तहिद की तक़लीद की जा सकती है जिसके पास तौज़ीहुल मसाएल न हो और क्यूं?
6. तक़लीद में तबईज़ का क्या मतलब है? और उसका क्या हुक्म है?

पाठ

3

तक़लीद (3)

जामेउश्शराएत मुज्तहिद को पहचानने के रास्ते
मुज्तहिद का फ़तवा हासिल करने के तरीक़े
उदूल के अहकाम – तक़लीद के कुछ अहेम मसअले

7) जामेउश्शराएत मुज्तहिद को पहचानने के रास्ते

दो तरीक़े से जामेउश्शराएत मुज्तहिद को पहचाना जा सकता है।

1. इत्मीनान हासिल होना, चाहे लोगों के बीच किसी मुज्तहिद के बहुत ज़्यादा मशहूर होने की वजह से यह इत्मीनान हासिल हो या अपने एक्सपीरियंस या किसी दूसरे रास्ते से।
2. दो जानकार और एक्सपर्ट आदिल गवाही दें चाहे उससे इत्मीनान हासिल न हो।

- अगर शरई गवाही (जैसे दो आदिल व एक्सपर्ट की गवाही) से किसी मुज्तहिद का जामेउश्शराएत होना साबित हो जाए तो जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई दूसरी शरई गवाही सामने न आ जाए तब तक वह पहली गवाही हुज्जत और मान्य है और उसी पर भरोसा किया जाएगा चाहे उससे इत्मीनान हासिल न हो और इस सूरत में उसके ख़िलाफ़ सबूत व गवाह ढूँढ़ना ज़रूरी नहीं है।

8) मुज्तहिद का फ़तवा हासिल करने के तरीक़े

1. ख़ुद मुज्तहिद से सुनना।
2. दो या एक आदिल इंसान से सुनना।
3. भरोसेमंद इंसान से सुनना।
4. मुज्तहिद की तौज़ीहुल मसाएल में देखना इस शर्त के साथ कि उसमें ग़ल्तियां न होने का इत्मीनान हो।

- मुज्तहिद का फ़तवा और शरई हुक्म बयान करने के लिए मुज्तहिद की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस इंसान से भूल चूक होती है उसके लिए जाएज़ नहीं कि वह फ़तवा बयान करे। और अगर फ़तवा बयान करने में उससे ग़लती हो जाए और उसे अपनी ग़लती का पता चल जाए तो उस पर वाजिब है कि वह सुनने वालों को बताए कि मसअला बताने में ग़लती हो गई है। बहेरहाल सुनने वाले के लिए जाएज़ नहीं है कि जब तक उसे बताए गए मसअले के सही होने पर इत्मीनान हासिल न हो जाए, उस पर अमल करे।

9) उदूल[1] के अहकाम

1. वह जगहें कि जिनमें ग़ैर-आलम (वह मुज्तहिद जो आलम नहीं है) की तरफ़ उदूल करना जाएज़ है।
   1) जिन मसअलों में आलम का फ़तवा मौजूद न हो लेकिन ग़ैर-आलम ने उस मसअले में एहतियात के बजाए साफ़ साफ़ फ़तवा दिया हो। (एहतियाते वाजिब की बिना पर तरतीब व क्रम पर अमल किया जाए यानि उसके फ़तवे पर अमल किया जाए जो आलम के बाद सबसे बड़ा आलिम है.....)

1 .एक मुज़्तहिद की तक़लीद से दूसरे मुज्तहिद की तक़लीद में चले जाना।

2) उन मसअलों में जिनमें आलम व ग़ैर-आलम का फ़तवा एक जैसा हो।

3) वह मसअले जिनमें आलम का फ़तवा एहतियात के ख़िलाफ़ हो और ग़ैर-आलम का फ़तवा एहतियात के अनुसार हो।

2. वह जगहें जहां ग़ैर-आलम की तरफ़ उदूल जाएज़ नहीं है।

1) एहतियाते वाजिब की बिना पर ज़िंदा मुज्तहिद की तक़लीद से दूसरे मुज्तहिद की तरफ़ उदूल जाएज़ नहीं है मगर यह कि उसमें मरजईयत की शर्तों में से कोई शर्त ख़त्म हो जाए जैसे दूसरा मुज्तहिद पहले मुज्तहिद की तुलना में आलम हो और उसका फ़तवा किसी मसअले में पहले मुज्तहिद के फ़तवे के ख़िलाफ़ हो।

2) मुर्दा मुज्तहिद से ज़िंदा मुज्तहिद की तरफ़ उदूल करने के बाद जिन मसअलों में उदूल कर चुका है, उनमें दोबारा मुर्दा मुज्तहिद की तरफ़ पलटना जाएज़ नहीं है।

- मरजा-ए-तक़लीद के फ़तवे ज़माने की ज़रूरतों से मेल नहीं खाते या उनके फ़तवों पर अमल करना सख़्त है जैसे बहानों की वजह से आलम मुज्तहिद से ग़ैर आलम की तरफ़ उदूल नहीं किया जा सकता है।

10) तक़लीद के कुछ दूसरे मसअले

1. अगर नमाज़ पढ़ते हुए कोई ऐसा मसअला पेश आ जाए जिसका हुक्म न जानता हो तो दोनों सम्भावनाओं (एहतेमाल) में से किसी भी सम्भावना के अनुसार नमाज़ को पूरा कर ले, लेकिन नमाज़ के बाद उस पर वाजिब है कि उस मसअले को पूछे अगर पता चले कि उसने जो

नमाज़ पढ़ी है वह बातिल हो गई थी तो उस पर वाजिब है कि दोबारा नमाज़ पढ़े।

2. जाहिल दो तरह के होते हैं।
   1. **क़ासिर जाहिलः** उस जाहिल को कहते हैं जिसे अपनी जेहालत का पता ही न हो या उसके पास अपनी जेहालत दूर करने का कोई रास्ता न हो।
   2. **मुक़स्सिर जाहिलः** उस जाहिल को कहते हैं जिसे अपनी जेहालत का इल्म हो और उसे दूर करने के रास्तों को भी जानता हो लेकिन अहकाम सीखने में लापरवाही करे।
3. एहतियाते वाजिब यानि एहतियात के तौर पर किसी काम को अंजाम देने या छोड़ देने का वाजिब होना और जहां कहीं भी एहतियाते वाजिब हो वहां मुकल्लफ़ दूसरे मुज्तहिद के फ़तवे पर अमल कर सकता है जिसने उस मसअले में एहतियात से काम न लिया हो और साफ़ साफ़ फ़तवा दिया हो। अगरचे अलआलम फ़ल-आलम (आलम के बाद जो सबसे बड़ा आलिम हो) की तरतीब पर अमल ज़रूरी है।
4. फ़िक़्ही किताबों में मौजूद "फ़ीहे इश्काल (इसमें हरज है), मुश्किलुन (मुश्किल है) या ला यख़लू मिन इश्काल (हरज से ख़ाली नहीं है") जैसे शब्दों का मतलब है मुज्तहिद ने एहतियात से काम लिया है लेकिन ला इश्काला फ़ीहे (इसमें कोई हरज नहीं है) फ़तवा होता है।
5. "जाएज़ नहीं है" और "हराम है" के बीच कोई फ़र्क़ नहीं है।

✓ सवाल

1. मुज्तहिद के फ़तवों को हासिल करने के क्या रास्ते हैं?
2. क्या फ़तवा और शरई अहकाम को बयान करने के लिए मुज्तहिद की इजाज़त ज़रूरी है?
3. वह जगह जिनमें ग़ैर-आलम की तरफ़ उदूल करना जाएज़ नहीं है, बयान कीजिए?
4. उदूल करना कब वाजिब है?
5. जाहिल कितने तरह के होते हैं?
6. “जाएज नहीं है” और “हराम” के बीच क्या फ़र्क़ है?

पाठ

4

विलायते फ़क़ीह और लीडरशिप

विलायते फ़क़ीह का मतलब - विलायते फ़क़ीह की ज़रूरत विलायते फ़क़ीह का दायरा – वली-ए-फ़क़ीह और मरजए तक़लीद के बीच मतभेद

1. विलायते फ़क़ीह का मतलब

विलायते फ़क़ीह का मतलब है आदिल और दीन की गहरी परख रखने वाले फ़क़ीह की हुकूमत।

- हर दौर और हर ज़माने में इस्लामी समाज की लीडरशिप और मुसलमानों के सामाजिक मामलों के मैनेजमेंट में विलायते फ़क़ीह की गिनती शिया इसना अशरी मज़हब की बुनियादी चीज़ों में होती है और उसकी कड़ियां इमामत से मिलती हैं।
- बारहवें इमाम की ग़ैबत के ज़माने में विलायते फ़क़ीह पर यक़ीन न रखने की वजह से (चाहे इज्तेहाद की वजह से हो या तक़लीद के वजह से) कोई इंसान मुरतद या इस्लाम से बाहर नहीं हो जाता और अगर कोई प्रमाण व दलील से इस

नतीजे पर पहुंचा हो कि उसे न माने तो वह मअज़ूर (मआफ़ी का हक़दार) है। लेकिन उसके लिए मुसलमानों के बीच इख़्तिलाफ़ और मतभेद फैलाना जाएज़ नहीं है।

2. विलायते फ़क़ीह की ज़रूरत

- चूंकि इस्लाम आख़री और क़यामत तक बाक़ी रहने वाला आसमानी दीन है और हुकूमत और समाज की देखरेख दीन की ज़िम्मेदारी है। इसलिए इस्लामी समाज के सभी वर्गों के लिए वली-ए-अम्र (गार्जियन) और हाकिम व लीडर का होना ज़रूरी है ताकि वह इस्लामी उम्मत को इस्लाम व मुसलमानों के दुश्मनों के शर और बुराई से बचाए और इस्लामी समाज के सिस्टम की हिफ़ाज़त करे और उनके बीच अदालत से काम ले, ताक़तवर लोगों को कमज़ोर लोगों पर ज़ुल्म करने से रोके और पॉलीटिकल, सोशल और कल्चरल प्रोग्रेस और तरक्क़ी के रास्ते में पेश आने वाली ज़रूरतों को पूरा करे।
- विलायते फ़क़ीह एक शरई हुक्म है कि जिसकी अक़्ल भी ताईद करती है ।

3. विलायते फक़ीह का दायरा

1) वली-ए-फ़क़ीह के हुकूमती हुक्म

हर मुसलमान पर वली-ए-फ़क़ीह की ओर से दिए गए वेलाई और हुकूमती हुक्म पर अमल करना वाजिब है और इस हुक्म में मराज-ए-केराम भी शामिल हैं तो फिर उनकी तक़लीद करने वाले कैसे शामिल नहीं होंगे।?

- अगर वली-ए-फ़क़ीह को क़ानूनी रास्ते से चुना गया हो तो अपने को विलायते फ़क़ीह से ज़्यादा क़ाबिल और हक़दार समझ कर वली-ए-फ़क़ीह की मुख़ालेफ़त (विरोध) करना जाएज़ नहीं है।

- हुकूमती हुक्म और वली-ए- फ़क़ीह की तरफ़ से की गईं पोस्टिंग अगर हुक्म जारी करते वक़्त अस्थायी और टेम्प्रेरी न हों तो वह बाक़ी व जारी रहेंगी मगर यह कि नया वली-ए-फ़क़ीह उसे ख़त्म करने में मसलहत समझे और उसे बदल दे।

2) हदें जारी करना (सज़ाऐं देना)

हदें जारी करना (जैसे चोरी और रेप आदि की सज़ा देना) इमाम ज़माना अ.ज की ग़ैबत के ज़माने में भी वाजिब है और इसका अधिकार केवल वली-ए-फ़क़ीह को है।

3) वली-ए-फ़क़ीह के अधिकारों की लोगों के अधिकारों पर प्राथमिकता (प्रायोरिटी)

इस्लाम और मुसलमानो की भलाई व वेलफ़ेयर से रिलेटेड वली-ए-फ़क़ीह के अधिकार व फ़ैसले अगर आम लोगों के इरादे व अधिकारों से टकरा रहे हों तो वली-ए-फ़कीह के इरादे और फ़ैसलों को प्रायोरिटी और वरीयता हासिल है।

4) मीडिया पर कंट्रोल

मीडिया को वली ए फ़क़ीह के कंट्रोल में होना चाहिए ताकि उसको इस्लाम, मुसलमानों की सेवा और दीन की तबलीग़ (प्रचार) में इस्तेमाल किया जाए। और इस्लामी समाज की फ़िक्र व सोच को तरक़्क़ी देने और समाज की मुश्किलों को दूर करने, मुसलमानों के बीच एकता और भाईचारगी को बढ़ावा देने जैसे कामों को अंजाम देने में इस्तेमाल किया जाए।

❖ विलायते फक़ीह के दायरे से रिलेटेड तीन बातें।

- **वली ए फ़क़ीह के नुमाइंदे (प्रतिनिधि) के हुक्म पर अमल**

अगर वली ए फ़क़ीह के नुमाइंदे, वली ए फ़क़ीह की तरफ़ से तय किए गए दायरे और दी गई अथॉरिटी की सीमा में कोई हुक्म जारी करें तो उनकी मुख़ालिफ़त (विरोध) जाएज़ नहीं है।

- **दफ़्तरी विलायत**

विलायत फ़क़ीह की हुकूमत में जो आर्डर और क़ानून और दफ़तरी नियमों के अनुसार जारी होते हैं उनकी पैरवी वाजिब है।

- **तकवीनी विलायत**

वली-ए-फ़क़ीह को तकवीनी विलायत[1] हासिल नहीं है यह चीज़ तो बस मासूमीन अ.ह से मख़सूस (विशेष) है।

4. वली ए फ़क़ीह और मरजए तक़लीद के बीच इख़्तेलाफ़ व मतभेद

वली-ए-फ़कीह और मरजा-ए-तक़लीद के बीच अगर किसी मसअले में मतभेद हो और वह इख़्तेलाफ़ व मतभेद निजी मसअलों में हो तो हर मुकल्लफ़ पर वाजिब है कि वह अपने मरजा के फ़तवे पर अमल करे। लेकिन अगर मसअला हुकूमती और इस्लाम के समाजी मुद्दों से जुड़ा हो जैसे काफ़िरों और हमलावरों के मुक़ाबले में इस्लाम और मुसलमानों का बचाव आदि तो ऐसी सूरत में वली-ए-फ़क़ीह की बात मानना वाजिब है।

---

1 . विलायत दो तरह की होती हैः

1. विलायते तशरीईः यानि इलाही क़ानून की देखरेख व सरपरस्ती जैसे नाबालिग़ बच्चे पर बाप या दादा की गार्जियनशिप या हुकूमती मामलों में इस्लामी हाकिम की गार्जियनशिप व सरपरस्ती।
2. विलायते तकवीनीः यानि प्रकृति में अल्लाह के हुक्म और उसकी इजाज़त से तब्दीली लाना और नेचर में मौजूद आम रूल के विपरीत किसी चीज़ को वुजूद देने की क़ुदरत व क्षमता रखना जैसे ला-इलाज बीमारों को सही करना या मुर्दे को ज़िंदा कर देना।

✓ सवाल

1. विलायते फ़क़ीह का क्या मतलब है और क्यूं ज़रूरी है?
2. वली-ए-फ़क़ीह के हुक्म देने की सूरत में मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारी है?
3. क्या पिछले वली-ए-फ़क़ीह की तरफ़ से जारी होने वाले हुक्म मौजूदा वली-ए-फ़क़ीह की इजाज़त के बिना जारी रहेंगे?
4. क्या इमामे ज़माना अ.ज की ग़ैबत के ज़माने में मुज्तहिद को हद जारी करने का अधिकार हासिल है?
5. क्या वली-ए-फ़क़ीह के नुमाइंदे (प्रतिनिधि) ने अपनी अथारिटी के दायरे में रहते हुए जो हुक्म दिए हैं उन पर अमल करना वाजिब है?
6. अगर वली-ए-फ़क़ीह और मरजा-ए-तक़लीद में मतभेद हो जाए तो मुकल्लफ़ की ज़िम्मेदारी क्या है?

दूसरा चैप्टर

तहारत (पाकीज़गी)

इस्लाम ने तहारत व पाकीज़गी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और कुछ काम और शरई ज़िम्मदारियां उसी सूरत में सही हैं जब उन्हें तहारत के साथ अंजाम दिया गया हो। और इस्लामी शरीअत की निगाह में कुछ चीज़ें नजिस हैं उनसे हमेशा या कुछ ख़ास जगहों पर बचना ज़रूरी है। इस्लामी फ़िक़्ह में सफ़ाई, पाकीज़गी और तहारत (जो हमेशा पसंदीदा अमल है) के अलावा एक ख़ास तरह के धोने (वुज़ू व ग़ुस्ल) का अमल पाया जाता है जिसे तहारत कहा जाता है और यह कभी वाजिब है कभी मुस्तहब।

तहारत और पाक करने वाली चीज़ों (मुतह्हरात) के अहकाम और जिस्म, लिबास व दूसरी चीज़ों तथा जो चीज़ें नजिस व नापाक हैं उनके पाक करने के तरीक़े को और जो कुछ भी इससे रिलेटेड है उसे इस चैप्टर में बयान किया गया है।

पाठ

5

पानी

पानी की क़िस्में - मुज़ाफ़ पानी - मुतलक़ पानी
मुतलक़ पानी के अहकाम - पानी में शक के अहकाम

1. पानी की क़िस्में

पानी

1. मुज़ाफ़
2. मुतलक़
    - बारिश का पानी
    - जारी पानी
    - राकिद (ठहरा हुआ पानी)
        - ❖ कुर पानी
        - ❖ क़लील पानी

2. मुज़ाफ़ पानी (मिला हुआ या किसी चीज़ का रस)

1) मुज़ाफ़ पानी का मतलबः

मुज़ाफ़ पानी उस पानी को कहते हैं जिसको किसी क़ैद या किसी चीज़ से जोड़े बिना "पानी" न कहा जा सके। चाहे उसको किसी चीज़ से निकाला गया हो, जैसे तरबूज़, गुलाब या इन जैसी दूसरी चीज़ों का रस या किसी चीज़ से उसे इस तरह मिला दिया गया हो कि अब उसको पानी न कहा जाता हो जैसे शरबत और नमक आदि का पानी।

2) मुज़ाफ़ पानी के अहकाम

1. मुज़ाफ़ पानी किसी नजिस चीज़ को पाक नहीं करता और मुतह्हरात (पाक करने वाली चीज़ों में) में से नहीं है।
2. मुज़ाफ़ पानी नेजासत मिलने से नजिस हो जाता है (चाहे नेजासत कितनी ही कम क्यों न हो और उसकी बू या रंग या टेस्ट न बदले और चाहे मुज़ाफ़ पानी कुर के बराबर ही क्यों न हो।)
3. मुज़ाफ़ पानी से वुज़ू और ग़ुस्ल बातिल (ग़लत) है।

- कभी-कभी पानी में कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे उसका रंग थोड़ा सफ़ेद हो जाता है, ऐसे पानी पर मुज़ाफ़ पानी का हुक्म जारी नहीं होगा। (इसलिए उस पानी से नजिस चीज़ों को पाक करना और वुज़ू व ग़ुस्ल करना सही है।)

3) मुतलक़ पानी (ख़ालिस व प्योर पानी)

1. मुतलक़ पानी का मतलब

मुतलक़ पानी उस पानी को कहा जाता है जिसे बिना किसी शर्त व क़ैद के पानी कहा जा सके जैसे बारिश और झरने का पानी।

2. मुतलक़ पानी की क़िस्में

1. आसमान से बरसता है (बारिश का पानी)।
2. ज़मीन से निकलता है (जारी पानी)।
3. न बरसता है न उबलता है (राकिद और ठहरा हुआ पानी)।
    - लगभग 384 लीटर होता है। (कुर)
    - 384 लीटर से कम है (क़लील पानी)

- पानी या आसमान से बरसता है या ज़मीन से निकलता है या न बरसता है न निकलता है। जो पानी आसमान से बरसता है उसे बारिश का पानी कहते हैं और जो ज़मीन से निकलता है उसे जारी पानी कहते हैं। और वह पानी जो न ज़मीन से निकले, न आसमान से बरसे तो उसे राकिद (ठहरा हुआ) पानी कहा जाता है कि अगर लगभग 384 लीटर हो तो उसे कुर और अगर उससे कम हो तो उसे क़लील (कम) पानी कहा जाता है।

3. मुतलक़ पानी के अहकाम

1. मुतलक़ पानी नजिस चीज़ों को पाक करता है। (मुतह्हरात यानि पाक करने वाली चीज़ों में से है।)
2. मुतलक़ पानी (क़लील पानी के अलावा) जब तक नेजासत के मिलने से उसका रंग, मज़ा या बू न बदले नजिस नहीं होगा।
3. मुतलक़ पानी से वुज़ू और ग़ुस्ल करना सही है।

- मुतलक़ पानी पर शरई अहकाम जारी होने के लिए उर्फ़ की निगाह में उसे मुतलक़ व प्योर पानी कहा जाना ही काफ़ी है। इसलिए अगर नमक से पानी गाढ़ा हो जाए तब भी उसे मुतलक़ व प्योर पानी ही कहा जाएगा। (जैसे कुछ समंद्रों, नदियों और झीलों का खारा पानी) और उससे नजिस चीज़ों को पाक किया जा सकता है और वुज़ू व ग़ुस्ल भी सही है।

4) मुतलक़ पानी की क़िस्में और उनके अहकाम।

1. बारिश का पानी।

किसी नजिस चीज़ पर अगर बारिश का पानी बरसे तो वह पाक हो जाती है।

2. कुर और जारी पानी।

1. अगर किसी नजिस चीज़ को कुर या जारी पानी में डाला जाए तो वह पाक हो जाएगी और पानी नजिस नहीं होगा।
2. कुर या जारी पानी में अगर किसी नजिस चीज़ के गिरने से उसका मज़ा, रंग या बू बदल जाए तो पानी नजिस हो जाएगा और इस सूरत में वह नजिस चीज़ों को पाक नहीं करेगा।

- पाक करने के हिसाब से कुर और जारी पानी में कोई फ़र्क़ नहीं है।

3. क़लील पानी।

1. अगर नजिस चीज़ को क़लील पानी में डाला जाए तो वह पानी नजिस हो जाएगा और नजिस चीज़ पाक नहीं होगी।
2. अगर क़लील पानी को नजिस चीज़ों पर डाला जाए तो वह पाक हो जाएंगी लेकिन नजिस चीज़ पर डालने के बाद जो पानी उससे टपके, वह नजिस है।
3. अगर क़लील पानी प्रेशर के बिना ढ़लान की वजह से ख़ुद से नीचे की तरफ़ जा रहा हो और उसका निचला हिस्सा नजिस हो जाए तो अगर पानी का बहाव इस तरह हो कि उसे ऊपर से नीचे की तरफ़ बहना कहा जाए तो ऊपरी हिस्से का पानी पाक है।
4. क़लील पानी अगर कुर या जारी पानी से मिल जाए तो वह भी कुर व जारी पानी के हुक्म में होगा।

5) पानी के बारे में शक के अहकाम

1. जिस पानी के बारे में मालूम न हो कि पाक है या नजिस तो शरई हिसाब से वह पाक है। लेकिन अगर पानी पहले नजिस

था और हमें मालूम नहीं कि बाद में पाक हुआ है या नहीं तो वह नजिस है।

2. वह पानी जो पहले कुर भर था, उसमें शक हो कि कुर से कम हुआ है या नहीं तो वह कुर पानी के हुक्म में है।

- किसी भी पानी पर कुर के अहकाम लागू होने के लिए उसके कुर होने का यक़ीन होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर पहले उसका कुर होना साबित हो जाए तो अब भी उसे कुर मानना सही है। (जैसे ट्रेन की टंकियों में जो पानी होता है अगर पहले कुर या उससे ज़्यादा था और अब शक हो कि वह कुर से कम हुआ या नहीं तो उसे कुर माना जाएगा।)

3. जो पानी कुर से कम था जब तक यक़ीन न हो जाए कि कुर हो गया है, उसे क़लील माना जाएगा।

✓ सवाल

1. पानी कितनी तरह का होता है?
2. मुज़ाफ़ और मुतलक़ पानी किसे कहते हैं?
3. मुतलक़ पानी के अहकाम पर रौशनी डालिए?
4. नमक मिलने की नजह से गाढ़े हो जाने वाले समंदर के पानी से वुज़ू व ग़ुस्ल करने का क्या हुक्म है?
5. पाक करने में कुर और जारी पानी में क्या फ़र्क़ है?
6. जिस पानी के बारे में मालूम न हो कि पाक है या नजिस, उसका हुक्म क्या है?

पाठ

6

टॉयलेट

टॉयलेट के अहकाम – इस्तिबरा – इस्तेंजा

1. टॉयलेट के अहकाम (पेशाब पाख़ाना करना)

1. क़िब्ले की रिआयत

इंसान को पेशाब पाख़ाना करते वक़्त क़िब्ले (काबे) की तरफ़ मुँह या पीठ नहीं करनी चाहिए।

2. शर्मगाह को छिपाना

पेशाब व पाख़ाने और दूसरे मौक़ों पर भी इंसान के लिए अपनी शर्मगाह (गुप्तांग) को (मियां बीवी के अलावा) तमाम लोगों से छिपाना वाजिब है चाहे मर्द हो या औरत, महरम[1] हो या नामहरम[2] यहां तक कि समझ रखने वाले नाबालिग़ बच्चे से भी।

मियां बीवी के लिए एक दूसरे से शर्मगाह को छिपाना ज़रूरी नहीं है।

---

1. वह रिश्ते जिनमें एक दूसरे के साथ शादी नहीं हो सकती जैसे माँ, बहन, बेटी, ख़ाला, फूफी आदि।
2. जिन रिश्तों में एक दूसरे से शादी मुमकिन है। (बीवी की बहन को छोड़ कर जिससे नामहरम होने के बावजूद शादी जाएज़ नहीं है।)

3. पेशाब, पाख़ाने की मकरूह[1] चीज़ें

1. ख़ड़े हो कर पेशाब करना।
2. सख़्त ज़मीन पर या कीड़ों के सुराख़ों में पेशाब करना।
3. पानी में पेशाब करना ख़ास कर ठहरे हुए पानी में।
4. पेशाब, पाख़ाने को रोकना।
5. आम रास्तों, सड़कों पर और फलदार पेड़ों के नीचे पेशाब, पाख़ाना करना।

2. इस्तिबरा

1. अगर मर्द पेशाब करने के बाद इस्तिबरा कर ले और फिर पेशाब की जगह से कोई गीली चीज़ निकल आए और न जानता हो कि वह पेशाब है या कुछ और, तो वह गीली चीज़ पाक है और इस बारे में किसी छानबीन की ज़रूरत नहीं है।

2. इस्तिबरा वाजिब नहीं है और अगर उससे नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो तो जाएज़ भी नहीं होगा। जैसे अगर लिंग ज़ख़्मी हो और उस पर दबाव डालने से ख़ून निकल आता हो जिसके नतीजे में ज़ख़्म देर से सूखे। हाँ अगर इस्तिबरा न करे और पेशाब करने के बाद कोई तरी बाहर निकल आए तो उस पर पेशाब का हुक्म लागू होगा।

3. इस्तिबरा का बेहतरीन तरीक़ा यह है कि पेशाब ख़त्म होने के बाद अगर पाखाने की जगह नजिस है तो पहले उसे पाक करे फिर बाएं हाथ की बीच की उंगली को पाख़ाने की जगह से लिंग की जड़ तक तीन बार खींचे, फिर अंगूठे को लिंग के ऊपर और अंगूठे के बग़ल वाली उंगली को नीचे रख कर लिंग

---

1 .वह काम जिनका करना शरीयत की निगाह से अच्छा नहीं है लेकिन अगर कर लिया जाए तो उस पर किसी तरह का अज़ाब नहीं होगा।

की जड़ से ख़तने की जगह तक तीन बार खींचे और उसके बाद तीन बार लिंग के सिरे को दबाए।

4. पाख़ाने की जगह पाक करने से पहले इस्तिबरा करने या पाक करने के बाद इस्तिबरा करने के तरीक़े में कोई फ़र्क़ नहीं है।
5. जब भी कोई इंसान पेशाब करने के बाद इस्तिबरा करके वुज़ू करे और उसके बाद कोई गीली चीज़ बाहर निकल आए जिसके पेशाब या मनी होने में शक हो तो हदस से पाक होने के यक़ीन के लिए वाजिब है कि ग़ुस्ल भी करे और वुज़ू भी।

- **वह तरी जो कभी कभी पेशाब की जगह से बाहर आती है**

  1. वह तरी जो कभी कभी मनी के बाद निकलती है उसे "वज़ी"कहते हैं।
  2. वह तरी जो पेशाब करने के बाद कभी कभी निकलती है उसे "वदी" कहते हैं।
  3. वह तरी जो मियाँ बीवी के बीच मस्ती के बाद निकलती है उसको "मज़ी" कहते हैं।

यह सभी नमियां पाक हैं इनकी वजह से तहारत (वुज़ू व ग़ुस्ल) ख़त्म नहीं होती है।

1. पेशाब की जगह को पाक करने का तरीक़ा

1) पेशाब की जगह पानी के अलावा किसी और चीज़ से पाक नहीं हो सकती है।
2) एहतियाते वाजिब की बिना पर पेशाब की जगह दो बार धोने से पाक होती है।

2. पाख़ाने की जगह को पाक करने का तरीक़ा

1. पाख़ाने की जगह को दो तरह से पाक किया जा सकता है

   1) पानी से धोया जाए यहां तक कि नेजासत ख़त्म हो जाए और नेजासत ख़त्म होने के बाद अलग से पानी डालना वाजिब नहीं है।

2) तीन पत्थरों और तीन कपड़ों या इन जैसी किसी चीज़ से इस तरह साफ़ करना कि नेजासत ख़त्म हो जाए और अगर उससे नेजासत पूरी तरह से साफ़ न हो तो किसी और पत्थर या कपड़े का इस्तेमाल करे यहां तक कि नेजासत पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तीन टुकड़ों के बजाए एक ही पत्थर या कपड़े के तीन कोने या सिरे से भी साफ़ कर सकते हैं।

2. पाख़ाने की जगह तीन सूरतों में केवल पानी से पाक होती है, पत्थर या उस जैसी किसी चीज़ से पाक नहीं होगी।

   1. जब पाख़ाने के साथ कोई और नेजासत जैसे ख़ून भी बाहर निकल आए।
   2. जब पाख़ाने की जगह पर बाहर से कोई नेजासत लग गई हो।
   3. जब पाख़ाना मामूल से ज़्यादा फैल जाए। (यानि पाख़ाना इधर उधर फैल गया हो।)

सवाल

1. क्या नाबालिग़ बच्चे से भी शर्मगाह का छिपाना वाजिब है?
2. टॉयलेट की कुछ मकरूह चीज़ें बयान कीजिए?
3. इस्तिबरा का क्या हुक्म है?
4. इस्तिबरा का क्या फ़ायदा है?
5. पेशाब की जगह से निकलने वाली तरी कितनी तरह की होती हैं?
6. पेशाब और पाखाने की जगह को किस तरह पाक किया जा सकता है?

पाठ

7

नेजासात (1) (नजिस चीज़ें)

1) **नेजासात**
   1. पेशाब
   2. पाख़ाना
   3. इंसान की मनी (स्पर्म)
   4. मुर्दार
   5. ख़ून
   6. कुत्ता
   7. सुअर
   8. एहतियाते वाजिब की बिना पर नशीला पेय
   9. वह काफ़िर जो किसी आसमानी दीन को नहीं मानते हैं।

❖ जिनके नजिस होने का हुक्म अल्लाह तआला ने दिया है उन चीज़ों को छोड़ कर तमाम चीज़ें पाक हैं।

1.2. पेशाब पाख़ाना

❖ **नजिस**

1. इंसान का पेशाब, पाख़ाना।

2. पंक्षियों के अलावा हर उस हराम गोश्त जानवर का पेशाब, पाख़ाना जो ख़ूने जहिन्दा (ज़िबह करते वक़्त ख़ून उछल कर निकले) रखता हो।

❖ **पाक**

1. हलाल गोश्त जानवर, चाहे पंक्षी हो जैसे चिड़िया व कबूतर या चौपाया हो जैसे गाय व भेड़ आदि।
2. ख़ूने जहिन्दा न रखने वाले हराम गोश्त जानवर जैसे साँप व बिना छिलके की मछली। (unscaled Fish)।
3. हराम गोश्त पंक्षी जैसे कव्वा व तोता आदि।

1) इंसान और ख़ूने जहिन्दा रखने वाले हराम गोश्त जानवर का पेशाब, पाख़ाना नजिस है। लेकिन हराम गोश्त पंक्षियों का पेशाब, पाख़ाना पाक है।

2) हलाल गोश्त जानवरों और पंक्षियों का पेशाब पाख़ाना पाक है।

3. मनी

1. इंसान की मनी नजिस है।
2. अगर कोई पेशाब के बाद इस्तिबरा करे और उसके साथ कोई ऐसी तरी निकल आए जिसके बारे में न जानता हो कि मनी है या नहीं? तो जब तक मनी होने का यक़ीन न हो और मनी की शरई निशानियाँ भी उसमें न पाई जाती हों तो उस पर मनी का हुक्म लागू नहीं होगा और वह पाक है।

मनी की निशानियाँ

मर्दों में

1. शहवत (कामवासना की पूर्ण संतुष्टि के वक़्त जो हालत पैदा होती है।)
2. उछल कर निकलना।

3. बदन का सुस्त हो जाना।

औरतों में

केवल वासना

4. मुर्दार (मुर्दा बदन)

- **इंसान**
  - **मुसलमान (मुर्दा बदन)** नजिस है कुछ चीज़ों को छोड़ कर:

1. वह हिस्से जिनमें रूह नहीं होती जैसे नाख़ून व बाल और दाँत।
2. जंग के मैदान में शहीद हो।
3. तीनों ग़ुस्ल दिए जा चुके हों।

काफ़िर

किताबी काफ़िर (अहले किताब)

उन हिस्सों के अलावा जिनमें रूह नहीं होती, नजिस है।

ग़ैर किताबी

बदन के सारे हिस्से नजिस हैं।

जानवर

कुत्ता और सुअरः बदन के सारे हिस्से नजिस हैं

कुत्ता और सुअर के अलावा दूसरे जानवर

- ख़ूने जहिन्दा रखते हों तोः

- वह हिस्से जिनमें रूह होती है नजिस हैं जैसे गोश्त और खाल। मगर वह जानवर जिसे शरई तरीक़े से ज़िबह किया गया हो (तो नजिस नहीं है।)
- वह हिस्से जिनमें रूह नहीं होती, जैसे सींग और बाल, पाक हैं।

- ख़ूने जहिन्दा न रखते हों:

बदन के सारे हिस्से पाक हैं।

1. इंसान और ख़ूने जहिन्दा रखने वाले हर जानवर का मुरदार नजिस है चाहे हलाल गोश्त हो या हराम गोश्त।
2. जिस जानवर को शरई तरीक़े से ज़िबह किया गया हो और जिस मुर्दा इंसान को ग़ुस्ले मय्यत दिया जा चुका हो, वह मुरदार के हुक्म से अलग हैं और नजिस नहीं हैं।
   - ग़ुस्ले मय्यत से मुराद तीनों ग़ुस्ल है इसलिए जब तक तीसरा ग़ुस्ल ख़त्म न हो जाए उस वक़्त तक मय्यत पर नेजासत का हुक्म लागू होगा।
3. मुरदार के जिस हिस्से में रूह नहीं होती जैसे ऊन, बाल, दाँत, सींग आदि पाक हैं, लेकिन कुत्ते, सुअर और ग़ैर किताबी काफ़िर की यह चीज़ें भी नजिस हैं।
   - वह बारीक खाल जो हाथों, होंटों, पैरों या बदन के दूसरे हिस्सों से खुद से अलग हो जाती है पाक है।
   - वह गोश्त, चमड़ा और जानवर के दूसरे हिस्से जो मुसलमानों के बाज़ार में बिकते हैं, पाक हैं। इसी तरह अगर यह चीज़ें मुसलमानों के क़ब्ज़े में हों तब भी उन्हें पाक माना जाएगा। और अगर यही चीज़ें काफ़िर मुल्कों से ली गई हों तो जब तक उनके शरई तौर पर ज़िबह न होने का यक़ीन न हो, वह पाक हैं। दूसरे शब्दों में केवल उस सूरत में नजिस हैं जब यक़ीन हो कि जानवर शरई तरीक़े से ज़िब्ह नहीं हुआ है। लेकिन अगर मालूम हो कि तज़किया (शरई तौर पर ज़िबह) हुआ है या तज़किया होने का इमकान हो तो पाक है।

5) ख़ून

1. इंसान और ख़ूने जहिन्दा रखने वाले हर जानवर का ख़ून नजिस है चाहे हलाल गोश्त हो या हराम गोश्त।
2. जानवर को ज़िबह करने के बाद उसके बदन में रह जाने वाला ख़ून पाक है।

3. अंडे में कभी कभी जो ख़ून का धब्बा दिखाई देता है वह पाक है लेकिन उसका खाना हराम है।

6.7. कुत्ता और सुअर

कुत्ता और सुअर नजिस हैं चाहे रूह वाले हिस्से हों या वह हिस्से हों जिनमें रूह नहीं पाई जाती।

- जिन चीज़ों में तहारत शर्त है उनमें (कुत्ते और) सुअर के बालों का इस्तेमाल जाएज़ नहीं है, लेकिन ऐसे कामों में उनका इस्तेमाल जाएज़ है जिनमें तहारत ज़रूरी नहीं है जैसे पेंटिंग के ब्रश में।

सवाल

1. नेजासात (नजिस चीज़ें) कितने हैं, बयान कीजिए?
2. क्या हराम गोश्त चिड़ियों जैसे कौआ, चील और तोते का पेशाब, पाख़ाना नजिस है?
3. मनी की शरई निशानियों को बयान कीजिए?
4. मय्यत का बदन कब पाक होता है?
5. खाल और गोश्त जैसे जानवरों के वह हिस्से जो ग़ैर-इस्लामी मुल्कों से इम्पोर्ट होते हैं, किस सूरत में पाक हैं?
6. अंडे में कभी कभी जो ख़ून का धब्बा दिखाई देता है वह पाक है या नजिस?

पाठ
8

नेजासात (2)

8. नशीले पेय

एहतियाते वाजिब की बिना पर नशीले पेय नजिस हैं।

- अगर मस्त करने वाली चीज़ लिकवेड न हो जैसे भांग व चरस और पानी या दूसरे लिकवेड से मिलकर लिकवेड में तब्दील हो जाए तो वह नजिस नहीं है।
- अंगूर का रस जिसको आग पर उबाला गया हो और उसका दो तिहाई हिस्सा कम न हुआ हो अगर मस्त करने वाला न हो तो नजिस नहीं है लेकिन उसका पीना हराम है।
- अगर कच्चे अंगूरों के साथ कुछ पके हुए अंगूर के दाने मिल जाएं और उन सबका रस निकाला जाए तो अगर अंगूर के दाने बहुत कम हों और उसका रस कच्चे अंगूर के रस में इस तरह मिल जाए कि उसको अंगूर का रस न कहा जाए तो उबालने से हराम नहीं होगा लेकिन अगर केवल पके अंगूर के दानों को आग पर रख कर उबाला जाए तो उनका खाना हराम है।

9. काफ़िर

1. जो इंसान तौहीद (अल्लाह् के एक होने) या नुबूव्वत और ज़रूरियाते दीन (इस्लाम के बेसिक सिधांतों) जैसे नमाज़ व रोज़े में से किसी का इंकार करता हो या रसूले इस्लाम (स.) की रिसालत में अभाव और कमी का अक़ीदा रखता हो तो वह काफ़िर और नजिस है मगर यह कि वह अहले किताब में से हो। (तो नजिस नहीं है)
   - ज़रूरियाते दीन का इंकार उस सूरत में कुफ़्र है कि रसूले इस्लाम स.अ. की पैग़म्बरी के इंकार या रसूले इस्लाम स. अ. को झुठलाने या शरीअत में कमी का सबब बनता हो।
2. अहले किताब काफ़िर, लेकिन पाक हैं।
   - अहले किताब से मुराद हर वह इंसान है जो इलाही दीनों में से किसी दीन पर यक़ीन रखता हो और ख़ुद को इलाही पैग़म्बरों में से किसी पैग़म्बर का मानने वाला बताए और पैग़म्बरों पर नाज़िल होने वाली किताबों में से कोई किताब उनके पास हो जैसे यहूदी, ईसाई, ज़रतुश्ती और साएबी (कि जो हज़रत यहिया नबी की पैरवी का दावा करते हैं और कहते हैं हज़रत यहिया की किताब उनके पास मौजूद है)।
3. केवल आख़री नबी की नुबूव्वत पर यक़ीन रखना ही मुसलमान होने के लिए काफ़ी नहीं है, इस आधार पर जो अहले किताब आख़री नबी की रिसालत पर ईमान रखते हैं लेकिन वह अपने पूर्वजों के तौर तरीक़े पर चलते हैं वह मुसलमान नहीं कहे जाएंगे। हां अगर उनकी गिनती अहले किताब में होती हो तो उन पर तहारत का हुक्म लागू होगा।
4. जो मुसलमान मुरतद हो जाए (वह मुसलमान जिसने इस्लाम दीन छोड़ दिया हो) काफ़िर और नजिस हो जाएगा। लेकिन केवल नमाज़ रोज़ा और शरीअत के दूसरे वाजिबात छोड़ने से

मुसलमान, मुरतद और नजिस नहीं होता। और जब तक उसका मुरतद होना साबित न हो जाए उस पर वही हुक्म लागू होगा जो दूसरे सभी मुसलमानों का है।

5. अली उल्लाही फ़िर्क़े वाले अगर यह यक़ीन रखते हों कि अली इब्ने अबी तालिब (अ. स.) ख़ुदा हैं या उन्हें अल्लाह का शरीक जानते हों तो वह काफ़िर और नजिस हैं।
6. जो इंसान मासूम इमामों में से किसी को गाली दे, बुरा कहे और उनका अपमान करे तो काफ़िर और नजिस है।
7. गुमराह बहाई फ़िर्क़े (सम्प्रदाय) के सभी मानने वाले नजिस हैं।

नेजासत के कुछ दूसरे मसअले

- हराम काम से जो इंसान मुजनिब[1] हुआ है उसका पसीना पाक है लेकिन एहतियाते वाजिब यह है कि उस पसीने के साथ नमाज़ न पढ़ी जाए।
- उस इंसान के मुँह का थूक और बदन का पसीना पाक है जिसने हराम और नजिस जानवर (जैसे सुअर) का गोश्त खाया हो।
- कपड़ा धोने के बाद उस पर जो ख़ून का हलका धब्बा रह जाता है अगर ख़ुद ख़ून न हो और केवल ख़ून का रंग हो तो पाक है।
- उल्टी पाक है चाहे दूध पीने वाले बच्चे की हो या ऐसे बच्चे की जो दूध भी पीता है और खाना भी खाता है या बालिग़ इंसान की हो।

---

1 . मनी (वीर्य) निकलने के बाद इंसान को मुजनिब कहा जाता है।

सवाल

1. अलकोहल के नजिस होने का मापदंड क्या है?
2. इस्लाम के ज़रूरी सिद्धांतों का इंकार किस सूरत में कुफ़्र है?
3. अहले किताब से मुराद कौन लोग हैं और नजिस व पाक होने में उनका क्या हुक्म है?
4. नजिस व पाक होने के हिसाब से बहाई मज़हब के मानने वालों का क्या हुक्म है?
5. हराम काम से मुजनिब होने वाले इंसान का पसीना पाक है या नजिस?
6. क्या कपड़ा धोने के बाद उस पर जो ख़ून का हलका धब्बा बाक़ी रह जाता है, वह नजिस है?

पाठ

9

नेजासात (3)

नेजासत साबित होने के रास्ते – पाक चीज़ें किस तरह नजिस होती हैं – नेजासात के अहकाम – शक और उसका इलाज

2. नेजासत साबित होने के रास्ते

किसी चीज़ का नजिस होना तीन तरीक़ों से साबित होता है

1. ख़ुद इंसान को किसी चीज़ के नजिस होने का यक़ीन हो।
2. जिसके इख़्तियार में चीज़ है (जैसे घर का मालिक, विक्रेता या नौकर) वह उसके नजिस होने की ख़बर दे।
3. दो आदिल इंसान नजिस होने की गवाही दें।

- जो बच्चा बालिग़ होने वाला है अगर किसी चीज़ के नजिस होने की ख़बर दे जो उसके इख़्तियार में हो तो उसकी बात मानी जाएगी दूसरे शब्दों में उसकी बात पर भरोसा किया जाएगा।

3. पाक चीज़ें किस तरह नजिस होती हैं ?

पाक चीज़ के नजिस होने के लिए 4 शर्तों का होना ज़रूरी है।

1. पाक चीज़, नजिस से मिल जाए।
2. दोनों या उनमें से कोई एक गीली हो।
3. नमी इतनी हो कि दूसरे तक पहुंच जाए।

4. **बदन के अंदर न मिलें।**

- फैलने वाली नमी का मापदंड यह है कि नमी इतनी मात्रा में हो कि जब सूखी चीज़, गीली चीज़ से मिले तो नमी उसमें चली जाए।
- कपड़ा और उस जैसी चीज़ें अगर गीली हों और उसके किसी हिस्से पर नेजासत लग जाए तो जिस जगह नेजासत लगी है केवल वही हिस्सा नजिस होगा और दूसरी जगहें पाक रहेंगी।
- वह पानी जो मसूढ़े में जमें हुए ख़ून से मिलने के बाद मुँह से निकले, पाक है, अगरचे एहतियाते मुस्तहब की बिना पर उससे बचना चाहिए, इसी तरह वह खाना भी जो मुँह के उस हिस्से तक पहुंच जाए जहां ख़ून जमा है, नजिस नहीं है, उसके निगलने में भी कोई हरज नहीं है और मुँह भी पाक है।
- मुतनज्जिस (ऐसी चीज़ जो ऐने नेजासत यानि वह चीज़ें जो अपने आप में नजिस हैं, से मिलने से नजिस हो गई हो) अगर किसी पाक चीज़ से मिल जाए और उनमें से कोई एक गीली हो तो पाक चीज़ भी नजिस हो जाएगी। और वह दूसरी मुतनज्जिस चीज़ जो नजिस चीज़ से मिलने की वजह से नजिस हो गई है अगर किसी और पाक चीज़ से मिल जाए तो एहतियाते वाजिब की बिना पर वह चीज़ भी नजिस हो जाएगी, लेकिन यह तीसरी मुतनज्जिस चीज़ किसी दूसरी चीज़ को नजिस नहीं करेगी।

4 नेजासात के अह्काम

1. नजिस चीज़ का खाना पीना हराम है इसी तरह जो उसकी नेजासत के बारे में नहीं जानता है उसे खिलाना भी हराम है। हाँ अगर किसी को देखें कि नजिस खाना खा रहा है या नजिस कपड़े में नमाज़ पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उसे नेजासत के बारे में बताए।
2. कपड़ा धोने वाले इंसान को कपड़ों की नेजासत के बारे में बताना ज़रूरी नहीं है लेकिन जिसके कपड़े नजिस हैं जब तक उसको कपड़ों के पाक होने का यक़ीन न हो जाए उन पर तहारत के अहकाम लागू नहीं कर सकता है।
3. अगर मेहमान, मेज़बान के घर की किसी चीज़ को नजिस कर दे तो मेज़बान को नेजासत के बारे में बताना वाजिब नहीं है, मगर यह कि नजिस होने वाली चीज़, खाने पीने का सामान या खाने के बर्तन हों तो ऐसी सूरत में बताना ज़रूरी है।

5 शक और उसका इलाज

वह लोग जो नेजासत के बारे में बहुत ज़्यादा शक्क करते हैं उन्हें शक की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए नीचे बयान किए जा रहे प्वाइंट्स पर ध्यान देना चाहिए।

1. शरीअत की निगाह में तहारत और नेजासत के सिलसिले में अस्ल यह है कि तमाम चीज़ें पाक हैं यानि जिस भी चीज़ के नजिस होने में ज़रा सा भी शक हो तो शक्की लोगों पर वाजिब है कि नजिस न होने का हुक्म लागू करें। (यानि उसे पाक मानें।)
2. शक्की लोग अगर नेजासत का यक़ीन भी कर लें तब भी उसे पाक मानें। मगर यह कि ख़ुद अपनी आँखों से किसी चीज़ को इस तरह नजिस होते देख लें, कि अगर कोई और भी उसे देखता तो उसे भी नजिस होने का यक़ीन हो जाता तो

केवल इस सूरत में नेजासत का हुक्म लागू होगा। ऐसे शक्की लोगों पर उस वक़्त तक यह हुक्म लागू रहेगा जब तक कि उनकी शक की बीमारी पूरी तरह से ख़त्म न हो जाए।

3. अगर कोई चीज़ या बदन का हिस्सा नजिस हो जाए तो उसको पाक करने के लिए ऐने नेजासत के ख़त्म होने के बाद उसको नल के पानी से एक बार धोना काफ़ी है बार बार धोना और पानी के नीचे रखना वाजिब नहीं है और अगर वह नजिस चीज़ कपड़ा या उस जैसी कोई चीज़ हो तो एहतियात की बिना पर उसको राएज (प्रचलित) तरीक़े से निचोड़ें या हिलाए ताकि उससे पानी निकल जाए।

4. इस्लाम के अहकाम सादे, आसान और इंसान के नेचर व स्वभाव के अनुरूप हैं। इसलिए उसको अपने लिए मुश्किल नहीं बनाना चाहिए और इस काम से अपनी रूह व जिस्म को नुक़सान नहीं पहुंचाना चाहिए। शक और बेचैनी की हालत ज़िंदगी में मुश्किलें खड़ी करती है। अल्लाह उनके और उनसे रिलेटेड लोगों के तकलीफ़ और सख्ती उठाने से राज़ी नहीं है, आसान दीन की नेअमत पर शुक्र अदा करें और इस नेअमत का शुक्र यह है कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुज़ारी जाए।

5. शक की हालत जल्द गुज़र जाने वाली है और इसका इलाज मुमकिन है और इससे छुटकारे के लिए किसी सपने व चमत्कार की ज़रूरत नहीं है बल्कि अपने निजी सलीक़े व तौर तरीक़े को छोड़ कर शरीअत के बताए हुए रास्ते पर ईमान व यक़ीन रखें, बहुत सारे लोग जो इसमें ग्रस्त थे, बताए गए तरीकों से शक से नजात पा चुके हैं। अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने मन को मज़बूत हौसले और इरादे से सुकून बख्शें।

सवाल

1. क्या जो बच्चा बालिग़ होने वाला है अगर किसी चीज़ के नजिस होने की ख़बर दे जो उसके इख़्तियार में हो तो उसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है?
2. पाक चीज़ों के नजिस होने के लिए कितनी शर्तों का होना ज़रूरी है?
3. फैलने वाली तरी का मापदंड क्या है?
4. मुतनज्जिस चीज़ कितने माध्यम से दूसरी चीज़ों को नजिस करती है?
5. अगर शक्की लोगों को नेजासत का यक़ीन हो जाए तो उनकी ज़िम्मेदारी क्या है?

पाठ

10

मुतह्हेरात (1)

1) **मुतह्हेरात**

1. पानी।
2. ज़मीन।
3. सूरज।
4. इस्तेहाला
5. इन्तेक़ाल
6. इस्लाम।
7. तबईय्यत
8. ऐने नेजासत का ख़त्म हो जाना।
9. नेजासत खाने वाले जानवर का इस्तिबरा।
10. मुसलमान का ग़ाएब हो जाना।
    - जो चीज़ें नजिस चीज़ों को पाक कर दें उन्हें मुतह्हेरात कहते हैं।

1. पानी

1. बर्तन को पाक करने का तरीक़ा

1. नजिस बर्तन को क़लील पानी से तीन बार धोना चाहिए लेकिन कुर और जारी पानी से केवल एक बार धोना ही काफ़ी है।
2. ऐसा बर्तन जिसमें कुत्ते ने पानी या कोई गीली चीज़ पी है या उसे चाटा है तो पहले उसे मिट्टी से मांजें फिर पानी से धोएं और अगर क़लील पानी हो तो मिट्टी से मांजने के बाद दो बार धोना ज़रूरी है।
3. ऐसा बर्तन जिसमें सुअर ने पानी या कोई गीली चीज़ पी हो उसे पानी से सात बार धोना ज़रूरी है लेकिन मिट्टी से मांजना ज़रूरी नहीं है।

2. बर्तन के अलावा दूसरी चीज़ों को पाक करने का तरीक़ा

1. चीज़ नजिस से ऐने नेजासत ख़त्म करने के बाद अगर उसे कुर या जारी पानी में डिबोया जाए या उस नल के पानी के नीचे रखा जाए जो कुर से मिला हुआ हो (इस तरह कि पानी नजिस जगह के तमाम हिस्सों तक पहुँच जाए) तो वह चीज़ पाक हो जाएगी। और कपड़े, क़ालीन और उस जैसी चीज़ों को एहतियाते वाजिब की बिना पर पानी में डिबोने के बाद निचोड़ा या हिलाया जाए। हां पानी के बाहर निचोड़ना या झटकना ज़रूरी नहीं है बल्कि पानी के अंदर भी निचोड़ना या हिलाना काफ़ी है।
2. जो चीज़ पेशाब लगने से नजिस हुई है, ऐने नेजासत के ख़त्म हो जाने के बाद अगर क़लील पानी दो बार उसे धो दिया जाए तो पाक हो जाती है और अगर पेशाब के अलावा किसी दूसरी नेजासत से नजिस हुई हो तो ऐने नेजासत ख़त्म होने के बाद एक बार उसे क़लील पानी से धोने से पाक हो जाएगी।

3. जिस चीज़ को क़लील पानी से धोते हैं उसमें ज़रूरी है कि जिस पानी से उसको धोते हैं वह उससे अलग हो जाए और अगर उसको निचोड़ा जा सकता हो जैसे कपड़े व क़ालीन तो उसे निचोड़ा जाए ताकि पानी उससे अलग हो जाए।

कुछ ज़रूरी मसअले

- नजिस क़ालीन या उस जैसी चीज़ को नल के पानी से पाक करने के लिए धोवन का अलग करना ज़रूरी नहीं है बल्कि ऐने नेजासत दूर करने के बाद केवल नजिस जगह तक पानी पहुँचाने और पानी पड़ते वक़्त हाथ से पानी को नेजासत की जगह से हरकत देने से ही वह पाक हो जाएगी।
- नजिस पानी से गुंधी हुई मिट्टी से बनने वाले तंदूर का ऊपरी हिस्सा पानी से धोने से पाक हो जाता है और जिस हिस्से पर रोटी लगाई जाती है उसका पाक होना ही रोटी पकाने के लिए काफ़ी है।
- वह नजिस कपड़े जिन्हें पाक करते वक़्त रंग छूटता है अगर छूटने वाले रंग से पानी मुज़ाफ़ (मिक्स) न हो तो नजिस कपड़ों पर पानी डालने से वह पाक हो जाते हैं।
- नजिस कपड़ों को पाक करने के लिए अगर उन्हें बर्तन में रख कर नल का पानी इस तरह खोल दिया जाए कि पानी हर जगह पहंच जाए तो बर्तन, पानी और कपड़े से अलग होने वाले रोएं जो पानी के ऊपर तैरते हैं और पानी के साथ बाहर गिरतें हैं सबके सब पाक हैं (अगरचे जैसा कि पहले बताया है कि एहतियात यह है कि लिबास या उस जैसी चीज़ों को पानी में डालने के बाद निचोड़ा या हिलाया जाए।)

सवाल

1) मुतह्हरात कितने हैं बयान कीजिए?
2) बर्तन पाक करने का तरीक़ा बयान कीजिए?
3) क्या नजिस कपड़े को कुर या जारी पानी से पाक करने में कपड़े को पानी से बाहर निकाल कर निचोड़ना भी ज़रूरी है या पानी के अंदर ही निचोड़ लेना काफ़ी है?
4) क्या मुतनज्जिस कपड़े को कुर या जारी पानी से पाक करने में कपड़े को पानी से बाहर निकाल कर निचोड़ना भी ज़रूरी है या पानी के अंदर ही निचोड़ लेना काफ़ी है?
5) क्या नजिस पानी से गुंधी हुई मिट्टी से बनने वाले तंदूर को पाक किया जा सकता है?
6) उन नजिस कपड़ों को पाक करने का क्या तरीक़ा है जिन्हें पाक करते वक़्त रंग छूटता है?

पाठ

11

मुतह्हेरात (2)

2. ज़मीन

जिसके पैर का तलवा या जूता ज़मीन पर चलने की वजह से नजिस हो गया हो अगर वह पाक और सूखी ज़मीन पर लगभग दस क़दम चले तो पाक हो जाएगा, इस शर्त के साथ कि ऐने नेजासत दूर हो जाए।

- डामर और तारकोल वाली ज़मीन पर चलने से पैर और जूते का तला पाक नहीं होता।

3. सूरज

1. सूरज ज़मीन और हर उस चीज़ को जो स्थिर हो और हिलाई डुलाई न जा सकती हो जैसे बिल्डिंग और उसमें लगी हुई चीज़ें जैसे दरवाज़े, ख़िड़कियां, दीवार, ख़म्भे और इन जैसी चीज़ों और पेड़, पौधों को भी पाक कर देता है।
2. सूरज के पाक करने की शर्तें:

    1. नजिस चीज़ गीली हो।

2. ऐने नेजासत उसमें न हो (अगर ऐने नेजासत हो तो सूरज की किरणें पड़ने से पहले उसको छुड़ा दे)।
3. सूरज डायरेक्ट उस पर पड़े। (बादल और पर्दे जैसी कोई चीज़ सूरज और उसके बीच रूकावट न हो।)
4. सूरज से सूख जाए (अगर गीला बाक़ी रह जाए तो पाक नहीं होगा)।

4. इस्तेहाला

नजिस चीज़ अगर इस तरह बदल जाए कि दूसरी चीज़ बन जाए तो वह पाक हो जाती है जैसे नजिस लकड़ी जल कर राख में बदल जाए या शराब सिरका बन जाए या कुत्ता नमक की खान में गिरकर नमक में बदल जाए। लेकिन अगर दूसरी चीज़ में न बदले केवल उसकी सूरत बदल जाए तो पाक नहीं होगी जैसे गेहूँ पिस कर आंटा बन जाए या शक्कर पानी में घुल जाए तो पाक नहीं होगी।

- अगर किसी कैमिकल से नजिस मटेरियल जैसे नजिस तेल या घी में नई ख़ासियत आ जाए तो इस बदलाव से वह पाक नहीं होगा। (और इस काम को इस्तेहाला नहीं कहा जाएगा।)
- सीवरेज के पानी से इंफेक्टेड मिनरल और कीटाणु को अलग करने से इस्तेहाला नहीं होगा, मगर यह कि रिफाइनरी का काम इस तरह अंजाम दिया जाए कि पानी को पहले भाप में बदला जाए और फिर दोबारा उसे पानी बनाया जाए।

5. इन्तेक़ाल

वह ख़ून जिसको मच्छर या दूसरे कीड़े इंसान के बदन से चूसते हैं जब तक उसकी गिनती इंसान के ख़ून में हो नजिस है (जैसे वह ख़ून जिसे जोंक ने इंसान के बदन से चूसा हो) लेकिन जब वक़्त बीतने के साथ उसे उस कीड़े का ख़ून कहा जाने लगे तो पाक हो जाएगा।

6. ऐने नेजासत का दूर हो जाना

अगर जानवर का बदन किसी नजिस चीज़ के लगने से नजिस हो जाए तो जैसे ही वह नेजासत उसके बदन से दूर होगी वह पाक हो

जाएगा और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। यही हुक्म इंसान के भीतरी हिस्सों का है जैसे मुँह या नाक के अन्दर का हिस्सा। इसलिए इंसान के दाँतों से जो ख़ून निकलता है अगर ख़ुद ख़ून थूक में मिलकर मिट जाए तो मुंह पाक है।

7. मुसलमान का ग़ायब होना

जब किसी मुसलमान के बदन या लिबास या उसके किसी निजी सामान के नजिस होने का यक़ीन हो और कुछ दिनों बाद जब उससे मुलाक़ात हो और देखे कि वह उस नजिस चीज़ को पाक चीज़ों की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर पाक होने का हुक्म लगेगा, इस शर्त के साथ उसे उस चीज़ की नेजासत का पता हो और तहारत व नेजासत के अहकाम को भी जानता हो।

सवाल

1. क्या डामर वाली ज़मीन पर चलने से पैर या जूते का तला पाक हो जाता है?
2. सूरज किन शर्तों के साथ पाक करता है?
3. इस्तेहाला की तीन मिसालें बयान कीजिए?
4. अगर किसी कैमिकल से नजिस मटेरियल जैसे नजिस तेल या घी में नई ख़ासियत आ जाए तो क्या इस बदलाव से वह पाक हो जाएगा?
5. वह ख़ून जिसे जोंक ने इंसान के बदन से चूसा है, पाक है या नजिस और क्यूं?
6. ऐन नेजासत के दूर हो जाने से कौन सी चीज़ पाक हो जाती है?

पाठ

12

मुतह्हेरात (3)

तहारत साबित होने के तरीक़े – तहारत ही अस्ल है– बर्तनों के अहकाम

2. तहारत साबित होने के तरीक़े

किसी चीज़ का पाक होना तीन तरीक़ों से साबित होता है

4. ख़ुद इंसान को यक़ीन हो जाए कि जो चीज़ नजिस थी पाक हो गई है।
5. जिसके इख़्तियार में चीज़ है (जैसे घर का मालिक, विक्रेता या नौकर) वह कहे कि पाक हो गई है।
6. दो आदिल इंसान पाक हो जाने की गवाही दें।

- जो बच्चा बालिग़ होने वाला है अगर किसी चीज़ के पाक होने की ख़बर दे जो उसके इख़्तियार में हो तो उसकी बात मान लेनी चाहिए दूसरे शब्दों में उसकी बात पर भरोसा किया जाएगा।

3. तहारत ही अस्ल है

1. तहारत ही अस्ल है का मतलब

तहारत और नेजासत के सिलसिले में अस्ल यह है कि हर चीज़ पाक हैं यानि जब तक किसी चीज़ के नजिस होने का यक़ीन न हो जाए शरीअत की निगाह में वह पाक है और उसके बारे में छानबीन करना वाजिब नहीं है।

2. अस्ले तहारत की कुछ मिसालें

1. वह बच्चा जो हमेशा ख़ुद को नजिस करता रहता है, उसके गीले हाथ और थूक और उसका बचा हुआ खाना, जब तक कि उसकी नेजासत का यक़ीन न हो जाए, पाक है।
2. रोयें या धूल जिनके बारे में मालूम न हो कि वह नजिस कपड़े से अलग हुए हैं या पाक से तो वह पाक हैं। और यही हुक्म है अगर लिबास की नेजासत का इल्म हो लेकिन पता न हो कि वह फुचड़े नजिस हिस्से के हैं या पाक हिस्से के।
3. वह लिबास जो धोने के लिए लांड्री में दिया जाता है अगर पहले से नजिस न हो तो पाक है चाहे यह पता हो कि लांड्रियो के मालिक केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं।
4. पानी की वह छीटें जो ऐसी ज़मीन पर गिर रही हों जिसके पाक या नजिस होने का इल्म न हो तो वह छीटें पाक हैं।
5. वह पानी जो नगर निगम की गाड़ी सड़कों पर डालती है अगर मालूम न हो कि पाक है या नजिस तो वह पाक है। इसी तरह वह पानी भी पाक है जो सड़क के गढ्ढों में जमा हो जाता है और पता नहीं होता कि पाक है या नजिस।
6. मेकअप का सामान जैसे लिपिस्टिक कि मालूम नहीं उसे मुरदार से बनाया गया है या नहीं तो जब तक शरई तरीक़े से उसके नजिस होने का इल्म न हो जाए, वह पाक हैं और उसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं।

7. जूतों के इस्तेमाल से उस सूरत में पैर नजिस और नमाज़ के लिए उनका पाक करना ज़रूरी होगा कि यक़ीन हो कि वह ऐसे मुरदार के चमड़े से बने हैं जिन्हें शरई तरीक़े से ज़िबह नहीं किया है और यह भी इल्म हो कि जूतों के अंदर पैर में पसीना भी आया है। लेकिन अगर जूतों के अन्दर पसीना आने में शक हो या जिस जानवर की खाल से जूते बनाए गए हैं उसके शरई तरीक़े से ज़िबह होने में शक हो तो पाक हैं।
8. पेंटिग और लिखने में बालों से बने जिन ब्रश का इस्तेमाल होता है अगर मालूम न हो कि सुअर के बाल से बनाए गए हैं या नहीं तो वह पाक हैं, यहां तक कि उन कामों में भी उनका इस्तेमाल जाएज़ है जिनके लिए तहारत ज़रूरी है।
9. वह इंसान जिसके काफ़िर है या मुसलमान होने का पता न हो, वह पाक है और उसके दीन के बारे में छानबीन वाजिब नहीं है।
10. ग़ैर किताबी काफ़िरों (जैसे बुद्धिस्ट) के घरों, होटलों की दीवारें और दरवाज़े और उसमें मौजूद सामान के बारे में अगर पता न हो कि पाक है या नजिस तो वह पाक हैं। (बल्कि नेजासत का यक़ीन हो जाने की सूरत में भी हर चीज़ का पाक करना वाजिब नहीं है केवल उन नजिस चीज़ों को पाक करना वाजिब है जिनका इस्तेमाल खाने पीने या नमाज़ पढ़ने में होता है।
11. ऐसी चीज़ें जिन्हें काफ़िर और मुसलमान दोनों इस्तेमाल करते हों जैसे गाड़ी और रेल की सीटें आदि तो अगर पता न हो कि पाक है या नजिस तो उसे पाक माना जाएगा।
12. ऐसा अलकोहल जिसके नशीले पेय होने के बारे में पता न हो तो पाक है।

बर्तनों के अहकाम

सोने और चाँदी से बनने वाले बर्तनों में खाना पीना हराम है लेकिन उनका रखना या खाने पीने के अलावा दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल हराम नहीं है।

- जिन बर्तनों पर सोने या चाँदी का पानी चढ़ा हो या ऐसी धातु से बना हो जिसमें सोने और चाँदी की मिलावट हो लेकिन उसे सोने और चाँदी का बर्तन न कहा जा सके तो उस पर सोने चाँदी के बर्तनों का हुक्म लागू नहीं होगा।

सवाल

1. तहारत साबित होने के तरीक़ों को बयान कीजिए?
2. अस्ले तहारत का क्या मतलब है?
3. वह बच्चा जो हमेशा ख़ुद को नजिस करता रहता है, उसके गीले हाथ, थूक और उसके बचे हुए खाने का क्या हुक्म है?
4. क्या जो कपड़े धोने के लिए लांड्री में दिए जाते हैं, पाक हैं?
5. वह पानी जो सड़क में मौजूद गढ्ढों में जमा हो जाता है, पाक है या नजिस?
6. सोने और चांदी के बर्तनों को रखने का क्या हुक्म है?

पाठ

13

वुज़ू (1)

वुज़ू का मतलब – वुज़ू करने का तरीक़ा

1. वुज़ू का मतलब

वुज़ू यानि एक ख़ास तरीक़े और कुछ ख़ास शर्तों के साथ चेहरे और हाथों को धोना और सर के अगले हिस्से और पैर के ऊपरी हिस्से पर मसह[1] करना।

इस अमल को जिसे शरीअत में मअनवी (आध्यात्मिक) पाकीज़गी कहा गया है कुछ वाजिब और मुस्तहब कामों से पहले अंजाम देना ज़रूरी है जैसे नमाज़, तवाफ़, क़ुर्आन की तिलावत और मस्जिद में जाते वक़्त और....।

2. वुज़ू का तरीक़ा

धोनाः

चेहरे को माथे के ऊपरी हिस्से से ठुड्डी के निचले हिस्सा तक।

हाथों को कोहनियों से उंगलियों के सिरों तक।

---

1 .गीले हाथ को सर के अगले हिस्से पर रख कर आगे की तरफ़ खींचना और पैर में उंगलियों के सिरे से गट्टे तक ख़ींचना.

मसह् करनाः

सर के अगले हिस्से पर पैर के ऊपरी हिस्से पर उंगलियों के सिरे से टख़नों के जोड़ तक।

- वुज़ू की तरतीब इस तरह् से हैः चेहरे को माथे के ऊपरी हिस्से यानि बालों के उगने की जगह् से ठुड्डी के निचले हिस्से तक फिर दाहिने हाथ को कोहनी से उंगलियों के सिरों तक फिर बाएं हाथ को कोहनी से उंगलियों के सिरों तक, फिर हाथ की तरी से सर के अगले हिस्से पर मसह् करना और सबसे आख़िर में गीले हाथों से दोनों पाँव की उंगलियों के सिरों से लेकर टख़नों के जोड़ तक मसह् करना।

1. चेहरे और दोनों हाथों को धोना

1. चेहरे को इतनी मात्रा में धोना वाजिब है कि जितना अंगूठे और बीच की उंगली के बीच आए।
2. चेहरे पर मौजूद बालों को धोना काफ़ी है और खाल तक पानी पहुँचाना वाजिब नहीं है मगर यह कि बाल इतने हल्के हों कि चेहरे की स्किन दिखाई दे रही हो।
3. धोने का मापदंड यह है कि पानी हर जगह् पहुँच जाए चाहे हाथ फेरने से ही पहुंचे। इसलिए केवल गीले हाथ से चेहरे और हाथों का मसह् कर लेना काफ़ी नहीं है।
4. चेहरे और हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ़ धोना वाजिब है अगर नीचे से ऊपर की तरफ़ धोया जाए तो वुज़ू बातिल (ग़लत) है।
5. चेहरे और हाथों का धोना

   1. पहली बारः वाजिब
   2. दूसरी बारः जाएज़
   3. तीसरी बार या उससे ज़्यादाः जाएज़ नहीं है (हराम)।

- हर बार धोने का पैमाना, इंसान के इरादे पर डिपेंड है। इसलिए अगर पहली बार धोने के इरादे से कई बार पानी डाले तो उसमें कोई हरज नहीं है।

2. सर और पैर का मसह

1. सर की खाल पर मसह करना वाजिब नहीं है बल्कि अगले हिस्से के बालों पर भी मसह करना काफ़ी है, लेकिन अगर दूसरी जगह के बाल अगले हिस्से पर जमा हो गए हों या अगले हिस्से के बाल इतने लम्बे हों कि चेहरे पर या कंधों पर लटक रहे हों तो उस पर मसह सही नहीं है बल्कि सर के बालों को हटा कर अगले हिस्से या सर के बालों की जड़ों में मसह करना वाजिब है।
    - जिस इंसान के सिर पर बनावटी बाल हों अगर विग लगा रखी हो तो वाजिब है मसह के लिए उसको हटाए लेकिन अगर वह सिर की स्किन पर उगाए गए हों और उनको अलग करना मुमकिन न हो या हटाने में मुश्किल और नुक़सान का ख़तरा हो और बालों के रहते हुए नमी को स्किन तक पहुँचाना मुमकिन न हो तो उन्हीं बालों पर मसह करना काफ़ी है।
2. पैर की मसह की जगह पैर के ऊपरी हिस्से पर उंगलियों में से किसी एक उंगली के सिरे से टख़नों के जोड़ तक है और उंगलियों के निचले हिस्से के मसह (जो चलते वक़्त ज़मीन से लगता है) का मुस्तहब होना साबित नहीं है।
    - अगर पैर के मसह में उंगलियों के सिरे को शामिल न किया जाए बल्कि केवल पैर के ऊपरी हिस्से और उंगलियों के कुछ हिस्से पर मसह हो तो वुज़ू बातिल (ग़लत) है। हां अगर शक करे कि क्या मसह करते वक़्त उसने उंगलियों के सिरे से मसह किया है या नहीं? तो अगर मसअले को जानता था और यह सम्भावना पाई

जाए कि उसने उंगलियों के सिरे से मसह किया है तो उसका वुज़ू सही है।

3. सिर और पैर का मसह वुज़ू में हाथ की बची हुई तरी से किया जाए और अगर हाथों में नमी न बची हो तो अलग से पानी नहीं ले सकता बल्कि दाढ़ी या भवों में मौजूद तरी से हाथ गीला करे और मसह करे। एहतियाते वाजिब है कि सिर का मसह दाँए हाथ से करे लेकिन मसह में हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ़ खींचना ज़रूरी नहीं है।
   - अगर वुज़ू करने वाला चेहरे और हाथों को धोते वक़्त वुज़ू की नियत से पानी के नल को खोले और बंद करे तो इसमें कोई हरज नहीं है और उसका वुज़ू सही है। लेकिन अगर बांया हाथ धोने के बाद और मसह करने से पहले गीले नल के ऊपर अपना हाथ रखे और उसके हाथ के वुज़ू का पानी दूसरे पानी से मिल जाए तो वुज़ू का सही होना मुश्किल है।
   - चूंकि पैर के मसह में ज़रूरी है कि मसह उस तरी से किया जाए जो हथेलियों में बाक़ी बची है इसलिए सिर का मसह करते वक़्त ध्यान रहे कि हाथ माथे से न छुलने पाए और चेहरे की तरी हथेली में न लगे ताकि पैरों के मसह के लिए हाथ की जिस तरी की ज़रूरत है वह चेहरे की तरी से मिक्स न हो।

4. मसह में हाथ का सर और पाँव पर रख कर खींचना ज़रूरी है इसलिए अगर हाथ को रोके रखे और सर व पैर को खींचें तो मसह बातिल (ग़लत) है।

5. मसह की जगह का सूखा होना ज़रूरी है या इतना गीला न हो कि हथेली की तरी उस पर असर न करे।

- अगर पैर पर पानी की कुछ बूंदें पड़ी हों तो वाजिब है कि मसह की जगह को सुखाए ताकि हाथ की तरी पैर पर असर करे न कि पैर की तरी हाथ पर।

6. अगर पैर का ऊपरी हिस्सा नजिस हो और मसह के लिए उसको पाक करना मुमकिन न हो तो तयम्मुम करे।
7. वह इंसान जो दोनों पैर से अपाहिज होने की वजह से आर्टिफिशियल जूतों और बैसाखियों के सहारे चलता हो अगर उसके लिए मसह करने के लिए जूतों का उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल और सख़्त हो तो जूतों पर मसह करना काफ़ी है और उसका वुज़ू सही है।
   - जिस इंसान को लगातार रियाह ख़ारिज होती हो अगर नमाज़ ख़त्म होने तक अपने वुज़ू को न रोक सकता हो और नमाज़ के बीच दोबारा वुज़ू करना भी उसके लिए सख़्त हो तो हर वुज़ू से एक नमाज़ पढ़ सकता है यानि एक नमाज़ के लिए एक वुज़ू काफ़ी है चाहे नमाज़ के बीच उसका वुज़ू बातिल ही क्यों न हो जाए।
   - वुज़ू करने के तरीक़े और अमल के हिसाब से मर्द और औरत में कोई फ़र्क़ नहीं है केवल यह कि मर्द के लिए मुस्तहब है कि वह कोहनी को धोते वक़्त बाहरी हिस्से से शुरू करे जबकि औरत के लिए मुस्तहब है कि भीतरी हिस्से से शुरू करें।

सवाल

1. वुज़ू की तरतीब (क्रम) और तरीक़े को बयान कीजिए?
2. क्या चेहरे और हाथ पर तीन चुल्लू पानी डालने से वुज़ू बातिल हो जाता है? क्यूं?
3. अगर वुज़ू करने वाला चेहरे और हाथों को धोते वक़्त वुज़ू की नियत से पानी के नल को खोले और बंद करे तो क्या इस काम में कोई मुश्किल है?
4. क्या अगर सिर के मसह की नमी, चेहरे की नमी से मिल जाए तो वुज़ू बातिल है?
5. क्या अगर पैर पर पानी की कुछ बूंदें पड़ी हों तो मसह नहीं होगा?
6. मर्द और औरत के मसह के बीच क्या फ़र्क़ है?

पाठ 14

वुज़ू (2)

वुज़ू की शर्तें "1"

वुज़ू करने वाले की शर्तें

वुज़ू करते वक़्त क़ुर्बत की नियत करे। (अल्लाह के लिए काम अंजाम देने की नियत)

पानी के इस्तेमाल में उसके लिए किसी तरह की रुकावट न हो।

वुज़ू के पानी की शर्तें

1. पानी ख़ालिस (मुतलक़) हो।
2. पानी पाक हो।
3. पानी मुबाह हो (ग़स्बी यानि किसी से छीना या लूटा न गया हो)

वुज़ू के बर्तन की शर्तें

1. मुबाह हो।

आज़ाए वुज़ू[1] की शर्तें

1. आज़ाए वुज़ू पाक हों।

---

1 . जिस्म के जिन हिस्सों पर वुज़ू किया जाता है उन्हें आज़ाए वुज़ू कहते हैं।

2. पानी पहुँचने में कोई रुकावट न हो।

वुज़ू करने के तरीक़े की शर्तें

1. धोने और मसह करने में तरतीब का ध्यान रखना। (तरतीब)
2. वुज़ू के कामों को बिना रूके एक के बाद एक अंजाम देना। (मुवालात)
3. इख़्तियारी हालत में ख़ुद वुज़ू करना।

वक़्त की शर्तें

वुज़ू और नमाज़ भर वक़्त बाक़ी हो।

1. नियतः

वुज़ू को क़ुर्बत की नियत से अंजाम देना चाहिए यानि इस नियत के साथ कि इस काम को अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए अंजाम दे। इसलिए अगर दिखावे के लिए या ठंढक हासिल करने के लिए वुज़ू करे तो उसका वुज़ू बातिल है।

2. पानी के इस्तेमाल में उसके लिए किसी तरह की रुकावट न हो

जिस इंसान को डर हो कि पानी के इस्तेमाल से बीमार हो जाएगा या अगर पानी को वुज़ू में इस्तेमाल करेगा तो प्यासा रह जाएगा तो उसे वुज़ू नही करना चाहिए।

3. वुज़ू का पानी ख़ालिस हो

वुज़ू का पानी मुतलक़ हो इसलिए मुज़ाफ़ (मिक्स) पानी से वुज़ू बातिल है।

4. वुज़ू का पानी पाक हो।

वुज़ू का पानी पाक हो इसलिए नजिस पानी से वुज़ू बातिल है।

- जिसे पानी ढूंढने के बाद गंदा और इंफ़ेक्टेड पानी मिले अगर वह पानी पाक और ख़ालिस पानी हो उसके इस्तेमाल से नुक़सान न हो और नुक़सान का ख़तरा भी न हो तो वाजिब है वुज़ू करे और तयम्मुम नहीं किया जाएगा।

5. वुज़ू का पानी मुबाह हो।

वुज़ू का पानी मुबाह होना चाहिए इसलिए ग़स्बी पानी (छीने, हथियाये हुए पानी) से वुज़ू सही नहीं है।

- ऐसी जगह जहां पानी बिना शर्त के सभी नमाज़ियों के वुज़ू के लिए रखा गया हो उससे वुज़ू करने में कोई हरज नहीं है।
- इस्लामी देशों में मस्जिदों, सरकारी विभागों और दफ़तरों में वुज़ू करना जाएज़ है और कोई शरई मुश्किल नहीं है।
- अगर जल निगम मोटर पम्प लगाने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दे तो पम्प लगाना और उसका इस्तेमाल जाएज़ नहीं है। मोटर पम्प के पानी से निकलने वाले पानी से वुज़ू का सही होना मुश्किल है। यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो ऊपरी मंज़िलों में रहते हैं और पानी का प्रेशर कम होने की वजह से मोटर पम्प लगाने पर मजबूर हैं।
- आवासीय और गैर आवासीय सुसाइटीज़ में रहने वाले हर इंसान पर शरीअत के हिसाब से उस मात्रा भर जितना साझा सुविधाओं[1] से वह फ़ायदा उठाता है उसकी क़ीमत अदा करना ज़रूरी है (जैसे ठंड़े और गर्म पानी का बिल, एयर कंडीशनिंग और गार्ड का बिल आदि।) और अगर पानी की क़ीमत अदा न करे तो उस पानी से किए गए वुज़ू का सही होना मुश्किल, बल्कि बातिल है।

---

1. वह फ़ैसिलिटीज़ जो सभी लोगों के लिए होती हैं और सब उससे फ़ायदा उठाते हैं जैसे कैम्पस में गॉर्डेन व...

सवाल

1. वुज़ू करने वाले की शर्तों को बयान कीजिए?
2. वुज़ू के पानी की क्या शर्तें हैं?
3. अगर किसी जगह पानी ढूंढ़ने के बाद गंदा और इंफ़ेक्टेड पानी मिले तो इस सूरत में तयम्मुम किया जाएगा या उसी पानी से वुज़ू करेंगे?
4. इस्लामी देशों में मस्जिदों, सरकारी विभागों और दफ़तरों में वुज़ू करने का हुक्म है?
5. अगर जल निगम मोटर पम्प लगाने पर पाबंदी लगा दे तो उसके पानी से निकलने वाले पानी से वुज़ू करने क्या हुक्म है?
6. जो लोग आवासीय सुसाइटीज़ में रहते हैं और पब्लिक फ़ैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठाते हैं लेकिन उसकी क़ीमत नही चुकाते तो उनके वुज़ू का क्या हुक्म है?

पाठ

15

वुज़ू (3)

वुज़ू की शर्तें "2"

7. आज़ाए वुज़ू का पाक हों

धोते और मसह करते वक़्त आज़ाए वुज़ू यानि बदन के उन हिस्सों का जिन पर वुज़ू किया जाता है, पाक होना ज़रूरी है। लेकिन अगर धोए जाने वाला या मसह किए जाने वाला कोई हिस्सा वुज़ू ख़त्म होने से पहले नजिस हो जाए तो वुज़ू सही है। लेकिन नमाज़ के लिए उसका पाक करना वाजिब है।

- अगर वुज़ू के बाद शक करे कि क्या उस हिस्से को जो वुज़ू से पहले नजिस था, पाक किया था या नहीं तो अगर वुज़ू करते वक़्त उसका ध्यान उस जगह की तहारत और नेजासत की तरफ़ नहीं था तो उसका वुज़ू बातिल है। लेकिन अगर यक़ीन हो या सम्भावना पाई जाए कि वूज़ू करते वक़्त नेजासत व तहारत की तरफ़ उसका ध्यान था तो उसका वुज़ू सही है। लेकिन हर सूरत में उस जगह का पाक करना वाजिब है।

8. आज़ाए वुज़ू तक पानी पहुँचने में कोई रुकावट न हो

आज़ाए वुज़ू तक पानी पहुंचने में किसी तरह की कोई रुकावट न हो वरना वुज़ू बातिल है।

- बालों में या स्किन पर नेचुरल तरीक़े से जो चर्बी होती है उसे रुकावट नहीं माना जाता मगर यह कि उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा हो कि पानी के बालों या स्किन तक पहुँचने में रूकावट हो।
- नाख़ूनों पर लगी पॉलिश अगर परतदार हो तो पानी के नाख़ूनों तक पहुँचने में रूकावट है और वुज़ू बातिल है।
- वह बनावटी रंग जिसे औरतें अपने सर व भवों के बालों को रंग करने के लिए इस्तेमाल करती हैं अगर केवल रंग हो और उसमें कोई केमिकल परत न हो जो पानी को बालों तक न पहुँचने दे तो उसके साथ वुज़ू सही है।
- इंक में अगर ऐसा केमिकल हो जो पानी को स्किन तक पहुँचने में रूकावट बने तो वुज़ू बातिल है और यह तय करना कि ऐसा कोई केमिकल है कि नहीं मुकल्लफ़[1] की ज़िम्मेदारी है।
- टैटू का निशान अगर केवल रंग हो और या स्किन के नीचे हो और ऊपरी स्किन पर कोई ऐसी चीज़ न हो जो पानी के स्किन तक पहुँचने में रूकावट हो तो उसका वुज़ू सही है।
- सीमेंट या साबुन की सफ़ेदी जो आज़ाए वुज़ू के सूख जाने के बाद ज़ाहिर होती है तो वुज़ू को कोई नुक़सान नहीं पहुंचेगा मगर यह कि उसकी परत ऐसी हो जो पानी को स्किन तक न जाने दे।
- अगर जानता हो कि आज़ाए वुज़ू पर कोई चीज़ चिपकी है लेकिन शक हो कि वह स्किन तक पानी पहुंचने में रुकावट है या नहीं तो उसका हटाना वाजिब है।

---

1. मुकल्लफ़ उस समझदार और बालिग़ इंसान को कहा जाता है जिस पर शरई अहकाम का अंजाम देना ज़रूरी होता है।

- अगर वुज़ू करने से पहले जान जाए कि आज़ाए वुज़ू में से किसी हिस्से पर पानी पहुंचने में कोई रूकावट है और वुज़ू के बाद शक हो कि पानी खाल तक पहुँचा या नहीं, तो अगर यह सम्भावना पाई जाए कि वुज़ू करते वक़्त उसका ध्यान इस बात की तरफ़ था तो उसका वुज़ू सही है।
- अगर शक करे कि आज़ाए वुज़ू पर कोई ऐसी चीज़ जो पानी पहुंचने में रुकावट है चिपकी है या नहीं और लोगों की निगाह में उसके मौजूद होने की सम्भावना पाई जाती हो जैसे गारे मसाले का काम करने के बाद एहतेमाल दे कि मसाला चिपका रह गया है तो जांच पड़ताल ज़रूरी है या उसे इतना रगड़े कि अगर रुकावट हो भी तो ख़त्म हो जाने का यक़ीन हो जाए।

9. तरतीब

वाजिब है कि वुज़ू को उसी क्रम से अंजाम दे जो तरीक़ा वुज़ू की बहस में बताया जा चुका है अगर इसके अलावा दूसरे क्रम और तरतीब पर अमल करे तो वुज़ू बातिल है।

10. मुवालात

वाजिब है कि वुज़ू के कामों को प्रचलित तरीक़े से बिना फ़ासले के अंजाम दिया जाए यानि अगर उनके बीच इतना फ़ासला हो जाए कि दूसरे हिस्से को धोने या मसह करने से पहले, पिछला वाला हिस्सा सूख जाए तो वुज़ू बातिल है।

11. ख़ुद अंजाम दे

वुज़ू करने वाले पर वाजिब है कि वुज़ू के सारे काम ख़ुद करे अगर कोई दूसरा उसको वुज़ू कराए या उसके चेहरे और हाथों पर पानी डालने या उसके सर व पैर का मसह करने में उसकी मदद करे तो वुज़ू बातिल है।

- जो इंसान बीमारी या किसी और वजह से ख़ुद वुज़ू न कर सकता हो तो किसी से कहे कि वह वुज़ू के कामों में उसकी

मदद करे लेकिन नियत करना ख़ुद वुज़ू करने वाले पर वाजिब है और अगर अपने हाथ से मसह कर सकता हो तो करे और अगर नहीं कर सकता हो तो मदद करने वाला उसका हाथ पकड़े और उसके सर व पैर का मसह कराए लेकिन अगर यह भी न कर सकता हो तो हेल्पर उसके हाथ से तरी ले कर उसकी तरफ़ से मसह करे और अगर वुज़ू करने वाले इंसान की हथेली ही न हो तो बाज़ू या कलाई से नमी ले कर मसह करे और अगर कलाई भी न हो तो चेहरे की नमी लेकर सर व पैर का मसह करे।

12. वुज़ू और नमाज़ के लिए वक़्त काफ़ी हो।

अगर नमाज़ का वक़्त इतना तंग हो जाए कि वुज़ू करके वक़्त के अंदर पूरी नमाज़ नहीं पढ़ सकता बल्कि नमाज़ का कुछ हिस्सा वक़्त निकल जाने के बाद पढ़ना पढ़े तो ऐसी सूरत में वुज़ू नहीं किया जाएगा बल्कि तयम्मुम करके नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर तयम्मुम के लिए भी उतने ही वक़्त की ज़रूरत है जितनी वुज़ू के लिए होती है तो ऐसी हालत में वुज़ू करना वाजिब है।

सवाल

1. आज़ाए वुज़ू की शर्तों को बयान कीजिए?
2. वुज़ू करने के तरीक़े के लिए किन शर्तों का होना ज़रूरी है?
3. अगर आज़ाए वुज़ू में से कोई हिस्सा धोए जाने के बाद वुज़ू ख़त्म होने से पहले नजिस हो जाए तो उसका क्या हुक्म है?
4. बालों में या स्किन पर नेचुरल तरीक़े से जो चर्बी वुजूद में आती है क्या उसे रुकावट माना जाएगा?
5. अगर जानता हो कि आज़ाए वुज़ू पर कोई चीज़ चिपकी है लेकिन शक हो कि वह स्किन तक पानी पहुंचने में रुकावट है या नहीं तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है?
6. मुवालात और तरतीब के बीच क्या अंतर है?

पाठ

16

वुज़ू (4)

इरतेमासी वुज़ू – जबीरा वुज़ू

मुबतेलाते वुज़ू - वुज़ू के अहकाम

4. इरतेमासी वुज़ू

1. इरतेमासी वुज़ू का मतलबः

वुज़ू में जाएज़ है कि इंसान आज़ाए वुज़ू पर पानी डालने के बजाए वुज़ू की नियत से उन्हें पानी के अन्दर डुबोए और बाहर निकाले और इसे इरतेमासी वुज़ू कहते हैं।

2. इरतेमासी वुज़ू के अहकाम

1. इरतेमासी वुज़ू में भी चेहरे और हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ़ धोना वाजिब है।
2. इरतेमासी वुज़ू में चेहरे और हाथों का पानी में केवल दो बार डुबाया जा सकता है, पहली बार वाजिब और दूसरी बार मुस्तहब की नियत से, इससे ज़्यादा जाएज़ नहीं है। और वाजिब है कि हाथों को धोने की नियत, हाथों को

पानी से निकालते वक़्त करे ताकि इस तरह वुज़ू के पानी से ही मसह हो सके।

5. जबीरा वुज़ू

1. जबीरा वुज़ू का मतलब

(हर वह चीज़ जिसे ज़ख़्म, टूटी हुई हड्डी, जले हुए बदन पर बांधा जाए जैसे कपड़ा, पट्टी, रूई, बैंडेड या प्लास्टर पट्टी उसे जबीरा कहते हैं।)

अगर ज़ख़्म पर पट्टी हो तो वुज़ू करते वक़्त जिन हिस्सों को धोया जा सकता हो उनको धोए और पट्टी (जबीरा) के ऊपर गीला हाथ फेरे और ऐसे वुज़ू को जबीरा वुज़ू कहते हैं।

2. जबीरा वुज़ू के अहकाम

1. अगर आज़ाए वुज़ू (चेहरे और हाथों) पर ज़ख़्म हो या हड्डी टूट गई हो और उस पर कुछ बंधा न हो और पानी उसके लिए नुक़सानदे न हो तो उसको धोना वाजिब है। लेकिन अगर नुक़सानदे हो तो उसके आस पास धोना वाजिब है। एहतियाते वाजिब यह है कि अगर गीला हाथ ज़ख़्म पर फेरने से कोई नुक़सान न हो तो हाथ फेरना ज़रूरी है।
2. अगर मसह की जगह पर ज़ख़्म हो और गीले हाथों को उस पर न फेर सकता हो तो वुज़ू के बदले तयम्मुम करे, लेकिन अगर उस पर कपड़ा रख कर मसह कर सकता हो तो एहतियाते वाजिब यह है कि तयम्मुम के साथ साथ वुज़ू भी करे और बताए गए तरीक़े से मसह भी करे।
3. जिसके बदन में वुज़ू की जगह ऐसा ज़ख़्म हो जो हमेशा रिसता रहता हो तो ऐसी सूरत में वाजिब यह है कि ऐसा जबीरा चुने जिससे ख़ून न रिसे जैसे नायलोन।

6. मुब्तेलाते वुज़ू (वह चीज़ें जिनसे वुज़ू टूट जाता है।)

1. पेशाब निकलना।
2. पाख़ाना निकलना।
3. रियाह निकलना (हवा निकलना)

4. सोना।
5. जिन चीज़ों से अक़्ल काम न करे जैसे पागलपन, मस्ती और बेहोशी।
6. इस्तेहाज़ा (औरतों के लिए)
7. हर वह चीज़ जिससे ग़ुस्ल वाजिब होता है जैसे जेनाबत, हैज़ (और मय्यत को छूना।)
   - जिन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है उन्हें मुब्तेलाते वुज़ू कहते हैं।
   - मुब्तेलाते वुज़ू में से किसी चीज़ के अंजाम पाने से नाबालिग़ बच्चा भी (बालिग़ लोगों की तरह) मोहदिस हो जाएगा। (यानि उसका वुज़ू बातिल हो जाएगा।

8. वुज़ू के अहकाम

1. जिसे अपने वुज़ू के बातिल होने का इल्म न हो लेकिन वुज़ू करने के बाद मालूम हो जाए तो उन कामों को अंजाम देने के लिए जिनमें तहारत शर्त है दोबारा वुज़ू करना वाजिब है। और अगर बातिल वुज़ू के साथ नमाज़ भी पढ़ ली हो तो उसे दोबारा पढ़ना वाजिब है।

2. जो इंसान वुज़ू के कामों या शर्तों में ज़्यादा शक करता हो जैसे पानी के पाक या ग़स्बी होने या न होने के बारे में बहुत ज़्यादा शक करता हो तो उसे अपने शक पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

3. वुज़ू के बारे में शकः

1. ख़ुद वुज़ू के बारे में शक हो कि वुज़ू किया या नहीं?

- नमाज़ से पहलेः वुज़ू करना ज़रूरी है।
- नमाज़ के बीच मेः नमाज़ बातिल है और वाजिब है कि वुज़ू करके दोबारा नमाज़ पढ़े।

- नमाज़ के बादः (शक करे कि नमाज़ वुज़ू के साथ पढ़ी है या नहीं) तो जो नमाज़ पढ़ी है वह सही है, लेकिन बाद वाली नमाज़ों के लिए वुज़ू करना वाजिब है।
- वुज़ू के बातिल होने में (शक करे कि जो वुज़ू किया है वह बातिल हो गया है या नहीं) तो यह मान कर चले कि उसका वुज़ू बातिल नहीं हुआ है।
- वुज़ू के सही होने में (वुज़ू करने के बाद शक करे कि जो वुज़ू किया है वह सही है या नहीं) तो अगर उसे यह लग रहा हो कि वुज़ू को सही तरीक़े से अंजाम दिया था और वज़ू करते वक़्त उन चीज़ों पर उसका ध्यान था जो वुज़ू में ज़रूरी हैं तो उसे अपने शक पर ध्यान नहीं देना चाहिए। (और उसे सही मान लेना चाहिए)।

सवालः

1. क्या इरतेमासी वुज़ू में हाथ और चेहरे को कई बार पानी में डिबोना जाएज़ है या केवल दो बार डिबो सकते हैं?
2. अगर किसी के आज़ाए वुज़ू (चेहरे और हाथों) पर ज़ख़्म हो या हड्डी टूटी हुई हो तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है?
3. अगर किसी के बदन में वुज़ू की जगह ऐसा ज़ख़्म हो जो हमेशा रिसता रहता हो तो वह वुज़ू कैसे करे?
4. मुब्तेलाते वुज़ू को बयान कीजिए?
5. क्या मुब्तेलाते वुज़ू में से किसी चीज़ के अंजाम पाने से नाबालिग़ बच्चा भी बालिग़ लोगों की तरह मोहदिस (उसका वुज़ू टूट जाएगा) हो जाएगा?
6. जो इंसान वुज़ू के बातिल होने में शक करे कि उसका वुज़ू बातिल हो गया है या नहीं, तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है?

पाठ

17

वुज़ू (5)

वह काम जिनके लिए वुज़ू करना चाहिए

8. वह काम जिनके लिए वुज़ू करना चाहिए

वुज़ू कुछ कामों के सही होने की शर्त है यानि अगर बिना वुज़ू के अंजाम दे तो अमल सही नहीं है।

- सभी वाजिब और मुस्तहब नमाज़ें (नमाज़े मय्यत को छोड़ कर)
- नमाज़ के भूले हुए हिस्सों को अंजाम देने के लिए (जैसे सज्दा और तशह्हुद।)
- वाजिब तवाफ़।

वुज़ू अमल जाएज़ होने के लिए शर्त है यानि अगर बिना वुज़ू के अंजाम दिया जाए तो हराम है

- जैसे क़ुरआन करीम की तहरीर (लिखावट) को छूना।
- अल्लाह के पाक नामों और उसकी ख़ास सिफ़तों (विशेष गुणों) को छूना।

- पैग़म्बरों और इमामों के नामों को छूना, एहतियाते (वाजिब) की बिना पर।

वुज़ू कामों के कमाल के लिए (निखार पैदा होने के लिए) शर्त है।

- जैसे क़ुरआन पढ़ने के लिए वुज़ू करना।

वुज़ू किसी अमल के अंजाम पाने की शर्त है।

- जैसे बावुज़ू रहने के लिए वुज़ू करना।

वुज़ू कराहत को दूर करने के लिए शर्त है।

- जैसे जेनाबत की हालत में खाना खाने की कराहत वुज़ू से ख़त्म हो जाती है।
  - सभी तरह की वाजिब और मुस्तहब नमाज़ों और उसके भूले हुए हिस्सों की क़ज़ा के सही होने के लिए वुज़ू शर्त है। इसलिए कोई भी नमाज़ बिना वुज़ू के सही नहीं है मगर नमाज़े मय्यत कि जिसके लिए वुज़ू ज़रूरी नहीं है।
  - वुज़ू ख़ान-ए-काबा के वाजिब तवाफ़ के सही होने के लिए शर्त है और वुज़ू के बिना वाजिब तवाफ़ बातिल है। वाजिब तवाफ़ से मुराद वह तवाफ़ है जो हज और उमरे का हिस्सा हो चाहे वह हज या उमरा मुस्तहब्बी ही क्यों न हो। लेकिन मुस्तहब तवाफ़ में जो हज व उमरे के अलावा अंजाम दिया जाए, वुज़ू शर्त नहीं है।
  - अगर वाजिब नमाज़ पढ़ने के लिए वुज़ू करना आम लोगों की निगाह में उस नमाज़ का वक़्त आने से ज़रा पहले हो तो इसमें कोई हरज नहीं है।
  - बा वुज़ू रहने के लिए वुज़ू करना शरई निगाह से मुस्तहब और पसंदीदा काम है। और मुस्तहब्बी वुज़ू से नमाज़ पढ़ना जाएज़ है।
  - इंसान के लिए मुस्तहब है कि हर हाल में वुज़ू से रहे। ख़ास कर मस्जिद और रौज़ों में जाते हुए, क़ुरआन की तिलावत और सोते वक़्त और कुछ दूसरी जगहों पर।

- अगर सही तरीक़े से वुज़ू किया है तो जब तक बातिल न हो उससे हर वह काम कर सकता है जिसके लिए तहारत शर्त है। इसलिए हर नमाज़ के लिए अलग अलग वुज़ू करना वाजिब नहीं है बल्कि एक वुज़ू से जितनी नमाज़ें पढ़ना चाहे पढ़ सकता है जब तक वह वुज़ू बाक़ी है।

1. क़ुरआन को छूना

क़ुरआन की तहरीर (लिखावट) को बिना वुज़ू के छूना हराम है। और यह हुक्म क़ुरआने करीम से विशेष नहीं है बल्कि यह क़ुरआन के सभी शब्दों और आयतों को शामिल है चाहे वह किसी दूसरी किताब, न्यूज़ पेपर, मैगज़ीन या बोर्ड पर लिखी हों।

- बदन के सारे हिस्से जैसे चेहरे और होठ से छूने का भी वही हुक्म है जो हाथों से छूने का है।

2. अल्लाह तआला, पैग़म्बर (स.अ.) और मासूमीन (अ.ह) के नामों का छूना

1. अल्लाह तआला के नाम और ख़ास सिफ़तों (विशेष गुणों) को बिना वुज़ू के छूना हराम है और एहतियाते (वाजिब) की बिना पर अम्बिया-ए-केराम और मासूमीन (अ.ह) के नामों को छूने का भी यही हुक्म है।
2. अल्लाह शब्द को बिना वुज़ू के छूना जाएज़ नहीं है चाहे वह दो शब्दों से मिल कर बना हो जैसे अबदुल्लाह व हबीबुल्लाह..।
3. इस्लामी रिपब्लिक ईरान के झंडे के लोगो को अगर आम लोगों की निगाह में अल्लाह समझा और पढ़ा जाता हो तो बिना वुज़ू के उसको छूना हराम है। और अगर उर्फ़ आम में ऐसा नहीं समझा जाता तो उसे छूने में कोई हरज नहीं है। अगरचे एहतियाते (मुस्तहब) यह है कि उसको बिना वुज़ू के न छुआ जाए।

4. अल्लाह की तरफ़ पलटने वाले ज़मीर (सर्वनाम) जैसे बिस्मिही तआला (بسمہ‌تعالی) में हुवा (ھو) का वह हुक्म नहीं है जो अल्लाह शब्द का है।
5. शरीअत की निगाह में अल्लाह शब्द (الله) की जगह पर अलिफ़ लिख कर उसके आगे तीन डाट (...ا) लिखने में कोई हरज नहीं है। और अलिफ़ और तीन डाट अल्लाह शब्द के हुक्म में नहीं हैं और उनको वुज़ू के बिना छूना जाएज़ है।
6. केवल इसलिए कि कोई इंसान अल्लाह शब्द (الله) को बिना वुज़ू के न छुए, उसको लिखने से बचने में शरअन कोई हरज नहीं है।

क़ुरआन की आयतें, अल्लाह तआला और नबियों व इमामों के नामों को छूने से रिलेटेड कुछ मसअले

- ऐसे लॉकेट को जिस पर क़ुरआन की आयतें या अल्लाह के नाम लिखे हों गर्दन में पहनने में कोई हरज नहीं है लेकिन लिखावट (बिना वुज़ू के) बदन से टच न हो।
- जिन बर्तनों पर क़ुरआन की आयतें, आयतुल कुर्सी या अल्लाह के नाम लिखे हों उनमें खाना खाने में कोई हरज नहीं है लेकिन खाते वक़्त वुज़ू से रहना शर्त है या फिर खाना चम्मच से खाया जाए।
- जो लोग किसी मशीन से क़ुरआन की आयतें या अल्लाह तआला के नाम या मासूमीन के नाम लिखते हैं, उनके लिखते वक़्त वुज़ू से रहना ज़रूरी नहीं है (यानि इस काम के लिए तहारत शर्त नहीं है) लेकिन बिना वुज़ू के उसे नहीं छूना चाहिए।
- अंगूठियों पर अंकित शब्द अगर वह शब्द हों कि जिनको छूने के लिए तहारत शर्त है जैसे क़ुरआन के शब्दों को तो बिना वुज़ू के उन्हें छूना जाएज़ नहीं है।

- क़ुरआन की आयतों, अल्लाह् तआला के नामों और इन जैसे शब्दों की छपाई और उसके प्रसारण व प्रकाशन में कोई हरज नहीं है लेकिन वह जिसके हाथ में पहुंचे उस पर वाजिब है कि उनके शरई हुक्म पर अमल करे। और उनके अपमान, नजिस करने और तहारत के बिना छूने से बचे।
- ऐसे अख़बारों से जिनमें क़ुरआन की आयतें और अल्लाह् तआला के नाम लिखे हों, खाना ढ़कने, उन पर बैठने और उनको दस्तरख़ान के तौर पर इस्तेमाल करने जैसे कामों में इस्तेमाल करने को अगर आम की निगाह् में अपमान समझा जाए तो जाएज़ नहीं है लेकिन अगर उसे अपमान न समझा जाए तो कोई हरज नहीं है।
- जिस चीज़ में क़ुरआन की आयतें और पाक नाम हों उन्हें नदियों और नहरों में बहाने को अगर उर्फ़ में अपमान न समझा जाता हो तो इसमें कोई हरज नहीं है।
- जब तक किसी काग़ज़ पर क़ुरआनी आयतों, अल्लाह् और मासूमीन के नामों का होना साबित न हो जाए उनको जलाने या फेंक देने में कोई हरज नहीं है और उनका ढूढ़ना वाजिब नहीं है। लेकिन ऐसे काग़ज़ को जलाना या फेंकना जिनसे दोबारा कागज़ या दफ़्ती बन सकती हो या केवल एक तरफ़ लिखा हो और दूसरी तरफ़ को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हो तो उसे जलाना इसराफ़ व फ़ुज़ूल ख़र्ची है इसलिए ऐसा करना सही नही है।
- क़ुरआन की आयतों और पाक नामों को मिट्टी में दफ़्न करना या पानी में डुबो कर उन्हें गला देने में कोई हरज नहीं है लेकिन उनको जलाना सही नहीं है और अगर ऐसा करने से अपमान होता हो तो जाएज़ नहीं है। मगर यह कि मजबूरी हो और क़ुरआन की आयत और पाक नामों को अलग करना मुमकिन न हो।

- क़ुरआन की आयतों और अल्लाह् के पाक नामों के इस तरह टुकड़े टुकड़े करना कि उनके दो अक्षर भी मिले न रह जाएं और उन्हें पढ़ा न जा सके तो अगर यह काम अपमान माना जाए तो जाएज़ नहीं है। और इसके अलावा भी (अपमान न समझा जाए) अगर टुकड़े टुकड़े करने से अल्लाह् शब्द (الله) और क़ुरआन की आयतें न मिटें तब भी छूना हराम है। जैसा कि जलाला शब्द और क़ुरआन की आय़त की तहरीरी सूरत (लिखावट) को एक अक्षर बढ़ा कर या घटा कर बदल देना, मात्र बदलने और तब्दीली से उसका हुक्म नहीं बदलता है। हाँ अगर अक्षर की शक्ल की तब्दीली अक्षर के मिटाए जाने की सूरत में हो तो हुक्म बदल जाने और हुक्म ख़त्म हो जाने की सम्भावना है। अगरचे एहतियाते मुस्तहब के बिना पर मुस्तहब है कि बिना वुज़ू के उसे न छुआ जाए।

सवाल

1. किसी वाजिब नमाज़ का वक़्त आने से पहले क्या उस नमाज़ की नियत से वुज़ू किया जा सकता है?
2. क्या सुबह की नमाज़ के लिए किये गए वुज़ू से ज़ोह्र व अस्र की नमाज़ पढ़ी जा सकती है?
3. वुज़ू के बिना किन नामों को नहीं छुआ जा सकता है?
4. अब्दुल्लाह व हबीबुल्लाह जैसे नामों को बिना वुज़ू के छूने का क्या हुक्म है?
5. क्या वुज़ू के बिना इस्लामी रिपब्लिक ईरान के झंडे को छूना हराम है?
6. अंगूठियों पर अंकित शब्दों को छूना कैसा है?

पाठ

18

ग़ुस्ल (1)

ग़ुस्ल का मतलब – ग़ुस्ल की क़िस्में

ग़ुस्ल का तरीक़ा – जबीरा ग़ुस्ल

1. ग़ुस्ल का मतलबः

ग़ुस्ल यानि कुछ ख़ास शर्तों और एक ख़ास तरीक़े से सर से पैर तक पूरे जिस्म को धोना।

2. ग़ुस्ल की क़िस्में

वाजिब

औरतों और मर्दों दोनों के लिए

- जेनाबत (संभोग) के बाद ग़ुस्ल।
- ग़ुस्ले मसे मय्यत (मय्यत के छूने पर ग़ुस्ल)
- ग़ुस्ले मय्यत।
- वह ग़ुस्ल जिसके लिए नज़्र (मन्नत) व अहेद करे या क़सम खाए कि ग़ुस्ल करेगा।

औरतों के ख़ास ग़ुस्ल

- हैज़ का ग़ुस्ल (मासिक धर्म)
- नेफ़ास का ग़ुस्ल (बच्चे के जन्म के वक़्त निकलने वाला ख़ून)
- इस्तेहाज़ा का ग़ुस्ल

मुस्तहब ग़ुस्ल जैसे जुमे के दिन का ग़ुस्ल

3. ग़ुस्ल का तरीक़ा

ग़ुस्ल दो तरीक़े से किया जा सकता है

1. **तरतीबीः** एक ख़ास तरह से पूरे बदन को धोया जाए यानि पहले सर और गरदन को धोया जाए फिर एहतियाते (वाजिब) की बिना पर पूरा दाहिना हिस्सा और आख़िर में बदन के बाएँ हिस्से को धोया जाए।
2. **इरतेमासीः** इसका मतलब है पूरे बदन को एक साथ इस तरह पानी में डिबोया जाए कि पानी बदन के हर हिस्से तक पहुँच जाए।
    - ग़ुस्ल में एहतियाते वाजिब की बिना पर लम्बे बालों और उनके नीचे की स्किन को धोना वाजिब है इसलिए औरतों के लिए (एहतियाते वाजिब की बिना पर) सर की स्किन को धोने के साथ साथ तमाम बालों को धोना भी ज़रूरी है।
    - ग़ुस्ल करते वक़्त क़िब्ले की तरफ़ होना वाजिब नहीं है।
    - ग़ुस्ल की नियत करने और ग़ुस्ल शुरू करने से पहले पीठ को या बदन के किसी हिस्से को धोने में कोई हरज नहीं है।
    - ऊपर बयान किए गए तरीक़े के विपरीत अगर तरतीबी ग़ुस्ल किया जाए तो ग़ुस्ल बातिल है चाहे जानबूझ कर या भूले से ऐसा करे या मसअला न जानता हो।

❖ अगर ग़ुस्ल करने के बाद पता चले कि बदन के किसी हिस्से तक पानी नहीं पहुँचा है।

- अगर ग़ुस्ले इरतेमासी हो तो वाजिब है दोबारा ग़ुस्ल करे चाहे उस हिस्से को जानता हो जहां पानी नहीं पहुंचा है या न जानता हो।
- अगर ग़ुस्ल तरतीबी हो

- ✓ उस हिस्से को न जानता हो जहां पानी नहीं पहुंचा है तो दोबारा ग़ुस्ल करे।
- ✓ उस हिस्से को जानता हो जहां पानी नहीं पहुंचा है
    - अगर बायां हिस्सा हो तो उतने हिस्से को धो लेना काफ़ी है जो छूट गया था।
    - अगर दाहिना हिस्सा हो तो उस हिस्से को धो कर बायां हिस्सा भी धोए।
    - अगर सर और गरदन हो तो उस जगह को धोने के बाद पहले दाहना हिस्सा फिर बायां हिस्सा धोए।

4. जबीरा ग़ुस्ल

ग़ुस्ले जबीरा भी जबीरा वुज़ू की तरह है।

सवाल

1. वाजिब ग़ुस्ल कितने हैं बयान कीजिए?
2. ग़ुस्ल कितने तरीक़े से किया जा सकता है?
3. तरतीबी ग़ुस्ल में क्या केवल सर और दूसरे हिस्सों के बीच तरतीब काफ़ी है या बदन के दाहिने और बाएं हिस्से में भी तरतीब ज़रूरी है?
4. ग़ुस्ल में स्किन तक पानी पहुंचाने के अलावा क्या लम्बे बालों का धोना भी वाजिब है?
5. क्या ग़ुस्ल करते वक़्त क़िब्ले की तरफ़ होना वाजिब है?
6. अगर ग़ुस्ल करने के बाद किसी को पता चले कि बदन के किसी हिस्से तक पानी नहीं पहुँचा है तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है?

पाठ

19

ग़ुस्ल (2)

ग़ुस्ल की शर्तें – ग़ुस्ल के अहकाम

5. ग़ुस्ल की शर्तें

वह शर्तें जो वुज़ू में बयान की गईं जैसे पानी का पाक होना आदि, वही तमाम शर्तें ग़ुस्ल में भी हैं, लेकिन ग़ुस्ल में ऊपर से नीचे धोना और बिना फ़ासले के एक के बाद एक दूसरे हिस्सों को धोना शर्त नहीं हैं बल्कि ग़ुस्ल के बीच किसी दूसरे काम को भी अंजाम दे सकता है और फिर वापस आकर जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू कर सकता है।

- ग़ुस्ल में जिस हिस्से को धोना चाहता है अगर नजिस है तो पहले उसे पाक करे लेकिन ग़ुस्ल शुरू करने से पहले सारे बदन का पाक होना वाजिब नहीं है इसलिए अगर वह हिस्सा धोए जाने से पहले पाक हो गया हो तो ग़ुस्ल सही है लेकिन अगर नजिस हिस्सा धोने से पहले पाक न हो बल्कि यह चाहे कि एक ही बार पानी डालने से वह हिस्सा पाक भी हो जाए और ग़ुस्ल की नियत से भी धुल जाए तो ग़ुस्ल बातिल है।
- अगर कोई चीज़ पानी के बदन तक पहुँचने में रूकावट बन रही हो तो उसे दूर करना ज़रूरी है और अगर उसके दूर होने का यक़ीन किए बिना ग़ुस्ल करले तो उसका ग़ुस्ल बातिल है।

6. ग़ुस्ल के अह्काम

1. अगर ग़ुस्ल के बीच हदसे असग़र[1] हो जाए (जैसे पेशाब कर दे) तो ग़ुस्ल बातिल नहीं होगा और उस पर दोबारा शुरू से ग़ुस्ल करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसी को पूरा कर सकता है लेकिन ऐसा ग़ुस्ल अगर जेनाबत का ग़ुस्ल हो तो दूसरे ग़ुस्लों की तरह वुज़ू के बदले में काफ़ी नहीं होगा बल्कि जिन कामों को करने के लिए तहारत शर्त है उनके लिए वुज़ू करना ज़रूरी है जैसे नमाज़।
2. अगर किसी इंसान के ज़िम्मे कई ग़ुस्ल हों (चाहे वाजिब, चाहे मुस्तहब) अगर सबकी नियत से एक ग़ुस्ल करले तो सबके बदले में एक ग़ुस्ल काफ़ी है और अगर उनमें से एक ग़ुस्ले जेनाबत हो और जेनाबत के ग़ुस्ल की नियत करे तो सारे ग़ुस्लों के बदले में काफ़ी है अगरचे एहतियाते (मुस्तहब) है कि सबकी नियत करे।
3. ग़ुस्ले जेनाबत के अलावा दूसरे ग़ुस्लों के साथ वुज़ू करना ज़रूरी है। (जिन चीज़ों के लिए वुज़ू शर्त है।)
4. अगर किसी इंसान को ग़ुस्ल के बाद यक़ीन हो जाए कि उसका ग़ुस्ल बातिल था तो जो नमाज़ें उसने उस ग़ुस्ल से पढ़ी हैं उनकी क़ज़ा करना वाजिब है।
5. ग़ुस्ल में शक
    - ग़ुस्ल को अंजाम देने में शक (शक करे कि ग़ुस्ल किया है कि नहीं) जिन कामों के लिए ग़ुस्ल ज़रूरी है उनके लिए ग़ुस्ल करना ज़रूरी है लेकिन अब तक जो नमाज़ें पढ़ी हैं वह सही हैं।

---

1 . जिन चीज़ों से वज़ू, और तयम्मुम बातिल हो जाता है उसे हदसे असग़र कहते हैं जैसे पेशाब पाखाना

- ग़ुस्ल के सही होने में शक (ग़ुस्ल के ख़त्म होने के बाद शक हो कि जो ग़ुस्ल किया है वह सही था या नहीं?) तो ऐसी सूरत में जो ग़ुस्ल किया है अगर उसके सही होने का गुमान हो और ग़ुस्ल करते वक़्त जो चीज़ें ग़ुस्ल के सही होने में ज़रूरी हैं उन पर ध्यान रहा हो तो शक की परवाह नहीं करेंगे (और ग़ुस्ल को सही ठहराएंगें)।

सवाल

1. वुज़ू और ग़ुस्ल की शर्तों के बीच क्या अंतर है?
2. क्या ग़ुस्ल में ग़ुस्ल से पहले पूरे बदन का पाक होना ज़रूरी है?
3. ग़ुस्ल के बीच अगर हदसे असग़र हो जाए तो क्या दोबारा ग़ुस्ल करना चाहिए?
4. अगर किसी इंसान पर कई ग़ुस्ल हों (चाहे वाजिब, चाहे मुस्तहब) अगर सबकी नियत से एक ग़ुस्ल करले तो क्या सबके बदले में एक ग़ुस्ल काफ़ी है?
5. ग़ुस्ले जेनाबत के अलावा क्या दूसरे ग़ुस्लों के साथ भी वुज़ू की ज़रूरत नहीं है?
6. जो इंसान शक करे कि ग़ुस्ल किया है कि नहीं उसकी क्या ज़िम्मेदारी है?

पाठ

20

ग़ुस्ल (3)

ग़ुस्ले जेनाबत

1. जेनाबत के रीज़न

इंसान दो तरीक़े से मुजनिब होता है

1. हमबिस्तरी (यौन-सम्बंध) चाहे हलाल तरीक़े से हो या हराम, मनी निकले या न निकले, बालिग़ हो या नाबालिग़।
2. मनी का निकलना (चाहे जागते हुए निकले या सोते हुए चाहे जानबूझ कर निकले या न चाहते हुए।)
   - मर्द से निकलने वाली तरी अगर शहवत व वासना के साथ उछल के निकले और बदन सुस्त पड़ जाए तो वह मनी के हुक्म में है लेकिन अगर यह तीनों निशानियां न हों या इनमें से कोई एक निशानी न हो या शक हो कि वह निशानियां पाई जाती हैं या नहीं तो निकलने वाली तरी, "मनी" नहीं है, मगर यह कि किसी और तरीक़े से उसको यक़ीन हो जाए कि वह "मनी" है।

- मस्ती के चरम पर पहुंच कर औरतों से निकलने वाली तरी भी मनी के हुक्म में है और ग़ुस्ल वाजिब है। लेकिन अगर वह शक करे कि मस्ती के चरम पर पहुंची या नहीं या शक करे कि तरी निकली या नहीं तो उस पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं है।
- बिना संभोग के औरत की बच्चेदानी में मनी पहुँचने से औरत मुजननिब नहीं होती।
- सम्भोग से चाहे केवल हश्फ़ा (लिंग का अगला सिरा) ही अंदर गया हो, औरत और मर्द दोनों पर ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है चाहे मनी न निकले और औरत मस्ती के चरम तक न पहुंचे।
- अगर कोई औरत संभोग के तुरन्त बाद ग़ुस्ल करे और मर्द की मनी उसकी यूट्रेस में रह गई हो और ग़ुस्ल के बाद बाहर आ जाए तो उसका ग़ुस्ल सही होगा, जो मनी बाहर निकली है वह नजिस है। और उसके निकलने से औरत दोबारा मुजनिब नहीं होगी चाहे वह मर्द की मनी ही क्यूं न हो।
- मेडिकल उपकरण से भीतरी हिस्से की जाँच के बाद जब तक मनी न निकले औरत पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं है।

2. जो चीज़ें मुजनिब पर हराम हैं

वह काम जो मुजनिब पर हराम हैं।

1. क़ुरआन की आयतों, अल्लाह के नामों और ख़ास सिफ़तों को छूना और एहतियाते वाजिब की बिना पर पैग़म्बरों और इमामों के नाम भी इसी हुक्म में आते हैं।
2. मस्जिदुल हराम और मस्जिदुन नबी के अंदर जाना चाहे एक दरवाजे से जाकर दूसरे से निकल जाए।
3. दूसरी मस्जिदों में ठहरना लेकिन अगर एक दरवाज़े से जाकर दूसरे से निकल जाए तो इसमें कोई हरज नही है।

4. मस्जिद में कोई चीज़ रखना।
5. जिन सूरों में सजदा वाजिब है उनकी सजदे वाली आयतों को पढ़ना लेकिन उन सूरों की दूसरी आयतों को पढ़ने में कोई हरज नहीं है।

- मासूम इमामों के रौज़े भी एहतियात की बिना पर मस्जिद के हुक्म में हैं।
- मुजनिब के लिए इमामज़ादों (इमाम की संतान) के मज़ारों में जाने में कोई हरज नहीं है।
- इमामबाड़े, मस्जिद के हुक्म में नहीं हैं।
- सजदे वाली आयतों से मुरादः
  1. सूर ए सजदा (32) आयत 15
  2. सूर ए फ़ुस्सेलत (41) आयत 37
  3. सूर ए नज्म (53) आयत 62
  4. सूर ए अलक़ (92) आयत 19

3. ग़ुस्ले जेनाबत के अहकाम

1. शरई हुक्म को अंजाम देने में शर्म की कोई गुंजाइश नहीं है और शर्म किसी वाजिब (जैसे ग़ुस्ले जेनाबत) को छोड़ने का बहाना नहीं बन सकती है। बहरहाल अगर किसी इंसान के लिए जेनाबत का ग़ुस्ल करना मुमकिन न हो तो नमाज़ रोज़े के लिए उसे ग़ुस्ल के बदले तयम्मुम करना होगा।
2. जो इंसान ग़ुस्ल न कर सकता हो जैसे कोई जानता हो कि अगर बीवी से संभोग करके मुजनिब हो जाएगा तो ग़ुस्ल करने के लिए पानी नहीं है या ग़ुस्ल और नमाज़ दोनों के लिए वक़्त कम है फिर भी उसके लिए बीवी से संभोग करना जाएज़ है, इस शर्त के साथ कि वह तयम्मुम कर सकता हो। इस तरह मुजनिब होने और ग़ुस्ल न कर सकने की सूरत में उन कामों के लिए जिनमें तहारत शर्त है ग़ुस्ल के बदले

तयम्मुम करेगा और उस तयम्मुम से मस्जिद में जाना, नमाज़ पढ़ना क़ुरआन की लिखावट को छूना और तहारत की शर्त वाले सारे काम करने में कोई हरज नहीं है (हां अगर वक़्त की तंगी की वजह से तयम्मुम किया हो तो एहतियाते वाजिब की बिना पर केवल वही काम कर सकता है जिसके लिए तयम्मुम किया है।)

3. अगर कोई मनी निकलने के बाद ग़ुस्ल करे फिर ग़ुस्ल के बाद ऐसी तरी बाहर निकले जिसके बारे में न जानता हो कि मनी है या नहीं, तो अगर उसने मनी निकलने के बाद और ग़ुस्ल करने से पहले पेशाब न किया हो तो वह तरी, "मनी" के हुक्म में होगी और उस पर वाजिब है कि फिर से ग़ुस्ल करे।
4. अगर कोई इंसान अपने कपड़े पर धब्बा देखे और न जानता हो कि मनी है या कुछ और तो जब तक मनी निकलने और ख़ुद उसकी मनी होने का यक़ीन न हो जाए उस पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं है।
5. जिसने ग़ुस्ले जेनाबत किया है वह वुज़ू नहीं करेगा। और नमाज़ व दूसरे आमाल जिनके लिए वुज़ू वाजिब होता है उन्हें इसी ग़ुस्ल से अंजाम दे सकता है।
6. जब भी ग़ुस्ल के बाद शक करे कि ग़ुस्ल बातिल हुआ है या नहीं तो नमाज़ के लिए उस पर वुज़ू करना वाजिब नहीं है, लेकिन अगर एहतियात के तौर पर वुज़ू करना चाहे तो कोई हरज नहीं है।
7. नमाज़ का वक़्त तंग होने के बाद भी अगर कोई जेनाबत का ग़ुस्ल करे तो अगर उसने ख़ास उस नमाज़ के लिए नहीं बल्कि जेनाबत से पाक होने की नियत से ग़ुस्ल किया हो तो उसका ग़ुस्ल सही है। चाहे ग़ुस्ल के बाद पता चले कि नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो गया था।

सवाल

1. जेनाबत के रीज़न बयान कीजिए?
2. किस सूरत में मर्द से निकलने वाली तरी को “मनी” कहा जाएगा?
3. बिना संभोग के औरत किस तरह मुजनिब हो सकती है?
4. क्या औरतों पर मेडिकल उपकरण से भीतरी हिस्से की जाँच के बाद ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है?
5. अगर कोई इंसान अपने कपड़े पर धब्बा देखे और न जानता हो कि मनी है या कुछ और तो उसकी शरई ज़िम्मेदारी क्या है?

पाठ

21

ग़ुस्ल (4)

औरतों के ख़ास ग़ुस्ल

8. औरतों के ख़ास ग़ुस्ल

1. हैज़ः

   1. **हैज़[1] का ख़ूनः**

      1) वह ख़ून जो लड़की 9 साल पूरे होने से पहले देखती है हैज़ नहीं है चाहे उसमें हैज़ की निशानियां पाई जाती हों।

      2) पाक हो जाने के यक़ीन के बाद औरत जो ख़ून का धब्बा देखती है अगर ख़ून न हो तो वह हैज़ के हुक्म में नहीं है, लेकिन अगर ख़ून हो चाहे वह पीले रंग के धब्बे की सूरत में ही क्यूं न हो और दस दिन से ज़्यादा न गुज़रे हों तो उस पर हैज़ का हुक्म लागू होगा और इसकी पहचान ख़ुद औरत की ज़िम्मेदारी है।

---

1. हैज़ वह ख़ून है जो आम तौर पर हर महीने कुछ दिन तक औरतों के यूट्रेस से नेचुरल तरीक़े निकलता है और बच्चा ठहर जाने की सूरत में यही ख़ून बच्चे का आहार होता है।

3) जो औरतें गर्भ निरोधक दवाएं इस्तेमाल करती हैं मासिक धर्म के वक़्त या दूसरे दिनों में उन्हें जो ख़ून के धब्बे दिखाई दें तो अगर उन ख़ून के धब्बों में हैज़ की शरई शर्तें मौजूद न हों तो वह हैज़ के हुक्म में नहीं है बल्कि उस पर इस्तेहाज़ा का हुक्म लागू होगा।

4) वह औरत जिसका मासिक धर्म का वक़्त तय हो जैसे 7 दिन और अंतर्गर्भाशयी डिवाइस (IUD) रखवाने की वजह से उसे हर बार 10 दिन से ज़्यादा जैसे 12 दिन ख़ून आता हो तो जो मासिक धर्म के दिनों का ख़ून है वह हैज़ है और जो उससे ज़्यादा है वह इस्तेहाज़ा होगा।

5) प्रेगेनेंसी के वक़्त अगर किसी औरत को ख़ून आए तो अगर उसमें हैज़ की निशानियां और शर्तें पाई जाती हों या मासिक धर्म के वक़्त में हो और 3 दिन तक लगातार आता रहे चाहे अंदर ही अंदर हो तो वह हैज़ है वरना इस्तेहाज़ा है।

2. हाएज़ के अहकाम

1. वह सारे काम जो मुजनिब पर हराम हैं वही हाएज़ पर भी हराम हैं।
2. अगर औरत हैज़ की हालत में मुजनिब हो या जेनाबत की हालत में उसको हैज़ आ जाए तो हैज़ से पाक होने के बाद उस पर वाजिब है कि हैज़ का ग़ुस्ल करने के अलावा जेनाबत का भी ग़ुस्ल करे लेकिन अमली तौर पर ग़ुस्ले जेनाबत ही काफ़ी है अगरचे एहतियाते (मुस्तहब) यह है कि दोनों ग़ुस्लों की नियत करे।
3. अगर औरत हैज़ की हालत में जेनाबत का ग़ुस्ल करे तो उस ग़ुस्ल का सही होना मुश्किल है।

4. अगर कोई औरत ख़ास दिन की नज़्र (मन्नत) करके रोज़ा रखे और रोज़े के बीच उसे हैज़ आ जाए तो हैज़ शुरू होते ही उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा चाहे दिन के किसी भी हिस्से में हो। और हैज़ से पाक होने के बाद उस पर रोज़े की क़ज़ा वाजिब है।

3. इस्तेहाज़ा[1]

वह ख़ून जो औरत याएसा[2] होने के बाद देखती है वह इस्तेहाज़ा है इसलिए जिस औरत का बाप हाशमी नहीं है चाहे उसकी माँ सैदानी हो अगर याएसा होने की उम्र के बाद ख़ून देखे तो वह इस्तेहाज़ा के हुक्म में होगा।

4. नेफ़ास[3]

जिस औरत ने गर्भपात कराया है अगर गर्भपात के बाद ख़ून देखे तो (चाहे वह बच्चा उलक़ा यानि लोथड़े की सूरत में ही हो) वह नेफ़ास के हुक्म में है।

- वह सारे काम जो हैज़ वाली औरतों पर हराम हैं नेफ़ास वाली औरतों पर भी हराम हैं।

---

1. वह ख़ून जो हैज़ और नेफ़ास के दिनों के अलावा औरत के यूट्रेस से बाहर आए और बेकारत (योनिद्वार की झिल्ली) और ज़ख़्म का ख़ून न हो।
2. चूंकि याएसा होने की उम्र के सिलसिले में हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनई का नज़रिया एहतियात है इसलिए आपके मुक़ल्लेदीन उदूल की शर्तों को ध्यान में रखते हुए दूसरे मराजे से सम्पर्क बना सकते हैं।
3. बच्चे के जन्म के समय आने वाला ख़ून

सवाल

1. पाक होने के यक़ीन के बाद अगर किसी औरत को धब्बे दिखाई दें तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन धब्बों में न तो ख़ून की निशानियां हैं और न ही पानी से मिले हुए ख़ून की निशानियां हैं तो उस औरत की क्या ज़िम्मेदारी है?
2. अगर किसी औरत के यहां प्रेग्नेंसी के दौरान थोड़ा ख़ून आना शुरू हो जाए लेकिन गर्भपात न हो तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या है?
3. अगर औरत हैज़ की हालत में मुजनिब हो या जेनाबत की हालत में उसको हैज़ आ जाए तो हैज़ से पाक होने के बाद क्या उस पर दोनों ग़ुस्ल वाजिब हैं?
4. क्या हैज़ की हालत में जेनाबत का ग़ुस्ल करना सही है यानि क्या उस ग़ुस्ल से औरत जेनाबत की हालत से बाहर आ जाएगी?
5. उस ख़ून का क्या हुक्म है जो औरत याएसा होने के बाद देखती है?
6. जिस औरत ने गर्भपात कराया है वह नेफ़ास की हालत में है या नहीं?

पाठ

22

मय्यत के अहकाम (1)

ग़ुस्ले मसे मय्यत[1] –मोहतज़र[2] के अहकाम–मौत के बाद के वाजिब काम

1. **ग़ुस्ले मसे मय्यत**

   अगर कोई किसी मुर्दा इंसान को जिसका बदन ठंडा हो गया हो लेकिन अभी उसे ग़ुस्ल न दिया गया हो छू ले या अपने हाथ, पैर, चेहरे और दूसरे किसी हिस्से को मय्यत के बदन के किसी हिस्से से छुला दे तो नमाज़ और उस जैसे सारे कामों के लिए ग़ुस्ल करे और इसे ग़ुस्ले मसे मय्यत कहते हैं।

   - ठंडा होने के बाद और ग़ुस्ल पूरे होने से पहले मय्यत के बदन से अलग होने वाले किसी हिस्से को छूने का भी वही हुक्म है जो मुर्दा बदन को छूने का है।
   - ज़िन्दा इंसान के बदन से अलग हुए टुकड़े को छूने से ग़ुस्ल वाजिब नहीं होता।

---

1 . मय्यत को छूने का ग़ुस्ल

2 . जिसका दम निकल रहा हो

- वह जगहें कि जहां मय्यत के बदन को छूने से ग़ुस्ल वाजिब नहीं होता।

1. जंग के मैदान में शहीद होने वाले शहीद को छूने से।
2. ऐसे मुर्दा इंसान को छूने से जिसका बदन अभी ठंडा न हुआ हो।
3. ऐसे मुर्दा इंसान को छूने से जिसको तीनों ग़ुस्ल दिए जा चुके हों।

- अगर शक हो कि मय्यत को ग़ुस्ल दिया गया है या नहीं तो ऐसी मय्यत को छूने से ग़ुस्ल वाजिब हो जाएगा (इस शर्त के साथ कि बदन ठंडा हो गया हो) और ग़ुस्ले मसे मय्यत के बिना नमाज़ सही नहीं है। लेकिन अगर ग़ुस्ल दिया जाना साबित हो जाए तो बदन को या बदन के किसी हिस्से को छूने से ग़ुस्ल वाजिब नहीं होगा चाहे ग़ुस्ल के सही होने में शक ही क्यों न हो।
- जिसने ग़ुस्ले मसे मय्यत किया अगर नमाज़ पढ़ना चाहे तो उसे वुज़ू करना होगा और ग़ुस्ले मसे मय्यत, जेनाबत के ग़ुस्ल की तरह नहीं है कि वुज़ू की ज़रूरत न पड़े।

2. मोहतज़र के अहकाम (जिसका दम निकल रहा हो **)**

अगर कोई मुसलमान एहतेज़ार की हालत में हो (दम निकलते वक़्त) तो मुनासिब है कि उसे पीठ के बल क़िब्ले की तरफ़ कर दिया जाए और वह इस तरह कि पैर के तलवे क़िब्ले की तरफ़ हों। बहुत सारे फ़क़ीहों ने ताक़त रखने की सूरत में इस चीज़ को ख़ुद मरने वाले और दूसरे लोगों पर वाजिब किया है। इसलिए एहतियात यह है कि इस काम को तर्क न किया जाए।

3. मौत के बाद के वाजिब काम

1. ग़ुस्ल
2. हुनूत
3. कफ़न
4. नमाज़
5. दफ़्न

- इस्लाम की निगाह में मुसलमान मय्यत का उतना ही सम्मान है जितना ज़िंदा इंसान का है। मुसलमान की मय्यत के सम्मान को शरीअत ने ग़ुस्ल, कफ़न और दफ़्न जैसे कामों से वाजिब किया है और तमाम मुकल्लफ़ पर इन कामों का अंजाम देना वाजिब है।
- मुसलमान मय्यत को ग़ुस्ल देना, कफ़न पहनाना, नमाज़ पढ़ना और उसे दफ़्न करना वाजिबे केफ़ाई[1] है यानि हर मुकल्लफ़ पर वाजिब है लेकिन अगर कुछ लोग उसे अंजाम दे दें तो दूसरे लोगों से ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी लेकिन अगर कोई भी उस काम को न करे तो सबके सब गुनाहगार होंगे।
- अगर किसी को पता चल जाए कि ग़ुस्ल, कफ़न, नमाज़ या दफ़्न ग़लत तरीक़े से अंजाम दिया गया है तो उसको दोबारा अंजाम देना वाजिब है। लेकिन अगर उसके बातिल होने का गुमान हो या शक हो कि सही था या नहीं? तो दोबारा अंजाम देना ज़रूरी नहीं है।
- मय्यत के ग़ुस्ल, कफ़न, नमाज़ और उसे दफ़्न करने के लिए उसके वली (शरई गार्जियन व उत्तराधिकारी) से इजाज़त लेना ज़रूरी है। वली मां बाप, औलाद और दूसरे

---

1 . वह वाजिब जो पहले तो सब पर वाजिब होता है लेकिन अगर एक आदमी ने उसे अंजाम दे दिया तो सब पर से वुजूब ख़त्म हो जाएगा और अगर नहीं किया तो सब गुनाहगार हैं।

घर वाले हैं। और उसी क्रम से जो विरासत के चैप्टर में बयान हुए हैं। हाँ मियां, अपनी बीवी के सिलसिले में दूसरों पर प्राथमिकता (प्रायोरिटी) रखता है।

सवालः

1. मुर्दा इंसान से अगर कोई हिस्सा अलग हो जाए तो क्या उसके छूने से ग़ुस्ले मसे मय्यत वाजिब होगा?
2. अगर ज़िंदा इंसान के बदन से ऐसी हड्डी अलग हो जाए जो गोश्त के साथ हो तो क्या उसके छूने से ग़ुस्ल वाजिब होगा?
3. किन जगहों पर मुर्दा इंसान के बदन को छूने से ग़ुस्ल वाजिब नहीं होता?
4. क्या एहतेज़ार के वक़्त मुसलमान को क़िबले की तरफ़ करना वाजिब है?
5. मौत के बाद कौन से काम अंजाम देना वाजिब हैं?
6. मय्यत को ग़ुस्ल देना वाजिबे ऐनी है या केफ़ाई?

पाठ

23

मय्यत के अहकाम (2)

ग़ुस्ले मय्यत – हुनूत - कफ़न

4. ग़ुस्ले मय्यत

1. मय्यत को तीन ग़ुस्ल देना वाजिब है।
    1. ऐसे पानी से जिसमें थोड़ी सी बेर की पत्तियां मिलाई गई हों।
    2. ऐसे पानी से जिसमें थोड़ा सा काफ़ूर मिलाया गया हो।
    3. ख़ालिस पानी से।

4. मय्यत को ग़ुस्ल देने वाले की शर्तें
    1. मुसलमान और बारह इमामी हो।
    2. बालिग़ हो।
    3. आक़िल (समझदार) हो।
    4. ग़ुस्ल के अहकाम जानता हो।
    5. अगर मय्यत मर्द हो तो मर्द उसको ग़ुस्ल दे और अगर औरत हो तो औरत उसको ग़ुस्ल दे।
        - शौहर अपनी बीवी की मय्यत और बीवी अपने शौहर की मय्यत को ग़ुस्ल दे सकती है।

- मय्यत को ग़ुस्ल देने में भी दूसरी इबादतों की तरह नियत करना ज़रूरी है यानि ग़ुस्ल देने वाला ग़ुस्ल को अल्लाह के हुक्म पर अमल करने की नियत से अंजाम दे।

4. जिस मय्यत को ग़ुस्ल देना वाजिब है।

1. मुसलमान औरत या मर्द।
2. मुसलमान बच्चा।
3. मुसलमान बच्चा जो माँ के पेट में ही सिक़्त (मिसकैरेज) हो गया हो और चार महीने का हो चुका हो और अगर चार महीने से कम हो तो उसे ग़ुस्ल देना वाजिब नहीं है।

5. अगर मय्यत के बदन का कोई हिस्सा नजिस हो तो ग़ुस्ल देने से पहले नजिस जगह को पाक करना ज़रूरी है। इसलिए जिस मय्यत से बिलीडिंग हो रही है अगर मुमकिन हो तो उसको ग़ुस्ल देने से पहले पाक करना ज़रूरी है। और अगर मेडिसिन से रोकना मुमकिन हो या ख़ुद से ख़ून रुक जाने की सम्भावना पाई जाए तो इंतेज़ार करना ज़रूरी है।
6. मय्यत के गुप्ताँग को देखना हराम है। ग़ुस्ल देने वाला अगर मय्यत के ग़ुप्ताँग को देखे तो गुनाहगार है लेकिन ग़ुस्ल बातिल नहीं होगा।
7. अगर पानी न हो या पानी के इस्तेमाल में रुकावट हो तो हर ग़ुस्ल के बदले एक तयम्मुम कराया जाएगा।

4. हुनूत

1. मय्यत को ग़ुस्ल देने के बाद उसको हुनूत कराना वाजिब है यानि उसके आज़ाए सजदा यानि माथे, हाथेलियों, घुटनों और पैर के अंगूठों पर इस तरह काफ़ूर मला जाए कि मलने के बाद थोड़ा काफ़ूर उन जगहों पर बाक़ी रह जाए।

2. शर्त है कि काफ़ूर ताज़ा और पिसा हुआ हो ताकि मय्यत से काफ़ूर की बू आए। अगर पुराना होने की वजह से उसकी बू चली गई है तो उससे हुनूत काफ़ी नहीं है।
3. मोहरिम (जैसा की हज की बहस में बयान किया गया है) इस हुक्म में शामिल नहीं है (यानि अगर हाजी एहराम की हालत में मर जाए उसको हुनूत देना जाएज़ नहीं है।)

5. कफ़न

1. मुसलमान मय्यत को तीन कपड़ों में कफ़न देना वाजिब है।
   1) लुंगी जो मय्यत की कमर और पैरों पर लपेटी जाएगी।
   2) क़मीस जो कंधों से पिंडलियों तक आगे और पीछे से छिपा ले।
   3) चादर जो सर से पैर तक इस तरह मय्यत के पूरे बदन को छिपा ले कि सिर और पैर दोनों तरफ़ के सिरे बांधे जा सकें और उसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि एक सिरा दूसरे पर आ जाए।
2. अगर कफ़न नजिस हो जाए चाहे नेजासत मय्यत के बदन से निकले या बाहर से लगे तो उसको पाक करना वाजिब है या अगर कफ़न बर्बाद न हो तो नजिस जगह को काट कर अलग कर दिया जाए इसलिए अगर मय्यत के बदन से बहने वाले ख़ून की वजह से कफ़न नजिस हो जाए तो अगर उसे पाक करना या उस हिस्से को काटना या कफ़न को बदलना मुमकिन हो तो ऐसा करना वाजिब है और अगर मुमकिन न हो तो उसी तरह दफ़ना देना जाएज़ है।

3. अगर इंसान अपने लिए ख़रीदे गये कफ़न से अपने माँ, बाप, रिश्तेदार या किसी और को कफ़न दे दे तो इसमें कोई हरज नहीं है।

सवाल

1. मय्यत को कौन से तीन ग़ुस्ल दिए जाते हैं?
2. मय्यत को ग़ुस्ल देने वाले की शर्तों को बयान कीजिए?
3. जो बच्चा सिक़्त हो गया है उसे ग़ुस्ल देने का क्या हुक्म है?
4. मय्यत को हुनूत करने का क्या मतलब है? और उसकी क्या शर्तें हैं?
5. मय्यत को किन तीन कपड़ों में कफ़न देना वाजिब है?
6. जिसने अपने लिए कफ़न ख़रीदा है क्या वह उसमें अपने मां बाप या किसी दूसरे को कफ़न दे सकता है?

पाठ

23

मय्यत के अहकाम (3)

नमाज़े मय्यत – दफ़्न – नब्शे क़ब्र[1] के अहकाम

शहीद के अहकाम – मौत की सज़ा पाने वाले के अहकाम

7. नमाज़े मय्यत

1. ग़ुस्ल, हुनूत और कफ़न देने के बाद मुसलमान की मय्यत पर –नीचे बताए गए तरीक़े से- नमाज़ पढ़ना वाजिब है।
   - जो बच्चा 6 साल का हो गया हो और उसके मां बाप में से कम से कम कोई एक मुसलमान हो तो वह बालिग़ के हुक्म में है और उसकी मय्यत पर भी नमाज़ पढ़ना वाजिब है।
2. नमाज़े मय्यत में नियत और पाँच तकबीरें (अल्लाहो अकबर कहना) हैं। जिनके बीच में सलवात और दुआएं पढ़ी जाती हैं। इसलिए अगर नमाज़े मय्यत को नीचे बताए गए तरीक़े से पढ़ा जाए तो काफ़ी हैः

---

1 . दफ़्न करने के बाद क़ब्र को दोबारा खोदना

1. पहली तकबीर के बाद कहेः
   اشهدان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله
   अशहदो अन ला इलाहा इल लल्लाह व अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह
2. दूसरी तकबीर के बाद कहेः
   اللهم صل علی محمد و آل محمد
   अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद
3. तीसरी तकबीर के बाद कहेः
   اللهم اغفر للمومنین و المومنات
   अल्लाहुम्मग़ फ़िर लिल मोमनीन वल मोमिनात
4. चौथी तकबीर के बाद कहेः
   اللهم اغفر لهذا المیت
   अल्लाहुम्मग़ फ़िर ले हाज़ल मय्यत
   अगर औरत हो तो कहेः
   اللهم اغفر لهذه المیت
   ले हाज़ेहिल मय्यत
5. इसके बाद पाँचवी तकबीर कहे और नमाज़ को ख़त्म कर दे।
   - नमाज़े मय्यत को विस्तार के साथ भी पढ़ा जाता है जिसे तौज़ीहुल मसाएल और दुआओं की किताबों में बयान किया गया है।
6. नमाज़े मय्यत पढ़ने वाले पर वाजिब है कि वह क़िब्ले की तरफ़ मुँह करके खड़ा हो और मय्यत को नमाज़ पढ़ने वाले के सामने इस तरह पीठ के बल लिटाया जाए कि उसका सर नमाज़ पढ़ने वाले के दाहिनी ओर और पैर बाईं तरफ़ हो।

7. मय्यत और नमाज़ी के बीच किसी चीज़ की रुकावट जैसे दीवार व पर्दा न हो लेकिन अगर मय्यत ताबूत में हो तो इसमें कोई हरज नहीं है।
8. मय्यत पर नमाज़ पढ़ने के लिए वुज़ू और कपड़े व बदन का पाक होना और लिबास का ग़स्बी न होना ज़रूरी नहीं है।
9. अगर मय्यत को जान बूझ कर या भूले से या किसी और वजह से नमाज़े मय्यत के बिना दफ़्न कर दिया जाए या दफ़्न करने के बाद पता चले कि नमाज़ बातिल थी तो जब तक उसका बदन ख़राब न हुआ हो उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है।
10. जो शर्तें दूसरी नमाज़ों में नमाज़े जमाअत और इमामे जमाअत के लिए ज़रूरी हैं वह नमाज़े मय्यत में ज़रूरी नहीं हैं। हालांकि एहतियाते (मुस्तहब) है कि उन शर्तों पर अमल किया जाए।

8. दफ़्न

1. ग़ुस्ल, हुनूत, कफ़न और नमाज़ के बाद मय्यत को ज़मीन में दफ़्न करना वाजिब है और ज़रूरी है कि क़ब्र ऐसी हो कि बू बाहर न आए और जंगली जानवर बदन को बाहर न निकाल सकें।
2. वाजिब है कि मय्यत को क़ब्र में दाएं पहलू के बल इस तरह लिटाया जाए कि उसका चेहरा पेट और सीना क़िब्ले की तरफ़ हो।

दफ़्न के बारे में कुछ प्वाइंट्स

- मुसलमान मय्यत की हड्डी जिसे ग़ुस्ल दिया जा चुका है नजिस नहीं है लेकिन उसे दोबारा दफ़नाना वाजिब है।
- मुसलमान मय्यत की हड्डियों के कंकाल को फ़ौरन दफ़्न करना वाजिब है (और उसे लोगों के सामने पाठ व इबरत की नियत से ममी बना कर रखना जाएज़ नहीं है।)

- मुसलमानों की क़ब्रों को कई मंज़िला बनाना जाएज़ है इस शर्त के साथ कि इस काम से नब्शे क़ब्र और मुसलमान मय्यत का अपमान न हो।
- अगर कोई कुएं में गिरकर मर जाए और उसके बदन को न निकाला जा सकता हो तो वाजिब है कि बदन को उसी में छोड़ दिया जाए और उस कुएं को उसकी क़ब्र बना दिया जाए और अगर कुंआ किसी की निजी प्रॉपर्टी न हो या उसका मालिक उसे बन्द करने पर राज़ी हो तो उसे बन्द कर देना वाजिब है।
- दफ़्न के दिन क़ब्र पर पानी छिड़कना मुस्तहब है और उसके बाद सवाब की उम्मीद की नियत से पानी छिड़कने में कोई हरज नहीं है।

9. नब्शे क़ब्र के अहकाम

1. जिस मय्यत को इस्लामी अहकाम और क़ानून के अनुसार दफ़्न कर दिया गया हो उसकी क़ब्र खोदना जाएज़ नहीं है। इसी तरह मोमेनीन की क़ब्रों को गिराना और उन्हे खोदना जाएज़ नहीं है चाहे यह काम गलियों को चौड़ा करने के लिए ही क्यों न हो। और अगर कहीं क़ब्र खुल जाए और मुसलमान मय्यत का बदन या उसकी हड्डियां जो अभी न गली हों सामने आ जाए तो उसको फिर से दफ़न करना वाजिब है।
2. मय्यत की हड्डियां अगर मिट्टी में मिल जाएं तो दूसरी मय्यत को दफ़्न करने के लिए क़ब्र खोदना जाएज़ है।
3. वह जगहें जहां नब्शे क़ब्र जाएज़ नहीं है उनमें मरजए तक़लीद से इजाज़त लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है।

11. शहीद के अहकाम

शहीद के लिए ग़ुस्ल व कफ़न की ज़रूरत नहीं है।

- शहीद से मुराद वह इंसान है जो जंग के मैदान में शहीद हुआ हो। इसलिए अगर बॉर्डर पर स्थित शहरों में जंग छिड़ जाए और एक तरफ़ लोग हक़ पर हों और दूसरी तरफ़ के लोग ग़लत व विद्रोही हों तो हक़ पर चलने वाले जो लोग उस एरिये में क़त्ल किए जाएंगे वह शहीद के हुक्म में शामिल हैं। लेकिन जो इंसान मैदाने जंग के अलावा क़त्ल हो हालांकि उसके लिए शहीद का ही सवाब है लेकिन शहीद के ख़ास अहकाम उस पर लागू नहीं होंगे। जैसे वह लोग जो दुनिया भर में कहीं भी इस्लामी हुक्म के लागू कराने में या प्रदर्शनों में मारे जाते हैं।

12. मौत की सज़ा पाने वाले के अहकाम

वह मुसलमान जिसको मौत की सज़ा दी गई हो उसका हुक्म वही है जो दूसरे मुसलमानों का है। और मय्यत के सारे इस्लामी अहकाम उस पर भी लागू होंगे जैसे नमाज़े मय्यत व....।

मय्यत के कुछ अहकाम

- मय्यत के लिए (मर्द व औरत होने में) एक जैसा होना केवल ग़ुस्ल में शर्त है। अगर मर्द को मर्द और औरत को औरत ग़ुस्ल दे सकती हो तो मर्द का औरत और औरत का मर्द को ग़ुस्ल देना सही नहीं है और ग़ुस्ल बातिल है। (हां मियां बीवी के बारे में जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बीवी की मय्यत को मियां और मियां की मय्यत को बीवी ग़ुस्ल दे सकती है।) लेकिन कफ़न पहनाने और दफ़नाने में समानता का होना शर्त नहीं है।
- मय्यत को ग़ुस्ल, कफ़न व दफ़न अगर राएज व प्रचलित तरीक़े से किया जाए तो उस वली से जो अभी बच्चा है इजाज़त

लेना ज़रूरी नहीं है। और बच्चों के छोटे होने से कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसलिए मय्यत के घर में उसको ग़ुस्ल और कफ़न देने में कोई हरज नहीं है चाहे मय्यत का कोई वसी न हो और उसके बच्चे छोटे हों।

- औरतों का जनाज़े में शरीक होना और उसको कांधा देना जाएज़ है।

सवाल

1. नमाज़े मय्यत का तरीक़ा बयान कीजिए?
2. जिस इंसान में नमाज़े जमाअत पढ़ाने की शर्ते मौजूद न हों क्या वह नमाज़े मय्यत पढ़ा सकता है?
3. क्या क़ब्रों को कई मंज़िला बनाया जा सकता है?
4. किस शहीद को ग़ुस्ल व कफ़न देने की ज़रूरत नहीं है?
5. अगर किसी मुसलमान को क़ानून के अनुसार अदालत ड्रग्स की स्मगलिंग के जुर्म में मौत की सज़ा दे तो क्या उसकी नमाज़े मय्यत पढ़ी जाएगी?
6. क्या ग़ुस्ल, कफ़न और दफ़्न के लिए समानता (औरत के लिए औरत और मर्द के लिए मर्द) शर्त है? या मर्द, औरत और औरत, मर्द मय्यत के कामों को अंजाम दे सकता है?

पाठ

25

तयम्मुम (1)

तयम्मुम की जगहें – जिन चीज़ों पर तयम्मुम सही है

तयम्मुम का तरीक़ा – जबीरा तयम्मुम

1. तयम्मुम की जगहें

वह जगहें जहां वुज़ू और ग़ुस्ल के बदले तयम्मुम किया जाता है।

1. जब पानी न मिल पा रहा हो या तो इसलिए कि पानी मौजूद न हो या पानी हो लेकिन पानी तक उसकी पहुँच न हो जैसे पानी कुँए में हो लेकिन इंसान के पास पानी निकालने की कोई चीज़ न हो।
2. जब पानी का इस्तेमाल उसके लिए नुक़सानदे हो।
3. जब डर हो कि अगर पानी इस्तेमाल करेगा तो ख़ुद या उसके घर वाले या वह जिनकी जान बचाना उसकी जिम्मेदारी है वह प्यासे रह जाएगें।
4. जो पानी हो उससे नमाज़ के लिए बदन या लिबास को पाक करना हो।

5. जब पानी या बर्तन का इस्तेमाल उसके लिए हराम हो जैसे ग़स्बी (नाजाएज़ तरीक़े से छीना या हथियाया गया) हो।

6. जब नमाज़ का वक़्त इतना तंग हो कि अगर ग़ुस्ल या वुज़ू करे तो पूरी नमाज़ या उसका कुछ हिस्सा, वक़्त ख़त्म होने के बाद अंजाम पाए।

- जिस इंसान के लिए वुज़ू या ग़ुस्ल नुक़सानदे हो या बहुत ज़्यादा सख़्त हो तो वुज़ू या ग़ुस्ल के बदले तयम्मुम करे और ऐसी सूरत में वुज़ू या ग़ुस्ल करना सही नहीं है।
- जिस इंसान को यह यक़ीन हो कि वुज़ू या ग़ुस्ल उसके लिए नुक़सानदे है (जैसे वह मरीज़ हो जाएगा) तो तयम्मुम करने में कोई हरज नहीं है और उसकी नमाज़ सही है। लेकिन अगर तयम्मुम से नमाज़ पढ़ने से पहले पता चल जाए कि पानी नुक़सानदे नहीं है तो तयम्मुम बातिल हो जाएगा और अगर तयम्मुम से नमाज़ पढ़ने के बाद पता चले कि पानी नुक़सानदे नहीं था तो एहतियाते वाजिब यह है कि वुज़ू या ग़ुस्ल करके नमाज़ को दोबारा पढ़े।
- केवल मुश्किल होने या आधी रात के वक़्त जवान का ग़ुस्ल करना लोगों की निगाह में बुरा होना (ऐब होना) शरई माफ़ी (उज़्र) नहीं माना जाएगा। बल्कि इंसान पर वाजिब है कि जैसे भी मुमकिन हो ग़ुस्ल करे जब तक कि ग़ुस्ल करना उसके लिए नुक़सानदे न हो। हाँ अगर नुक़सान हो तो इस सूरत में उस पर तयम्मुम वाजिब है।

- अगर कोई मुजनिब हो जाए और उसके पास लिबास या बदन को पाक करने या लिबास को बदल कर नमाज़ पढ़ने का वक़्त न हो और ठंडक की वजह से नंगे होकर भी नमाज़ न पढ़ सके तो उस पर वाजिब है कि ग़ुस्ल के बदले तयम्मुम करे और नजिस लिबास व बदन के साथ ही नमाज़ पढ़े और यह नमाज़ काफ़ी है उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं है।
- अगर वक़्त तंग हो और डर हो कि पूरी नमाज़ या उसका कुछ हिस्सा ग़ुस्ल करने की सूरत में वक़्त में नहीं अदा हो पाएगा तो वाजिब है कि तयम्मुम करके नमाज़ पढ़े।
- अगर नींद की हालत में इंसान से तरी बाहर निकले और जागने के बाद उसे कुछ भी याद न रहे लेकिन कपड़े में तरी पाई जा रही हो तो अगर जानता है कि सोते वक़्त मनी निकली है तो मुजनिब है और उस पर ग़ुस्ल वाजिब है और नमाज़ का वक़्त तंग होने की सूरत में बदन को पाक करने के बाद तयम्मुम करके नमाज़ पढ़े और बाद में ग़ुस्ल करे लेकिन अगर न जानता हो (जैसे उसको मनी निकलने के बारे में शक हो) तो जेनाबत का हुक्म उस पर लागू नहीं होगा।
- जिन चीज़ों के लिए तहारत शर्त नहीं है उनके लिए ग़ुस्ल के बदले तयम्मुम करने में हरज है जैसे ज़ियारत। लेकिन ग़ुस्ल न कर सकने की सूरत में रजाए मतलूबियत (सवाब की उमीद) की नियत से तयम्मुम करने में कोई हरज नहीं है।

2. जिन चीज़ों पर तयम्मुम करना सही है

तयम्मुम हर उस चीज़ पर सही है जिसे ज़मीन कहा जाए जैसे मिट्टी, रेत, कंकर, ढ़ेला, पत्थर (जिप्सम, चूने का पत्थर, काला पत्थर व..) और इसी तरह पक्की ईंट पर तयम्मुम सही है।

- ज़मीन के अंदर से निकली धातुओं पर जिन्हें ज़मीन नहीं कहा जाता है, तयम्मुम सही नहीं है जैसे सोना, चाँदी और उस जैसी चीजें। लेकिन उन पत्थरों पर जिन्हें खनिज पत्थर कहा जाता है जैसे मरमर का पत्थर, तयम्मुम सही है।
- सीमेंट और मौज़ेक पर तयम्मुम करने में कोई हरज नहीं है। अगरचे एहतियाते (मुस्तहब) यह है कि उस पर तयम्मुम न किया जाए।

3. तयम्मुम का तरीक़ा

1. नियत करना।
2. दोनों हथेलियों को उस चीज़ पर मारना जिस पर तयम्मुम करना सही है।
3. दोनों हथेलियों से पूरे माथे और उसके आसपास सर के बाल उगने की जगह से नाक के ऊपरी हिस्से और भवों तक मसह करना।
4. बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से पर और दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से पर फेरना।
5. एहतियाते वाजिब की बिना पर दूसरी बार हथेलियों को ज़मीन पर मारना और फिर बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से पर और दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से पर फेरना।

- तयम्मुम चाहे वुज़ू के बदले में हो या ग़ुस्ल के बदले में इसी तरतीब (क्रम) से किया जाएगा।
- अगर माथे या हाथ के कुछ हिस्से का मसह न करे तो तयम्मुम बातिल है चाहे जान बूझ कर या मसअला न जानने की वजह से या भूले से छोड़ा हो। हाँ इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है इतना ही काफ़ी है कि कहा जाए कि माथे और हथेलियों के ऊपरी हिस्से का मसह किया है।
- यह यक़ीन हो जाने के लिए कि पूरे हाथ के ऊपरी हिस्से का मसह किया है गट्टे के थोड़ा ऊपर से मसह करना चाहिए। लेकिन उंगलियों के बीच मसह करना ज़रूरी नहीं है।

4. जबीरा तयम्मुम

जिसकी शरई ज़िम्मेदारी तयम्मुम है अगर उस जगह जहां उसे मसह करना है या हाथ जिससे मसह करना है, पर ज़ख़्म की वजह से पट्टी हो तो बयान किए गए तरीक़े से ही तयम्मुम करेगा यानि पट्टी बंधी हुई जगह को अपने बदन का हिस्सा समझेगा।

सवाल

1. उन जगहों को बयान कीजिए जहां वुज़ू और ग़ुस्ल के बदले तयम्मुम किया जाता है?
2. जिसने नमाज़े फ़ज्र के लिए ग़ुस्ले जेनाबत नहीं किया और इसलिए कि अगर ग़ुस्ल करेगा तो बीमार हो जाएगा, तयम्मुम करले तो उसका क्या हुक्म है?
3. जो इंसान यह समझ कर ग़ुस्ल नहीं करता कि ग़ुस्ल करना उसके लिए सख़्त परेशानी का सबब है क्या ऐसा इंसान मुस्तहब्बी कामों (जैसे ग़ुस्ले जुमा, ग़ुस्ले ज़ियारत) के लिए ग़ुस्ल के बदले तयम्मुम कर सकता है?
4. क्या मुजनिब इंसान वक़्त तंग होने की सूरत में तयम्मुम करके नजिस बदन व लिबास के साथ नमाज़ पढ़ सकता है? या बदन व कपड़े को पाक करने और ग़ुस्ल करने के बाद नमाज़ की क़ज़ा वाजिब है?
5. जिप्सम, चूना पत्थर और पके हुए चूने व ईंटे पर तयम्मुम करने का क्या हुक्म है?
6. तयम्मुम कैसे किया जाता है, बयान कीजिए?

पाठ

26

तयम्मुम (2)

तयम्मुम की शर्तें – तयम्मुम के अहकाम

5. तयम्मुम की शर्तें

जिस चीज़ पर तयम्मुम किया जाता है उसकी शर्तें

1. पाक हो।
2. मुबाह हो (ग़स्बी न हो)

आज़ाए-तयम्मुम[1] की शर्तें

कोई रुकावट न हो।

तयम्मुम करने के तरीक़े की शर्तें

माथे का और हाथों का ऊपर से नीचे की तरफ़ मसह करे।

तरतीब से तयम्मुम करे। (तरतीब)

तयम्मुम के काम को बिना फ़ासले के एक के बाद एक अंजाम देना। (मुवालात)

मजबूरी न होने की सूरत में ख़ुद ही तयम्मुम करे।

---

1. बदन के जिन हिस्सों पर तयम्मुम किया जाता है।

1. जिस चीज़ पर तयम्मुम कर रहा है वह पाक हो।

जिस चीज़ पर तयम्मुम कर रहा है वह पाक हो।

2. जिस चीज़ पर तयम्मुम कर रहा है, मुबाह हो।

जिस चीज़ पर तयम्मुम कर रहा है उसे मुबाह (ग़स्बी न हो) होना चाहिए लेकिन अगर न जानता हो या भूल गया हो कि वह चीज़ ग़स्बी (नाजाएज़ हथियाई हुई) है तो उसका तयम्मुम सही है।

3. आज़ाए तयम्मुम पर कोई रुकावट न हो।

आज़ाए तयम्मुम यानि बदन के जिन हिस्सों पर तयम्मुम होता है उनमें किसी तरह की कोई रुकावट न हो, इसलिए अंगूठी या उस जैसी चीज़ को उतार देना चाहिए। अगर माथे या तयम्मुम के दूसरे हिस्सों पर रुकावट हो या किसी चीज़ से ढ़का हो तो पहले उसको हटाना ज़रूरी है।

- माथे या हाथ पर उगने वाले बाल, तयम्मुम के लिए रूकावट नहीं हैं लेकिन अगर सर के बाल माथे पर पड़े हों तो उनका पीछे करना ज़रूरी है।
- अगर ज़ख़्म या दूसरी वजह से आज़ाए तयम्मुम पर पट्टी हो और उसे हटाने में नुक़सान और परेशानी हो तो उसी बंधी हुई पट्टी से या बंधी हुई पट्टी पर मसह करे।

4. माथे और हाथों पर ऊपर से नीचे की तरफ़ मसह करना

माथे और हाथों पर ऊपर से नीचे की तरफ़ हाथ फेरना चाहिए

5. तरतीब

तयम्मुम को उसी तरतीब (क्रम) से अंजाम देना ज़रूरी है जैसा कि पहले बयान किया गया और अगर बताए गई तरतीब पर अमल न करे तो तयम्मुम बातिल है।

6. **मुवालात**

तयम्मुम के अफ़आल (काम) को एक के बाद एक अंजाम देना ज़रूरी है अगर उनके बीच इतना फ़ासला आ जाए कि यह न कहा जा सके कि तयम्मुम कर रहा है तो तयम्मुम बातिल है।

7. **तयम्मुम को ख़ुद अंजाम देना।**

तयम्मुम के सारे कामों को मजबूर न होने की सूरत में ख़ुद अंजाम दे और किसी से मदद न ले और अगर बीमारी या अपाहिज होने की वजह से ख़ुद तयम्मुम न कर सके तो दूसरे को नाएब (सहायक) बना ले तो नाएब पर वाजिब है कि ख़ुद उसके हाथ से उसे तयम्मुम कराए। और अगर यह भी मुमकिन न हो तो नाएब अपने हाथों को ज़मीन पर मारे और उसके माथे व हाथों का मसह करे।

तयम्मुम की शर्तों से रिलेटेड एक मसअला

आज़ाए तयम्मुम (चेहरा और हाथ का ऊपरी हिस्सा) का पाक होना ज़रूरी नहीं है अगरचे एहतियात इसी में है कि पाक हो।

तयम्मुम के अहकाम

1. अगर वह चीज़ें जिन पर तयम्मुम सही है, मौजूद न हों तो फ़र्श व कपड़े या उस जैसी चीज़ पर मौजूद धूल पर तयम्मुम करे। अगर उस पर भी धूल न हो लेकिन गीली मिट्टी हो तो उसी पर तयम्मुम करे। लेकिन इनमें से कुछ भी न हो जैसे हवाई जहाज़ में सफ़र करने पर, तो एहतियाते वाजिब यह है कि बिना तयम्मुम और वुज़ू के नमाज़ पढ़े। फिर बाद में वुज़ू या तयम्मुम के साथ उसकी क़ज़ा करे।
2. जिसकी शरई ज़िम्मेदारी तयम्मुम हो एहतियाते वाजिब की बिना पर वक़्त आने से पहले नमाज़ के लिए तयम्मुम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसने किसी दूसरे

वाजिब या मुस्तहब काम के लिए नमाज़ का वक़्त आने से पहले तयम्मुम किया हो और नमाज़ का वक़्त हो जाने के बाद भी उसका उज़्र (मजबूरी) बाक़ी हो तो उसी तयम्मुम से नमाज़ पढ़ सकता है।

3. जिसे पता हो कि उसका उज़्र (मजबूरी) आख़री वक़्त तक ख़त्म हो जाएगा तो वह तयम्मुम करके अव्वले वक़्त (शुरू वक़्त में) नमाज़ नहीं पढ़ सकता, बल्कि उसे इंतेज़ार करना चाहिए और उज़्र ख़त्म होने पर नमाज़ को वुज़ू या ग़ुस्ल से पढ़ना चाहिए।
4. जिसने ग़ुस्ल के बदले तयम्मुम किया है और उसके बाद हदसे असग़र हो जाए (जैसे पेशाब..) तो जब तक तयम्मुम की शरई मजबूरी ख़त्म न हो जाए एहतियाते वाजिब की बिना पर जिन कामों के लिए तहारत शर्त है दोबारा ग़ुस्ल के बदले तयम्मुम करे और वुज़ू भी करे और अगर वुज़ू भी न कर सकता हो तो वुज़ू के बदले भी एक तयम्मुम करे।
5. अगर पानी के न होने या किसी और वजह से तयम्मुम करे तो उज़्र ख़त्म हो जाने के बाद तयम्मुम बातिल हो जाएगा।
6. जो चीज़ें वुज़ू को बातिल कर देती है वही चीज़ें वुज़ू के बदले किए गए तयम्मुम को भी बातिल कर देती हैं। और जो चीज़ें ग़ुस्ल को बातिल कर देती हैं वही चीज़ें ग़ुस्ल के बदले किए गए तयम्मुम को भी बातिल कर देती हैं।
7. ग़ुस्ल के बाद जो काम किए जा सकते हैं, ग़ुस्ल के बदले किए गए तयम्मुम से भी वह सारे काम किए जा सकते हैं। मगर यह कि वक़्त की तंगी की वजह से ग़ुस्ल के बदले तयम्मुम किया गया हो। इसलिए ग़ुस्ले जेनाबत के बदले तयम्मुम करने के बाद मस्जिदों में जाना, नमाज़ पढ़ना,

क़ुरआन की लिखावट को छूना और तहारत वाले सारे कामों को अंजाम देने में कोई हरज नहीं है।

सवाल

1. तयम्मुम की क्या शर्तें हैं?
2. क्या तयम्मुम करते हुए हाथ से अगूंठी या उस जैसी चीज़ों का उतारना ज़रूरी है?
3. क्या हाथ या माथे पर जो बाल उगे होते हैं वह तयम्मुम के लिए रूकावट हैं?
4. क्या आज़ाए तयम्मुम (हाथ का ऊपरी हिस्सा और माथा) का पाक होना ज़रूरी है?
5. अगर इंसान वुज़ू न कर सके और तयम्मुम करना भी उसके लिए मुमकिन न हो तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है?
6. क्या ग़ुस्ल के बदले किए जाने वाले तयम्मुम के भी वही अहकाम हैं जो ग़ुस्ल के हैं? यानि क्या उस तयम्मुम से मस्जिद में जा सकते हैं?

तीसरा चैप्टर

नमाज़

नमाज़ सबसे अहेम इबादत है और अगर नमाज़ को सही तरीक़े और ध्यान से पढ़ा जाए तो यह इंसान की रूह को पाक और दिल को रौशन कर देती है और उसे बुराईयों से छुटकारा पाने की ताक़त देती है। यानि नमाज़ इंसान और समाज को धीरे धीरे बुराईयों और गंदगियों से पाक कर सकती है। बेहतर यह है कि इंसान नमाज़ को अव्वले वक़्त (जैसे ही नमाज़ का वक़्त शुरू हो) दिल की गहराई के साथ दिखावे से दूर रहते हुए पढ़े। नमाज़ी को हर शब्द पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अल्लाह से बातें कर रहा है और उसे पता हो कि वह क्या कह रहा है।

पाठ

27

नमाज़ों की क़िस्में

वाजिब और मुस्तहब्बी नमाज़ें – रोज़ाना की नाफ़िला नमाज़ें

1. वाजिब और मुस्तहब्बी नमाज़ें

वाजिब नमाज़ें

- यौमिया नमाज़ें। (रोज़ाना की नमाज़ें)
- नमाज़े तवाफ़ जो ख़ान ए काबा का तवाफ़ करने के बाद वाजिब होती है।
- नमाज़े आयात जो चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण और ज़लज़ले (भूकम्प) जैसी चीज़ों से वाजिब होती है।
- नमाज़े मय्यत जो मय्यत पर पढ़ी जाती है।
- माँ बाप की क़ज़ा नमाज़ें जो बड़े बेटे पर वाजिब होती हैं।
- वह नमाज़ जो नज़्र (मन्नत) अहेद, क़सम और ऐजारे (किराए) से वाजिब होती है।

मुस्तहब्बी नमाज़ेः जैसे रोज़ाना की नाफ़िला नमाज़ें मुस्तहब्बी नमाज़ें बहुत ज़्यादा हैं जिनको नाफ़िला कहा जाता है और सभी नाफ़िला नमाज़ों में रोज़ाना के नाफ़िले की बहुत ज़्यादा ताक़ीद की गई है।

2. नवाफ़िले यौमिया (रोज़ाना की नाफ़िला नमाज़ें)

1. रोज़ाना की पाँचों वाजिब नमाज़ों के साथ एक मुस्तहब्बी नमाज़ भी है जिसे उस नमाज़ का नाफ़िला कहा जाता है। इन नाफ़िला नमाज़ों को पढ़ना बहुत अहेम है और उनके लिए बहुत ज़्यादा सवाब बयान किया गया है। और इन नाफ़िला नमाजों के अलावा रात के आख़री हिस्से में नमाज़े शब (रात की नाफ़िला) पढ़ना मुस्तहब है। जिसके बहुत ज़्यादा मअनवी (आध्यात्मिक) असर और फ़ायदे हैं। और मुनासिब है कि नमाज़े शब को पाबंदी के साथ पढ़ा जाए।

2. रोज़ाना की नाफ़िला नमाज़ें

1. ज़ोहर की नमाज़ की नाफ़ेलाः आठ रकअत है नमाज़े ज़ोहर से पहले।
2. अस्र की नमाज़ की नाफ़ेलाः आठ रकअत है नमाज़े अस्र से पहले।
3. मग़रिब की नमाज़ की नाफ़ेलाः चार रकअत है नमाज़े मग़रिब के बाद।
4. इशा की नमाज़ की नाफ़ेलाः दो रकअत है जिसे इशा की नमाज़ के बाद बैठ कर पढ़ा जाता है।
5. सुबह की नमाज़ की नाफ़ेलाः दो रकअत है जिसे नमाज़े सुबह से पहले पढ़ा जाता है।

6. रात की नाफ़िला (नमाज़े शब) ग्यारह रकअत है जिसे आधी रात से नमाज़े सुबह तक पढ़ा जा सकता है और बेहतर यह है कि रात के आख़री तिहाई हिस्से में पढ़ी जाए।

- चूँकि इशा की दो रकअत नाफ़िला को एक रकअत माना जाता है इस लिए रोज़ाना की नाफ़िला कुल मिला कर चौंतीस रकअत है (वाजिब नमाज़ों के दोगुनी है)।

3. ज़ोहर और अस्र की नाफ़िला को अगर नमाज़े ज़ोहर और नमाज़े अस्र के बाद और नाफ़िला के वक़्त में पढ़े तो एहतियाते वाजिब है कि क़ुरबतन एलल्लाह की नियत से पढ़े और अदा और क़ज़ा की नियत न करे।
4. नमाज़े शब ग्यारह रकअत है, आठ रकअत दो दो रकअत की सूरत में पढ़ी जाती है जिसे नमाज़े शब कहते हैं। दो रकअत का नाम "नमाज़े शफ़्अ" है जिसे नमाज़े सुबह की तरह पढ़ा जाता है और एक रकअत नमाज़े वित्र के नाम से पढ़ी जाती है जिसके क़ुनूत में किताबों में मौजूद तरतीब के साथ इस्तिग़फ़ार, मोमिनीन के लिए दुआ और अल्लाह तआला से मुरादें मांगना मुस्तहब है।
5. नमाज़े शब में दूसरा सूरा, इस्तिग़फ़ार और दुआ नमाज़ का हिस्सा होने के हिसाब से शर्त और ज़रूरी नहीं है बल्कि हर रकअत में नियत, तकबीरतुल एहराम (अल्लाहो अकबर कहना) हम्द का सूरा पढ़ने के बाद अगर चाहे तो कोई और सूरा भी पढ़ ले और उसके बाद रुकूअ व सजदे के बाद तशह्हुद व सलाम पढ़ लेना काफ़ी है।

6. नमाज़े शब को अंधेरे में या छिप कर पढ़ना शर्त नहीं है लेकिन दिखावे के लिए पढ़ना भी जाएज़ नहीं है।

- नाफ़िला को दो दो रकअत करके पढ़ना चाहिए मगर नमाज़े वित्र जो एक रकअत है इसलिए नमाज़े शब को दो चार रकअती एक दो रकअती और एक रकअत नमाज़े वित्र की शक्ल में पढ़ना सही नहीं है।
- नाफ़िला को बैठ कर पढ़ा जा सकता है लेकिन खड़े होकर पढ़ना बेहतर है।
- सफ़र में ज़ोहर, अस्र और इशा की नाफ़िला ख़त्म हो जाती है इसलिए उनको नहीं पढ़ना चाहिए।
- रोज़ाना की नाफ़िला में से हर एक का वक़्त तय है जिसे फ़िक़्ह की दूसरी किताबों में बयान किया गया है।

सवाल

1. वाजिब नमाज़े कौन कौन सी हैं?
2. रोज़ाना की नाफ़िला नमाज़े कितनी रकअत हैं, बयान कीजिए?
3. ज़ोहर और अस्र की नाफ़िला को अगर नमाज़े ज़ोहर व नमाज़े अस्र के बाद और नाफ़िला के वक़्त में पढ़ा जाए तो किस नियत से पढ़ना चाहिए?
4. नमाज़े शब पढ़ने का तरीक़ा क्या है?
5. क्या नमाज़े शब पढ़ते वक़्त वाजिब है कि कोई न देखे? और क्या वाजिब है कि नमाज़े शब को अंधेरे में पढ़ा जाए?
6. सफ़र की हालत में कौन सी नाफ़िला नमाज़ें साक़ित (ख़त्म) हो जाती हैं?

पाठ

28

नमाज़ी का लिबास (1)

नमाज़ में बदन का कितना हिस्सा छिपाना वाजिब है – नमाज़ी के लिबास की शर्तें

1. वह हिस्सा जिसका नमाज़ में छिपाना वाजिब है।

1. मर्द को नमाज़ की हालत में अपनी शर्मगाह (गुप्तांग) का छिपाना वाजिब है, चाहे उसे कोई न देख रहा हो। बेहतर यह है कि नाभि से घुटनों तक के हिस्से को छिपाए।
2. औरत के लिए नमाज़ की हालत में वाजिब है कि अपने पूरे बदन और बालों को ऐसे लिबास से ढ़के जो उसके पूरे बदन को ढाँप ले। लेकिन चेहरे को उतना हिस्सा जितना वुज़ू में धोना वाजिब है, इसी तरह गट्टों तक हाथों और टख़नों तक पैरों का छिपाना वाजिब नहीं है।
   - चूंकि ठुड्डी चेहरे का हिस्सा है इसलिए नमाज़ की हालत में औरत पर उसको छिपाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठुड्डी के निचले हिस्से को छिपाना वाजिब है।
   - अगर नामहरम (अजनबी) मौजूद हो तो टख़ने तक पैरों का छिपाना वाजिब है।

- अगर नमाज़ के बीच औरत महसूस करे कि उसके बाल खुले हुए हैं तो फ़ौरन उन बालों को छिपाना ज़रूरी है और उसकी नमाज़ सही है लेकिन अगर जानबूझ कर बालों को खोला हो तो नमाज़ बातिल है।
- अगर नमाज़ी को नमाज़ ख़त्म होने के बाद पता चले कि जिन हिस्सों को छिपाना वाजिब है, वह छिपे नहीं थे तो उसकी नमाज़ सही है।

2. नमाज़ी के लिबास की शर्तें

1. पाक हो।
2. ग़स्बी न हो (छीना या हथियाया हुआ न हो।)
3. मुरदार से न बना हो।
4. हराम गोश्त जानवर से न बना हो।
5. सोने का न हो।
6. प्योर रेशमी न हो।
    - पाँचवीं और छटी शर्त केवल मर्दों के लिए है।

1. लिबास पाक होः

1. नमाज़ी के लिबास का पाक होना ज़रूरी है।
2. जिसे इल्म न हो कि नजिस बदन व लिबास में नमाज़ बातिल है अगर नजिस बदन या लिबास में नमाज़ पढ़ ले तो उसकी नमाज़ बातिल है।
3. अगर न जानता हो कि बदन या लिबास नजिस है और नमाज़ के बाद पता चले कि नजिस था तो उसकी नमाज़ सही है। लेकिन अगर पहले से जानता रहा हो कि नजिस है और भूले से उसमें नमाज़ पढ़ ली तो उसकी नमाज़ बातिल है।

4. नमाज़ के बीच में बदन या लिबास के नजिस होने का पता चले तो अगर मालूम हो जाए कि नेजासत नमाज़ से पहले से थी या नमाज़ का कुछ हिस्सा नेजासत के साथ अदा हुआ हो और वक़्त भी हो तो नमाज़ बातिल है लेकिन अगर वक़्त तंग हो तो अगर उसके लिए ऐसा काम किए बिना जो नमाज़ में नहीं करना चाहिए उस नेजासत को दूर करना या लिबास उतारना मुमकिन हो तो वाजिब है कि नेजासत को दूर करे या लिबास को उतार दे और नमाज़ को पूरा करे। लेकिन अगर नमाज़ की शक्ल बचा कर नेजासत को ख़त्म करना मुमकिन न हो और बिना कपड़े के भी नमाज़ न पढ़ सकता हो तो उसी हालत में नमाज़ पूरी करे।
5. अगर नजिस लिबास को धुले और यक़ीन हो जाए कि पाक हो गया है और उसमें नमाज़ पढ़ ले लेकिन नमाज़ के बाद पता चले कि लिबास पाक नहीं हुआ था तो उसकी नमाज़ सही है लेकिन बाद की नमाज़ों के लिए लिबास का पाक करना वाजिब है।
6. वह लिबास जिसके नजिस होने में शक हो उस पर तहारत का हुक्म लागू होगा और उसमें नमाज़ पढ़ना सही है। इसलिए ऐसे ख़ुश्बूदार लिबास में नमाज़ पढ़ना जिन पर लगे हुए इत्र में अल्कोहल मिला हो और इत्र के नजिस होने का इल्म न हो तो नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है। इसी तरह वह इंसान जो पेशाब की जगह को कंकरी लकड़ी या किसी और चीज़ से पाक करने पर मजबूर हो और घर वापसी पर उसको पानी से पाक करे अगर न जानता हो कि लिबास पेशाब की नमी से नजिस हो गया है तो उसको पाक करना या बदलना वाजिब नहीं है।

2. ग़स्बी न हो (छीना या हथियाया हुआ)

1. नमाज़ी के लिबास का मुबाह होना ज़रूरी है। (ग़स्बी न हो)।
2. अगर लिबास के ग़स्बी होने का इल्म न हो या भूल जाए और उसमें नमाज़ पढ़ ले तो उसकी नमाज़ सही है। यही हुक्म उस सूरत में भी है जब वह न जानता हो कि ग़स्बी लिबास में नमाज़ पढ़ना हराम है।

3. लिबास मुरदार के किसी हिस्से का न बना हो

1. नमाज़ी का लिबास ख़ूने जहिन्दा (उछल कर निकलने वाला ख़ून) रखने वाले मुरदार से न बना हो और एहतियाते वाजिब है कि ख़ून जहिन्दा न रखने वाले मुरदार से भी न बना हो।
2. अगर नमाज़ी के साथ मुरदार का कोई टुकड़ा हो तो उसकी नमाज़ एहतियाते वाजिब की बिना पर बातिल है। लेकिन अगर वह ऐसा हिस्सा हो जिसमें रूह नहीं होती जैसे बाल, रोएं, ऊन, सींग हड्डी और जानवर भी हलालगोश्त हो तो नमाज़ बातिल नहीं है।
3. ऐसा जानवर जिसके तज़किये (ज़िब्ह) में शक हो उसका गोश्त नहीं ख़ाया जा सकता और उसकी खाल में नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती है चूंकि वह मुरदार के हुक्म में है। लेकिन नेजासत व तहारत के हिसाब से मुरदार के हुक्म में नहीं है बल्कि पाक है। और वह नमाज़ें जो उसने उस लिबास में हुक्म न जानने की सूरत में पढ़ी हैं वह सही हैं इस लिए वह चमड़ा जिसके बारे में पता न हो कि शरअन तज़किया किए गए जानवर का है या नहीं तो वह नजिस नहीं है लेकिन उसमें नमाज़ बातिल है।

4. हराम गोश्त जानवर से न बना हो।

1. नमाज़ी का लिबास हरामगोश्त जानवर का न हो इसलिए अगर उसके लिबास या बदन पर एक बाल भी चिपका हो तो नमाज़ बातिल है।
2. अगर नमाज़ी के बदन और लिबास पर हराम गोश्त जानवर जैसे बिल्ली का थूक, नाक का पानी, या कोई दूसरी नमी हो तो उसकी नमाज़ बातिल होगी मगर यह कि वह चीज़ें सूख गई हों और अस्ले नेजासत ख़त्म हो गई हो इसलिए अगर नमाज़ी के लिबास या बदन पर हराम गोश्त चिड़ियों की बीट हो तो उसमें नमाज़ बातिल है लेकिन अगर सूख कर नमाज़ी के बदन या लिबास से मिट जाए तो नमाज़ सही है।
3. इंसान का थूक, पसीना और उसके बाल या शहेद का मोम, मोती, सीप अगर नमाज़ी के लिबास या बदन पर हों तो उसकी नमाज़ सही है।
4. अगर शक हो कि लिबास हलाल गोश्त जानवर से बना है या हराम गोश्त जानवर से तो उसमें नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है।

सवाल

1. नमाज़ में औरतों के लिए बदन का कितना हिस्सा छिपाना वाजिब है? क्या आधी आस्तीन के लिबास और मोज़े न पहनने में कोई हरज है?
2. अगर नमाज़ के बीच में किसी औरत को पता चल जाए कि उसके कुछ बाल खुले हैं और वह फ़ौरन उन्हें छिपा ले तो क्या उसे दोबारा नमाज़ पढ़नी होगी?
3. नमाज़ी के लिबास की शर्ते बयान कीजिए?
4. अगर नमाज़ के दौरान नमाज़ी को बदन या लिबास के नजिस होने का इल्म हो तो उसकी नमाज़ का क्या हुक्म है?
5. अगर नमाज़ी के लिबास पर बिल्ली का बाल या थूक लग जाए तो क्या उसकी नमाज़ बातिल हो जाएगी?

पाठ

29

नमाज़ी का लिबास (2)

नमाज़ी के लिबास की शर्तें

वह जगहें जिनमें नमाज़ी के बदन या लिबास का पाक होना ज़रूरी नहीं है

5. **लिबास सोने का न हो।**

1. मर्दों को सोने के तारों से बुना हुआ कपड़ा पहनना हराम है और उसमें नमाज़ बातिल है। लेकिन औरतों के लिए हर सूरत में सोने का इस्तेमाल जाएज़ है।
2. मर्द के लिए सोने की चेन, अंगूठी और सोने की घड़ी पहनना हराम है और एहतियाते (वाजिब) की बिना पर इन चीज़ों के साथ नमाज़ बातिल है।
   - मर्दों के लिए सोने का बुना हुआ लिबास पहनने या गर्दन में सोने की ज़ंजीर डालने के हराम होने का मापदंड सजना सवंरना नहीं है, बल्कि उनके लिए सोना पहनना हर हालत में हराम है चाहे अंगूठी हो या नेकलस हो, ज़न्जीर हो या इस जैसी कोई चीज़ जो लोगों की निगाह

में मंगनी की निशानी हो न कि बनने सवंरने के लिए हो और चाहे वह दूसरों की निगाहों से ओझल ही क्यों न हो। हाँ डेंटिस्ट्री व आर्थोपेडिक सर्जरी में सोने के इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है।

- मर्दों पर सोना पहनना हराम है चाहे ज़्यादा वक़्त के लिए हो या थोड़ी देर के लिए जैसे निकाह के वक़्त थोड़ी देर के लिए अंगूठी पहनना।
- अगर जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है वही गोल्डेन सोना हो जो किसी मटेरियल से मिलकर सफ़ेद हो गया हो तो वह भी सोने के हुक्म में है। लेकिन अगर उसमें सोने की मात्रा इतनी कम हो कि उर्फ़ में उसे सोना न कहा जाए तो उसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है।
- प्लाटीनियम सोना नहीं है उस पर सोने का हुक्म लागू नहीं होगा इसलिए उसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है।

6. प्योर रेशमी न हो।

मर्द नमाज़ी का लिबास यहां तक कि टोपी, मोज़े और कपड़े के अस्तर जैसी चीज़ें भी प्योर रेशम की न हों और नमाज़ के अलावा भी मर्द पर उसका पहनना हराम है लेकिन अगर रेशमी रुमाल या उस जैसी चीज़ मर्द की जेब में हो तो कोई हरज नहीं है और नमाज़ बातिल नहीं होगी।

वह जगहें जहां नमाज़ी के बदन या लिबास का पाक होना ज़रूरी नहीं है

1. ज़ख्म, आप्रेशन या फोड़े फुंसी के ख़ून से बदन या लिबास खूनी हुआ हो।
2. बदन या लिबास में लगा हुआ ख़ून दिरहमे बग़ली (दाहिने हाथ की बड़ी उंगली का ऊपरी पोर जिसे अन्गुश्ते शहादत भी कहते हैं) से कम हो।

3. नमाज़ी का वह छोटा लिबास जिसे पहन कर नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती है जैसे मोज़ा जिससे शर्मगाह को नहीं छिपाया जा सकता, नजिस हो।
4. जो नजिस बदन और लिबास के साथ नमाज़ पढ़ने पर मजबूर हो।

1. ज़ख्म, आप्रेशन या फोड़े फुंसी के ख़ून से बदन या लिबास खूनी हुआ हो।

1. अगर नमाज़ी के बदन या लिबास पर ज़ख़्म, फोड़े या आप्रेशन का ख़ून हो और उसको पाक करना या लिबास बदलना आम तौर पर उस इंसान के लिए सख़्त हो तो ठीक होने तक उसमें नमाज़ पढ़ना सकता है। यही हुक्म उस पीप का है जो ख़ून के साथ बाहर आती है और इसी तरह वह दवा जो ज़ख़्म पर लगाने से नजिस हो जाती है।
2. ऐसे ज़ख़्म जो जल्दी ठीक हो जाते हैं और आसानी से उनको धोया भी जा सकता है वह इस हुक्म में शामिल नहीं हैं (यानि उस ख़ून से अगर नमाज़ी का बदन या लिबास नजिस हो गया हो तो उसमें नमाज़ बातिल है।)

2. बदन या लिबास में लगा हुआ ख़ून दिरहमे बग़ल्ली (दाहिने हाथ की बड़ी उंगली का ऊपरी पोर) से कम हो।

1. अगर नमाज़ी के बदन या लिबास में (फोड़े या ज़ख्म के ख़ून के अलावा) कोई और ख़ून लगा हो तो अगर उसकी मात्रा अन्गुश्ते शहादत से कम है तो उसमें नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो तो उसमें नमाज़ सही नहीं है।
2. दिरहमे बग़ल्ली से कम ख़ून की शर्तें

1. ख़ूने हैज़ न हो, कि अगर थोड़ा सा भी ख़ूने हैज़ नमाज़ी के बदन या लिबास पर हो तो नमाज़ बातिल है और एहतियाते वाजिब की बिना पर नेफ़ास व इस्तेहाज़ा के ख़ून का भी यही हुक्म है।
2. ख़ून नजिसुलऐन जानवर (कुत्ता, सुअर और काफ़िर) और हराम गोश्त जानवर या मुरदार का न हो।
3. ख़ून में अलग से कोई तरी न मिली हो मगर यह कि मिलकर बिल्कुल ख़त्म हो जाए और दोनों मिल कर भी अन्गुश्ते शहादत से ज़्यादा न हो तो नमाज़ सही है। लेकिन इसके अलावा किसी और सूरत में एहतियात वाजिब की बिना पर नमाज़ सही नहीं है।
4. अगर लिबास या बदन डायरेक्ट ख़ून से नजिस न हो बल्कि ख़ून किसी चीज़ पर लगे और उस चीज़ से बदन या लिबास नजिस हो जाए तो उसमें नमाज़ सही नहीं है।

3. नमाज़ी का वह छोटा लिबास जिसे पहन कर नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती है जैसे मोज़ा जिससे शर्मगाह (गुप्तांग) को नहीं छिपाया जा सकता, नजिस हो।

1. नमाज़ी के इतने छोटे कपड़े जिससे वह शर्मगाह को नहीं छिपा सकता जैसे मोज़ा, टोपी या इसी तरह अंगूठी और बेल्ट व.... अगर किसी नजिस चीज़ से मिल कर नजिस हो जायें तो उनमें नमाज़ पढ़ी जा सकती है।
2. रूमाल, चाभी, पर्स और चाक़ू जो नमाज़ी के साथ है अगर नजिस हो इस सूरत में कि उससे शर्मगाह को

छिपाना मुमकिन न हो तो उसमें नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है।

4. **जो नजिस बदन और लिबास के साथ नमाज़ पढ़ने पर मजबूर हो।**

अगर कोई ठंडक या पानी न मिलने की वजह से मजबूर हो जाए कि नजिस बदन या लिबास के साथ नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ सही है।

सवाल

1. क्या सजने संवरने की नियत के बिना मर्द के लिए इस तरह सोना इस्तेमाल करना कि दूसरे देख सकें, जाएज़ है?
2. मर्द के लिए सफ़ेद सोने की अंगूठी पहनने का क्या हुक्म है?
3. किन जगहों पर नमाज़ी के बदन या लिबास का पाक होना ज़रूरी नहीं है?
4. एक दिरहम से कम ख़ून की शर्तें बयान कीजिए?
5. अगर नमाज़ी के साथ या उसकी जेब में ख़ून से नजिस होने वाला रूमाल हो तो क्या उसकी नमाज़ बातिल है?
6. अगर नमाज़ के अव्वले वक़्त से आख़री वक़्त तक किसी के मुंह या नाक से ख़ून निकलता रहे तो उसकी नमाज़ का क्या हुक्म है?

पाठ

30

नमाज़ पढ़ने की जगह (1)

नमाज़ पढ़ने की जगह की शर्तें(1)

1. **नमाज़ पढ़ने की जगह की शर्तें**
    1. मुबाह हो। (ग़स्बी न हो)
    2. जगह ठहरी हुई हो। (उसमें हरकत न हो)
    3. ऐसी जगह न हो कि जहाँ ठहरना हराम है।
    4. पैग़म्बर स. और इमामों अ. की क़ब्रों के आगे न खड़ा हो।
    5. नमाज़ी के सजदा करने की जगह पाक हो।
    6. नमाज़ी के बदन या लिबास को नजिस न कर दे।
    7. एहतियाते वाजिब की बिना पर मर्द और औरत के बीच कम से कम एक बित्ते का फ़ासला हो।
    8. जगह ऊंची नींची न हो। (समतल हो)

1. मुबाह हो

1. नमाज़ की जगह ग़स्बी न हो, ग़स्बी जगह पर नमाज़ बातिल है चाहे ऐसे फ़र्श और तख़्त पर ही क्यों न पढ़ी जाए जो ग़स्बी न हो।
2. अगर किसी जगह के बारे में मालूम न हो कि वह ग़स्बी है या भूल से उस जगह नमाज़ पढ़ ले तो उसकी नमाज़ सही है और इसी तरह अगर यह न जानता हो कि ग़स्बी जगह में कोई काम करना हराम है तब भी उसकी नमाज़ सही है।
3. अगर कोई इंसान किसी के साथ साझा प्रॉपर्टी में पार्टनर हो, इस सूरत में कि उन दोनों के हिस्से अलग अलग न हो तो पार्टनर की मर्ज़ी के बिना साझे वाली जगह में नमाज़ नहीं पढ़ सकता।
   - जो ज़मीन पहले वक़्फ़ की थी और हुकूमत ने उसे अपने अधिकार में लेते हुए उस पर स्कूल बना दिया तो अगर इस बात की काफ़ी सम्भावना पाई जाती हो कि हुकूमत का उस ज़मीन को अपने अधिकार में लेना किसी शरई परमिट की बिना पर ही हुआ है तो उस जगह नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है। इसी तरह ज़मीनों पर उनके मालिकों की मर्ज़ी के बिना स्कूल बनाए गए हों तो अगर उनके बारे में यह सम्भावना पाई जाती हो कि अफ़सरों ने क़ानूनी व शरई परमिट की बिना पर ही उस जगह स्कूल बनाया होगा तो उस जगह नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है।
   - वह इंसान जो किसी ऐसी सरकारी मकान में रहता है कि जिसका रेजीडेंसी पीरियड ख़त्म हो चुका है और उसे मकान ख़ाली करने का नोटिस

भी दे दिया गया है अगर अधिकारियों की तरफ़ से वक़्त ख़त्म होने के बाद घर के इस्तेमाल की इजाज़त न हो तो उस घर में किसी भी तरह का काम करना (नमाज़ पढ़ना भी) ग़स्ब के हुक्म में है।

- जो जगह पहले क़ब्रिस्तान थी और अब वहाँ सरकारी आफ़िस बन गया है उस जगह नमाज़ पढ़ने या दूसरे काम अंजाम देना जाएज़ हैं मगर यह कि शरई रास्तों से यह साबित हो जाए कि जिस ज़मीन पर यह बिल्डिंग बनी है वह मुर्दों के दफ़्न के लिए वक़्फ़ थी और ग़ैर शरई तरीक़े से हथिया कर उस पर बिल्डिंग बनाई गई है।
- मौजूदा पार्कों में नमाज़ पढ़ने और उस जैसे दूसरे काम करने में कोई हरज नहीं है और केवल इस शक पर कि वह जगह ग़स्बी है और पार्कों के मालिकों का पता नहीं है, ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- जिस जगह को ज़ालिम हुकूमतें अपने क़ब्ज़े में ले लेती हैं अगर उस जगह के ग़स्बी होने का इल्म हो जाए तो उस जगह पर ग़स्ब के अहकाम लागू होंगे (इसलिए ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ना जाएज़ नहीं है)।

सवाल

1. नमाज़ की जगह के शर्तें बयान कीजिए?
2. जो इंसान ग़स्बी जगह पर जानमाज़ बिछा कर या तख़्त रख कर नमाज़ पढ़े उसकी नमाज़ सही है या बातिल?
3. जो इंसान सरकारी बिल्डिंग में रह रहा है और उसका रेजीडेंसी पीरियड ख़त्म हो चुका है और मकान ख़ाली करने का नोटिस भी मिल चुका है तो वक़्त ख़त्म हो जाने के बाद उस बिल्डिंग में उसकी नमाज़ों का क्या हुक्म है?
4. क्या उस जगह पर बैठना, नमाज़ पढ़ना या वहां से गुज़रना जाएज़ है जिसे ज़ालिम हुकूमत ने ग़स्ब कर लिया है?

पाठ

31

नमाज़ पढ़ने की जगह (2)

नमाज़ पढ़ने की जगह की शर्तें

1. जगह ठहरी हो (हिल डुल न रही हो)

जिस जगह नमाज़ पढ़ रहा हो उसे हरकत में नहीं होना चाहिए यानि ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ नमाज़ी बिना हिले डुले, बदन के ठहराव के साथ नमाज़ पढ़ सके इसलिए ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ना सही नहीं है कि जो हिलती रहती है जैसे गाड़ी, ट्रेन या ऐसे तख़्त कि जिनमें स्प्रिंग लगी हो हां अगर वक़्त कम हो या कोई और मजबूरी हो तो ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है।

- जो लोग बसों से सफ़र करते हैं अगर नमाज़ क़ज़ा होने का ख़तरा हो तो उन पर वाजिब है कि ड्राइवर से किसी मुनासिब जगह बस रोकने के लिए कहें और ड्राइवर के लिए उनकी बात मानना वाजिब है। लेकिन अगर ड्राइवर बिना किसी वजह के बस रोकने से मना कर दे और नमाज़ क़ज़ा होने का ख़तरा हो तो मुसाफ़िरों की ज़िम्मेदारी है कि चलती हुई बस

में ही नमाज़ पढ़ें और जहां तक मुमकिन हो क़िब्ले की दिशा, क़याम और रुकूअ व सज्दे का ख़्याल रखें।

- जिन लोगों को छोटी कश्तियों पर ड्यूटी के लिए भेजा जाता है अगर ड्यूटी के दौरान नमाज़ का वक़्त आ जाए और मालूम हो कि अगर अभी नमाज़ न पढ़ी गई तो फिर वक़्त के अंदर नमाज़ न पढ़ सकेंगे तो वाजिब है कि जिस तरह भी मुमकिन हो वक़्त के अंदर नमाज़ पढ़ें चाहे उसी कश्ती में पढ़ें।

2. ऐसी जगह न हो कि जहाँ ठहरना हराम है।

नमाज़ी को ऐसी जगह पर नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए कि जहाँ ठहरना हराम है जैसे ऐसी जगह कि जहाँ जान का ख़तरा हो या ऐसी जगह भी नहीं होना चाहिए कि जहाँ खड़ा होना या बैठना हराम है जैसे ऐसा फ़र्श कि जिस पर हर जगह अल्लाह के नाम या क़ुरआन की आयतें लिखी हों।

3. पैग़म्बरे स. या इमामो अ. की क़ब्रों से आगे न खड़ा हो

नमाज़ पढ़ते वक़्त नमाज़ी को पैग़म्बर स. या इमामों अ. की क़ब्रों से आगे नहीं खड़ा होना चाहिए लेकिन क़ब्र के बराबर खड़े होकर नमाज़ पढ़े में कोई हरज नहीं है।

4. सजदे की जगह पाक होना चाहिए

नमाज़ में सजदे की जगह पाक होना चाहिए। हां माथा रखने की जगह के अलावा दूसरी जगहों का पाक होना ज़रूरी नहीं है और नमाज़ सही है।

5. ऐसी जगह न हो जिससे नमाज़ी का बदन या लिबास नजिस हो जाए।

अगर नमाज़ पढ़ने की जगह नजिस है तो इतनी गीली न हो कि तरी की वजह से नेजासत नमाज़ी के बदन या लिबास तक पहुँच जाए इसलिए अगर जगह नजिस हो लेकिन नेजासत बदन या लिबास तक

न पहुंचे और माथा रखने की जगह पाक हो तो उस जगह नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है।

6. नमाज़ की हालत में औरत व मर्द के बीच एहतियाते वाजिब की बिना पर कम से कम एक बित्ते का फ़ासला हो।

एहतियात वाजिब की बिना पर नमाज़ के दौरान मर्द और औरत के बीच कम से कम एक बित्ते की दूरी होना ज़रूरी है। अगर एक बित्ते की दूरी है तो चाहे मर्द व औरत बराबर बराबर खड़े हों या औरत मर्द से आगे हो दोनों की नमाज़ सही है।

7. जगह ऊंची या नींची न हो। (समतल हो)।

नमाज़ी के माथा रखने की जगह, घुटने और पाँव के अंगूठे रखने की जगह से चार मिली हुई उंगलियों से ज़्यादा ऊंची या नीची नहीं होना चाहिए।

- ख़ान-ए-काबा के अंदर वाजिब नमाज़ पढ़ना मकरूह है लेकिन एहतियाते वाजिब यह है कि काबे की छत पर नमाज़ न पढ़े।
- ऐसी जानमाज़ पर नमाज़ पढ़ना जिस पर तस्वीरें बनी हों या ऐसी सजदेगाह पर सजदा करने में जिस पर तरह तरह के नक़्श बने हों अपने आप में कोई हरज नहीं है लेकिन अगर उससे लोगों का बहाना मिलता हो कि जो शियों पर आरोप व तोहमत लगाते हैं तो ऐसी चीज़ें बनाना और उन पर नमाज़ पढ़ना जाएज़ नहीं है और इसी तरह ऐसे फ़िगर्स पर जिनसे नमाज़ी का ध्यान भटकता हो या ख़ुज़ूअ व ख़ुशूअ पर असर पड़ता हो तो नमाज़ मकरूह है।

सवाल

1. उस जगह नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है कि जहाँ बदन न चाहते हुए भी हिलता रहता हो जैसे गाड़ी व ट्रेन में?
2. अगर नमाज़ पढ़ने की जगह नजिस हो लेकिन माथा रखने की जगह पाक हो तो क्या ऐसी जगह नमाज़ सही है?
3. क्या जिस फ़र्श पर हर जगह अल्लाह तआला के नाम या क़ुरआन की आयते लिखी हों नमाज़ पढ़ी जा सकती है?
4. क्या नमाज़ में मर्दों का औरतों से आगे खड़ा होना ज़रूरी है?
5. क्या ख़ान-ए-काबा के अंदर वाजिब नमाज़ पढ़ी जा सकती है?
6. जिस फ़र्श पर फ़िगर्स बने हों या जिस सजदेगाह पर नक़्श बने हों उन पर नमाज़ का क्या हुक्म है?

पाठ

32

मस्जिद के अहकाम (1)

मस्जिद के मुहर्रमात

(मस्जिदों के लिए जो काम हराम हैं)

1. मस्जिद को नजिस करना।
2. सोने से मस्जिद को सजाना अगर इसराफ़ माना जाए।
3. ऐसे काम करना जो मस्जिद की शान और मर्यादा के ख़िलाफ़ हों।
4. काफिरों का मस्जिद में जाना।
5. मस्जिद को गिराना।
6. वक़्फ़ की शर्तों के ख़िलाफ़ अमल करना

1. मस्जिद को नजिस करना

मस्जिद की ज़मीन, दीवार और छत को नजिस करना हराम है और अगर नजिस हो जाए तो फ़ौरन पाक करना वाजिब है।

- जो मस्जिद ग़स्ब किए जाने के बाद गिरा दी गई हो और उसकी जगह दूसरी बिल्डिंग बना दी गई या खाली पड़ी रहने की वजह से उसके मस्जिद रहने की निशानियां मिट हो चुकी हों और अब फिर से बनाए जाने की उम्मीद भी न हो जैसे पूरी आबादी वहाँ से किसी और जगह चली गई हो तो उसको नजिस करना हराम नहीं है हालांकि एहतियाते (मुस्तहब) यही है कि नजिस न किया जाए।

2. सोने से सजाना संवारना

सोने से मस्जिद को सजाने संवारने को अगर इसराफ़ में गिना जाता हो तो हराम है वरना मकरूह है।

3. मस्जिद की शान व हैसियत के ख़िलाफ़ काम अंजाम देना।

मस्जिद की शान, हैसियत और मर्यादा का ख़्याल रखना वाजिब है और जो काम मस्जिद की शान के ख़िलाफ़ हों उनसे बचना ज़रूरी है। इसलिए

1. मस्जिद खेल कूद और एक्सर्साइज़ की जगह नहीं है।
2. ऐसी म्युज़िक लगाना जो मस्जिद की शान के ख़िलाफ़ हो हराम है चाहे वह म्युज़िक मुतरिब (मस्त करने वाली) न हो।

4. काफ़िरों का मस्जिद के अंदर जाना।

मुसलमानों की मस्जिदों में काफ़िरों का जाना जाएज़ नहीं है चाहे इतिहासिक चीज़ों को देखने के लिए ही क्यों न हो, मस्जिदुल हराम हो या दूसरी मस्जिदें, उनके मस्जिद में जाने को, मस्जिद का अपमान माना जाता हो या न माना जाता हो।

5. मस्जिद को ढ़हाना।

पूरी मस्जिद या मस्जिद के कुछ हिस्से को गिराना हराम है मगर यह कि कोई ऐसा हित या ज़रूरत हो कि जिसकी अनदेखी न की जा सकती हो।

- अगर मस्जिद को गिरा भी दिया जाए तब भी वह जगह मस्जिद के हुक्म में रहेगी इसलिए गिरने के बावजूद उस पर मस्जिद के अहकाम लागू होंगे। मगर यह कि जो मस्जिद गिर गई हो और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया हो और उसकी जगह दूसरी बिल्डिंग बना दी गई हो या ख़ाली पड़ी रहने की वजह से मस्जिद होने की निशानियां उससे मिट गई हों और अब उसके दोबारा बनने की उम्मीद भी न हो। इसलिए जो ज़मीन कभी मस्जिद का हिस्सा थी और नगर निगम के पॉलीसी के नतीजे में सड़क में आ गई और मजबूरी के वजह से मस्जिद के कुछ हिस्से को तोड़ कर सड़क में शामिल कर लिया गया हो तो अगर उसके पहली वाली हालत (मस्जिद बनने) में पलटने की सम्भावना बहुत कम हो तो उस हिस्से पर मस्जिद के शरई अहकाम लागू नहीं होंगे।

6. वक़्फ़ की शर्तों के ख़िलाफ़ अमल करना

मस्जिद की वक़्फ़ की शर्तों के ख़िलाफ़ अमल करना जाएज़ नहीं है और न ही उसको बदलना जाएज़ है। इसलिए

1. मस्जिद के दालानों में जवानों के इंटलेक्चुअल व कल्चरल निखार या फ़ौजी ट्रेनिंग के लिए क्लास लगाने का जाएज़ होने का सम्बंध मस्जिद के दालान के वक़्फ़ की शर्तों से है और इस सिलसिले में इमामे जमाअत या मस्जिद की कमेटी से इजाज़त लेना चाहिए। अगरचे जवानों का मस्जिद में आना और इमाम जमाअत या कमेटी की देखरेख में दीनी क्लास लगाना अच्छा और पसंदीदा काम है।
2. मस्जिदों में फ़िल्में दिखाना जाएज़ नहीं है लेकिन ख़ास मौक़े व मुनासेबत से इमामे जमाअत की इजाज़त के

साथ अच्छी और फ़ायदा पहुंचाने वाली मज़हबी व इंक़ेलाबी फ़िल्में दिखाने में कोई हरज नहीं है।

3. फ़ातेहे की मजलिसों या उस जैसे प्रोग्रामों में मस्जिद के सामान जैसे बिजली और पंखों के इस्तेमाल का जाएज़ होना भी वक़्फ़ या नज़्र की शर्तों पर डिपेंड करता है।
4. मस्जिद के किसी कोने में म्यूज़ियम या लाइब्रेरी बनाना अगर मस्जिद के दालान के वक़्फ़ की शर्तों के ख़िलाफ़ हो या उससे मस्जिद की इमारत में चेंजिंग आ रही हो तो जाएज़ नहीं है। बेहतर है कि इन चीज़ों के लिए मस्जिद के बग़ल में कोई जगह बनाई जाए।
5. मस्जिद के पानी का निजी इस्तेमाल जैसे पानी पीना, चाए बनाना, अगर मालूम न हो कि मस्जिद का पानी केवल नमाज़ियों के वुज़ू के लिए वक़्फ़ किया गया है और मस्जिद के मोहल्ले वालों का मामूल भी यह हो कि मस्जिद के पड़ोसी और उधर से गुज़रने वाले मस्जिद का पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसका निजी इस्तेमाल जाएज़ है अगरचे एहतियात बेहतर है। इसी तरह अगर मस्जिद क़ब्रिस्तान के पास हो तो मस्जिद से पानी लेकर क़ब्रिस्तान की क़ब्रों पर छिड़कना अगर प्रचलित हो और उस पर कोई ऐतराज़ न करता हो और पानी के केवल वुज़ू करने या बदन पाक करने से विशेष होने का कोई सबूत भी न हो तो जाएज़ है।
6. अगर शरई हुक्म न जानने की बिना पर मस्जिद में कमरे बनाए जायें तो कमरों को तोड़ कर मस्जिद को उसकी पिछली हालत में वापस लाना वाजिब है इसी तरह जो जगह पहले मस्जिद थी मसअला न जानने की वजह से अगर उस जगह चाये बनाने के लिए कमरा बना दिया

जाए तो वाजिब है कि उसे तोड़ कर उसकी पिछली हालत में वापस लाया जाए।

7. मस्जिद में मय्यत का दफ़्न करना जाएज़ नहीं है। चाहे कोई यह वसीयत करे कि मुझे फ़लां मस्जिद में दफ़्न किया जाए और उस वसीयत की कोई हैसियत नहीं है मगर यह कि वक़्फ़ के वक़्त मय्यत दफ़्न करने की इजाज़त दी गई हो।
8. मस्जिद में नमाज़ियों को डिस्टर्ब करना जाएज़ नहीं है इसलिए मस्जिद में क़ुर्आन व अहकाम की सिखाना, अख़्लाक़ के क्लास और इंक़ेलाबी गीतों की प्रेक्टिस इस सूरत में जाएज़ है कि जब उन चीज़ों से नमाज़ियों को कोई परेशानी न हो रही हो।
9. मस्जिद के बेसमेंट को तीन शर्तों के साथ किराये पर उठाया जा सकता है।
    1. बेसमेंट को मस्जिद का हिस्सा न माना जाता हो।
    2. ऐसा हिस्सा न हो कि जिसकी मस्जिद को ज़रूरत हो।
    3. ख़ुद उस बेसमेंट से फ़ायदा उठाने या ख़ुद उसके इस्तेमाल के लिए वक़्फ़ न किया गया हो (बल्कि उसकी आमदनी को वक़्फ़ किया गया हो)

सवाल

1. मस्जिद के मुहर्रमात बयान कीजिए?
2. क्या मस्जिद में एक्सर्साइज़ करना जाएज़ है?
3. मासूमीन अ. की विलादत के अवसर पर मस्जिद में ख़ुशी की म्युज़िक लगाना का क्या हुक्म है?
4. मस्जिदों में काफ़िरों के जाने का क्या हुक्म है? क्या इतिहासिक चीज़ों को देखने के लिए काफ़िर मस्जिद में जा सकते हैं?
5. क्या मुर्दों के फ़ातेहे के लिए होने वाली मजलिसों में मस्जिद के सामान का इस्तेमाल क्या जा सकता है?
6. क्या मस्जिद के बेसमेंट को किसी ऐसे काम के लिए जिससे मस्जिद की शान कम न हो, किराए पर देना जाएज़ है?

पाठ

33

मस्जिद के अह्काम (2)

मस्जिद के मुस्तहब्बात

2. **मस्जिद के मुस्तहब्बात**
    1. मस्जिद को साफ़ सुथरा और आबाद रखना।
    2. मस्जिद जाते वक़्त पाक व साफ़ और अच्छे कपड़े पहनना, ख़ुशबू लगाना।
    3. जूते या पैरों पर ध्यान देना कि नेजासत या गंदगी न लगी हो।
    4. सबसे पहले मस्जिद में जाना और सबसे बाद में निकलना।
    5. मस्जिद में जाते और निकलते वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करना और दिल का विनम्र होना (ख़ुज़ूअ व ख़ुशूअ)।
    6. मस्जिद में जाने के बाद तहीयते मस्जिद की नियत से दो रकअत नमाज़ पढ़ना।
        - मस्जिद में सोना मकरूह है।

- मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत और महत्व केवल मर्दों से मख़सूस नहीं है बल्कि औरतें भी उसमें शामिल हैं।
- मोहल्ले की मस्जिद को छोड़ कर दूसरी मस्जिद ख़ास कर जामा मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है।
- जामा मस्जिद उस मस्जिद को कहते हैं कि जिसे सभी लोगों के इकट्ठा होने के लिए बनाया गया हो और किसी ख़ास गिरोह या तबक़े से मख़सूस न हो।
- कोऑपरेटिव कम्पनियां जो आवासीय बिल्डिंग बनाती हैं अपने प्रोजेक्ट के शुरू में यह समझौता करें कि इस मोहल्ले या सोसाइटी में पब्लिक प्लेस जैसे मस्जिद के लिए जगह छोड़ी जाएगी लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने पर कुछ शेअर के मालिक समझौते से पीछे हट जाएं और कहें कि हम मस्जिद बनाने पर राज़ी नहीं हैं तो अगर उनकी की तरफ़ से समझौते से पीछे हटना मस्जिद बन जाने या मस्जिद के लिए ज़मीन वक़्फ़ हो जाने के बाद हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं है लेकिन अगर शरई तरीक़े से वक़्फ़ किए जाने से पहले हो तो उनकी प्रापर्टी से साझा ज़मीन में उनकी मर्ज़ी के बिना मस्जिद बनाना जाएज़ नहीं है मगर यह कि सोसाइटी बनाते वक़्त पहले ही यह शर्त रखी गई हो कि सोसाइटी की साझा ज़मीन के एक हिस्से पर मस्जिद बनाई जाएगी और सोसाइटी के सारे मिम्बरों ने इस शर्त को क़ुबूल कर लिया हो ऐसी सूरत में उन्हें अपनी शर्त से पीछे हटने का हक़ नहीं है और अगर शर्त से इंकार करें भी तो उसकी कोई हैसियत नहीं है।

- अगर मस्जिद में मरम्मत की ज़रूरत है और कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से अपने निजी पैसे से मरम्मत करायें तो हाकिमे शरअ से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है।
- जिस मस्जिद को ग़ैर मुस्लिमों ने बनवाया है उसमें नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है और इसी तरह अगर ग़ैर मुस्लिम मस्जिद की मदद करना चाहें तो उनकी मदद लेने में कोई हरज नहीं है।
- अगर मस्जिद के सामान की उस मस्जिद में ज़रूरत न हो तो उन्हें दूसरी मस्जिद में देना और वहाँ उनका इस्तेमाल जाएज़ है।
- मस्जिद का नाम बदलने में कोई हरज नहीं है, जैसे पहले मस्जिद का नाम मस्जिदे साहिबुज़्ज़मान हो जिसे बदल कर मस्जिदे जामेअ कर दिया जाए। लेकिन यह उस सूरत में सही है कि मस्जिद के नाम को मस्जिद वक़्फ़ करते वक़्त बयान न किया गया हो वरना सही नहीं है।
- अज़ा ख़ाने और इमामबाड़े मस्जिद के हुक्म में नहीं हैं।
- जो इमामबाड़ा सही और शरई तरीक़े से इमामबाड़े के लिए वक़्फ़ किया गया है उसे मस्जिद में बदलना या मस्जिद के हिसाब से उसे मस्जिद में शामिल करना जाएज़ नहीं है।
- किसी इमामज़ादे के मज़ार के लिए जो फ़र्श या चीज़ें नज़्र की जाती हैं अगर वह उस मज़ार और वहाँ के ज़ाएरीन की ज़रूरत से ज़्यादा हों तो उन्हें मोहल्ले की जामा मस्जिद में इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है।

सवाल

1. मस्जिद के मुस्तहब्बात बयान कीजिए?
2. क्या मस्जिद में सोना सही है?
3. औरतों के लिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ना बेहतर है या घर में?
4. जामा मस्जिद किस मस्जिद को कहा जाता है?
5. अगर मस्जिद में मरम्मत की ज़रूरत हो तो क्या उसके लिए हाकिमे शरअ या उसके वकील से इजाज़त लेना ज़रूरी है?
6. हज़रत अबुलफज़लिल अब्बास अ. या दूसरे शहीदों के नाम से जो इमामबाड़े बनाए जाते हैं क्या वह मस्जिद के हुक्म में हैं?

पाठ

34

क़िब्ला

क़िब्ले के अहकाम

1. क़िब्ले के अहकाम

1. मुसलमान पर वाजिब है कि काबे की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़े और इसी लिए उसे "क़िब्ला" कहा जाता है और जो लोग काबे से दूरी पर हैं और उनके लिए ठीक काबे की तरफ़ मुंह करना मुमकिन नहीं है उनके लिए यही काफ़ी है कि कहा जाए “क़िब्ले की दिशा” में मुंह करके नमाज़ पढ़ रहे हैं।
   - क़िब्ले की तरफ़ होने का मापदंड यह है कि इंसान का मुंह ज़मीन की सतह पर “बैते अतीक़” (काबे) की तरफ़ हो यानि ज़मीन की सतह पर काबे की तरफ़ (जो कि मक्का की ज़मीन पर बना हुआ है) मुंह करके खड़ा हो।

     इसलिए अगर इंसान ज़मीन पर ऐसी जगह पर हो कि अगर उस जगह से चारों दिशा में काबे की तरफ़

सीधी लाइन खींची जाए तो दूरी के हिसाब से चारों लाइनें बराबर हों तो उस सूरत में इंसान को छूट है कि चाहे जिस दिशा की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़े लेकिन कुछ दिशाओं में लाइनों की दूरी इतनी कम हो कि उर्फ़ में उस दूरी से क़िब्ले की तरफ़ होने में इख़्तेलाफ़ हो जाए तो नमाज़ी पर वाजिब है कि कम दूरी वाली दिशा को चुने।

- मुस्तहब्बी नमाज़ों को चलते हुए या गाड़ी पर भी पढ़ा जा सकता है और इस सूरत में क़िब्ले की तरफ़ मुंह होना ज़रूरी नहीं है।

2. क़िब्ले की दिशा के लिए नमाज़ी को यक़ीन या इत्मेनान होना चाहिए चाहे सही और भरोसेमंद क़िब्ला नुमा की मदद से या सूरज और सितारों के रास्ते से (उन लोगों के लिए जो उनसे रास्तों को पहचानते हैं) या किसी और रास्ते से और अगर इत्मीनान हासिल न हो सके तो जिस तरफ़ क़िब्ला होने का ज़्यादा गुमान हो उस तरफ़ नमाज़ पढ़ना चाहिए।
3. जिस इंसान के पास क़िब्ला मालूम करने का कोई रास्ता न हो और किसी दिशा की तरफ़ गुमान भी न हो रहा हो तो एहतियाते (वाजिब) की बिना पर उसे चारों दिशाओं में नमाज़ पढ़ना चाहिए और अगर चारों तरफ़ नमाज़ पढ़ने का वक़्त न हो तो वक़्त के अंदर जितनी तरफ़ पढ़ सकता हो पढ़े।
4. अगर किसी को क़िब्ले का यक़ीन न हो तो जिन कामों के लिए क़िब्ले की तरफ़ होना ज़रूरी है जैसे जानवरों को ज़िबह करना, तो उन कामों में भी अपने गुमान पर अमल करे और अगर किसी दिशा के लिए ज़्यादा गुमान न हो तो जिस तरफ़ चाहे मुंह करके अंजाम दे सकता है।

- क़िब्ले की दिशा मालूम करने में अगर मुकल्लफ़ को संकेतक या कम्पास (क़िबला नुमा) से इत्मीनान हो जाता है तो उन पर भरोसा करना सही है और उसी हिसाब से अमल करना चाहिए। वरना मस्जिदों की मेहराब और मुसलमानों की क़ब्रों से भी क़िब्ले की दिशा मालूम की जा सकती है।
- शाख़िस (सीधी लकड़ी या लोहे का टुकड़ा) से क़िब्ला मालूम करने का तरीक़ा यह है कि 25 मई और 17 जुलाई को जिस वक़्त मक्के में ज़ोहर का अव्वले वक़्त होता है एक सीधी लकड़ी या लोहे का टुकड़ा (शाख़िस) समतल ज़मीन पर सीधा गाड़ दिया जाए। इस कम्पास का साया जिस दिशा में हो उसके विपरीत वाली दिशा में क़िब्ला है।

सवाल

1. क़िब्ले की तरफ़ होने का मापदंड क्या है?
2. क्या चलते हुए या सवारी में होने की सूरत में अगर मुस्तहब्बी नमाज़ें पढ़ी जाऐं तो क़िब्ले की तरफ़ मुंह करना ज़रूरी है?
3. अगर नमाज़ी को क़िब्ले की दिशा के बारे में इत्मीनान हासिल न हो सके तो क्या हुक्म है?
4. अगर किसी भी तरह क़िब्ले के बारे में मालूम न हो सके और किसी दिशा के बारे में गुमान भी न हो तो किस दिशा में नमाज़ पढ़नी होगी?
5. क्या क़िब्ले के सिलसिले में "क़िब्लानुमा" पर भरोसा किया जा सकता है?
6. शाख़िस से क़िब्ला कैसे मालूम किया जा सकता है?

पाठ

35

पंजेगाना नमाज़ें

(रोज़ाना की नमाज़े) (1)

पंजेगाना नमाज़ों की अहमियत - पंजगाना नमाज़ों की तादाद - पंजगाना नमाज़ों का वक़्त

1. पंजेगाना नमाज़ों की अहमियत

1. पाँच वक़्त में पढ़ी जाने वाली रोज़ाना की नमाज़ें शरीअत के बहुत अहम वाजिबों में से हैं बल्कि दीन का सुतून व स्तम्भ हैं इन नमाज़ों को छोड़ना या उन्हें हल्का समझना हराम है और ऐसा करने वाले को अज़ाब (आख़िरत में सज़ा) का सामना करना पड़ेगा।
2. किसी भी सूरत में नमाज़ को छोड़ा नहीं जा सकता है यहाँ तक कि जंग में भी, इसलिए फ़ौजी अगर सख़्त जंग की सूरत में सूरए हम्द नहीं पढ़ सकते, रुकूअ या सज्दे नहीं कर सकते तो जैसे भी मुमकिन हो नमाज़ पढ़ना

चाहिए। अगर रुकूअ व सज्दे नहीं कर सकते तो रुकूअ व सज्दों के लिए इशारा करना ही काफ़ी है।

2. पंजगाना नमाज़ों की तादाद

रोज़ाना की वाजिब नमाज़ें

1. नमाज़े सुबह: दो रकअत
2. नमाज़े ज़ोह्र: चार रकअत
3. नमाज़े अस्र: चार रकअत
4. नमाज़े मग़रिब: तीन रकअत
5. नमाज़े इशा: चार रकअत

- सफ़र में चार रकअती नमाज़ (ज़ोह्र, अस्र और इशा) दो रकअत पढ़ी जाती है जिसके ज़रूरी प्वाइंट्स और अहकाम इंशाअल्लाह आगे बयान किए जाऐंगे।

3. नमाज़े पंजगाना का वक़्त

1. नमाज़े सुबह का वक़्त

1) नमाज़े सुबह का वक़्त तुलूए फ़ज्र से सूरज निकलने तक है।

2. नमाज़े सुबह के लिए शरई पैमाना फ़ज्रे सादिक़ है (न कि फ़ज्रे काज़िब) और इसकी पहचान मुकल्लफ़ की ज़िम्मेदारी है।[1]

---

1 . सुबहे सादिक़ और सुबहे काज़िब, दो फ़िक़्ही (धर्मशास्त्र) और नजूमी व ज्योतिषी परिभाषाएं हैं, जिससे मुराद दिन और रात के कुछ ख़ास वक़्त हैं। सुबहे काज़िब, पूरब से प्रकट होने वाली सफेदी के साथ शुरू होती है और इस दौरान नमाज़े सुबह नहीं पढ़ी जा सकती है। सुबहे सादिक़ वह वक़्त है जब पूरब से निकलने वाली सफ़ेदी फैल जाए और यह नमाज़े सुबह का वक़्त है।

सुबहे सादिक़ और सुबहे काज़िब के बीच दो अंतर हैं।

1। सुबहे काज़िब, आसमान से अलग है जबकि सुबहे सादिक आसमान के साथ कनेक्ट है।

2। सुबहे काज़िब लंबवत है जब कि सुबहे सादिक क्षैतिज है।

3। सुबहे काज़िब प्रकट होते वक़्त चमकती है और थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाती होती है जबकि सुबहे सादिक़ थोड़े नूर के साथ ज़ाहिर होती है और थोड़ी देर के बाद नूर से भर जाती है।

3. तुलूए फ़ज्र (नमाज़े सुबह के वक़्त) के लिए चाँदनी रातों या अंधेरी रातों में कोई अंतर नहीं है अगरचे इस बारे में एहतियात करना बेहतर है।
4. बेहतर है कि मोमेनीन एहतियात करते हुए रेडियो या टीवी से होने वाली सुबह की अज़ान के पाँच या छ: मिनट बाद नमाज़ शुरू करें।
5. सूरज का क्षितिज (उफ़ुक़) पर दिखाई देना, सूरज निकलने का मापदंड है नाकि ज़मीन पर उसकी रौशनी का फैलना।

2. नमाज़े ज़ोह्र का वक़्त

ज़ोह्र की नमाज़ का वक़्त ज़ोह्र शुरू होने (यानि जब हर चीज़ की छाया सूरज के ऊपर आने की वजह से घटते घटते पूरी तरह से कम हो जाए और फिर पूरब की तरफ़ बढ़ना शुरू हो जाए) से उस वक़्त तक रहता है कि जब सूरज डूबने में केवल इतना वक़्त बाक़ी बचे कि केवल अस्र की नमाज़ पढ़ी जा सके।

3. नमाज़े अस्र का वक़्त

ज़ोहर का वक़्त शुरू होने के बाद इतना वक़्त गुज़र जाए कि उसमें नमाज़े ज़ोह्र पढ़ी जा सके तो नमाज़े अस्र का वक़्त शुरू हो जाता है और सूरज डूबने तक बाक़ी रहता है।

4. मग़रिब का वक़्त

सूरज डूबने के बाद जब पूरब से उभरने वाली लाली ख़त्म हो जाए तो मग़रिब का वक़्त शुरू होता है और उस वक़्त तक रहता है कि आधी रात में केवल इतना वक़्त बाक़ी रह जाए कि केवल इशा की नमाज़ पढ़ी जा सके।

- सूरज डूबने और पूरब की लाली (सूरज डूबने के बाद पूरब की तरफ़ से उभरने वाली लाली) ख़त्म होने के बीच जो फ़ास्ला होता है वह मौसम के बदलने के साथ साथ बदलता रहता है।

5. इशा की नमाज़ का वक़्त

मग़रिब का वक़्त आने के बाद इतना वक़्त गुज़र जाए कि मगरिब की नमाज़ पढ़ी जा सके तो नमाज़े इशा का वक़्त शुरू हो जाता है और आधी रात तक वक़्त बाक़ी रहता है।

- एहतियाते (वाजिब) यह है कि मग़रिब व इशा की नमाज़ के लिए आधी रात का हिसाब सूरज डूबने से सुबह की अज़ान तक लगाया जाए इस तरह ज़ोहर के वक़्त से लगभग ग्यारह घंटे और पंद्रह मिनट गुज़रने के बाद मग़रिब व इशा का वक़्त ख़त्म हो जाता है।

सवाल

1. जो इंसान जानबूझ कर नमाज़ छोड़े या उसे हल्का समझे उसका क्या हुक्म है?
2. क्या चाँदनी रातों में नमाज़े सुबह के लिए अज़ान के बाद पंद्रह, बीस मिनट इंतेज़ार करना चाहिए?
3. ज़मीन तक सूरज की रौशनी पहुँचने में लगभग आठ मिनट लगते हैं, क्या नमाज़े सुबह के क़ज़ा होने का मापदंड सूरज निकलना है या ज़मीन तक सूरज की रौशनी पहुँचना?
4. नमाज़े अस्र का वक़्त मग़रिब की अज़ान तक है या सूरज डूबने तक?
5. सूरज डूबने और मग़रिब की अज़ान के बीच कितने मिनट का फ़ास्ला होता है?
6. इशा की नमाज़ के लिए शरई हिसाब से आधी रात कब होती है?

पाठ

36

पंजगाना नमाज़ें (2)

नमाज़ के वक़्त के अहकाम - नमाज़ों के बीच तरतीब

4. वक़्त के अहकाम

1. नमाज़ का वक़्त पहचानने का तरीक़ा
   1) ख़ुद इंसान को यक़ीन या इत्मीनान हो जाए कि वक़्त हो चुका है।
   2) दो आदिल मर्द कहें कि वक़्त हो चुका है।
   3) ऐसे भरोसेमंद मोअज़्ज़िन (अज़ान देने वाला) की अज़ान जो वक़्त की सही परख और पहचान रखता है।

- जब तक वक़्त की पहचान के लिए बताये गए रास्तों में से किसी तरीक़े से वक़्त आ जाने का यक़ीन न हो जाए, नमाज़ शुरू करना जाएज़ नहीं है।
- अगर इस यक़ीन के साथ कि वक़्त हो चुका है नमाज़ पढ़ने लगे और नमाज़ के बीच शक हो कि वक़्त हुआ है या नहीं तो नमाज़ बातिल है। और अगर नमाज़ के बीच यक़ीन हो

कि वक़्त हो चुका है मगर यह शक हो कि अभी तक जो नमाज़ पढ़ी है वह वक़्त के अंदर थी या नहीं तो उसकी नमाज़ सही है।

2. वक़्त होने का मापदंड मुकल्लफ़ को इत्मीनान हासिल हो जाना है इसलिए।

1. आमतौर पर मीडिया में हर दिन आने वाले दिन के लिए नमाज़ के टाइम का ऐलान होता है अगर इस ऐलान से मुकल्लफ़ को इत्मीनान हासिल हो जाए तो उस पर भरोसा कर सकता है।
2. अज़ान शुरू होने से अगर मुकल्लफ़ को इत्मीनान हो जाए कि नमाज़ का वक़्त हो चुका है तो अज़ान ख़त्म होने तक इंतेज़ार करना ज़रूरी नहीं है बल्कि नमाज़ शुरू कर सकता है।
3. पंजगाना नमाज़ के वक़्त के लिए मुकल्लफ़ को उस शहर के उफ़ुक़ (क्षितिज) के हिसाब से अमल करना चाहिए जहां वह रहता है।
4. दो शहरों या दो एरियों के बीच सूरज निकलने या सूरज ढलने या सूरज के डूबने के बीच एक जैसे अंतर का मतलब यह नहीं है कि दूसरे वक़्तों में भी उतना ही अंतर होगा बल्कि आमतौर पर शहरों के बीच तीनों वक़्तों में अंतर पाया जाता है जैसे अगर दो शहरों के बीच ज़ोह्र की नमाज़ के वक़्त में पच्चीस मिनट का फ़र्क़ है तो सुबह और मग़रिब का वक़्त उससे अलग हो सकता है (यानि मुमकिन है कि सुबह व मग़रिब में पच्चीस मिनट से कम या ज़्यादा का फ़ासला हो।)
5. अगर केवल एक रकअत पढ़ने का वक़्त बाक़ी रह गया हो तो नमाज़ को अदा की नियत से पढ़ना चाहिए लेकिन जानबूझ कर नमाज़ में इतनी देरी करना जाएज़ नहीं है और अगर यह शक हो कि एक रकअत के लिए भी वक़्त बचा है या नहीं तो

"मा फ़िज़्ज़िम्मा" (जो भी उसकी ज़िम्मेदारी हो) की नियत से नमाज़ पढ़ना चाहिए।

6. दो नमाज़ों का वक़्त हो जाने के बाद (ज़ोह्र व अस्र या मग़रिब व इशा) मुकल्लफ़ को इख़्तियार है कि दोनों नमाज़ों को एक साथ पढ़े या हर नमाज़ को उसके फ़ज़ीलत के वक़्त पर पढ़े।
7. नमाज़ को अव्वले वक़्त पढ़ना मुस्तहब है और शरीअत में इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। अगर अव्वले वक़्त न पढ़ सके तो अव्वले वक़्त से जितना नज़दीक पढ़ सकता हो पढ़े। मगर यह कि किसी वजह से नमाज़ में देरी करना बेहतर हो जैसे नमाज़ को जमाअत के साथ पढ़ने का इरादा रखता हो।
8. साहूकार अगर अपना क़र्ज़ वापस मांगे तो अगर अदा करना मुमकिन हो तो पहले क़र्ज़ अदा करे उसके बाद नमाज़ पढ़े इसी तरह अगर कोई और ऐसा काम पेश आ जाए जिसका अंजाम देना तत्काल वाजिब हो (तो पहले उसे अंजाम दे फिर नमाज़ पढ़े) हां अगर नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो रहा हो तो पहले नमाज़ पढ़ना चाहिए।

5. नमाज़ों के बीच तरतीब (क्रम)

1. नमाज़े ज़ोह्र व अस्र को तरतीब से पढ़ना चाहिए यानि पहले नमाज़ ज़ोह्र फिर नमाज़े अस्र। इसी तरह मग़रिब व इशा के बीच भी तरतीब ज़रूरी है इसलिए अगर नमाज़े अस्र को जानबूझ कर ज़ोह्र से पहले या नमाज़े इशा को नमाज़े मग़रिब से पहले पढ़ ले तो नमाज़ बातिल है।
2. अगर कोई इंसान ग़ल्ती से या लापरवाही में दूसरी नमाज़ को पहली नमाज़ से पहले पढ़ ले जैसे नमाज़े मग़रिब से पहले इशा की नमाज़ पढ़ ले और नमाज़ ख़त्म होने के बाद ध्यान आए तो उसकी नमाज़ सही है।

3. अगर ज़ोह्र की नियत से नमाज़ पढ़ना शुरू करे और नमाज़ के बीच याद आए कि नमाज़े ज़ोह्र पढ़ चुका है तो उस नमाज़ को तोड़ दे और उसके बाद नमाज़े अस्र पढ़े। यही हुक्म नमाज़े मग़रिब व इशा का भी है।
4. अगर यह सोचते हुए कि नमाज़े ज़ोह्र पढ़ चुका है, अस्र की नियत से नमाज़ शुरू कर दे और नमाज़ के बीच याद आए कि अभी नमाज़े ज़ोह्र नहीं पढ़ी है तो अगर नमाज़ ऐसे वक़्त में पढ़ रहा है जो नमाज़े ज़ोह्र व अस्र दोनों का साझा वक़्त है तो फ़ौरन अपनी नियत बदल कर नमाज़े ज़ोह्र की नियत कर ले और नमाज़ को पूरा करे उसके बाद अस्र की नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर यह सूरत नमाज़े ज़ोह्र के ख़ास वक़्त में (यानि ज़ोह्र के अव्वले वक़्त से केवल चार रकअत के वक़्त के अंदर) पेश आए तो एहतियाते वाजिब यह है कि नमाज़े ज़ोह्र की नियत करके नमाज़ पूरी करे और बाद में दोनों नमाज़ें (जोह्र व अस्र) तरतीब के साथ पढ़े। यही हुक्म नमाज़े मग़रिब व इशा का भी है।

सवाल

1. नमाज़ के वक़्त पहचानने के क्या तरीक़े हैं?
2. क्या अज़ान शुरू होते ही नमाज़ का वक़्त शुरू हो जाता है? या अज़ान ख़त्म होने तक इंतेज़ार करना चाहिए और उसके बाद नमाज़ पढ़नी चाहिए?
3. क्षितिज के अलग अलग होने की वजह से शहरों और प्रांतों का वक़्त भी अलग अलग होता है तो क्या पंजगाना नमाज़ों में तीनों वक़्त का अंतर एक जैसा ही होगा या अलग अलग भी हो सकता है?
4. नमाज़ का कितना हिस्सा वक़्त के अंदर पढ़ा जाए तो अदा की नियत की जा सकती है? और अगर यह शक हो कि इतना हिस्सा वक़्त के अंदर अदा हुआ या नहीं? तो क्या हुक्म है?
5. अगर नमाज़े ज़ोह्र की नियत से नमाज़ शुरू कर दे और नमाज़ के बीच याद आए कि नमाज़े ज़ोह्र पहले पढ़ चुका है तो उसकी शरई ज़िम्मेदारी क्या है?
6. अगर किसी को नमाज़े इशा के बीच याद आए कि नमाज़े मग़रिब नहीं पढ़ी है तो क्या करना चाहिए?

पाठ

37

नमाज़े पंजगाना (3)

अज़ान व इक़ामत

6. अज़ान व इक़ामत

1. रोज़ाना की वाजिब नमाज़ों से पहले अज़ान व इक़ामत कहना मुस्तहब है। सुबह और मग़रिब की नमाज़ में ख़ास कर नमाज़े जमाअत में इस मुस्तहब अमल की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। लेकिन दूसरी वाजिब नमाज़ों जैसे नमाज़े आयात व.. में अज़ान व इक़ामत नहीं है।
2. अज़ान में 18 जुमले (वाक्य) हैं।
    1. अल्लाहो अकबर (اللہ اکبر), चार बार (यानि ख़ुदा हर चीज़ से बड़ा है)
    2. अशहदो अन ला इलाहा इल्ललाह (اشھدان لا الٰہ الاّ اللہ), दो बार (यानि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मअबूद नहीं है)

3. अश्हदो अन्ना मोहम्मदर् रसूलुल्लाह (اشهد ان محمداً رسول الله), दो बार (यानि मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद स. अल्लाह के रसूल हैं)।
4. हय्या अलस्सलाह (حی علی الصلاة), दो बार (यानि नमाज़ के लिए जल्दी करो)।
5. हय्या अलल फ़लाह (حی علی الفلاح), दो बार (यानि कामयाबी की तरफ़ आओ)।
6. हय्या अला ख़ैरिल अमल (حی علی خیر العمل), दो बार (यानि नेक काम की तरफ़ आओ)
7. अल्लाहो अकबर (الله اکبر) दो बार (यानि अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है)
8. ला इलाहा इल्लल्लाह (لا اله الّا الله) दो बार (यानि अल्लाह के अलावा कोई मअबूद नहीं है)

3. इक़ामत में 17 जुमले होते हैं। इक़ामत भी अज़ान ही की तरह है बस अंतर यह है कि इक़ामत के शुरू में “अल्लाहो अकबर” दो बार, आख़िर में एक बार “ला इलाहा इल्लल्लाह” है और हय्या अलल ख़ैरिल अमल के बाद दो बार “क़द क़ामतिस्सलाह” (قد قامت الصلاة, नमाज़ शुरू हो गई) कहा जाता है।

- “अशहदो अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह” (اشهد ان علیاً ولی الله, यानि मैं गवाही देता हूँ कि अली अ. अल्लाह के वली हैं) अज़ान व इक़ामत का हिस्सा नहीं है लेकिन इसलिए कहना कि यह गवाही शिया मज़हब की पहचान है, बहुत अच्छा और ज़रूरी अमल है और इसको क़ुरबत की नियत से कहना चाहिए।

- अज़ाने ऐलामी (वह अज़ान जो नमाज़ का वक़्त आ जाने के ऐलान के लिए कही जाती है) का रोज़ाना की वाजिब नमाज़ के अव्वले वक़्त में कहा जाना और सुनने वालों का उसको ऊँची आवाज़ में दोहराना मुस्तहब्बे मोअक्कद है। (ऐसा मुस्तहब जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है।))।
- पब्लिक प्लेस और रास्तों पर कई लोगों के एक साथ अज़ान देने से अगर रास्ते बंद न हो या दूसरों को परेशानी न हो तो जाएज़ है।
- घर की छत पर प्रचलित तरीक़े से अज़ान देना जाएज़ है ख़ास कर नमाज़े सुबह के लिए चाहे कुछ पड़ोसियों को ऐतराज़ ही क्यूं न करें।
- नमाज़े सुबह का वक़्त होने का ऐलान करने के लिए लाउड स्पीकर से प्रचलित तरीक़े से अज़ान कहना जाएज़ है लेकिन मस्जिद के लाउडस्पीकर से क़ुरआनी आयतों और दुआओं से अगर पड़ोसियों को परेशानी होती हो तो उसका जाएज़ होना मुश्किल है और उसकी कोई शरई आधार नहीं है।
- मर्द के लिए औरतों की अज़ान को काफ़ी होना मुश्किल है।

सवाल

1. अज़ान व इक़ामत का क्या हुक्म है?
2. अज़ान व इक़ामत में क्या अंतर है?
3. क्या शहादते सालसा जिसमें अमीरूल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अ. की विलायत की गवाही दी जाती है अज़ान व इक़ामत में वाजिब है?
4. पब्लिक प्लेस और आम रास्तों में एक साथ कई लोगों के अज़ान देने का क्या हुक्म है?
5. क्या मर्द की नमाज़ के लिए औरत की अज़ान काफ़ी है?

पाठ

38

पंजगाना नमाज़ें (4)

नमाज़ के वाजिबात (1)

7. नमाज़ के वाजिबात

नमाज़ में ग्यारह चीज़ें वाजिब हैं।

1. नियत
2. तकबीरतुल एहराम
3. क़याम
4. क़ेराअत
5. रुकूअ
6. सजदा
7. ज़िक्र
8. तशह्हुद
9. सलाम
10. तरतीब
11. मुवालात

नमाज़ की कुछ वाजिब चीज़ें “रुक्न” हैं यानि अगर उन्हें अंजाम न दिया जाए या ज़्यादा कर दिया जाए चाहे भूले से ही क्यों न हो नमाज़ बातिल हो जाती है (लेकिन जो वाजिब रुक्न नहीं अगर उसे जानबूझ कर कम या ज़्यादा कर दिया जाए तो नमाज़ बातिल हो जाती है लेकिन भूले से कम या ज़्यादा होने से बातिल नहीं होती जैसे क़िराअत)।

1. नमाज़ के रूक्न

1. नियत
2. तकबीरतुल एहराम
3. क़याम (तकबीरतुल एहराम और रुकूअ में जाते वक़्त)
4. रुकूअ
5. दो सजदे

1. नियत

1) नियत का मतलब और उसका हुक्म

नमाज़ में नियत वाजिब है और नियत का मतलब है “अल्लाह तआला के हुक्म को अंजाम देने के लिए किसी ख़ास नमाज़ का इरादा करना”।

- नमाज़ में जो नियत वाजिब है उसका मतलब अल्लाह तआला के लिए नमाज़ पढ़ने का इरादा है। अपने दिल में या ज़बान से कहना जैसे “चार रकअत नमाज़े ज़ोह्र पढ़ता हूँ क़ुरबतन एलल्लाह” ज़रूरी नहीं है।
- नमाज़ी को यह मालूम होना चाहिए कि कौन सी नमाज़ पढ़ रहा है इसलिए अगर चार रकअत की नियत करे मगर यह तय न करे कि ज़ोह्र की नमाज़ है या अस्र की तो नमाज़ बातिल है।
- नमाज़ अल्लाह तआला के हुक्म को अंजाम देने की नियत से पढ़ना चाहिए। इसलिए अगर रिया और दिखावे यानि दीनदारी दिखाने के लिए या किसी और मक़सद से नमाज़ पढ़े तो उसकी

नमाज़ बातिल है। इसलिए अगर पूरी नमाज़ या नमाज़ का कुछ हिस्सा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए अंजाम दिया जाए तो नमाज़ बातिल है।

2. उदूल (नियत बदलना)

जहाँ उदूल यानि नियत बदलना वाजिब है

1. अस्र से ज़ोह्र की नियत करना (अस्र के ख़ास वक़्त से पहले) अगर नमाज़ के बीच मालूम हो जाए कि नमाज़े ज़ोह्र नहीं पढ़ी है।
2. इशा से मग़रिब की तरफ़ (इशा के ख़ास वक़्त से पहले) अगर इशा की नमाज़ के बीच मालूम हो जाए कि नमाज़े मग़रिब नहीं पढ़ी है और उदूल की जगह से आगे न बढ़ा हो।
3. अगर किसी के ज़िम्मे ऐसी दो नमाज़ें क़ज़ा हों कि जिनमें तरतीब ज़रूरी है (जैसे ज़ोह्र व अस्र की क़ज़ा) और वह भूल कर पहली नमाज़ की क़ज़ा से पहले दूसरी नमाज़ की क़ज़ा पढ़ना शुरू कर दे।

जहाँ उदूल यानि नियत बदलना मुस्तहब है

1. अदा से वाजिब क़ज़ा नमाज़ की तरफ़ इस शर्त के साथ कि उसके नतीजे में फ़ज़ीलत का वक़्त हाथ से न निकल जाए।
2. जमाअत का सवाब हासिल करने के लिए वाजिब से मुस्तहब नमाज़ की तरफ़ पलटना।
3. जुमे के दिन वाजिब नमाज़ से नाफ़िला की तरफ़ उदूल उस इंसान के लिए कि जो भूले से सूरए जुमा के बजाए कोई और सूरा शुरू कर दे और आधे तक पहुँच चुका हो या आधे से गुज़र चुका हो। तो मुस्तहब है कि ऐसा इंसान नमाज़े वाजिब से नाफ़िला की तरफ़ उदूल करे (यानि नाफ़िला की नियत करले) ताकि नमाज़े वाजिब को सूरए जुमा के साथ पढ़ सके।

सवाल

1. नमाज़ के वाजिबात बयान कीजिए?
2. नमाज़ के वाजिबात में “रुक्न” और “ग़ैर रुक्न” के बीच क्या अंतर है?
3. नमाज़ के रूक्न क्या हैं?
4. क्या नियत को दिल में दोहराना या ज़बान से कहना ज़रूरी है?
5. किन जगहों पर उदूल यानि नियत बदलना वाजिब है?
6. किन जगहों पर उदूल यानि नियत बदलना मुस्तहब है?

पाठ

39

पंजगाना नमाज़ें (5)

नमाज़ के वाजिबात(2)

2. तकबीरतुल एहराम

1. तकबीरतुल एहराम का मतलब और उसका हुक्म

नमाज़ में तकबीरतुल एहराम वाजिब है और तकबीरतुल एहराम से मुराद है “नमाज़ के शुरू में (الله اکبر) अल्लाहो अकबर” कहना।

- नमाज़ के शुरू में “अल्लाहो अकबर” न कहने से नमाज़ बातिल है चाहे जानबूझ कर हो या भूले से। इसी तरह अगर नमाज़ के शुरू में सही तरीक़े से तकबीरतुल एहराम कह चुका हो फिर दोबारा थोड़ा फ़ास्ले से या बिना किसी फ़ास्ले के तकबीरतुल एहराम की नियत से “अल्लाहो अकबर” कहे तो उसकी नमाज़ बातिल है, चाहे जानबूझ कर कहा हो या भूले से।

2. तकबीरतुल एहराम के वाजेबात

1. तकबीरतुल एहराम को इस तरह अदा करना चाहिए कि कहा जाए कि उसने उच्चारण किया है (उसे ज़बान से कहा है) और

उसकी पहचान यह है कि जो ज़बान से कह रहा है (अगर सुनने में कोई प्रॉब्लम न हो या उसके आसपास शोर शराबा न हो) उसे ख़ुद सुन सके।

2. तकबीरतुल एहराम को अरबी में सही तरीक़े से कहना चाहिए इसलिए अगर दूसरी ज़बान में उसका ट्रांस्लेशन कहे या अरबी में ग़लत तरीक़े से कहे जैसे "अल्लाहो अकबर" के बजाए "अल्लाहा अकबर" कहे या कोई और ग़लती करे तो यह सही नहीं है।

- अगर नमाज़ी तकबीरतुल एहराम को सही तरीक़े से अदा न कर सकता हो तो उस पर सीखना वाजिब है और अगर सीखना मुमकिन न हो और दूसरे की मदद से भी (इस शर्त के साथ कि उर्फ़ में न कहा जाए कि मुवालात की रिआयत नहीं की) शब्द शब्द करके नहीं कह सकता तो उसका ट्रांस्लेशन कहना चाहिए।

3. तकबीरतुल एहराम के वक़्त बदन को ठहरा हुआ होना चाहिए इसलिए अगर जानबूझ कर और अपने इख़्तेयार से इस तरह तकबीरतुल एहराम कहे कि बदन हिल डुल रहा हो तो नमाज़ बातिल है।

3. तकबीरतुल एहराम में शक

1) तकबीरतुल एहराम कहने में शक (यानि शक है कि तकबीर कही है या नहीं)

1. क़िराअत शुरू कर दी है: अपने शक पर ध्यान न देकर, नमाज़ जारी रखे।
2. क़िराअत शुरू नहीं की है: वाजिब है तकबीरतुल एहराम कहे।

2) तकबीरतुल एहराम के सही होने के बारे में शक (यानि तकबीर कहने के बाद शक हो कि तकबीर सही तरीक़े से कही है या नहीं?) अपने शक पर ध्यान न दे।

4. क़ियाम (ख़ड़े होना)

1. क़ियाम की क़िस्में

वाजिब क़ियाम

- रुक्न
  - तकबीरतुल एहराम के वक़्त
  - क़िराअत ख़त्म होने के बाद और रुकूअ में जाने से पहले (क़ियाम मुत्तसिल ब रुकूअ)
- ग़ैर रुक्न
  - क़िराअत के बीच
  - रुकूअ के बाद

1. अगर कोई इंसान खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकता है और कोई मजबूरी नहीं है तो शुरू नमाज़ से रुकूअ में जाने तक खड़े होकर नमाज़ पढ़े और इस तरह रुकूअ के बाद और सजदे में जाने से पहले खड़ा होना वाजिब है। अगर जानबूझ कर "क़ियाम" न करे तो उसकी नमाज़ बातिल है।
2. तकबीरतुल एहराम के वक़्त, क़िराअत पूरी करने के बाद और रुकूअ में जाने से पहले "क़ियाम" रुक्न है। यानि अगर भूले से भी छोड़ दे तो नमाज़ बातिल है।

- अगर रुकूअ करना भूल जाए और अल-हम्द व दूसरा सूरा पढ़ने के बाद बैठ जाए और उस वक़्त याद आए कि रुकूअ नहीं किया है तो खड़ा हो जाए और सीधा खड़े होने के बाद रुकूअ में जाए लेकिन अगर सीधा खड़े होने के बजाए झुके झुके वापस रुकूअ में जाए तो नमाज़ बातिल है।

2. क़ियाम के वाजिबात

नमाज़ी पर वाजिब है कि क़ियाम की हालत में अपने बदन को हिलाए डुलाए नहीं, किसी एक तरफ़ बहुत ज़्यादा न झुके, किसी

चीज़ पर टेक न लगाए मगर यह कि मजबूरी हो या भूले से ऐसा कर दे।

नमाज़ में अगर कोई इंसान थोड़ा आगे, पीछे होना चाहता है या बदन को दाहिने या बाऐं तरफ़ हरकत देना चाहता है तो ज़रूरी है कि जो ज़िक्र पढ़ रहा है हरकत के वक़्त उस ज़िक्र को न पढ़े और ख़ामोश हो जाए।

3. क़ियाम की कुछ मुसतहब चीज़ें

क़ियाम की कुछ मुसतहब चीज़ें

1. बदन को सीधा रखना
2. कांधों को नीचे झुकाए रखना
3. हाथों को रान पर रखना
4. उंगलियाँ आपस में मिली हुई हों।
5. सजदागाह पर निगाह रहे।
6. बदन का बोझ बराबर से दोनों पैरों पर रहे।
7. ख़ुज़ूअ व ख़ुशूअ हो।
8. पैरों को आगे पीछे न रखे।

4. क़ियाम के अहकाम

1. जो इंसान खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता वह बैठ कर नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर किसी चीज़ के सहारे खड़ा हो सकता है तो फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ना उस पर ज़रूरी है।
2. जो इंसान बैठ कर भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता वह लेट कर नमाज़ पढ़े और एहतियाते वाजिब की बिना पर अगर उसके लिए मुमकिन हो तो दाहिनी करवट इस तरह लेट कर पढ़े कि उसका मुँह और बदन क़िब्ले की तरफ़ हो। और अगर ऐसे मुमकिन न हो तो बाईं करवट लेट कर पढ़े और अगर यह भी

मुमकिन न हो तो पीठ के बल इस तरह लेट जाए कि उसके पैर क़िब्ले की तरफ़ हों।

3. जो इंसान बैठ कर नमाज़ पढ़ रहा है अगर हम्द और सूरह पढ़ने के बाद खड़े होकर रुकूअ कर सकता है तो उसे खड़े होना चाहिए और क़ियाम की हालत से रुकूअ में जाना चाहिए।
4. जो इंसान लेट कर नमाज़ पढ़ रहा है अगर किसी परेशानी और कठिनाई के बिना नमाज़ के बीच बैठ सकता है या खड़ा हो सकता है तो जितना मुमकिन हो बैठ कर या खड़े होकर नमाज़ पढ़े। यही हुक्म उसके लिए भी है कि जो बैठ कर नमाज़ पढ़ रहा है उसके लिए भी जितना मुमकिन हो खड़े होकर नमाज़ पढ़े।
5. जो इंसान खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकता है अगर उसे यह डर हो कि खड़े होने से बीमार हो जाएगा या कोई और नुक़सान होगा तो बैठ कर नमाज़ पढ़ सकता है। और बैठ कर नमाज़ पढ़ने की सूरत में भी अगर यही डर हो तो लेट कर नमाज़ पढ़ सकता है।
6. जिसको यह उम्मीद हो कि नमाज़ के आख़री वक़्त में खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकता है तो एहतियाते (वाजिब) की बिना पर उसे आख़री वक़्त तक इंतेज़ार करना चाहिए लेकिन अगर अव्वले वक़्त में किसी मजबूरी की वजह से बैठ कर नमाज़ पढ़ ले और आख़री वक़्त तक मजबूरी ख़त्म न हो तो जो नमाज़ पढ़ी है वह सही है और दोबारा पढ़ना ज़रूरी नहीं।
7. अगर अव्वले वक़्त खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता और यक़ीन हो कि यह मजबूरी आख़री वक़्त तक बाक़ी रहेगी लेकिन अगर आख़री वक़्त से पहले खड़े होकर नमाज़ पढ़ना मुमकिन हो जाए तो खड़े होकर दोबारा नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है।

सवाल

1. अरबी में सही तरीक़े से तकबीरतुल एहराम न कही जाए तो क्या नमाज़ सही है?
2. जिसे शक हो कि तकबीरतुल एहराम कही है या नहीं तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या है?
3. क़ियाम कहाँ कहाँ वाजिब है?
4. क्या नमाज़ में थोड़ा आगे पीछे होना या बदन को थोड़ा बहुत दाहिने या बाऐं हरकत देना सही है?
5. क़ियाम की कुछ मुस्तहब चीज़ों को बयान कीजिए?
6. जो इंसान अव्वले वक़्त खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता क्या वह बैठ कर नमाज़ पढ़ सकता है?

पाठ

40

पंजेगाना नमाज़ें (6)

नमाज़ के वाजेबात(3)

5. क़िराअत

1. क़िराअत के हिस्से

रोज़ाना की वाजिब नमाज़ों में क़िराअत

पहली और दूसरी रकअत में:

अलहम्दो का सूरा और एहतियाते वाजिब की बिना पर कोई एक पूरा सूरा

तीसरी और चौथी रकअत में:

केवल अलहम्दो का सूरा या एक बार तस्बीहात अरबा[1] और एहतियाते मुस्तहब है कि तीन बार तस्बीहाते अरबा पढ़े।

1. रोज़ाना की वाजिब नमाज़ों की पहली व दूसरी रकअत में तकबीरतुल एहराम के बाद अलहम्दो का सूरा और अलहम्द के बाद एहतियाते वाजिब की बिना पर क़ुरआन करीम का कोई

---

1 . (सुबहानल्लाहे वल हम्दो लिल्लाहे व ला इलाहा इल्लल्लाहो वल्लाहो अकबर)

एक पूरा सूरा पढ़ना चाहिए, एक या कुछ आयतें पढ़ना काफ़ी नहीं है।

2. नमाज़ की तीसरी और चौथी रकअत में नमाज़ी को छूट है कि चाहे केवल सूरा-ए- हम्द (सूरे के बिना) पढ़े या तस्बीहाते अरबा यानि “سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر” कहे।

2. पहली और दूसरी रकअत में क़िराअत के अहकाम

1. सूरा-ए- “फ़ील” और सूरा-ए- “ईलाफ़” एक सूरे के हुक्म में हैं इसलिए सूरा-ए-हम्द के बाद उनमें से किसी एक का पढ़ना काफ़ी नहीं है। इसी तरह सूरा-ए- “वज़्ज़ुहा” और सूरा-ए- “अलम नशरह” भी हैं।

- अगर कोई मसअला न जानने की वजह से अपनी नमाज़ों में केवल सूरा-ए-फ़ील या केवल सूरा-ए- अलम नशरह पढ़ ले तो अगर उसने मसअला मालूम करने में लापरवाही न की हो तो उसकी पिछली नमाज़ें सही हैं।

2. पंजेगाना नमाज़ों में अलहम्दो और एक पूरा सूरा पढ़ने के बाद क़ुरआन की तिलावत की नियत से अलग से कुछ आयतें पढ़ने में कोई हरज नहीं है।
3. अगर नमाज़ का वक़्त कम हो या डर हो कि सूरा पढ़ेगा तो चोर या ख़तरनाक जानवर या कोई और चीज़ उसे नुक़सान पहुँचाएगी तो सूरा नहीं पढ़ना चाहिए।
4. अगर ग़लती से अलहम्दो से पहले सूरा पढ़ ले और रुकूअ में जाने से पहले याद आ जाए तो अलहम्दो पढ़ने के बाद दोबारा सूरा पढ़े। और अगर सूरा पढ़ते हुए याद आ जाए तो सूरा बीच में छोड़ कर सूरा-ए-अलहम्दो पढ़े और अलहम्दो के बाद दूसरा सूरा शुरू से पढ़े।
5. अगर अलहम्दो और सूरा या उनमें से कोई एक भूल जाए और रुकूअ में पहुँचने के बाद याद आए तो नमाज़ सही है।

6. अगर रुकूअ में जाने से पहले याद आ जाए कि अलहम्दो और दूसरा सूरा या केवल दूसरा सूरा नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़े और उसके बाद रुकूअ में जाए और अगर याद आ जाए कि अलहम्दो का सूरा नहीं पढ़ा है तो पहले अलहम्दो और उसके बाद दोबारा से सूरा पढ़े और अगर रुकूअ के लिए झुक गया हो लेकिन अभी रुकूअ की हद तक न पहुँचा हो और याद आ जाए कि अलहम्दो या सूरा या दोनों नहीं पढ़े हैं तो सीधा खड़ा हो जाए और इसी तरह अमल करे।
7. वाजिब नमाज़ में "सजदे वाले सूरों" का पढ़ना जाएज़ नहीं है। अगर जानबूझ कर या भूले से उनमें से कोई एक सूरा पढ़े और सजदे वाली आयत तक पहुँच जाए तो एहतियाते वाजिब की बिना पर सजदा-ए-तिलावत करे और फिर खड़े होकर अगर सूरा ख़त्म नहीं हुआ है तो उसको पूरा करे और नमाज़ पूरी करने के बाद उस नमाज़ को दोबारा पढ़े। और अगर सजदे वाली आयत से पहले याद आ जाए तो एहतियाते वाजिब यह है कि सूरे को बीच में छोड़ कर कोई दूसरा सूरा पढ़े और नमाज़ पूरी करने के बाद उस नमाज़ को दोबारा पढ़े।
8. अगर नमाज़ के बीच सजदे वाली आयत को सुन ले तो नमाज़ सही है और सजदे वाली आयत सुनने के बाद सजदा करने के बजाए सजदे के लिए इशारा करे।
9. अगर अलहम्दो के बाद "क़ुल होवल्लाहो अहद" या "क़ुल या अय्योहल काफ़ेरून" शुरू कर दे तो उन्हें बीच में छोड़ कर कोई दूसरा सूरा नहीं पढ़ सकता हां अगर जुमे की नमाज़ में भूले से जुमा या मुनाफ़ेक़ून के सूरे की जगह उन दोनों सूरों में से किसी एक को शुरू कर दे तो उन्हें बीच में छोड़ कर सूरा-ए-जुमा या मुनाफ़ेक़ून पढ़ सकता है।

10. अगर नमाज़ में "क़ुल होवल्लाहो अहद" और "क़ुल या अय्योहल काफ़ेरून" के अलावा कोई दूसरा सूरा पढ़ रहा हो और आधे सूरे तक न पहुँचा हो तो उस सूरे को बीच में छोड़ कर दूसरा सूरा पढ़ सकता है।
11. अगर जिस सूरे को पढ़ रहा था उसका कुछ हिस्ला भूल जाए या वक़्त कम होने या किसी और वजह से मजबूरी में उस सूरे को पूरा न कर सके तो उस सूरे को छोड़ कर कोई और सूरा पढ़े और इसमें कोई अंतर नहीं है कि आधे सूरे से ज़्यादा पढ़ चुका है या नहीं पढ़ा है। या जो सूरा पढ़ रहा था वह सूरा-ए-क़ुल होवल्लाहो अहद और सूरा-ए-क़ुल या अय्योहल काफ़ेरून था या कोई और सूरा।
12. मुस्तहब्बी नमाज़ों में हम्द के बाद सूरा पढ़ना ज़रूरी नहीं है चाहे वह नमाज़ नज़्र की वजह से वाजिब ही क्यों न हो गई हो। लेकिन जिन मुस्तहब्बी नमाज़ों के लिए ख़ास सूरे बयान हुए हैं जैसे मां बाप के लिए नमाज़ तो अगर वह नमाज़ पढ़ना चाहता है तो वही सूरे पढ़े जो बयान हुए हैं।

3. तीसरी और चौथी रकअत में क़िराअत के अहकाम

1. नमाज़ की तीसरी और चौथी रकअत में एक बार तस्बीहाते अरबा पढ़ना काफ़ी है लेकिन एहतियाते (मुस्तहब) यह है कि तीन बार पढ़े।
2. जिसे यह याद न हो कि तीन बार तस्बीहाते अरबा पढ़ी है या कम या ज़्यादा तो उस पर कुछ वाजिब नहीं है लेकिन अगर रुकूअ में नहीं गया है तो कम पर बिना रखते हुए तस्बीहाते अरबा को दोहरा सकता है ताकि यक़ीन हो जाए कि तीन बार पढ़ी है।
3. जो इंसान आमतौर पर तीसरी और चौथी रकअत में तस्बीहाते अरबा पढ़ता हो अगर इरादा करे कि अलहम्दो

पढ़ेगा लेकिन अपने इरादे को भूलकर आदत के अनुसार तस्बीहात शुरू कर दे तो नमाज़ सही है और यही हुक्म उस इंसान का भी जो अलहम्दो पढ़ने का आदी हो और इरादा करे कि तस्बीहात पढ़ेगा।

4. अगर कोई इंसान लापरवाही की वजह से तीसरी और चौथी रकअत में भी अलहम्दो के साथ दूसरा सूरा पढ़ ले और नमाज़ के बाद याद आए तो उसकी नमाज़ सही है और उस पर दोबारा नमाज़ पढ़ना वाजिब नहीं है।
5. अगर नमाज़ी क़याम की हालत में शक करे कि अलहम्दो या तस्बीहात पढ़ी है या नहीं तो उसे अलहम्दो या तस्बीहात पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर मुस्तहब इस्तिग़फ़ार (तस्बीहात के बाद) पढ़ते वक़्त शक हो कि तस्बीहात पढ़ी या नहीं तो तस्बीहात का पढ़ना ज़रूरी नहीं है।
6. अगर तीसरी या चौथी रकअत के रुकूअ में पहुँचने के बाद शक करे कि अलहम्दो या तस्बीहाते अरबआ पढ़ी थी या नहीं तो उस शक पर ध्यान न दे लेकिन अगर रुकूअ में जाते हुए शक हो और अभी रुकूअ की हद तक न पहुँचा हो तो एहतियाते वाजिब की बिना पर सीधा खड़े होकर अलहम्दो या तस्बीहात पढ़े।

सवाल

1. रोज़ाना की वाजिब नमाज़ों में क़िराअत का क्या मतलब है?
2. जो आदमी मसअला न जानने की वजह से सूरए फ़ील या सूरए अलम नशरह् में से केवल एक सूरा पढ़े उसकी नमाज़ का क्या हुक्म है?
3. वाजिब नमाज़ों में सजदे वाले सूरों के पढ़ने का क्या हुक्म है?
4. मुस्तहब्बी नमाज़ों में सूरे पढ़ने का क्या हुक्म है?
5. जिसे याद न हो कि उसने तीसरी या चौथी रकअत में तस्बीहाते अरबा तीन बार पढ़ी है या कम या ज़्यादा तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है?
6. अगर कोई इंसान नमाज़ की तीसरी या चौथी रकअत में भूले से अलहम्दो व सूरा दोनों पढ़ ले और नमाज़ के बाद याद आए तो क्या उस पर दोबारा नमाज़ पढ़ना वाजिब है?

पाठ

41

पंजगाना नमाज़ें (7)

नमाज़ के वाजेबात (4)

4. क़िराअत में जेह्र व इख़्फ़ात (धीरे या आवाज़ के साथ पढ़ना)

जेह्र व इख़्फ़ात

पहली और दूसरी रकअत में अलहम्दो और दूसरे सूरे में जेह्र व इख़्फ़ात

सुबह, मग़रिब और इशा की नमाज़ में

नमाज़ी मर्द है तो आवाज़ के साथ पढ़े।

नमाज़ी औरत हैः चाहे तो आवाज़ से पढ़े चाहे तो धीरे धीरे, लेकिन अगर नामहरम आवाज़ सुन रहा है तो धीरे पढ़ना बेहतर है।

ज़ोह्र व अस्र की नमाज़ः

“बिस्मिल्लाह” के अलावा धीरे पढ़ना चाहिए चाहे नमाज़ी मर्द हो या औरत।

तीसरी या चौथी रकअत में केवल अलहम्दो या तस्बीहाते अरबा में जेह्र व इख़्फ़ात

धीरे पढ़ना चाहिए चाहे नमाज़ी मर्द हो या औरत। लेकिन अगर अलहम्दो पढ़ रहा है तो फ़ुरादा नमाज़ में “बिस्मिल्लाहिर्रहमा

निर्रहीम" को आवाज़ के साथ पढ़ सकता है अगरचे एहतियात यही है कि "बिस्मिल्लाह" भी धीरे कहे। जमाअत में यह एहतियात वाजिब है।

1. सुबह, मग़रिब और इशा की नमाज़ में मर्दों के लिए अलहम्दो व दूसरा सूरा आवाज़ में और ज़ोह्र व अस्र की नमाज़ में धीरे पढ़ना वाजिब है। औरतों को भी ज़ोह्र व अस्र की नमाज़ में अलहम्दो और दूसरे सूरे को धीरे पढ़ना चाहिए लेकिन सुबह, मग़रिब और इशा की नमाज़ में औरतों को छूट है कि अलहम्दो और दूसरा सूरा आवाज़ से पढ़ें या धीरे हां अगर नामहरम उनकी आवाज़ सुन रहा हो तो धीरे पढ़ना बेहतर है।
2. मर्दों और औरतों दोनों के लिए वाजिब है कि तीसरी या चौथी रकअत में तस्बीहाते अरबा या अलहम्दो को धीरे पढ़ें। लेकिन अगर अलहम्दो पढ़ रहा हो तो फ़ुरादा नमाज़ में "बिस्मिल्लाहिर्रहमान" को आवाज़ से कह सकता है। अगरचे एहतियात यही है कि "बिस्मिल्लाह" भी धीरे कहे। नमाज़े जमाअत में यह एहतियात वाजिब है।
   - सुबह, मग़रिब और इशा की नमाज़ में आवाज़ से पढ़ना और ज़ोह्र व अस्र की नमाज़ में धीरे पढ़ने का वाजिब होना केवल अलहम्दो और सूरे की क़िराअत के लिए है जैसा कि तीसरी और चौथी रकअत में धीरे पढ़ने का हुक्म भी अलहम्दो या तस्बीहाते अरबा के लिए है लेकिन रुकूअ व सजदे के ज़िक्र, तशह्हुद, सलाम और पंजगाना नमाज़ों की दूसरी वाजिब चीज़ों में नमाज़ी को छूट है कि आवाज़ से पढ़े या धीरे धीरे।
   - वाजिब नमाज़ों में जेहर व इख़्फ़ात के सिलसिले में अदा और क़ज़ा नमाज़ों के बीच कोई फ़र्क़ नहीं है चाहे क़ज़ा नमाज़ एहतियात की वजह से पढ़ रहा हो।

- इख़फ़ात (धीमी आवाज़ में पढ़ने) का मापदंड आवाज़ न होना नहीं है बल्कि मापदंड “आवाज़ का ज़ाहिर न करना” है और इसके विपरीत जेह्र (आवाज़ से पढ़ने) का मापदंड “आवाज़ का निकलना और ज़ाहिर करना” है।
- अगर जिस जगह आवाज़ से पढ़ना वाजिब है वहां जानबूझ कर धीरी आवाज़ में और जिस जगह इख़फ़ात वाजिब है वहाँ जानबूझ कर आवाज़ में पढ़े तो नमाज़ बातिल है लेकिन अगर भूले से या मसअला न जानने की वजह से ऐसा करे तो नमाज़ सही है। अगर अलहम्दो और दूसरा सूरा पढ़ते हुए याद आ जाए तो जितना जेहर व इख़फ़ात के हुक्म के हिसाब से ग़लत पढ़ चुका है उसे दोबारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है।
- अगर कोई अलहम्दो और सूरे को बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में पढ़े यानि उसे चिल्ला कर पढ़े तो नमाज़ बातिल है।

5. क़िराअत के वाजेबात

1. क़िराअत में शब्दों का इस तरह उच्चारण करना ज़रूरी है कि उसे क़िराअत (पढ़ना) कहा जा सके इसलिए शब्दों को ज़बान पर लाए बिना दिल ही दिल में शब्दों को दोहराना काफ़ी नहीं है। क़िराअत यानि जब इंसान शब्द बोले और उन्हें ज़बान पर जारी करे (तो अगर ऊँचा न सुनता हो या वहाँ शोर शराबा न हो) तो ख़ुद सुन ले।
   - जो इंसान गूँगा हो लेकिन उसका होश व सेंस काम कर रहा हो अगर वह इशारे से नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ सही और काफ़ी भी।

2. वाजिब है कि क़िराअत सही और बिना किसी तरह की ग़लती के हो और जो इंसान किसी भी सूरत में सही तरीक़े से अलहम्दो और सूरा पढ़ना नहीं सीख सकता उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे भी पढ़ सके नमाज़ पढ़े और एहतियाते मुस्तहब यह है कि जमाअत के साथ नमाज़ पढ़े।

- जो इंसान अलहम्दो और सूरा या नमाज़ के दूसरे ज़िक्रों को सही तरह से नहीं पढ़ सकता लेकिन सीख सकता है तो अगर नमाज़ क़ज़ा होने में इतना वक़्त बाक़ी हो कि सीख सकता हो तो उस पर सीखना ज़रूरी है और अगर वक़्त तंग हो तो एहतियाते वाजिब है जहाँ तक मुमकिन हो जमाअत के साथ नमाज़ पढ़े।
- क़िराअत के सही होने का मापदंड यह है कि क़िराअत अरबी ज़बान के ग्रामर के अनुसार हो और अक्षरों को उनके निकलने की जगह से इस तरह अदा किया जाए कि अरबी ज़बान वाले यह न कहें कि उसने किसी और अक्षर का उच्चारण किया है।
- क़िराअत में तजवीद को अच्छा और ख़ूबसूरत बनाने वाले क़ायदों पर अमल करना ज़रूरी नहीं है।
- अगर अलहम्दो और सूरे का कोई वर्ड मालूम न हो या जानबूझ कर कोई वर्ड न पढ़े या जानबूझ कर किसी अक्षर की जगह दूसरा अक्षर कह दे जैसे ("ज़ाद", ض) की जगह ("ज़े', ز) कहे या ज़ेर व ज़बर (َव ِ) को बदल दे या तशदीद (ّ) को अदा न करे तो नमाज़ बातिल है।
- जो इंसान अलहम्द व सूरे की क़िराअत या नमाज़ के शब्दों की मात्राओं में ग़लती करता था जैसे यूलद

शब्द में लाम को ज़बर (अ की मात्रा) की जगह ज़ेर (ई की मात्रा) के साथ पढ़ता था तो अगर यह ग़लती जानबूझ कर थी या जाहिले मुक़स्सिर था (सीख सकता था मगर लापरवाही की) तो एहतियाते वाजिब की बिना पर नमाज़ बातिल है वरना सही है। (यानि लापरवाही और जानबूझ के नहीं किया है तो नमाज़ सही है)। हाँ अगर पिछली नमाज़ों में की गई क़िराअत के सही होने का यक़ीन रखता हो इस शर्त के साथ कि लापरवाही और जानबूझ के न किया हो तो उन नमाज़ों की क़ज़ा या उन्हें दोबारा पढ़ना वाजिब नहीं है बल्कि वह सही हैं।

- आयत (مالك يوم الدين "मालिके यौमिद्दीन") में (مالك मालिके) को "मलिके" भी पढ़ा गया है। एहतियात के हिसाब से नमाज़ में दोनों तरह पढ़ने में कोई हरज नहीं है।
- नमाज़ की क़िराअत में अगर कोई एक आयत को दूसरी आयत से मिलाए तो पहली आयत की आख़िरी हरकत (मात्रा) का ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर "मालिके यौमिद्दीन" कहने में नून को साकिन कर दे और बिना फ़ास्ले के "इय्याका नअबुदू व इय्याका नसतईन" कहे तो कोई हरज नहीं है। इसे अरबी में "वस्ल बे सुकून" कहा जाता है। (पहले वाले अक्षर को साकिन कर दें और बाद वाले से मिला दें)। इसी तरह एक आयत के शब्दों का भी यही हुक्म है। अगरचे एक आयत के बारे में एहतियाते (मुस्तहब) यह है कि "वस्ल बे सुकून" न करे।

- अगर आयत ग़ैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ पर ठहर जाए फिर अत्फ़े फ़ौरी के बिना वलज़्ज़ाल्लीन "وَلاَ الضَّآلِّينَ" पढ़े तो अगर यह ठहरना और फ़ास्ला इतना कम हो कि वक़्फ़ करने यानि ठहरने के बाद भी उसे एक ही जुम्ला कहा जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है।
- अगर आयत पूरी करने के बाद शक करे कि आयत सही तरह से पढ़ी है नहीं? तो अपने शक पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी तरह अगर आयत के किसी जुम्ले को पढ़ने के बाद शक हो कि सही तरह से पढ़ा कि नहीं? जैसे ('इय्याका नअबुदू' إِيَّاكَ نَعْبُدُ) कहने के बाद शक हो कि सही में अदा हुआ या नहीं? हाँ इन सभी जगहों पर जिनके बारे में शक हो कि सही अदा हुआ है कि नहीं अगर एहतियात के लिए उन्हें दोबारा पढ़ना चाहे तो कोई हरज नहीं है।

3. अलहम्दो और सूरा या तस्बीहाते अरबा पढ़ते वक़्त बदन आराम और ठहरा हुआ होना चाहिए इसलिए अगर थोड़ा आगे, पीछे या दाएं और बाएं होना चाहे हो तो हरकत के वक़्त जिस ज़िक्र को पढ़ रहा है उसे रोक देना चाहिए।

6. क़िराअत के आदाब

1) क़िराअत के कुछ मुस्तहब्बात

6. पहली रकअत में अलहम्दो से पहले कहे "अऊज़ो बिल्लाहे मिनश् शैतानिर्रजीम"
   اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

7. ज़ोह्र व अस्र की पहली और दूसरी रकअत में ("बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम"
بسم الله الرحمن الرحيم
को आवाज़ से कहना।

8. अलहम्दो और सूरे को ठहर ठहर कर पढ़ना।

9. हर आयत के आख़िर में ठहरना यानि बाद वाली आयत से न मिलाना।

10. अलहम्दो और सूरा पढ़ते वक़्त आयतों के मतलब पर ध्यान देना।

11. अलहम्दो ख़त्म होने के बाद ("अल्हमदो लिल्लाहे रब्बिल आलेमीन", الحمد لله رب العالمين) कहना। चाहे फ़ुरादा पढ़ रहा हो या जमाअत से इमाम हो या मामूम।

12. "क़ुल होवल्लाह" قل هو الله ख़त्म होने के बाद एक, दो या तीन बार ('कज़ालिकल्लाहो रब्बी', كذالك الله ربي) कहना।

13. अलहम्दो और इसी तरह दूसरा सूरा पढ़ने के बाद एक पल के लिए रुके उसके बाद नमाज़ को आगे बढ़ाए।

14. तीसरी और चौथी रकअत में तस्बीहाते अरबआ के बाद इस्तिग़फ़ार करे जैसे कहे ("अस्तग़ फिरुल्लाहा रब्बी व अतूबो इलैह", استغفر الله ربي و اتوب اليه) या ("अल्लाहुम्मग़फ़िरली", اللهم اغفرلی)।

2) क़िराअत के कुछ मकरूहात

1. पंजगाना नमाज़ की किसी भी रकअत में सूरा-ए-'क़ुल हुवल्लाह' न पढ़ना।

2. सूरा-ए- “क़ुल हुवल्लाह” के अलावा किसी नमाज़ की दोनों रकअतों में एक ही सूरे को पढ़ना मकरूह है।

सवाल

1. क्या सुबह और मग़रिब व इशा की नमाज़ों में औरतें अलहम्दो और सूरे को आवाज़ से पढ़ सकती हैं?
2. अगर सुबह की क़ज़ा नमाज़ पढ़ रहे हों तो आवाज़ से पढ़ना चाहिए या धीरे?
3. आवाज़ में पढ़ी जाने वाली (जेह्री) नमाज़ों को अगर आवाज़ के साथ नहीं पढ़ा तो उसका क्या हुक्म है?
4. अगर कोई इंसान उसी तरह नमाज़ पढ़ता रहा जिस तरह उसने माँ बाप से या मकतब में सीखी थी फिर बाद में मालूम हुआ कि वह सही तरीक़े से शब्दों को अदा नहीं करता था तो उसकी पिछली नमाज़ें सही हैं या बातिल?
5. क़िराअत के सही होने का मापदंड क्या है?
6. "वस्ल बे सुकून" का क्या मतलब है? और इसका क्या हुक्म है?

पाठ

42

पंजगाना नमाज़ें (8)

नमाज़ के वाजेबात (5)

5. रुकूअ

1. रुकूअ का मतलब और उसका हुक्म

हर रकअत में क़िराअत के बाद एक रुकूअ वाजिब है। रुकूअ का मतलब है इतना झुकना कि हाथों को घुटनों पर रख सके।

- अगर रुकूअ में जाने और बदन के ठहर जाने के बाद सर उठा ले और दोबारा रुकूअ की नियत से झुके तो नमाज़ बातिल है (इसलिए कि रुकूअ 'रुक्न' है और उसके ज़्यादा होने से नमाज़ बातिल हो जाती है।)

2. रुकूअ के वाजेबात

रुकूअ के वाजेबात

1. इतना झुकना कि हाथ घुटनों पर रख सके।
2. ज़िक्र।
3. रुकूअ का ज़िक्र पढ़ते वक़्त बदन में ठहराव होना।
4. रुकूअ के बाद उठना।

5. रुकूअ के बाद बदन का ठहरा होना। (हिले डुले नहीं)

1. इतना झुकना कि हाथों को घुटनों पर रख सके

1. हर रकअत में क़िराअत के बाद इतना झुकना बाजिब है कि हाथों को घुटनों पर रख सके। और अगर सिर्फ़ उंगलियों के सिरे घुटनों तक पहुँच जाऐं तब भी काफ़ी है।
2. एहतियाते (वाजिब) यह है कि रुकूअ में हाथों को घुटनों पर रखे।
3. रुकूअ की नियत से झुकना चाहिए, इसलिए अगर किसी और काम के लिए जैसे किसी जानवर को मारने या किसी चीज़ को उठाने के लिए झुके तो उसका शुमार रुकूअ में नहीं होगा। बल्कि सीधे खड़े होकर दोबारा रुकूअ में जाए और इस अमल से रुक्न ज़्यादा नहीं होगा और नमाज़ भी बातिल नहीं होगी।
4. जो इंसान बैठ कर रूकूअ कर रहा है उसके लिए इतना झुकना काफ़ी है कि मुँह घुटनों के बराबर हो जाए।

2. ज़िक्र

रुकूअ में एक बार ("सुब्हाना रब्बियल अज़ीमे व बेहम्दे" سبحان ربی العظیم و بحمده) या तीन बार ("सुब्हान अल्लाह" سبحان الله) कहना वाजिब है। अगर उसके अलावा कोई दूसरा ज़िक्र जैसे ("अल्हम्दो लिल्लाह" الحمد لله) या ("अल्लाहो अकबर" الله اکبر) आदि कहे तो वह भी काफ़ी है इस शर्त के साथ कि रूकूअ के ज़िक्र के बराबर हो।

3. रुकूअ का ज़िक्र पढ़ते हुए बदन ठहरा होना चाहिए

1. रुकूअ में वाजिब ज़िक्र पढ़ते वक़्त बदन में ठहराव होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि जब मुस्तहब की नियत से ज़िक्र पढ़ रहा हो जैसे "सुब्हाना रब्बियल अज़ीमे व बेहम्दे" को दोहरा रहा हो तब भी एहतियाते वाजिब की बिना पर बदन को ठहरा होना चाहिए।
2. अगर कोई इंसान रूकूअ का ज़िक्र पढ़ रहा हो और उसका बदन अनायास हिल जाए और जितना ठहराव रूकूअ में वाजिब है वह ख़त्म हो जाए तो बदन ठहरने के बाद दोबारा वाजिब ज़िक्र कहना चाहिए।
3. जिसे मालूम है कि रुकूअ का ज़िक्र पढ़ते हुए बदन का ठहरा होना वाजिब है।

- अगर रुकूअ की हद तक पहुँचने और बदन ठहरने से पहले ज़िक्र शुरू कर दे।
    - ➢ अगर जानबूझ कर हो तो नमाज़ बातिल है।
    - ➢ अगर भूले से हो तो रुकूअ में जाने और बदन के ठहरने के बाद दोबारा वाजिब ज़िक्र पढ़े।
- अगर वाजिब ज़िक्र ख़त्म होने से पहले रुकूअ से सर उठा ले।
    - ➢ जानबूझ कर हो तो नमाज़ बातिल है।
    - ➢ भूले से होः
        - ○ अगर रुकूअ से सर उठाने से पहले उसका ध्यान इस तरफ़ चला जाए कि रूकूअ का ज़िक्र पूरा नहीं किया है तो उसी हालत में बदन ठहरने के बाद ज़िक्र पढ़े।
        - ○ अगर रुकूअ से सर उठाने के बाद मालूम हो कि ज़िक्र पूरा नहीं हुआ था तो नमाज़ सही है।

4. जो इंसान बीमारी या किसी और वजह् से तीन बार "सुब्हानल्लाह" कहने तक रुकूअ की हालत में नहीं रह सकता उसके लिए काफ़ी है कि एक बार "सुब्हानल्लाह" कहे। और अगर केवल एक क्षण के लिए भी रुकूअ में जा सकता है तो एहतियाते वाजिब यह है कि उसी क्षण ज़िक्र पढ़ना शुरू कर दे और सर उठाते हुए ज़िक्र पूरा करे।

4. रुकूअ के बाद सीधे खड़े होना और बदन में ठहराव

रुकूअ का ज़िक्र ख़त्म होने के बाद नमाज़ी पर वाजिब है कि सीधा खड़ा हो जाए और बदन ठहरने के बाद सजदे में जाए इसलिए अगर जानबूझ कर सीधा खड़ा होने या बदन के ठहरने से पहले सजदे में चला जाए तो नमाज़ बातिल है।

5. जो इंसान रुकूअ भूल जाए

सजदे में पहुँचने से पहले याद आ जाए तो सीधा खड़ा हो जाए और फिर रुकूअ में जाए इसलिए अगर झुके झुके रुकूअ की हालत में चला जाए तो यह काफ़ी नहीं है और अगर उसी रुकूअ को काफ़ी समझे तो नमाज़ बातिल है।

दूसरे सजदे में पहुँचने के बाद याद आए तो उसकी नमाज़ बातिल है (इसलिए कि एक रुक्न को छोड़ कर दूसरे रुक्न में चला गया है।)

दूसरे सजदे में पहुँचने से पहले याद आ जाए (यानि पहले सजदे में या पहला सजदा पूरा करने के बाद दूसरे सजदे में पहुँचने से पहले) तो सीधा खड़ा हो जाए, रुकूअ करे और फिर दोनों सजदे करे और नमाज़ पूरी करने के बाद एहतियाते (वाजिब) की बिना पर एक सजदा ज़्यादा हो जाने की बिना पर दो सजदा-ए-सह्व[1] करे।

---

1. नमाज़ में भूलने या किसी चीज़ के ज़्यादा हो जाने पर नमाज़ के बाद उस भूल की वजह् से दो सजदे करना और फिर तशह्हुद व सलाम पढ़ना।

5. रुकूअ के कुछ मुस्तहबात

1. रुकूअ में जाने से पहले क़याम की हालत में तकबीर कहना।
2. अगर नमाज़ी मर्द है तो घुटनों को पीछे की तरफ़ धकेले और अगर औरत है तो पीछे की तरफ़ न धकेले।
3. सर को नीचे न करे बल्कि अपनी पीठ के बराबर रखे।
4. दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखे।
5. अपने दोनों पैरों के बीच निगाहें जमाए रहे।
6. रुकूअ के ज़िक्र से पहले या उसके बाद सलवात पढ़े।
7. रुकूअ से सर उठा कर सीधे खड़े होकर और बदन के ठहरने के बाद ("समेअल्लाहो लेमन हमेदह" سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) कहे।
8. अगर नमाज़ी औरत है तो हाथों को घुटनों से ऊपर रखे।

सवाल

1. रुकूअ के वाजेबात क्या हैं?
2. क्या रुकूअ की हालत में हाथों का घुटनों पर रखना वाजिब है?
3. जो इंसान बैठ कर नमाज़ पढ़ रहा है उसे रुकूअ के लिए किस हद तक झुकना चाहिए?
4. अगर कोई इंसान रूकूअ का ज़िक्र पढ़ रहा हो और उसका बदन अनायास हिल जाए और जितना ठहराव रूकूअ में वाजिब है वह ख़त्म हो जाए तो उसका क्या हुक्म है?
5. अगर कोई इंसान रुकूअ भूल जाए और दूसरे सजदे में पहुँचने से पहले याद आ जाए तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है?
6. रुकूअ के पाँच मुस्तहबात बयान कीजिए?

पाठ

43

पंजगाना नमाज़ें (9)

नमाज़ के वाजेबात (6)

6. सजदा

1. सजदे का मतलब और उसका हुक्म:

नमाज़ी पर वाजिब और मुस्तहब्बी नमाज़ों की हर रकअत में रुकूअ के बाद दो सजदे करना वाजिब है और सजदे का मतलब है “ख़ुज़ूअ व ख़ुशूअ के साथ पेशानी को ज़मीन पर रखना। (यानि अल्लाह की बारगाह में विनम्रता के साथ गिड़गिड़ाते हुए ख़ुद को समर्पित करते हुए माथे को ज़मीन पर रखना”)

- हर रकअत में दोनों सजदे मिल कर एक “रुक्न” होते हैं जिसका मतलब यह है कि जानबूझ कर या भूले से अगर दोनों सजदे छोड़ दे या ज़्यादा कर दे तो नमाज़ बातिल है।
- अगर जानबूझ कर एक सजदा कम या ज़्यादा कर दे तब भी नमाज़ बातिल है और अगर भूले से ऐसा हो जाए तो नमाज़ बातिल नहीं है लेकिन उसके कुछ अहकाम हैं जो बाद में बयान किए जाएंगे।

2. सजदे के वाजेबात

1. बदन के सात अंगों को ज़मीन पर रखना। (आज़ाए सजदा)
2. ज़िक्र।
3. सजदे का ज़िक्र पढ़ते वक़्त बदन का ठहरा होना।
4. सजदे का ज़िक्र पढ़ते वक़्त सातों अंगों का ज़मीन पर होना।
5. दोनों सजदों के बीच ज़मीन से सर उठाना और आराम से बैठना।
6. खड़े होने की जगह और सजदा करने की जगह में चार मिली हुई उंगलियों से ज़्यादा का अंतर न हो।
7. माथा रखने की जगह का पाक होना।
8. माथे और जिस चीज़ पर सजदा कर रहा है उसके बीच कोई रूकावट न हो।
9. ऐसी चीज़ पर माथा रखना जिस पर सजदा सही है।
10. जिन रकअतों में तशह्हुद नहीं है उनमें दूसरे सजदे के बाद एहतियाते वाजिब की बिना पर बैठना।

1. बदन के सात अंगों को ज़मीन पर रखना।

सजदे में बदन के सात अंगों का ज़मीन पर रखना ज़रूरी है।

1. माथा

2. 3. दोनों हथेलियाँ

4. 5. दोनों घुटने

6.7. दोनों पैरों के अंगूठों के सिरे

- नमाज़ के दौरान ऐसे मौज़ेक पर हाथ रखने में कोई हरज नहीं है कि जिसमें छोटे छोटे सुराख़ हों।
- सजदे की हालत में पैरों के अंगूठों के अलावा कुछ उंगलियों को भी ज़मीन पर रखने में कोई हरज नहीं है।

2. अगर जानबूझ कर या भूले से माथे को ज़मीन पर न रखे तो सजदा नहीं होगा चाहे बाक़ी के 6 अंग (दोनो हथेलियाँ, दोनो घुटने, दोनो पैर के अँगूठे) ज़मीन पर हों लेकिन अगर माथा ज़मीन पर हो और दूसरे हिस्से भूले से ज़मीन पर न रखे या सजदे के ज़िक्र को भूल जाए तो सजदा सही है।
3. जो इंसान माथे को ज़मीन तक नहीं पहुंचा सकता है, जितना मुमकिन हो उतना झुके और सजदेगाह को या जिस चीज़ पर सजदा सही है उसे किसी ऊंची चीज़ पर रखे और उस पर इस तरह अपना माथा रखे कि यह कहा जाए कि उसने सजदा किया है। लेकिन अगर मुमकिन हो तो हथेलियों, घुटनों और पैरों के अंगूठों को उसी तरह ज़मीन पर रखे जिस तरह आम तौर पर सजदे में रखते हैं और अगर ऐसी कोई चीज़ मौजूद न हो कि जिस पर सजदेगाह को रखे तो सजदेगाह को हाथ से उठा कर उस पर माथा रखे।
4. अगर कोई इंसान ऊंची चीज़ पर भी सजदा नहीं कर सकता, तो उसे सजदे के बदले सर से और सर से भी मुमकिन न हो तो आँख से इशारा करना चाहिए।
    - जो इंसान किसी ख़ास फ़िज़ीकल मुश्किल की वजह से सातों अंगों को ज़मीन पर नहीं रख सकता है और वह व्हील चेयर इस्तेमाल करता है तो अगर कुर्सी के हत्थे या किसी और ऊँची चीज़ जैसे मेज़ या तकिये पर सजदेगाह रख कर सजदा कर सकता हो तो उसी तरह सजदा करे और उसकी नमाज़ सही है और अगर यह भी मुमकिन न हो तो जैसे भी मुमकिन हो चाहे इशारे से ही सही रुकूअ व सजदा करे और इस सूरत में उसकी नमाज़ सही है।
5. जब भी ऐसी ज़मीन पर नमाज़ पढ़े जो गीली और कीचड़ वाली हो, तो अगर बदन या कपड़े का गंदा होना उसके लिए

मुश्किल का सबब हो तो खड़े खड़े सजदे के लिए सर से इशारा करे और क़याम की हालत में ही तशह्हुद पढ़े।

1. ज़िक्र

सजदे में एक बार "सुब्हाना रब्बियल आला व बेहम्देही" (سبحان ربّی الاعلیٰ وبحمدہ) या तीन बार 'सुब्हानल्लाह' (سبحان اللہ) कहना वाजिब है। इसकी जगह पर अगर कोई और ज़िक्र जैसे "अल्हम्दो लिल्लाह" (الحمد للہ) या "अल्लाहो अकबर" (اللہ اکبر) कहे तो भी काफ़ी है लेकिन शर्त यह है कि इतनी ही मात्रा में होना चाहिए। (यानि सजदे के ज़िक्र के बराबर हो)

2. सजदे का ज़िक्र पढ़ते वक़्त बदन में सुकून व ठहराव

1. सजदे की हालत में जब वाजिब ज़िक्र पढ़ रहा हो बदन को ठहरा होना चाहिए बल्कि सजदे में अगर मुस्तहब की नियत से भी कोई ज़िक्र पढ़ रहा है जैसे "सुब्हाना रब्बियल आला व बेहम्दे" (سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ) को दोहरा रहा है उस बीच भी बदन को हिलना डुलना नहीं चाहिए।
2. जिसे मालूम है कि सजदे का ज़िक्र पढ़ते वक़्त बदन ठहरा होना चाहिए अगर सजदे में पहुँचने और बदन के ठहरने से पहले ज़िक्र शुरू कर दे।

- अगर जानबूझ कर हो तो नमाज़ बातिल है।
- अगर भूले से हो:
  - ➢ सजदे की हालत में ही याद आ जाए: बदन ठहर जाने के बाद दोबारा ज़िक्र कहे।
  - ➢ सजदे से सर उठाने के बाद ध्यान आये: नमाज़ सही है।
- ज़िक्र मुकम्मल होने से पहले सजदे से सर उठा ले

- जानबूझ कर सर उठाए तो नमाज़ बातिल है।
- भूले से सर उठ जाए तो नमाज़ सही है।

3. अगर गद्दे या किसी ऐसी चीज़ पर सजदा कर रहा है कि जिस पर शुरू में तो बदन हिलता डुलता रहता है लेकिन बाद में ठहर जाता है तो कोई हरज नहीं है।

4. सजदे में ज़िक्र पढ़ते वक़्त सातों अंगों का ज़मीन पर होना।

1. सजदे से वाजिब ज़िक्र पढ़ते वक़्त अगर जानबूझ कर अपने सातों अंगों में से किसी एक को ज़मीन से उठा ले तो नमाज़ बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर ज़िक्र न कर रहा हो तो माथे के अलावा किसी दूसरे अंग को उठा ले और दोबारा रख दे तो इसमें कोई हरज नहीं है।
2. अगर सजदे का ज़िक्र ख़त्म होने से पहले भूले से माथा ज़मीन से उठा ले तो दोबारा ज़मीन पर नहीं रख सकता और उसी को एक सजदा माना जाएगा लेकिन अगर किसी और हिस्से को भूले से उठा ले तो दोबारा ज़मीन पर रख कर ज़िक्र पूरा करना चाहिए।
3. अगर सजदा करते वक़्त माथा ज़मीन पर लगे और बे इख़्तियार उठ जाए तो वाजिब है कि माथे को दोबारा ज़मीन पर रखे और ज़िक्र को पढ़े और इसको एक सजदा माना जाएगा।

5. दोनों सजदों के बीच सर उठाना और आराम से बैठना।

पहले सजदे का ज़िक्र ख़त्म होने के बाद वाजिब है कि आराम से बैठे और उसके बाद दूसरा सजदा करे।

6. सजदे की जगह का बराबर होना और चार मिली हुई उंगली से ज़्यादा ऊँचा, नीचा न होनाः

सजदे की हालत में माथे की जगह को घुटनों और पैरों के अंगूठों की जगह से चार मिली हुई उंग्लियों से ज़्यादा ऊँचा या नीचा नहीं होना चाहिए।

7. सजदे में माथा रखने की जगह का पाक होना।

सजदेगाह या जिस चीज़ पर सजदा कर रहा है उसका पाक होना ज़रूरी है लेकिन अगर सजदेगाह नजिस चटाई पर रखी हो या एक तरफ़ से नजिस हो और वह दूसरी तरफ़ माथा रखके सजदा करे तो कोई हरज नहीं है।

8. माथे और सजदेगाह के बीच रूकावट न होना।

माथे और जिस चीज़ पर सजदा कर रहा है उसके बीच कोई रूकावट नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर कोई चीज़ रूकावट हो जैसे सर के बाल या टोपी या सजदेगाह पर इतना मैल हो कि माथा सजदेगाह तक न पहुँचे तो नमाज़ बातिल है।

- अगर सजदे के बीच नमाज़ी को मालूम हो जाए कि किसी रूकावट जैसे चादर या दुपट्टा या.. की वजह से माथा सजदेगाह पर नहीं रखा है तो सर को उठाए बिना माथे को इस तरह हरकत दे कि माथा सजदेगाह पर आ जाए लेकिन सर उठा लिया तो अगर मसअला न जानने या भूल जाने की वजह से केवल एक रकअत के एक सजदे में ही ऐसा हुआ है तो नमाज़ सही है और दोबारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर मसअला जानते हुए जानबूझ कर ऐसा किया है या एक रकअत के दोनों सजदों में ऐसा हुआ है तो नमाज़ बातिल है और दोबारा पढ़ना वाजिब है।

9. ऐसी चीज़ पर माथा रखना कि जिस पर सजदा सही है।

वाजिब है कि इंसान माथे को उस चीज़ पर रखे जिस पर सजदा करना सही है।

10. जिन रकअतों में तशह्हुद नहीं होता उनमें दूसरे सजदे के बाद बैठना।

जिन रकअतों में तशह्हुद नहीं है यानि पहली रकअत और चार रकअती नमाज़ की तीसरी रकअत में एहतियाते वाजिब की बिना पर दूसरे सजदे के बाद बैठे फिर बाद वाली रकअत के लिए खड़ा हो।

सवाल

1. नमाज़ में एक सजदे की कम या ज़्यादा हो जाने का क्या हुक्म है?
2. क्या सजदे में पैरों के अंगूठे के अलावा दूसरी उंगलियों को भी ज़मीन पर रखना जाएज़ है?
3. जो इंसान अपना माथा ज़मीन पर नहीं रख सकता उसकी ज़िम्मेदारी क्या है?
4. क्या गद्दे या उस जैसी चीज़ों पर सजदा करना सही है?
5. क्या गंदी और मैली सजदेगाह पर सजदा सही है?
6. जिन रकअतों में तशहुद नहीं है क्या उन रकअतों में दूसरे सजदे के बाद बैठना वाजिब है?

पाठ

44

पंजगाना नमाज़ें (10)

नमाज़ के वाजेबात (7)

3. वह चीज़ें जिन पर सजदा सही है।

जिन चीज़ों पर सजदा सही है।

1. ज़मीन
2. या ज़मीन से उगने वाली चीज़ें :
   - ✓ तीन शर्तों के साथ
     1) खाई न जाती हो।
     2) पहनी न जाती हो।
     3) खनिज में से न हो

1. वाजिब है सजदा ज़मीन पर हो या ज़मीन से उगने वाले ऐसे पौधों या पत्तियों पर जो खाई न जाती हों जैसे पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, पेड़ों के पत्ते आदि। लेकिन जो चीज़ें खाई या पहनी जाती है चाहे ज़मीन से उगने वाली ही क्यूं न हों जैसे रूई, गेहूँ या खनिज जिनकी गिनती ज़मीन में नहीं

होत जैसे मेटल्स, शीशा आदि तो उन पर सजदा सही नहीं है।

2. मरमर या दूसरे पत्थर जो बिल्डिंग बनाने या उसकी सजावट में इस्तेमाल होते हैं उन पर सजदा सही है इसी तरह अक़ीक़, फ़िरोज़ा और दुर्रे नजफ़ पर भी सजदा सही है एहतियाते (मुस्तहब) यह है कि अक़ीक़, फ़िरोज़ा आदि पर सजदा न किया जाए।
3. वह चीज़ें जो ज़मीन से उगती हैं और केवल जानवर उन्हें खाते हैं उन पर सजदा सही है जैसे घास, भूसा।
4. एहतियाते वाजिब की बिना पर चाय के हरे पत्ते पर सजदा सही नहीं है लेकिन काफ़ी के पत्तों पर कि जिसका खाने में इस्तेमाल नहीं होता सजदा सही है।
5. ऐसे फूलों पर जिन्हें खाया नहीं जाता या जड़ी बूटियों पर जिन्हें केवल बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है सजदा करना सही है जैसे वाइला, होलीहाक के फूल। लेकिन ऐसी जड़ी बूटियां जो इलाज के अलावा दूसरे मेडिकल गुणों की वजह से खाई भी जाती हैं जैसे ख़ाकशीर, (ऐसी प्राकृतिक बूटी है जिसके दाने लाल और पोस्ता के जैसे होते हैं) पर सजदा सही नहीं है।
6. वह पेड़ पौधे जिनको कुछ इलाक़ों में खाया जाता हो या किसी इलाक़े के केवल कुछ लोग खाते हों लेकिन दूसरी जगह वह पौधे खाने में इस्तेमाल न किए जाते हों तो उनको भी खाने वाली चीज़ों में गिना जाएगा और उन पर सजदा सही नहीं है।
7. ईंटा, ठीकरा, चूना पत्थर और सीमेंट पर सजदा सही है।
8. लिनन और रूई के अलावा लकड़ी और पेड़ पौधों से बने हुए काग़ज पर सजदा करना सही है।

9. अगर कोई ऐसी चीज़ न हो कि जिस पर सजदा करना सही है या सर्दी या गर्मी की वजह से उन पर सजदा न कर सकता हो तो अगर उसका कपड़ा लिनन या रूई का हो या लिनन व रूई की कोई चीज़ उसके पास हो तो उस पर सजदा सही है और एहतियाते (वाजिब) यह है कि जब तक लिनन या रूई से बने हुए कपड़े पर सजदा करना मुमकिन हो दूसरी तरह के कपड़ों पर सजदा न करे और अगर यह भी मुमकिन न हो तो एहतियाते वाजिब की बिना पर अपनी हथेली के पिछले हिस्से पर सजदा करे।
10. अगर नमाज़ के बीच ऐसी कोई चीज़ खो जाए कि जिस पर सजदा कर रहा था और कोई ऐसी चीज़ भी मौजूद न हो कि जिस पर सजदा करना सही है तो अगर वक़्त में गुँजाइश हो तो नमाज़ को तोड़ दे और अगर वक़्त तंग हो तो पिछले मसअले की तरतीब पर अमल करे।
11. जहाँ नमाज़ी के लिए तक़य्या करना ज़रूरी है वहाँ क़ालीन या उस जैसी चीज़ों पर सजदा कर सकता है और नमाज़ के लिए दूसरी जगह जाना ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर उसी जगह किसी परेशानी में पड़े बिना चटाई या पत्थर पर सजदा मुमकिन हो तो वाजिब है उन चीज़ों पर सजदा करे।
12. अगर पहले सजदे में सजदेगाह माथे से चिपक जाए तो दूसरे सजदे के लिए सजदेगाह को अलग करना ज़रूरी है और अगर अलग न करे बल्कि उसी तरह सजदे में चला जाए तो नमाज़ का सही होना मुश्किल है।
    - सबसे अच्छा सजदा वह है जिसे मिट्टी और ज़मीन पर किया जाए जो अल्लाह तआला की बारगाह में ख़ुज़ूअ व ख़ुशूअ (विनम्रता और गिड़गिड़ाने) की निशानी है और फ़ज़ीलत व श्रेष्ठता के हिसाब से इमाम हुसैन अ.

की पाक तुरबत "ख़ाके शिफ़ा" से बढ़कर कोई मिट्टी नहीं हो सकती है।

4. **सजदे के कुछ मुस्तहब्बात**

1. बदन ठहर जाने के बाद सजदे से पहले और सजदे के बाद तकबीर कहना।
2. दोनों सजदों के बीच में और बदन में ठहराव आ जाने के बाद अस्तग़फ़ेरुल्लाह रब्बी व अतूबो इलैह (''استغفراللہ ربی واتوب الیہ) पढ़ें ।
3. सजदे को लम्बा करे और उसमें ज़िक्र और दुनिया व आख़िरत के लिए दुआ माँगे और सलवात पढ़े।
4. सजदे के बाद बाईं रान पर बैठे और दाएं पैर के पिछले हिस्से को बाएं पैर के तलवे पर रखे।
   - सजदे की हालत में क़ुरआन पढ़ना मकरूह है (यानि उसमें कम सवाब है।)
   - अल्लाह तआला के अलावा किसी दूसरे के लिए सजदा करना हराम है। कुछ लोग इमामों के रौज़ों की चौखट पर माथा रख देते हैं अगर ऐसा करना अल्लाह तआला का शुक्र अदा करने की नियत से हो तो कोई हरज नहीं है वरना हराम है।
   - चार सूरों "अलिफ़ लाम मीम तंज़ील" (सूरए सजदा), "हाम मीम सजदा" (सूरए फ़ुस्सेलत), "अन्नज्म", "इक़रा" (सूरए अलक़) में एक सजदे वाली आयत है कि अगर कोई इंसान इस आयत को पढ़े या सुने तो फ़ौरन सजदा करना वाजिब है और अगर भूल जाए तो जब भी याद आए सजदा करे।

सजदे वाली आयतें

1. सूर ए सजदाः 32 आयत 15
2. सूर ए फ़ुस्सेलतः 41 आयत 38
3. सूर ए नजमः 53 आयत 62
4. सूर ए अलक़ः 96 आयत 19

- रेडियो, टीवी या टेप रिकॉर्डर से भी अगर सजदे वाली आयत सुने तो सजदा करना वाजिब है।
- क़ुरआन के वाजिब सजदों में भी उन्हीं चीज़ों पर सजदा किया जाना चाहिए जिन पर सजदा सही है। लेकिन इसके अलावा नमाज़ के सजदे की दूसरी शर्तें जैसे क़िब्ले की तरफ़ होना या बावुज़ू होना क़ुरआन के वाजिब सजदे में ज़रूरी नहीं है।
- क़ुरआन के वाजिब सजदों में माथे का ज़मीन पर रख देना ही काफ़ी है और कोई ज़िक्र पढ़ना वाजिब नहीं है हां ज़िक्र कहना मुस्तहब है और बेहतर है कि यह ज़िक्र पढ़े
- ला इलाहा इल्ललालाहो हक़्क़न हक़्क़ा
- ला इलाहा इल्ललालाहो ईमानव व तसदीक़ा
- ला इलाहा इल्ललालाहो अबूदियतंव व रिक़्क़ा सजदतो लका या रब्बे तअब्बोदव व रिक़्क़न ला मुस्तनकेफ़न व ला मुस्तकबेरा बल अना अब्दुन ज़लीलुन ज़ईफ़ुन, ख़ाएफ़ुन मुस्तजीर।

- لَا اِلَٰهَ اِلاَّ اللهُ حَقّاً حَقّاً، لَا اِلَٰهَ اِلاَّ اللهُ اِیمَاناً وَ تَصْدِیقاً، لَا اِلَٰهَ اِلاَّ اللهُ عُبُودِیَّةً وَ رِقّاً، سَجَدْتُ لَكَ یَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً، لَا مُسْتَنْكِفاً وَ لَا مُسْتَكْبِراً، بَلْ اَنَا عَبْدٌ ذَلِیلٌ ضَعِیفٌ خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ

सवाल

1. किन चीज़ों पर सजदा करना सही है? उनकी शर्ते क्या हैं?
2. काग़ज़ पर सजदा करने का क्या हुक्म है?
3. जिस चीज़ पर सजदा कर रहा है अगर वह चीज़ नमाज़ के बीच में खो जाए और कोई ऐसी चीज़ मौजूद न हो कि जिस पर सजदा सही है तो नमाज़ी की किया ज़िम्मेदारी है?
4. सबसे अच्छा सजदा कौन सा सजदा है?
5. कुछ लोग मासूम इमामों अ. की चौखट पर अपना माथा ज़मीन पर रख देते हैं, क्या यह अमल सही है?
6. अगर कोई इंसान कैसिट या रेडियो से सजदे वाली आयत सुने तो क्या फौरन उस पर सजदा करना वाजिब है?

पाठ

45

पंजगाना नमाज़े (11)

नमाज़ के वाजेबात (8)

8. ज़िक्र

1. ज़िक्र का मतलब

हर वह इबारत (शब्द या वाक्य) जिसमें अल्लाह तआला की याद हो वह ज़िक्र है जैसे अल्लाहो अकबर, अलहम्दो लिल्लाह और सुबहानल्लाह। और बेहतरीन ज़िक्रों में से एक ज़िक्र मोहम्मद व आले मुहम्मद अ. पर सलवात है।

2. ज़िक्र के वाजेबात

1. नमाज़ के ज़िक्रों को इस तरह पढ़ना चाहिए कि कहा जा सके कि उसने उच्चारण किया है और उसकी निशानी यह है कि नमाज़ी जो पढ़ रहा है और जो ज़िक्र उसकी ज़बान पर है अगर ऊँचा न सुनता हो या उसके इर्द गिर्द में शोर-ग़ुल न हो तो ख़ुद सुन सके।
2. नमाज़ के तमाम ज़िक्रों को सही अरबी ज़बान में पढ़ना वाजिब है। अगर नमाज़ी अरबी के शब्दों को सही तरीक़े से

पढ़ना न जानता हो तो सीखना वाजिब है और अगर सीखना उसके लिए मुमकिन न हो तो उसे छूट है जैसे पढ़ सकता है पढ़े।

3. तमाम वाजिब और मुस्तहब ज़िक्रों को उस वक़्त पढ़ना चाहिए जब बदन में हरकत न हो। इसलिए अगर हरकत करना या आगे पीछे होना चाहे या दाएं बाएं झुकना चाहे तो हिलने की सूरत में वाजिब है कि ज़िक्र को छोड़ दे। हाँ नमाज़ के ज़िक्र के अलावा अगर केवल सवाब के लिए ज़िक्र कहना है तो उसे हरकत की सूरत में पढ़ सकता है।

- अगर भूले से रुकूअ में सजदे और सजदे में रुकूअ का ज़िक्र कह दे तो इसमें कोई हरज नहीं है लेकिन जानबूझ कर ज़िक्र का बदलना जाएज़ नहीं है मगर यह कि उसने नमाज़ के ज़िक्र के अलावा केवल सवाब के इरादे से पढ़ा हो।
- अगर नमाज़ी को रुकूअ या सजदे के बाद मालूम हो कि रुकूअ या सजदे के ज़िक्र में ग़लती हो गई है तो अगर रुकूअ और सजदे से आगे बढ़ चुका है तो उस पर कुछ वाजिब नहीं है।
- रुकूअ और सजदे में वाजिब ज़िक्र ख़त्म करने के बाद उसी वाजिब ज़िक्र को दोहराना चाहिए और बेहतर यह है कि सम नंबर पर ख़त्म करे (यानि 3, 5, 7, आदि)। इसके अलावा सजदे में सलवात और दुनिया व आख़िरत के लिए दुआ मांगना भी मुस्तहब है।
- रुकूअ और सजदे में जाने से पहले और सजदे से सर उठाने के बाद तकबीर कहना मुस्तहब है लेकिन वाजिब है कि तकबीर को रुकूअ के लिए झुकते वक़्त नहीं बल्कि सीधे ठहर जाने के बाद कहे इसी तरह सजदे के लिए झुकते हुए और सर उठाते हुए न कहे। हाँ अगर नमाज़ के ज़िक्र की नियत से नहीं बल्कि केवल सवाब के इरादे से पढ़े तो रुकूअ में जाते हुए या सजदे

में जाते हुए या सजदे से सर उठाते हुए तकबीर कह सकता है।

- बाद वाली रकअत के लिए उठते हुए “बेहौलिल्लाहे वक़ूव्वतेही अक़ूमो व अक़उद” بِحَوْلِ اللہِ وَ قُوَّتِہٖ اَقُومُ وَ اَقْعُدُ (अल्लाह तआला की ताक़त व मदद से उठता और बैठता हूँ) कहना मुस्तहब है।

8. तशह्हुद

1. तशह्हुद का मतलब और उसका हुक्म

सभी नमाज़ों की दूसरी रकअत तथा मग़रिब की तीसरी रकअत और चार रकअती नमाज़ों यानि ज़ोहर, अस्र और इशा की चौथी रकअत के बाद वाजिब है कि नमाज़ी आराम से बैठे और अपनी ज़बान से तशह्हुद के ज़िक्र के लिए कुछ जुमले (जिनके बारे में बयान किया जाएगा) कहे और इसे “तशह्हुद” कहते हैं।

2. तशह्हुद का ज़िक्र

तशहुद में यह ज़िक्र वाजिब है

अशहदो अन ला इलाहा इल्लल्लाहो वहदहु ला शरीका लह व अशहदो अन्ना मोहम्मदन अबदुहु व रसूलोह अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद।

اَشھَدُ اَنۡ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ وَحۡدَہٗ لَا شَرِیۡکَ لَہٗ، وَ اَشۡھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُہٗ وَ رَسُوۡلُہٗ،

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

- तशह्हुद से पहले अलहम्दो लिल्लाह (اَلْحَمْدُ لِلہِ) या “बिस्मिल्लाहे व बिल्लाहे वल हम्दो लिल्लाहे व ख़ैरुल असमाए लिल्लाह” (بِسْمِ اللہِ وَ بِاللہِ وَ الْحَمْدُ لِلہِ وَ خَیْرُ الْاَسْمَاءِ لِلہِ) कहना मुस्तहब है। और सलवात के बाद “व तक़ब्बल शिफ़ाअतुहू वरफ़ा दराजातुह” (وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَہٗ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَہٗ) कहना मुस्तहब है।

- तशह्हुद में "अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद" कहते वक़्त "मुहम्मद" पर इतने कम वक़्त के लिए ठहरने में कोई हरज नहीं कि जिससे दो अलग अलग जुम्ले न कहलाऐं।

3. तशह्हुद भूल जाना

1. अगर तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो जाए लेकिन रूकूअ से पहले उसे याद आ जाए कि तशह्हुद नहीं पढ़ा है तो बैठ जाए, तशह्हुद पढ़े और फिर तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो कर तीसरी रकअत में जो पढ़ना है पढ़े और नमाज़ पूरी करने के बाद ग़ल्ती से क़याम करने की वजह से एहतियाते मुस्तहब की बिना पर दो सजदा-ए-सह्व करे।
2. अगर तीसरी रकअत के रुकूअ में जाने या उसके बाद याद आए कि तशह्हुद नहीं पढ़ा है तो नमाज़ पूरी करे और सलाम के बाद तशह्हुद भूल जाने की वजह से दो सजदा-ए-सह्व करे एहतियाते (वाजिब) यह है कि सजदा-ए-सह्व से पहले भूले हुए तशह्हुद की क़ज़ा भी करे।

9. सलाम

1. सलाम का मतलब और उसका हुक्म

सलाम नमाज़ का आख़री हिस्सा है और उस पर नमाज़ ख़त्म हो जाती है नमाज़ में जो सलाम वाजिब है वह "अस्सलामो अलैकुम" (اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ) है बेहतर यह है कि "वरहमतुल्लाहे व बरकातुहू"

(وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ)

को उसके साथ जोड़े या यह कहे "अस्सलामो अलैना व अला ऐबादिल्लाहिस्सालेहीन"

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ

- मुस्तहब है कि दो सलाम कहने से पहले कहे

“अस्सलामो अलैका अय्योहन्नबीओ व रहमतुल्लाहे व बरकातोहु”

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

2.सलाम भूल जाना

अगर सलाम कहना भूल जाए मगर नमाज़ की सूरत बिगड़ने और जानबूझ कर या अनजाने में नमाज़ को तोड़ने वाली चीज़ों को करने से पहले याद आ जाए जैसे क़िब्ले की दिशा से मुँह मोड़ने से पहले याद आ जाए तो वाजिब है कि सलाम पढ़े और उसकी नमाज़ सही है।

सवाल

1. ज़िक्र का क्या मलतब है? क्या मुहम्मद व आले मुहम्मद स. पर सलवात भी ज़िक्र में शामिल है?
2. रुकूअ व सजदे के ज़िक्र को जानबूझ कर एक दूसरे की जगह पढ़ने का क्या हुक्म है?
3. रुकूअ व सजदे में वाजिब ज़िक्र के बाद कौन सा ज़िक्र सबसे बेहतर है?
4. क्या नमाज़ में हरकत के दौरान और उठते हुए "बेहौलिल्लाहे व क़ूवतेही अक़ूमो वअक़उद" कहना सही है?
5. क्या तशह्हुद में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद" कहते हुए "मुहम्मद" पर ठहरना और उसके बाद "व आले मुहम्मद" कहना सही है?
6. जो नमाज़ी नमाज़ में सलाम भूल जाए उसकी ज़िम्मेदारी क्या है?

पाठ

46

पंजगाना नमाज़ें (12)

नमाज़ के वाजेबात (9) क़ुनूत ताक़ीब -

10. तरतीब

1. तरतीब का मतलब और उसका हुक्म

नमाज़ी पर वाजिब है कि बयान की गई तरतीब (क्रम) के अनुसार नमाज़ पढ़े यानि हर हिस्से को उसकी सही जगह पर अंजाम दे इसलिए अगर जानबूझ कर तरतीब को बदल दे जैसे अगर सूरे को अलहम्दो से पहले पढ़े या रुकूअ से पहले सजदा करे तो नमाज़ बातिल हो जाएगी।

2. भूले से तरतीब पर अमल न करना

एक हिस्से को भूले से दूसरे हिस्से से पहले अंजाम देना

1. किसी रुक्न को दूसरे रुक्न से पहले अंजाम दे दे जैसे दोनों सजदे भूल जाए और बाद वाली रकअत के रुकूअ में पहुँचने के बाद याद आए तो नमाज़ बातिल है।
2. जो अमल रुक्न नहीं है अगर उसे रुक्न से पहले अंजाम दे दे जैसे दो सजदों को भूल कर तशह्हुद शुरू कर दे उसके बाद उसे

याद आए तो वाजिब है कि पहले सजदे करे फिर दोबारा तशह्हुद पढ़े।

3. रुक्न को ग़ैर रुक्न से पहले अंजाम दे जैसे सूरए अलहम्द को भूल कर रुकूअ में चला जाए और रुकूअ में जाने के बाद याद आए कि अलहम्दो नहीं पढा है तो नमाज़ सही है।
4. ग़ैर रुक्न को दूसरे ग़ैर रुक्न अमल से पहले अंजाम दे जैसे अलहम्दो से पहले सूरा पढ़ने लगे लेकिन रुकूअ में जाने से पहले याद आ जाए कि अलहम्दो नहीं पढ़ा है तो जो अमल भूल गया था (जैसे सूरा-ए-हम्द) उसे पढ़े और उसके बाद जिस चीज़ को भूले से पहले अंजाम दे दिया था (जैसे सूरा) उसे दोबारा अंजाम दे।

11. मुवालात [1]

नमाज़ी पर वाजिब है कि नमाज़ के हिस्सों जैसे रुकूअ, सजदे, तशह्हुद आदि को एक के बाद एक बिना अंतराल के अंजाम दे और उनके बीच लम्बा और आम तौर पर जितना फ़ासला होता है उससे ज़्यादा फ़ासला नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर नमाज़ के हिस्सों के बीच इतना फ़ासला हो जाए कि देखने वालों की निगाह में नमाज़ की शक्ल बिगड़ जाए तो उसकी नमाज़ बातिल है।

- अगर नमाज़ के शब्दों या अक्षरों के बीच भूले से आम तौर पर जितना फ़ासला होता है उससे ज़्यादा फ़ासला हो जाए लेकिन यह फ़ासला इतना न हो कि उससे नमाज़ की सूरत बिगड़ गई हो तो अगर बाद वाले रुक्न में जाने के बाद याद आए तो उसकी नमाज़ सही होगी और उन शब्दों को दोबारा पढ़ना वाजिब नहीं है लेकिन अगर रुक्न में जाने से पहले याद आ जाए तो वाजिब है कि उन शब्दो को दोबारा पढ़े।

---

1. नमाज़ी पर वाजिब है कि नमाज़ के हिस्सों को एक के बाद एक बिना अंतराल के अंजाम दे इसको मुवालात कहते हैं।

8. क़ुनूत

1. क़ुनूत का मतलब और उसका हुक्म

सारी वाजिब और मुस्तहब नमाज़ों की दूसरी रकअत में हम्द और सूरा पढ़ने के बाद रुकूअ से पहले मुस्तहब है कि अपने हाथों को उठाए और दुआ करे और इस काम को क़ुनूत कहते हैं।

- जुमे की नमाज़ की पहली रकअत में रुकूअ से पहले और दूसरी रकअत में रुकूअ के बाद क़ुनूत पढ़ा जाता है।
- ईदुल फ़ित्र और ईदे क़ुरबान की पहली रकअत में पाँच और दूसरी रकअत में चार क़ुनूत हैं।

2. क़ुनूत का ज़िक्र

क़ुनूत में कोई भी ज़िक्र या दुआ या क़ुरआन की आयत पढ़ना काफ़ी है, यहां तक कि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहेमुस्सलाम पर एक बार दुरूद पढ़ना या "सुबहानल्लाह" या "बिस्मिल्लाह" या "बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम" कहना काफ़ी है। लेकिन बेहतर है कि उन दुआओं को पढ़े जो क़ुरआन में पाई जाती है। जैसे "रब्बना आतेना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आख़ेरते हसना व क़ेना अज़ाबननार" या वह ज़िक्र पढ़े जो इमाम अलैहिमुस्सलाम ने बताए है जैसे "लाइलाहा इल्ललललाहुल हलीमुल करीम, लाइलाहा इल्ललललाहुल अलीयुल अज़ीम, सुबहानल्लाहे रब्बिस्समावातिस सब्अ व रब्बिल अरज़ीनस सब्अ वमा फ़ीहिन्ना वमा बैना हुन्ना व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल हम्दो लिल्लाहे रब्बिल आलमीन"।

سُبْحَانَ اللهِ «या» بِسْمِ اللهِ «या» بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

या «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حسنةً وفِي الْآخِرَةِ حسنةً وقِنا عذاب النَّارِ»

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ، وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

9. ताक़ीब (नमाज़ के बाद की दुआएं)

ताक़ीबात का अरबी में होना शर्त नहीं है लेकिन बेहतर है कि ताक़ीबात के तौर पर वही दुआऐं या ज़िक्र पढ़े जाएं जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने बयान किए हैं। ताक़ीबात में सबसे बेहतर वह ज़िक्र है कि जो "हज़रत ज़हरा स. की तस्बीह" के नाम से मशहूर है और वह है 34 बार "अल्लाहो अकबर" 33 बार "अल्हम्दो लिल्लाह" और 33 बार "सुब्हानल्लाह"।

- दुआ की किताबों में ऐसी ताक़ीबात (दुआएं) मौजूद हैं जिन्हें मासूम इमामों ने बयान किया है जिनमें शानदार इबारतें और बेहतरीन बातें मौजूद है।
- मुस्तहब है कि नमाज़ के बाद "शुक्र का सजदा" करे यानि तमाम नेअमतों और नमाज़ की तौफ़ीक़ (अवसर) हासिल होने पर अल्लाह तआला का शुक्र अदा करने के लिए माथे को ज़मीन पर रखे। और बेहतर यह है कि शुक्र के सजदे में तीन बार (या उससे ज़्यादा) "शुकरन लिल्लाह" कहे।

सवाल

1. अगर ग़ल्ती से एक रुक्न को दूसरे रुक्न से पहले अंजाम दे दे तो नमाज़ का क्या हुक्म है?
2. नमाज़ में "तरतीब व मुवालात" के बीच क्या अंतर है?
3. नमाज़ में मुवालात को छोड़ने का क्या हुक्म है?
4. ईदुल फ़ित्र और ईदे क़ुरबान की नमाज़ में कितने क़ुनूत हैं?
5. क्या क़ुनूत में केवल एक बार सलवात पढ़ लेना काफ़ी है?
6. ताक़ीबात में किन दुआओं या ज़िक्रों का पढ़ना बेहतर है?

पाठ

47

पंजगाना नमाज़ें (13)

10. नमाज़ का हिंदी ट्रांस्लेशन

मुनासिब है कि नमाज़ी, नमाज़ के शब्दों और ज़िक्रों को उनके मतलब को ध्यान में रखते हुए ख़ुज़अ व ख़ुशूअ के साथ अदा करे ताकि नमाज़ उसकी रूह को पाक करने और अल्लाह तआला से नज़दीक होने का माध्यम बन सके।

अलहम्दो का हिंदी अनुवाद

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और दयालू है।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ

सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो कायनात (ब्रह्मांड) का पालने वाला है।

الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

जो रहमान यानि दयालु है (जिसकी दया दुनिया में सभी इंसानों के लिए है) और रहीम है (जिसकी रहमत मोमिनों से विशेष है)

مٰلِكِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ

जो क़यामत (प्रलय) के दिन का मालिक है।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं।

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

हमें सीधे रास्ते की हिदायत करता रह।

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने नेअमतें नाज़िल की हैं (जिनके दिलों को अपने नूर से नूरानी किया)

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

उन लोगों का रास्ता जो तेरे कोप में गिरफ़्तार नहीं हुए और जो गुमराह नहीं हैं (यानि तेरी नेअमतों के बाद भी उन्होंने नाशुकरी व कृतध्नता से काम नहीं लिया तेरी अवज्ञा नहीं की कि तेरी कोप व क्रोध का शिकार हो जाएं या गुमराह हो जाएं।)

2. सूरा-ए-तौहीद का अनुवाद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और दयालू है।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

(ऐ रसूल) कह दीजिए कि वह अल्लाह एक है।

اللَّهُ الصَّمَدُ

अल्लाह बेनियाज़ है और सब उसके मोहताज हैं।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

न उसकी कोई संतान है न वह किसी की संतान

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

न उसका कोई साथी है न सहकर्मी

3. रूकूअ और सजदे के ज़िक्र और कुछ मुस्तहब ज़िक्रों का हिंदी अनुवाद।

سُبْحَانَ اللّٰہِ

अल्लाह पाक और हर बुराई से दूर है

"سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِہٖ"

मेरा पालनहार पाक व पाकीज़ा और महान है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं।

"سُبْحَانَ رَبِّیَ الأَعْلٰی وَبِحَمْدِہٖ"

मेरा पालनहार पाक व पाकीज़ा और सर्वोपरि है हम उसकी तारीफ़ करते हैं ।

"سَمِعَ اللّٰہُ لِمَنْ حَمِدَہٗ"

अल्लाह अपने बंदों की हम्द (स्तुति) को सुनता है।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ رَبِّیْ وَ اَتُوْبُ اِلَیْہِ

मैं अपने पालनहार की बारगाह में माफ़ी मांगता हूं और उसकी तरफ़ पलटता हूं।

"بِحَوْلِ اللّٰہِ وَقُوَّتِہٖ اَقُوْمُ وَاَقْعُدُ"

अल्लाह की ताक़त और इरादे से उठता बैठता हूं।

क़ुनूत

"رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَفِی الآخِرَۃِ حَسَنَۃً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"

ए मेरे पालनहार हमें दुनिया और आख़ेरत की नेकी दे और जहन्नम के अज़ाब को हमसे दूर करदे।

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْم

अल्लाह के अलावा कोई मअबूद नहीं और बहुत ज़्यादा सहनशील और करीम है।

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْعَلِیُّ الْعَظِیْم

अल्लाह के अलावा कोई मअबूद नहीं और बहुत ज़्यादा महान है।

سُبْحَانَ اللّٰہِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ

पाक व पाकीज़ा है वह अल्लाह जो सातों आसमानों का पालनहार है।

وَرَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ

और सातों ज़मीनों का पालनहार है।

وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ

और हर उस चीज़ का पालनहार है जो इन दोनों के बीच है।

وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

और जो अज़ीम अर्श (ग्रेट थ्रोन) का परवरदिगार है।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो कायनात (ब्रह्मांड) का पालने वाला है।

4. तस्बीहाते अरबआ का हिंदी अनुवाद

سُبْحَانَ اللّٰهِ

पाक व पाकीज़ा है अल्लाह

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं।

وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

अल्लाह के अलावा कोई मअबूद नहीं है।

وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

अल्लाह सबसे बड़ा है।

4. तशह्हुद और सलाम का हिंदी अनुवाद

الحمد لله

सारी तारीफ़े अल्लाह तआला के लिए हैं।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه

मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई मअबूद नहीं है।

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

वह एक है और उसका कोई साथी व शरीक नहीं है।

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهٗ وَرَسُولُه

और गवाही देता हूं कि मुहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ"

परवरदिगार मुहम्मद व आले मुहम्मद पर रहमत नाज़िल कर

وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهٗ فِيْ أُمَّتِهٖ وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ

उम्मत के हक़ में उनकी शिफ़ाअत (सिफ़ारिश) को क़बूल कर और उनके दर्जे को और बुलंद कर।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

आप पर सलाम हो ऐ पैग़म्बर और अल्लाह की रहमत व बरकतें आप पर नाज़िल हों

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

सलाम हो आप पर और अल्लाह के नेक बंदों पर

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

(ऐ मोमिनों, फ़रिश्तों) तुम पर सलाम और अल्लाह की रहमत व बरकत हो।

सवाल

1. अलहम्दो का हिंदी अनुवाद लिखिए?
2. सूरा-ए-तौहीद का हिंदी अनुवाद बयान कीजिए?
3. ("سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ") का क्या मतलब है?
4. (بِحَوْلِ اللّٰهِ وَقُوَّتِهٖ اَقُوْمُ وَاَقْعُدُ) का मतलब बयान कीजिए?
5. (وتقبل شفاعته وارفع درجته) का क्या मतलब है?
6. सलाम का हिंदी अनुवाद बयान करें?

पाठ

48

पंजगाना नमाज़ें (14)

मुब्तेलाते नमाज़

11. मुब्तेलाते नमाज़ (नमाज़ को बातिल कर देने वाली चीज़ें)

1. जिन चीज़ों का नमाज़ में होना ज़रूरी है उनमें से किसी का ख़त्म हो जाना जैसे वाजिब लिबास, जगह का ग़स्बी न होना।
2. वुज़ू बातिल हो जाना।
3. क़िब्ले की तरफ़ पीठ करके नमाज़ पढ़ना।
4. बोलना।
5. हाथ बाँध कर नमाज़ पढ़ना जैसा कि कुछ इस्लामी फ़िरक़ों के मानने वाले पढ़ते हैं।
6. अलहम्दो के बाद “आमीन” कहना।
7. हँसना।
8. रोना।
9. नमाज़ की शक्ल बिगड़ जाना जैसे तालियाँ बजाना और हवा में उछलना।
10. खाना और पीना।

11. ऐसे शक जिनसे नमाज़ बातिल हो जाती है जैसे दो या तीन रकअती नमाज़ में शक होना।
12. रुक्न का कम या ज़्यादा करना जैसे रुकूअ कम करना या ज़्यादा करना।
    - जो चीज़ें नमाज़ को बातिल कर देती हैं उन्हें "मुब्तेलाते नमाज़" कहा जाता है।

1. ऐसी चीज़ का ख़त्म होना जिसका नमाज़ में होना ज़रूरी है।

अगर नमाज़ में कोई ऐसी चीज़ ख़त्म हो जाए कि जिसका नमाज़ में होना ज़रूरी है जैसे नमाज़ के बीच मालूम हो कि यह जगह ग़स्बी (छीनी या हथियाई हुई) है या मालूम हो कि उसका लिबास वाजिब की मिक़दार (मात्रा) से कम है तो नमाज़ बातिल हो जाएगी।

2. वुज़ू बातिल हो जाना।

अगर नमाज़ के बीच वुज़ू या ग़ुस्ल को बातिल करने वाली कोई चीज़ पेश आ जाए जैसे नमाज़ के बीच नींद आ जाए या पेशाब आदि निकल जाए तो नमाज़ बातिल हो जाएगी।

3. नमाज़ में क़िब्ले की तरफ़ पीठ करना।

अगर जान बूझ कर अपने चेहरे और बदन या केवल चेहरे को क़िब्ले की तरफ़ से इस तरह मोड़ ले कि आसानी से दाईं या बाईं तरफ़ देख सके तो नमाज़ बातिल है और अगर भूले से ऐसा करे तब भी एहतियाते वाजिब की बिना पर नमाज़ बातिल है लेकिन अगर चेहरे को थोड़ा सा दाएँ या बाएँ मोड़ा हो तो नमाज़ बातिल नहीं होगी।

4. बोलना

नमाज़ में अगर जानबूझ कर बात करे चाहे एक ही शब्द बोले तो नमाज़ बातिल हो जाएगी।

- अगर नमाज़ के बीच दूसरों को सचेत करने के लिए कोई इंसान क़ुरआन की आयत या ज़िक्र को ऊँची आवाज़ से पढ़े और अगर नमाज़ की शक्ल न बिगड़ती हो तो उसमें कोई

हरज नहीं है। इस शर्त के साथ कि क़ेराअत या ज़िक्र को क़ेराअत और ज़िक्र की नियत से ही पढ़े।

- अगर कोई इंसान सबको सलाम करते हुए "अस्सलामो अलैकुम जमीअन" कहे और उनमें से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो अगर कोई दूसरा सलाम का जवाब दे दे तो नमाज़ी को सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए।
- नमाज़ के बीच अगर कोई सलाम करने में सलाम शब्द का इस्तेमाल न करे यानि सलाम अलैकुम के बजाए अगर किसी और अंदाज़ में सलाम किया जाए तो नमाज़ में उसका जवाब देना जाएज़ नहीं है। लेकिन अगर नमाज़ न पढ़ रहा हो और ऐसा शब्द हो जिसे लोगों के बीच सलाम के लिए इस्तेमाल किया जाता हो तो एहतियाते (वाजिब) है कि जवाब दे।
- मुमय्यिज़ (सही और ग़लत की पहचान रखने वाले समझदार) बच्चों और बच्चियों के सलाम का जवाब भी उसी तरह वाजिब है जैसे मर्दों और औरतों के सलाम का जवाब वाजिब है।
- "सलामुन अलैकुम" कहने के बजाए कोई इंसान केवल "सलाम" कहे तो अगर उसे आम लोगों के हिसाब से सलाम कहा जाता हो तो जवाब देना वाजिब है।
- अगर कोई इंसान एक ही वक़्त में कई बार सलाम करे तो एक जवाब देना काफ़ी है। इसी तरह अगर एक वक़्त में कई लोग सलाम करें और जवाब में सबका जवाब देने के इरादे से ऐसा जवाब दिया जाए जिसमें सबका जवाब हो जैसे "अलैकुमुस्सलाम" तो काफ़ी है।

5. तकत्तुफ़ (हाथ बाँधना)

हाथ बाँध कर नमाज़ पढ़ना जैसा कि कुछ इस्लामी फ़िर्क़े करते हैं, जाएज़ नहीं है, मजबूरी का हुक्म अलग है।

6. अलहम्दो के बाद आमीन कहना।

सूरए हम्द के बाद आमीन कहना जाएज़ नहीं है (और इससे नमाज़ बातिल हो जाती है)। मगर यह कि तक़य्ये में कहा जाए।

7. हँसना।

आवाज़ के साथ जानबूझ कर हँसना (ठठ्ठा मार कर हंसना) नमाज़ को बातिल कर देता है।

8. रोना

आवाज़ के साथ जानबूझ कर दुनियावी चीज़ों के लिए रोने से नमाज़ बातिल हो जाती है। लेकिन अगर अल्लाह के ख़ौफ़ या आख़ेरत के लिए रोये तो कोई हरज नहीं है बल्कि बेहतरीन काम है।

9. नमाज़ की सूरत बिगाड़ना जैसे ताली बजाना या उछलना।

जिस काम से नमाज़ की शक्ल या हालत ख़त्म हो जाए उससे नमाज़ बातिल हो जाती है जैसे तालियाँ बजाना या उछलना।

- अगर किसी इंसान को समझाने या किसी बात का जवाब देने के लिए नमाज़ की हालत में हाथों, भवों या आँखों को इस तरह हिलाए कि इस काम से सुकून और इत्मीनान को नुक़सान न पहुंचे या नमाज़ की सूरत न बिगड़े तो नमाज़ बातिल नहीं होगी।
- नमाज़ में आँखें बंद करने में कोई हरज नहीं है (और इससे नमाज़ बातिल नहीं होती) हां रुकूअ के अलावा आँखें बंद रखना मकरूह है।
- नमाज़ में क़ुनूत के बाद चेहरे पर हाथ फेरना मकरूह है लेकिन उससे नमाज़ बातिल नहीं होती।
- मुकल्लफ़ के लिए हसद (जलन) या कीना (द्वेष) ज़ाहिर करना या दूसरों से दुश्मनी रखना जाएज़ नहीं है लेकिन इन चीज़ों से नमाज़ बातिल नहीं होती।

सवाल

1. किन चीज़ों से नमाज़ बातिल हो जाती है?
2. “सलामुन अलैकुम” के अलावा अगर किसी दूसरे शब्द से सलाम किया जाए तो उसके जवाब का क्या हुक्म है?
3. क्या छोटे बच्चे या बच्चियों के सलाम का जवाब वाजिब है?
4. अगर कोई एक वक़्त में कई बार सलाम करे तो क्या एक बार जवाब देना काफ़ी है?
5. किस तरह की हंसी से नमाज़ बातिल हो जाती है?
6. नमाज़ में क़ुनूत के बाद चेहरे पर हाथ फेरने का क्या हुक्म है?

पाठ

49

नमाज़े पंजगाना (15)

शक्कियाते नमाज़

12. शक्कियाते नमाज़

शक्कियाते नमाज़ 23 तरह के हैं।

8 में नमाज़ बातिल है।

6 में अपने शक पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

9 में शक की सूरत में नमाज़ सही है।

1. **बातिल करने वाले शक**

   जो शक नमाज़ को बातिल कर देते हैं।

   1. दो रकअती नमाज़ों में शक जैसे सुबह या मुसाफ़िर की क़स्र नमाज़।
   2. तीन रकअती नमाज़ों में शक जैसे मग़रिब की नमाज़।
   3. चार रकअती नमाज़ों में शक इस शर्त के साथ कि शक में एक रकअत शामिल हो जैसे शक हो कि एक रकअत पढ़ी या तीन रकअत, एक रकअत पढ़ी है या चार रकअत।

4. चार रकअती नमाज़ में दूसरा सजदा पूरा होने से पहले इस शर्त के साथ कि एक तरफ़ दो रकअत हो जैसे दूसरा सजदा पूरा होने से पहले शक हो कि दो रकअत पढ़ी है या तीन।
5. दो और पाँच से ज़्यादा के बारे मे शक।
6. तीन और छः या छः से ज़्यादा के बारे में शक।
7. चार और छः या छः से ज़्यादा के बारे में शक।
8. रकअत की संख्या के बारे में शक यानि यही मालूम न हो कि कितनी रकअत पढ़ी है?

2. वह शक जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

वह शक जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

1. वक़्त और जगह गुज़रने के बाद शक करना जैसे रुकूअ में पहुँचने के बाद शक हो कि अलहम्दो और सूरा पढ़ा है या नहीं?
2. सलाम के बाद शक करना।
3. नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो जाने के बाद शक करना।
4. कसीरुश्शक (जो इंसान बहुत ज़्यादा शक करता है) का शक।
5. इमाम (जो नमाज़ पढ़ा रहा है) या मामूम (जो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है) उनमें से कोई एक शक करे जबकि दूसरे को याद हो।
6. मुस्तहब्बी नमाज़ों में शक
    - अगर कोई इंसान कई साल गुज़रने के बाद शक करे कि उसकी पिछली नमाज़ें सही हैं या नहीं? तो उस शक पर ध्यान नहीं देना चाहिए (क्योंकि अमल के बाद शक की कोई हैसियत नहीं है।)

- बहुत ज़्यादा शक करने वाला (कसीरुश्शक) यह मान कर चले कि जिस चीज़ के बारे में वह शक कर रहा है उस चीज़ को अंजाम दे चुका है मगर यह कि उसका यह फ़ैसला नमाज़ के बातिल होने का सबब हो तो उस सूरत में उसे यह मानना चाहिए कि उसने ऐसा कोई काम अंजाम नहीं दिया है। इस सिलसिले में नमाज़ की रकअतों, दूसरे हिस्सों या ज़िक्रों के बीच कोई अंतर नहीं है (जैसे अगर शक करे कि सजदा या रुकूअ किया है या नहीं? तो यह समझे कि कर चुका है चाहे अभी उसका मौक़ा ख़त्म न हुआ हो इस तरह अगर शक हो कि सुबह की नमाज़ दो रकअत पढ़ी है या तीन रकअत पढ़ी है तो यह समझे कि उसने दो ही रकअत पढ़ी है।)
- नाफ़ला नमाज़ों के अक़वाल और अफ़आल (रकअतों, अमल, क़िराअत और ज़िक्र) के बारे में शक का भी वही हुक्म है जो वाजिबी नमाज़ों के अक़वाल और अफ़आल का है यानि अगर जगह से आगे नहीं बढ़ा है तो शक पर ध्यान दिया जाएगा और जगह से आगे बढ़ जाने के बाद शक हो तो ऐसे शक पर ध्यान नहीं दिया जाएगा (जैसे अगर अलहम्दो या रुकूअ के बारे में शक हो तो अगर उसकी जगह से आगे नहीं बढ़ा है तो उन्हें अंजाम दे और अगर आगे बढ़ चुका है तो शक पर ध्यान न दे।)

3. सही शक

चार रकअती नमाज़ों की रकअतों के बारे में 9 तरह का शक सही है।

1. दूसरी और तीसरी में शक दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद।

2. दूसरी और चौथी में शक दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद।
3. दूसरी, तीसरी और चौथी में शक दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद।
4. चौथी और पाँचवीं में शक दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद।
5. तीसरी और चौथी में शक चाहे नमाज़ में कहीं भी हो।
6. चौथी और पाँचवीं में शक खड़े (क़याम) होने कि हालत में।
7. तीसरी और पाँचवीं में शक क़ियाम की हालत में।
8. पाँचवीं और छठीं में शक क़ियाम की हालत में।
9. तीसरी, चौथी और पाँचवीं में शक क़ियाम की हालत में।

❖ नमाज़े एहतियात की रकअतों की संख्या (वह नमाज़ जो रकअतों के बारे में शक की वजह से पढ़ी जाती है) उतनी होती है जितनी नमाज़ में कमी का शक हो इसलिए अगर दो और चार के बीच शक हो तो दो रकअत नमाज़े एहतियात वाजिब होती है और अगर तीन और चार के बीच शक हो तो एक रकअत नमाज़े एहतियात खड़े होकर या दो रकअत बैठ कर पढ़ना वाजिब है।

❖ अगर नमाज़ के ज़िक्र, क़ुर्आनी आयतें या क़ुनूत में किसी शब्द को भूले से ग़लत पढ़े तो सजदा-ए-सह्व वाजिब नहीं है।

सवाल

1. नमाज़ को बातिल कर देने वाले शक कितने हैं, बयान कीजिए?
2. कौन से शक ऐसे हैं कि जिन की तरफ़ ध्यान नहीं देना चाहिए?
3. चूँकि कसीरुश्शक (बहुत ज़्यादा शक्की) को अपने शक की तरफ़ ध्यान नहीं देना चाहिए इसलिए अगर कसीरुश्शक को शक हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या है?
4. मुस्तहब्बी नमाज़ों में अगर रकअतों के अलावा किसी और चीज़ के बारे में शक हो तो क्या करना चाहिए? जैसे शक हो कि एक सजदा किया है या दो?
5. शक की कितनी सूरतों में नमाज़ सही है?
6. कोई इंसान यह किस तरह तय करेगा कि उसके ज़िम्मे एक रकअत नमाज़े एहतियात वाजिब है या दो रकअत?

पाठ

50

पंजगाना नमाज़ें (16)

जुमे की नमाज़

13. जुमे की नमाज़

1. नमाज़े जुमा का हुक्म

1. नमाज़े जुमा, जुमे के दिन नमाज़े ज़ोहर के बदले पढ़ी जाती है। बारहवें इमाम (अ.स.) की ग़ैबत के ज़माने में यह नमाज़ वाजिबे तख़्यीरी (छूट है कि जुमे के दिन नमाज़ी नमाज़े जुमा पढ़े या ज़ोहर) है। और चूंकि ईरान में इस्लामी हुकूमत है इसलिए एहतियाते मुस्तहब यह है कि जहां तक मुमकिन हो नमाज़े जुमा को न छोड़ा जाए।
    - नमाज़े जुमा के वाजिबे तख़्यीरी होने का मतलब है कि जुमे के दिन मुकल्लफ़ को छूट है कि वह ज़ोहर की नमाज़ पढ़े या जुमे की नमाज़।
    - अगरचे नमाज़े जुमा इस दौर में वाजिबे तख़्यीरी है, और उसमें शरीक होना वाजिब नहीं है। लेकिन इसके फ़ायदों और महत्व को देखते हुए मोमनीन के लिए मुनासिब

नहीं है कि बेकार बहाने बना कर इस नमाज़ की बरकतों से ख़ुद को महरूम (वंचित) रखें।

- औरतें भी नमाज़े जुमा में शिरकत कर सकती हैं और उनको भी इसका सवाब मिलेगा।
- जुमे की नमाज़ जैसी सियासी (राजनीतिक) इबादत में हमेशा हिस्सा न लेने का कोई शरई बहाना नहीं है अगर नमाज़ में हिस्सा न लेना नमाज़े जुमा को महत्व न देने की वजह से हो तो यह काम निंदनीय है।
- जुमे की नमाज़ में हिस्सा न लेने वाले के लिए ज़ोहर और अस्त्र की नमाज़ अव्वले वक़्त पढ़ना जाएज़ है और जुमे की नमाज़ ख़त्म होने का इंतेज़ार करना वाजिब नहीं है। लेकिन चूँकि जुमे के दिन नमाज़े जुमा के नज़दीक ज़ोह्र की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ने से मोमेनीन में मतभेद और फूट पड़ सकती है और हो सकता है कि लोगों की नज़र में इस काम को इमामे जुमा का अपमान और नमाज़े जुमा के प्रति लापरवाही माना जाए इसलिए बेहतर है कि मोमिनीन ऐसा काम न करें बल्कि अगर किसी ख़राबी या हराम का अंदेशा हो तो ऐसी जमाअत से परहेज़ करना वाजिब है।
- जुमे की नमाज़ ज़ोहर की नमाज़ के बदले में काफ़ी है (यानि जुमे के दिन नमाज़े ज़ोह्र के बदले नमाज़े जुमा पढ़ी जा सकती है।)
- जुमे की नमाज़ अगरचे काफ़ी है और ज़ोहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन एहतियात पर अमल करते हुए अगर जुमे के बाद ज़ोहर पढ़ ले तो कोई हरज नहीं है चाहे इमामे जुमा नमाज़े जुमा के बाद ज़ोहर न पढ़े और अगर एहतियात बरतते हुए नमाज़े जुमा के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले और उसके बाद अस्त्र की नमाज़

जमाअत से पढ़ना चाहे तो एहतियात यह है कि अस्र की नमाज़ उसी पेश-नमाज़ के पीछे पढ़े जो जुमे की नमाज़ के बाद ज़ोहर की नमाज़ एहतियातन पढ़ता है।

- यूरोपीय देशों में इस्लामिक काउंसिल के स्टूडेंट्स की तरफ़ से होने वाली नमाज़े जुमा में जिनमें ज़्यादातर हिस्सा लेने वाले और इमाम जुमा सुन्नी होते हैं मुसलमानों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए शरीक होने में कोई हरज नहीं है और इस सूरत में नमाज़े जुमा के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना वाजिब नहीं है।
- मुसाफ़िर नमाज़ी की नमाज़े जुमा सही और ज़ोहर के बदले काफ़ी है।
- ऐसे बीमार व घायल जो पेशाब नहीं रोक सकते वह भी जुमे की नमाज़ में शरीक हो सकते हैं लेकिन ऐसे लोगों के लिए चूंकि वुज़ू के फौरन बाद नमाज़ शुरू करना ज़रूरी है इसलिए अगर उन्होंने नमाज़े जुमा के ख़ुत्बे से पहले वुज़ू किया हो तो केवल उसी सूरत में यह वुज़ू नमाज़े जुमा के लिए काफ़ी होगा कि जब वुज़ू के बाद हदस (पेशाब, पाख़ाना, रीह) न हुआ हो।

2. नमाज़े जुमा की शर्तें

1. जमाअत के साथ पढ़ी जाए।
2. नमाज़ी पाँच से कम न हों, 1 इमाम 4 मामूम।
3. वह सारी ज़रूरी शर्तें जो नमाज़े जमाअत के लिए ज़रूरी हैं जैसे सफ़ों (लाइन) का आपस में मिला होना।
4. जुमे की दो जमाअत के बीच का फ़सला कम से कम एक फ़रसख़ का हो (साढ़े पाँच किलोमीटर से थोड़ा कम)

(1) जमाअत से पढ़ी जाए

जुमे की नमाज़ के सही होने की एक शर्त यह है कि उसे जमाअत से पढ़ा जाए फ़ुरादा (अकेले) पढ़ना सही नहीं है चाहे उन लोगों के बग़ल में खड़ा हो जो जमाअत से पढ़ रहे हैं।

(2) नमाज़े जमाअत की सारी ज़रूरी शर्तों का पाया जाना जैसे सफ़ों का आपस में मिला होना।

वह सारी ज़रूरी शर्तें जो नमाज़े जमाअत के लिए ज़रूरी हैं, जुमे की नमाज़ में भी वाजिब है जैसे नमाज़ी की सफ़ों का मिला होना।

- इमामे जुमा का आदिल होना ज़रूरी है इसलिए वह इमाम जिसे नमाज़ी आदिल नहीं मानता है या जिसकी अदालत में शक है तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ना सही नहीं है और उसकी नमाज़े जुमा भी सही नहीं है। हां यूनिटी के लिए जमाअत में जाने में कोई हरज नहीं है। लेकिन हर हाल में चाहे जुमे की नमाज़ में जाए या न जाए उसको यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे लोगों को जुमे में न जाने पर उकसाए।
- अगर नमाज़ ख़त्म होने के बाद इमामे जुमा की अदालत में शक हो या यक़ीन हो जाए कि वह आदिल नहीं है तो पिछली नमाज़ें सही हैं और उन्हें दोबारा पढ़ना वाजिब नहीं है।
- अगर इमामे जुमा को जुमे की इमामत के लिए नियुक्त किए जाने से मामूम (नमाज़ी) को इत्मीनान और यक़ीन हासिल हो जाए तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए यही काफ़ी है।
- अगर इमामे जुमा कोई बात कहे और बाद में मालूम हो कि ऐसा नहीं है तो यह सच्चाई इमामे जुमा के झूठे होने की दलील नहीं है, मुमकिन है कि उससे ग़ल्ती हुई हो या उसने तौरिये[1] की बिना पर वह बात कही हो। इसलिए केवल इमामे जुमा

---

1 . इस अंदाज़ से बात कही जाए कि सुनने वाला, कहने वाले की नियत के विपरीत कुछ और समझे।

के अदालत से बाहर होने के गुमान की वजह से अपने आपको नमाज़े जुमा की बरकतों से वंचित रखना मुनासिब नहीं है।

- इस्लामी मुल्कों में हर जगह इमामे जुमा को आदिल इस्लामी हाकिम (शासक) की तरफ़ से नियुक्त होना चाहिए।
- जिस इंसान को इमामे जुमा के तौर पर नियुक्त किया गया है वह किसी रूकावट या टकराव न होने की सूरत उस जगह भी नमाज़ पढ़ा सकता है कि जिस जगह के लिए नियुक्त नहीं किया गया है।
- जिस इंसान को इमामे जुमा के तौर पर नियुक्त किया गया है कुछ वक़्त के लिए वह किसी को अपना नाएब (उत्तराधिकारी) बना सकता है। लेकिन नाएब को इमामत की वजह से वह अधिकार हासिल नहीं होंगे कि जो वलीए फ़क़ीह की तरफ़ से इमामे जुमा को मिलते हैं।
- नियुक्त किए गए इमाम ने जिसे नाएब बनाया है उसके पीछे नमाज़े जुमा पढ़ी जा सकती है और इमाम का अपने नाएब के पीछे नमाज़ पढ़ना सही है।

(3) दो नमाज़े जुमा के बीच कम से कम एक फ़र्सख़ की दूरी होना।

दो नमाज़े जुमा के बीच एक फ़र्सख़ से कम दूरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर एक फ़र्सख़ से कम दूरी पर दो नमाज़े जुमा क़ायम हों तो पहली नमाज़ सही होगी और दूसरी बातिल और अगर दोनों एक साथ शुरू हों तो दोनों बातिल हैं।

5. नमाज़े जुमा का वक़्त

नमाज़े जुमा का वक़्त अव्वले ज़वाल (सूरज जैसे ही ढलना शुरू होता है) से शुरू होता है और एहतियाते वाजिब यह है कि नमाज़े जुमा को अव्वले ज़ोह्र (उर्फ़ी) से एक या दो घंटे से ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए।

6. नमाज़े जुमा का तरीक़ा

1. नमाज़े जुमा, नमाज़े सुबह की तरह दो रकअत है लेकिन इसमें दो ख़ुत्बे (स्पीच) हैं जिन्हें इमाम, नमाज़ से पहले देता है।
2. मुस्तहब है नमाज़े जुमा की क़ेराअत को ऊँची आवाज़ में पढ़ा जाए। और पहली रकअत में सूरा-ए-जुमा और दूसरी रकअत में सूरा-ए-मुनाफ़ेक़ून पढ़ना मुस्तहब है। इसी तरह मुस्तहब है पहली रकअत में रुकूअ से पहले और दूसरी रकअत में रुकूअ के बाद क़ुनूत पढ़ा जाए।
3. अगर कोई इंसान ख़ुत्बों में शामिल न हो सके और नमाज़ में शरीक हो तो उसकी नमाज़ सही है यहाँ तक कि अगर दूसरी रकअत के रुकूअ में भी शामिल हो तब भी नमाज़ सही है।
4. अइम्मा-ए -मुस्लेमीन के उनवान (नमाज़े जुमे के दूसरे ख़ुत्बे में इमामे जुमा जिन पर दुरूद भेजता है) में हज़रत फ़ातेमा ज़हरा स. शामिल नहीं हैं और नमाज़े जुमे के ख़ुत्बे में आपका नाम लेना अगरचे वाजिब नहीं है लेकिन तबर्रुक के लिए आपका नाम लेने में कोई हरज नहीं है। बल्कि यह काम अच्छा है और इसमें बहुत ज्यादा सवाब है।
5. नमाज़े जुमे का ख़ुत्बा ज़ोह्र से पहले भी दिया जा सकता है हालांकि एहतियाते (मुस्तहब) यह है कि ख़ुत्बे का कुछ हिस्सा ज़ोह्र का वक़्त दाख़िल होने के बाद हो और ज़्यादा एहतियात इसमें है कि पूरा ख़ुत्बा वक़्त आ जाने के बाद हो।
   - कोई भी ऐसा काम जिससे मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा हो और फूट पड़े जाएज़ नहीं है तो फिर नमाज़े जुमा के बहाने जो कि इस्लाम की निशानी

और मुसलमानों के बीच एकता का प्रतीक है इस तरह का कोई ग़लत काम कैसे जाएज़ हो सकता है?

- जुमे के दिन इमामे जुमा के अलावा किसी और इमाम के पीछे नमाज़े अस्र पढ़ने में कोई हरज नहीं है।
- अगर इमाम नमाज़े जुमा पढ़ा रहा हो तो उसके पीछे नमाजे जुमा के अलावा कोई और वाजिब नमाज़ पढ़ना सही नहीं है।

सवाल

1. नमाज़े जुमा के वाजिबे तख़यीरी होने का क्या मतलब है?
2. क्या जिस जगह नमाज़े जुमा हो रही है उसके नज़दीक किसी जगह पर उसी वक़्त जमाअत से नमाज़े ज़ोह्र पढ़ना जाएज़ है?
3. इमामे जुमा की अदालत में शक हो या उसके आदिल न होने का यक़ीन हो जाए तो क्या उसकी पीछे पढ़ी गई नमाज़ों को फिर से पढ़ना वाजिब है?
4. क्या किसी इंसान की इमामे जुमा के तौर पर नियुक्ति उसकी अदालत साबित होने के लिए काफ़ी है?
5. अगर कोई इंसान नमाज़े जुमा के ख़ुत्बों में शरीक न हो सके बल्कि सिर्फ़ नमाज़ में शामिल होकर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ सही है? और क्या यह नमाज़ काफ़ी है?
6. क्या ज़ोह्र के शरई वक़्त से पहले नमाज़े जुमा के ख़ुत्बों का पढ़ना सही है?

पाठ

51

पंजगाना नमाज़ें (17)

मुसाफ़िर (यात्री)की नमाज़)1)

14. मुसाफ़िर की नमाज़

1. सफ़र में क़स्र का वाजिब होना

सफ़र में चार रकअती नमाज़ों को उन शर्तों के साथ जिन्हें आगे बयान किया जाएगा क़स्र करना (दो रकअत पढ़ना) वाजिब है।
केवल चार रकअती नमाज़ों में क़स्र वाजिब है यानि ज़ोहर, अस्र और इशा में, सुबह और मग़रिब की नमाज़ क़स्र नहीं होती।

2. मुसाफ़िर की नमाज़ की शर्तें

अगर नीचे बयान होने वाली 8 शर्तें पाई जाएं तो मुसाफ़िर के लिए ज़रूरी है कि चार रकअती नमाज़ों को दो रकअत पढ़े।

पहली शर्त

सफ़र कम से कम आठ फ़रसख़ हो (एक फ़रसख़ साढ़े पाँच किलोमीटर से थोड़ा सा कम) जिसमें आना और जाना या आना, जाना दोनों मिलाकर आठ फ़रसख़ हो इस शर्त के साथ कि केवल जाना चार फ़रसख़ से कम न हो।

दूसरी शर्त

शुरू से ही आठ फ़र्सख़ जाने की नियत हो इसलिए अगर शुरू में आठ फ़र्सख़ जाने की नियत न रही हो या उससे कम सफ़र का इरादा रहा हो और अपनी मंज़िल पर पहुँचने के बाद वह दूसरी जगह की ओर चल पड़े कि उस जगह और पहली जगह के बीच का फ़ासला शरई मसाफ़त (चार फ़रसख़) के बराबर न हो लेकिन घर से उसकी मसाफ़त शरई मसाफ़त के बराबर हो तो वाजिब है कि नमाज़ पूरी पढ़े।

तीसरी शर्त

मंज़िल पर पहुंचने (शरई मसाफ़त पूरी करने) तक नियत पर बाक़ी रहे और अगर चार फ़रसख़ का सफ़र पूरा होने से पहले नियत बदल जाए या उसका इरादा कमज़ोर पड़ जाए तो उस पर सफ़र का हुक्म लागू नहीं होगा हालांकि जो नमाज़ें उसने इरादा बदलने से पहले क़स्र पढ़ी हैं वह सही हैं।

चौथी शर्त

सफ़र के बीच सफ़र ख़त्म करने का इरादा न हो यानि इस बीच उसका इरादा अपने वतन या ऐसी जगह से गुज़रने का न हो जहाँ दस दिन या उससे ज़्यादा रूकना चाहता है।

पाँचवीं शर्त

शरई हिसाब से उसका सफ़र जाएज़ हो इसलिए अगर गुनाह और हराम काम के लिए सफ़र करे चाहे ख़ुद सफ़र हराम हो जैसे मैदाने जेहाद (जंग) से भागना या सफ़र का मक़सद और नतीजा हराम हो जैसे डाका डालने के लिए सफ़र करना तो उस पर मुसाफ़िर का हुक्म लागू नहीं होगा और नमाज़ पूरी पढ़नी होगी।

छठी शर्त

मुसाफ़िर, ख़ाना बदोश यानि बंजारा न हो जैसे वह लोग जिनके पास अपना कोई घर नहीं होता बल्कि वह लोग जंगलों और रेगिस्तानों में चलते रहते हैं और जहां चारा, पानी दिखा वहीं डेरा डाल देते हैं।

सातवीं शर्त

सफ़र उसका काम व पेशा न हो जैसे ड्राईवर, कश्ती चलाने वाले नाविक और जिनका काम सफ़र में होता है वह भी इन्हीं में शामिल है।

आठवीं शर्त

हद्दे तरख़्ख़ुस तक पहुँच जाए और हद्दे तरख़्ख़ुस वह जगह है जहाँ बस्ती की अज़ान की आवाज़ सुनाई न दे और बस्ती की दीवारें भी दिखाई न दें। हालांकि यह भी मुमकिन है कि केवल अज़ान की आवाज़ न सुनाई देना ही हद्दे तरख़्ख़ुस के लिए काफ़ी हो।

1. शरई मसाफ़त (आठ फ़र्सख़)

1. अगर जाने का सफ़र चार फ़रसख़ से कम हो और वापसी का रास्ता भी शरई मसाफ़त के बराबर न हो तो ऐसा इंसान नमाज़ पूरी पढ़ेगा इसलिए वह नौकरी पेशा लोग जिनके वतन और नौकरी की जगह का फ़ासला शरई मसाफ़त के बराबर न हो तो उन पर मुसाफ़िर का हुक्म लागू नहीं होगा।
2. अगर कोई इंसान किसी ख़ास जगह का इरादे करके घर से निकले और उस जगह पर पहुँच कर घूमने फिरने के लिए सफ़र करे तो उस शहर में उसका घूमना फिरना सफ़र की शरई मसाफ़त में शामिल नहीं होगा।
3. 8 फ़रसख़ का हिसाब शहर के आख़री हिस्से से किया जाएगा और शहर का आख़री हिस्सा वह है जिसे उर्फ़े आम (लोग) में आख़री हिस्सा कहा जाए। इसलिए अगर शहर के आसपास मौजूद कालोनियाँ और कारख़ाने लोगों की निगाह में शहर का हिस्सा न हो तो दूरी का हिसाब वहां से नहीं बल्कि शहर के आख़री घरों से किया जाएगा।

2. शरई मसाफ़त तय करने का इरादा हो

1. वह मुसाफ़िर जो तीन फ़रसख़ जाने का इरादा रखता हो लेकिन शुरू से उसकी नियत यह हो कि रास्ते में एक फ़रसख़ का सफ़र अस्ल रास्ते से हट कर किसी ख़ास काम के लिए जाएगा और उसके बाद अपने अस्ली रास्ते पर सफ़र को जारी रखेगा, तो ऐसे इंसान पर मुसाफ़िर का हुक्म लागू नहीं होगा और अस्ली रास्ते से हटकर उसने जो सफ़र किया था उसको अस्ली सफ़र में शामिल करके शरई मसाफ़त पूरी नहीं होगी।
2. जो इंसान अपने निवास से ऐसी जगह का सफ़र करे जो शरई मसाफ़त से कम हो और सप्ताह में कई बार वहां से दूसरे मोहल्ले जाए और इस तरह उसका सफ़र कुल मिला कर आठ फ़रसख़ से ज़्यादा हो जाए तो अगर उसने घर से निकलते वक़्त शरई मसाफ़त (8 फ़रसख़) का इरादा न किया हो और उसके पहले सफ़र और दूसरे मोहल्लों में जाने के बाद भी फ़ासला, शरई मसाफ़त के बराबर न हो तो उस पर मुसाफ़िर का हुक्म लागू नहीं होगा।

4. गुनाह का सफ़र न हो।

1. अगर कोई इंसान सफ़र शुरू करते वक़्त गुनाह का इरादा न रखता हो लेकिन रास्ते में नियत बदल जाए और गुनाह के लिए सफ़र करने का इरादा करे तो उस पर वाजिब है कि उस वक़्त से नमाज़ पूरी पढ़े जब से उसने गुनाह के लिए सफ़र करने का इरादा किया है। और अगर गुनाह का इरादा करने के बाद सफ़र के दौरान उसने कुछ नमाज़ें क़स्र पढ़ी हैं तो वाजिब है कि उन नमाज़ों को दोबारा पूरा पढ़े।
2. अगर जानता हो जिस सफ़र का उसने इरादा किया है उसमें गुनाह और हराम कामों में पड़ने का ख़तरा है तो जब तक

उसका सफ़र वाजिब को छोड़ने और हराम को अंजाम देने के लिए न हो उस पर तमाम मुसाफ़िरों जैसा हुक्म लागू होगा और वह नमाज़ को क़स्र पढ़ेगा।

3. अगर मुसाफ़िर को मालूम हो कि सफ़र में नमाज़ के कुछ वाजेबात छूट जाऐंगे तो एहतियाते (वाजिब) यह है कि वह सफ़र न करे, मगर यह कि सफ़र न करने में बहुत ज़्यादा परेशानी या नुक़सान हो, बहेरहाल नमाज़ को छोड़ना जाएज़ नहीं है।

7. सफ़र उसका पेशा न हो।

1. जिसका पेशा सफ़र हो यानि जिसके काम और पेशे की बुनियाद ही सफ़र हो जैसे ड्राईवर, पायलेट, मल्लाह, और चरवाहा और इन जैसे लोग, तो उन पर वाजिब है कि पहले और दूसरे सफ़र में नमाज़ क़स्र पढ़ें लेकिन तीसरे सफ़र से ज़रूरी है नमाज़ पूरी पढ़ें।
    - जिसका काम सफ़र न हो लेकिन काम के लिए सफ़र ज़रूरी हो जैसे टीचर, मज़दूर, नौकर और फ़ौजी जो किसी शहर में रहते हैं लेकिन दो तीन महीने काम के लिए हर दस दिन में एक बार सफ़र करना पड़ता है तो इनका हुक्म भी वही है जिसका काम ही सफ़र हो।
    - इल्म हासिल करना या स्टूडेंट होना पेशा नहीं है इसलिए कॉलेज के वह स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के लिए हर सप्ताह या डेली सफ़र करते हैं उनको नमाज़ व रोज़े के लिए एहतियात करनी चाहिए।[1] हाँ अगर इल्म हासिल करना उनकी ड्युटी हो जैसे वह टीचर जिन्हें जॉब के साथ साथ

---

1. ऐसे लोग हालात को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे मुज्तहिद से सम्पर्क कर सकते हैं और अगर दूसरे मुज्तहिद की राय नहीं लेते हैं तो उन्हें एहतियात के अनुसार दोनो तरह (यानि पूरी भी और क़स्र भी) से नमाज़ पढ़नी चाहिए।

ट्रेनिंग लेने की भी ज़िम्मेदारी सौंपी गई हो तो उन्हें सफ़र में नमाज़ पूरी पढ़नी होगी।

- ज़ियारत काम व पेशा नहीं हैं इसलिए जो इंसान हज़रत मासूमा-ए-क़ुम की ज़ियारत के लिए या जमकरान की मस्जिद में इबादत करने के लिए क़ुम सफ़र करता है तो उसका हुक्म भी वही है जो दूसरे मुसाफ़िरों का है यानि उसकी नमाज़ भी क़स्र है।
- गाड़ी चलाना जिसका स्थाई काम न हो लेकिन कुछ दिनों के लिए उसे ड्राइविंग की ज़िम्मेदारी दे दी जाए जैसे वह फ़ौजी जिन्हें छावनी में ड्राइविंग की ज़िम्मेदारी दे दी जाती है अगर उर्फ़े आम में इन दो तीन महीनों में उनका पेशा ड्राइविंग कहा जाए तो उनका हुक्म भी दूसरे ड्राइवरों की तरह है।
- अगर जाना और वापस आना लोगों की निगाह में एक सफ़र माना जाता हो जैसे वह टीचर जो पढ़ाने के लिए अपने वतन से दूसरी जगह जाता है और उसी दिन शाम में या दूसरे दिन वापस आ जाता है तो इस तरह जाना और आना एक सफ़र गिना जाएगा लेकिन अगर जाना आना उर्फ़ की निगाह में एक सफ़र न गिना जाता हो जैसे की वह ड्राईवर जो सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वहां से मुसाफिर या सामान लेकर किसी और जगह जाता हो फिर अपने वतन लौट आता हो तो इस सूरत में उसका पहला सफ़र उसकी पहली मंज़िल पर पहुँच कर ख़त्म हो जाता है।

2. जिस इंसान का पेशा सफ़र हो अगर अपने अस्ली पेशे के अलावा किसी और काम के लिए सफ़र करे तो उस सफ़र में उसका वही हुक्म है जो सारे मुसाफ़िरों का होता है यानि

नमाज़ क़स्र पढ़ेगा। लेकिन अगर उसका सफ़र अपने पेशे के लिए हो और सफ़र ही पेशा हो और रास्ते में दूसरे काम भी करे जैसे दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए और एक या कई रातें वहीं रूके तो उसका हुक्म वही है जो पेशे वाले सफ़र का हुक्म होता है और उसकी नमाज़ पूरी होगी इसी तरह अगर वह अपने पेशे के सफ़र में अपनी ड्यूटी अंजाम देने के बाद कोई अपना निजी काम अंजाम दे तो उससे सफ़र का हुक्म नहीं बदलेगा।

- अगर तब्लीग़ (दीन का प्रचार) और अम्र बिल मारूफ़, नही अनिल मुनकर (अच्छाई का हुक्म देना, बुराईयों से रोकना) लोगों की निगाह में किसी मुबल्लिग़ (प्रचारक) का पेशा समझा जाता हो तो सफ़र में उसका हुक्म उस मुसाफ़िर का होगा जो पेशे के लिए सफ़र करता है। और अगर कभी दीन की तबलीग़ के अलावा किसी और काम के लिए सफ़र करे तो दूसरे सारे मुसाफ़िरों की तरह उसकी नमाज़ क़स्र होगी।
- जिसका पेशा सफ़र है अगर वह किसी जगह दस दिन या उससे ज़्यादा रूके चाहे वह उसका वतन हो या न हो तो दस दिन के रूकने के बाद जब वह काम के इरादे से निकले तो पहले सफ़र में क़स्र नमाज़ पढ़ेगा।

8. हद्दे तरख़्ख़ुस (वह सीमा जहाँ से नमाज़ और रोज़ा क़स्र हो जाता है)

1. तरख़्ख़ुस की सीमा तय करने के लिए अज़ान की आवाज़ न सुनाई देना ही काफ़ी है अगरचे एहतियाते मुस्तहब यह है कि एक साथ दोनों निशानियों पर अमल करे। (यानि न अज़ान की अवाज़ सुनाई दे और न बस्ती की दीवारें दिखाई दें।)

2. तरख़्ख़ुस की सीमा का मापदंड शहर की उस दिशा के आख़री हिस्से की अज़ान का न सुनाई देना है जिधर से सफ़र पर निकलता है या शहर में आता है। (शहर के बीच या दूसरी दिशा की अज़ान का सुनाई न देना मापदंड नहीं है)

सवाल

1. मुसाफ़िर की नमाज़ की आठ शर्तों को बयान कीजिए?
2. हराम सफ़र का क्या मतलब है?
3. आठ फ़रसख़ का हिसाब लगाने के लिए शहर का आख़री हिस्सा कहाँ तक होता है?
4. "जिसका पेशा सफ़र है" से कौन मुराद है? मिसाल के साथ बयान कीजिए?
5. क्या पहले सफ़र से मुराद वतन से जाना और फिर वतन वापस आना है या मंज़िल पर पहुँच कर पहला सफ़र ख़त्म हो जाता है?
6. अगर हद्दे तरख़्ख़ुस की दो निशानियों में से कोई एक निशानी हासिल हो जाए तो क्या यह काफ़ी है?

पाठ

52

पंजेगाना नमाज़ें (18)

मुसाफ़िर की नमाज़ (2)

3. जिन चीज़ों से सफ़र ख़त्म हो जाता है।

1. वतन पहुँच जाना।
2. दस दिन ठहरने का इरादा करना।
3. इरादा किए बिना एक महीना ठहरना।

- जिन चीज़ों से सफ़र ख़त्म हो जाता है उन्हें "क़वातेअ सफ़र" कहते हैं।
- मुसाफ़िर अपने वतन से निकलने के बाद ऐसे रास्ते से गुज़रे जहां उसे उसके वतन की अज़ान सुनाई दे या घरों की दीवारें दिखाई दें तो जब तक वतन से न गुज़रे उसकी शरई मसाफ़त को कोई नुक़सान नहीं पहुंचेगा और उसका सफ़र ख़त्म नहीं होगा लेकिन जब तक वह वतन और हद्दे तरख़्ख़ुस के बीच है उस पर मुसाफ़िर का हुक्म लागू नहीं होगा।

4. वतन

1. वतन की दो क़िस्में हैं।

1. अस्ली वतन (जहाँ इंसान पैदा हुआ है और कुछ वक़्त तक वहाँ रह कर पला बढ़ा है।)
2. अपनाया हुआ वतन (दूसरा, नया वतन) वह जगह है जहां मुकल्लफ़ रहने की नियत से कम से कम सात आठ साल ज़िंदगी गुज़ार चुका हो।

➢ किसी शहर में पैदा होने से वह शहर उसका वतन नहीं बनता बल्कि ज़रूरी है कि कुछ वक़्त तक उसमें रहे, पले बढ़े और ज़िंदगी गुज़ारे जैसे अगर देहली में पैदा हो लेकिन वहां पला बढ़ा न हो तो दिहली उसका अस्ली वतन नहीं माना जाएगा बल्कि उसका वतन माँ बाप का वतन है जहां पैदा होने के बाद उनके साथ जाकर उसने ज़िंदगी गुज़ारी हो, हां अगर वह अपने माँ बाप के वतन में ही पैदा हुआ हो तो वही बच्चे का अस्ली वतन भी होगा।

2. अपनाए गए वतन की शर्तें

दूसरा वतन अपनाने के लिए तीन शर्तें ज़रूरी हैं

1. उस जगह को वतन बनाने का पक्का इरादा करे इसलिए जब तक उसको वतन बनाने का पक्का इरादा न करे यानि जब तक हमेशा रहने के लिए उसको न चुने, उसे वतन नहीं माना जाएगा मगर यह कि बिना वतन के इरादे के वह इतने लम्बे वक़्त तक वहां रहे कि उर्फ़े आम (लोगों) में उसका वतन कहा जाने लगे और उर्फ़े आम की नज़र को जानना मुकल्लफ़ की ज़िम्मेदारी है। इसलिए वह लोग जो नामालूम वक़्त के लिए किसी शहर का सफ़र करते हैं जैसे वह स्टूडेंट्स या तलबा जो इल्मे दीन हासिल करने के लिए सफ़र करते हैं। या सरकारी कर्मचारी जिन्हें काम के लिए नामालूम वक़्त के लिए किसी शहर भेजा जाता है तो

उस शहर पर जिसमें वह पढ़ते या नौकरी करते हैं वतन का हुक्म लागू नहीं होगा। मगर यह कि वह स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा लोग इतने लम्बे वक़्त तक रहें कि वह उनका वतन माना जाने लगे। (आठ साल तक रहने का इरादा, वतन कहे जाने के लिए काफ़ी है) और यही हुक्म उस इंसान का है जो कई साल से किसी दूसरी जगह पर रह रहा है और फ़िलहाल अपने वतन आने के लिए उस पर पाबंदी है लेकिन उसे यक़ीन है कि वह एक दिन वतन वापस आएगा तो उस शहर में उसका वही हुक्म है जो दूसरे सारे मुसाफ़िरों का है।

2. ज़रूरी यह है कि किसी निश्चित शहर या बस्ती को वतन बनाने का इरादा करे इसलिए किसी देश जैसे पूरे भारत को वतन बनाने का इरादा नहीं कर सकता।
3. जिस शहर को वतन बनाया है उसमें इतने वक़्त तक ज़िंदगी गुज़ारना ज़रूरी है कि उर्फ़े आम (लोगों) में उसे वहां का रहने वाला कहा जाने लगे। हाँ यह शर्त नहीं है कि छः महीने लगातार वहां रहे बल्कि वतन का इरादा करने के बाद एक मुद्दत तक रहना काफ़ी है चाहे रात में ही रहे तो वह उसका वतन माना जाएगा।
4. नए वतन के लिए निजी घर आदि होने की शर्त नहीं है।
5. **एक से ज़्यादा वतन**

   किसी इंसान के दो वतन हो सकते हैं बल्कि तीन भी हो सकते हैं। इसलिए वह क़बीले (आदिवासी) जो हमेशा गर्मियों में एक जगह और सर्दियों में दूसरे जगह या इसके विपरीत साल के कुछ दिन गुज़ारते हैं और वह दोनों जगह को हमेशा ज़िंदगी गुज़ारने के लिए चुन लेते हैं। तो वह दोनों जगहें उनका वतन होंगीं और दोनों जगहों पर वतन का हुक्म लागू होगा। और अगर इन दो वतनों के बीच की दूरी शरई मसाफ़त के बराबर हो तो एक जगह से दूसरे जगह के रास्ते में उन पर मुसाफ़िर का हुक्म लागू होगा।

और यही हुक्म उस इंसान का भी है जिसने अपनी ज़िन्दगी के कुछ साल उस गाँव में गुज़ारे हों जहां वह पैदा हुआ था और कुछ साल शहर में गुज़ारें हों और इस वक़्त वह दूसरे शहर में रहता हो तो जब तक वह गाँव को तर्क करने का इरादा नहीं करता उस पर उस गाँव में अस्ली वतन का हुक्म लागू होगा और वह शहर जिसमें उसने कुछ साल ज़िंदगी गुज़ारी थी तो अगर उसने उसे वतन बना लिया था तो जब तक उससे न फिरे वह उसका वतन कहलाएगा और वह शहर जिसमें वह अभी रह रहा है अगर उसको वतन बनाने का इरादा कर लिया है और उसमें वह इतना वक़्त गुज़ार चुका है कि लोगों की निगाह में उसे उसका वतन कहा जाने लगे तो जब तक उसको छोड़ने का इरादा नहीं करता वह भी उसका वतन माना जाएगा।

6. वतन छोड़ना

1. वतन छोड़ने का मतलब है वतन से इस नियत से कूच करना कि फिर कभी रहने के लिए वापिस नहीं आएगा।
2. जब तक किसी ने वतन को न छोड़ा हो उस पर वतन का हुक्म लागू होगा और वह नमाज़ पूरी पढ़ेगा लेकिन जब वतन को छोड़ दे उस पर वतन का हुक्म लागू नहीं होगा मगर यह कि हमेशा रहने की नियत से वापिस आए और कुछ वक़्त तक वहां ज़िंदगी गुज़ारे। इसलिए अगर ऐसा इंसान जो गाँव का रहने वाला हो लेकिन वह अभी मुम्बई में ज़िंदगी गुज़ार रहा हो लेकिन उसके मां बाप अब भी गाँव में हों और वहां उनकी ज़मीन जायदाद हो और वह भी उनकी देखभाल और मदद के लेए जाता रहता हो मगर उस गांव में हमेशा रहने का इरादा न हो बल्कि उस गांव में बसने के लिए न जाने का पक्का इरादा हो तो उस पर वतन का हुक्म जारी नहीं होगा।

7. बीवी बच्चों का वतन बनाने और वतन छोड़ने में फ़ॉलो करना।

1. किसी जगह को वतन बनाने या छोड़ने में बीवी शौहर की पाबंद नहीं है बल्कि बीवी को अधिकार है कि वतन बनाने या छोड़ने में शौहर को फ़ॉलो न करे। इसलिए अगर कोई जगह शौहर का वतन हो तो ज़रूरी नहीं है कि वह बीवी का भी वतन हो और बीवी पर वहां वतन का हुक्म लागू हो। इसलिए वह इंसान जिसका एक वतन है लेकिन वह अभी वहां नहीं रहता मगर अपनी बीवी के साथ कभी कभी वहां जाता है उसकी बीवी को वहां क़स्र नमाज़ पढ़नी चाहिए। इसी तरह केवल शादी होने और बीवी के अपने शौहर के घर चले जाने का यह मतलब नहीं है कि बीवी ने अपना अस्ली वतन छोड़ दिया है। इसलिए वह जवान जो दूसरे शहर की किसी लड़की से शादी करता है तो जब बीवी अपने बाप के घर जाती है तो जब तक वह अपने अस्ली वतन को छोड़ने की नियत का इरादा नहीं करती, नमाज़ें पूरी पढ़ेगी। लेकिन अगर बीवी वतन को छोड़ने या बनाने में शौहर के इरादे पर चलती हो तो उसके लिए शौहर की नियत ही काफ़ी है। इसलिए जिस शहर में शौहर अपनी बीवी के साथ रहने के लिए जाता है और अपना वतन बनाता है वही बीवी का वतन भी होगा इसी तरह अगर शौहर दोनों के संयुक्त वतन को छोड़ कर किसी तीसरी जगह पर जाता है तो वह बीवी की ओर से भी वतन छोड़ना (तर्के वतन) माना जाएगा।
2. अगर बच्चे फ़ैसला लेने और ज़िंदगी गुज़ारनें में अपने पैरों पर न खड़े हों बल्कि अपने नेचर और आदत के अनुसार बाप के इरादे के हिसाब से चलते हों तो वतन बनाने और छोड़ने में भी बाप के इरादे के अधीन होंगे और वह नया वतन जिसको बाप ने हमेशा ज़िंदगी गुज़ारने के लिए चुना है बच्चों का भी वतन होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है यानि बच्चे फ़ैसला लेने

और ज़िंदगी गुज़ारनें में अपने पैरों पर खड़े हो चुके हों तो वतन बनाने या छोड़ने में भी बाप के पाबंद नहीं होंगे। इसलिए अगर कोई बच्चा बालिग़ होने से पहले अपने बाप के साथ किसी दूसरे शहर चला जाए और बाप वहाँ से वापसी का इरादा न रखता हो तो फिर वह पहले वाला शहर उसका वतन नहीं रहेगा बल्कि बाप का नया वतन ही उसका भी वतन है।

सवाल

1. सफ़र को ख़त्म करने वाली चीज़ें कौन सी हैं बयान कीजिए?
2. असली और अपनाए गए वतन में क्या अंतर है?
3. अपनाए गए वतन की शर्तें बयान कीजिए?
4. क्या इंसान के एक से ज़्यादा वतन हो सकते हैं?
5. वतन को छोड़ने का क्या मतलब है?
6. जिस लड़की की शादी किसी दूसरे शहर में हुई हो जब वह अपने बाप के घर जाएगी तो नमाज़ पूरी पढ़ेगी या क़स्र?

पाठ

53

पंजगाना नमाज़ें (19)

मुसाफ़िर की नमाज़ (3)

5. दस दिन ठहरने का इरादा

1. मुसाफ़िर अगर कम से कम दस दिन लगातार एक जगह पर रहने का इरादा करे या उसे मालूम हो कि उसे मजबूरन दस दिन वहां रहना होगा तो उस पर वाजिब है कि नमाज़ें पूरी पढ़े। लेकिन अगर दस दिन से कम रहने का इरादा हो तो उसका हुक्म वही है जो दूसरे सभी मुसाफ़िरों का है।

इसलिए पुलिस वाले या फ़ौजी या दूसरे कर्मचारी जो किसी कंपनी में काम करते हैं अगर किसी जगह दस दिन या ज़्यादा ठहरना चाहते हों या उन्हें मालूम हो कि मजबूरन उनको दस दिन या उससे ज़्यादा रहना होगा तो वह नमाज़ पूरी पढ़ेंगे।

- जिस इंसान को मालूम हो कि जहां जा रहा है वहां दस दिन नहीं रहेगा तो दस दिन ठहरने की नियत करने का कोई मतलब ही नहीं और न ही उसका कोई फ़ायदा होगा और वहां नमाज़ क़स्र पढ़ना वाजिब है। जैसे अगर कोई इंसान इमाम रेज़ा (अ.स.) की ज़ियारत के लिए सफ़र करे और उसे

पता हो कि वहां दस दिन नहीं रहेगा उसके बाद भी वह नमाज़ को पूरी पढ़ने के लिए दस दिन ठहरने की नियत करे तो उस नियत का कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि उसकी नमाज़ क़स्र होगी।

2. वाजिब है कि एक ही जगह (शहर या गांव) पर दस दिन रहने की नियत करे इसलिए दो जगह मिलाकर दस दिन रहने की नियत नहीं कर सकता जैसे अगर कोई दो जगह तबलीग़ करता हो अगर वह उर्फ़े आम में दो जगहें कही जाती हों तो उस पर वाजिब है कि किसी एक जगह ठहरने की नियत करे अगर वह कुछ दिन एक जगह और कुछ दिन दूसरी जगह रह कर दस दिन पूरा करना चाहे तो दोनों जगहों पर रहने की नियत नहीं हो सकती बल्कि इस सूरत में वह दोनों जगह क़स्र नमाज़ पढ़ेगा।

- अगर मुसाफ़िर शहर के किसी मोहल्ले में दस दिन ठहरने की नियत करे तो दूसरे मोहल्लों में जाने से उसके इरादे को कोई नुक़सान नहीं पहुंचेगा, चाहे उस मोहल्ले (जिसमें वह ठहरा है) और दूसरे मोहल्ले के बीच शरई मसाफ़त (आठ फ़रसख़) ही क्यों न हो।

3. अगर मुसाफ़िर किसी जगह पर दस दिन या उससे ज़्यादा रहने की नियत करे और पहले से ही उसकी नियत दस दिनों के बीच आसपास की जगहों पर जाने की हो। (जैसे आसपास के बाग़ और खेत आदि) तो इसमें कोई हरज नहीं है और उसका इरादा सही है और नमाज़ भी पूरी पढ़ेगा। इसी तरह अगर वह अपनी ठहरने की जगह से निकल कर शरई मसाफ़त से कम जाने की नियत करे और वहाँ से दिन या रात में एक बार कुछ घंटों के लिए बाहर जाए या कई बार जाए इस शर्ते के साथ कि कुल मिला कर 6, 7 घंटे से ज़्यादा बाहर न रहे तो इस सूरत उसके रूकने की नियत को नुक़सान नहीं

पहुंचेगा और नमाज़ पूरी पढ़ेगा लेकिन अगर इससे ज़्यादा वक़्त के लिए बाहर जाए तो फिर ठहरने की नियत बाक़ी नहीं रहेगी और नमाज़ क़स्र पढ़ेगा।

4. अगर कोई मुसाफ़िर दस दिन रहने की नियत करते वक़्त, अपने ठहरने की जगह से (चाहे एक बार और कुछ मिनटों के लिए ही सही) चार फ़रसख़ या उससे दूर तक जाने का इरादा करे तो इस इरादे से दस दिन ठहरने की नियत ख़त्म हो जाएगी और वह नमाज़ क़स्र पढ़ेगा।
5. अगर मुसाफ़िर किसी जगह दस दिन ठहरने की नियत करे लेकिन कोई एक चार रकअती (ज़ोहर, अस्र या इशा) नमाज़ पढ़ने से पहले अपनी नियत से पलट जाए या इरादा कमज़ोर पड़ जाए तो ठहरने की नियत नहीं हो सकती बल्कि वह जब तक वहां रहेगा नमाज़ क़स्र पढ़ेगा। लेकिन अगर दस दिन ठहरने की नियत के बाद एक चार रकअती नमाज़ पढ़ ली हो तो ठहरने की नियत पूरी हो जाएगी और नमाज़ पूरी पढ़ेगा। अब अगर वह नियत बदल दे या उसका इरादा कमज़ोर पड़ जाए तो कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। इसलिए जब तक वह उस जगह पर रहे और नया सफ़र शुरू न करे नमाज़ें पूरी पढ़ेगा। (चाहे दस दिन ठहरने की नियत करने के बाद केवल एक दिन ही वहां रहना हो।)
6. ठहरने की नियत (क़स्दे एक़ामत) दो चीज़ों से पूरी होती हैः
    1. दस दिन ठहरने की नियत और एक चार रकअती नमाज़ पढ़ना।
    2. दस दिन ठहरने का इरादा और लगातार दस दिन एक जगह ठहरना। (चाहे इस बीच एक भी नमाज़ न पढ़ी हो)

7. दस दिन ठहरने के हुक्म में आ जाने के बाद अगर शरई मसाफ़त (दूरी) से कम सफ़र करे (चाहे कई बार और लम्बे वक़्त के लिए हो) तो कोई हरज नहीं है और उसकी नमाज़ वहां पर पूरी होगी। लेकिन अगर शरई मसाफ़त के बराबर सफ़र करे तो दूसरे सभी मुसाफ़िरों की तरह वह भी क़स्र नमाज़ पढ़ेगा। इसलिए अगर किसी शहर में दस दिन ठहरने की नियत करने के बाद वहां से किसी ऐसे शहर का सफ़र करे जिसके बीच शरई मसाफ़त हो तो दस दिन ठहरने का पिछला इरादा ख़त्म हो जाएगा और अपनी ठहरने की जगह पर वापस आने के बाद दोबारा दस दिन ठहरने का इरादा करना पड़ेगा।
8. वतन के बारे में बीवी या बच्चों के हवाले से जो हमने बयान किया है वह सब कुछ दस दिन ठहरने के इरादे में भी है।

1. इरादे के बिना एक महीने तक ठहरना।

अगर कोई मुसाफ़िर (यात्री) शरई मसाफ़त (आठ फ़रसख़) का सफ़र करने के बाद किसी जगह जाकर ठहरे मगर मालूम न हो कि कितने दिन रुकना है दस दिन या उससे कम या उससे ज़्यादा? तो जब तक यही हालत बनी रहे उस पर वाजिब है कि नमाज़ क़स्र पढ़े। लेकिन तीस दिन गुज़र जाने के बाद वाजिब है कि बाद के आने वाले दिनों में नमाज़ पूरी पढ़े चाहे उसी दिन निकलने का इरादा हो।

2. बड़े शहर (बिलादे कबीरा)

सफ़र के अहकाम, वतन की नियत, ठहरने के इरादे (क़स्दे एक़ामत) में बड़े और छोटे शहरों में कोई फ़र्क़ नहीं है। इसलिए अगर किसी बड़े शहर को वतन बनाने की नियत से किसी ख़ास मोहल्ले को तय किए बिना लम्बे वक़्त तक ठहरे तो पूरे शहर पर वतन का हुक्म लागू होगा और शहर के हर मोहल्ले में नमाज़ पूरी पढ़ेगा। और यही हुक्म है अगर बड़े शहरों में मोहल्ले को तय किए बिना दस दिन

ठहरने की नियत करे तो शहर के सभी मोहल्लों में उसकी नमाज़ पूरी होगी।

9. मुसाफ़िर की नमाज़ के अहकाम

1. जिसे मालूम हो कि सफ़र में नमाज़ क़स्र हो जाती है लेकिन वह सफ़र में जानबूझ कर नमाज़ पूरी पढ़े तो नमाज़ बातिल है लेकिन अगर भूल जाए कि मुसाफ़िर की नमाज़ क़स्र होती है और पूरी पढ़ ले तो नमाज़ दोबारा पढ़ना चाहिए लेकिन अगर वक़्त गुज़रने के बाद याद आए तो क़ज़ा वाजिब नहीं है।
2. जिसे यह पता न हो कि मुसाफ़िर को क़स्र नमाज़ पढ़ना चाहिए और वह पूरी नमाज़ पढ़ ले तो नमाज़ सही है।
3. जिसे यह तो मालूम हो कि सफ़र में नमाज़ क़स्र हो जाती है लेकिन कुछ शर्तें मालूम न हों जैसे यह न जानता हो कि आठ फ़रसख़ के सफ़र से नमाज़ क़स्र हो जाती है और पूरी नमाज़ पढ़ ले तो एहतियाते वाजिब की बिना पर अगर वक़्त है तो दोबारा पढ़े और अगर वक़्त ख़त्म हो गया है तो क़ज़ा करे।
4. जिसकी ज़िम्मेदारी पूरी नमाज़ पढ़ना है अगर वह क़स्र पढ़े तो हर सूरत में उसकी नमाज़ बातिल है।

सवाल

1. जिन फ़ौजियों को मालूम हैं कि वह किसी एक जगह पर दस दिन से ज़्यादा रहेंगे मगर उन्हें अपने ऊपर कोई इख़्तियार नहीं है उनकी नमाज़ का क्या हुक्म है?
2. अगर कोई इंसान इमाम अ. की ज़ियारत के लिए जाए और उसे मालूम हो कि वहाँ दस दिन से कम रहेगा मगर फिर भी अपनी नमाज़ पूरी पढ़ने के लिए वह दस दिन ठहरने का इरादा कर ले तो उसका क्या हुक्म है?
3. दस दिन ठहरने की नियत करते वक़्त क्या यह इरादा करना जाएज़ है कि वह अपनी ठहरने की जगह से किसी ऐसी जगह जाएगा जिसका फ़ासला वहाँ से चार फ़रसख़ से कम हो?
4. ठहरने की नियत (क़स्दे एक़ामत) किन दो चीज़ों से पूरी होती है?
5. जो इंसान ऐसी जगह गया हो जहाँ उसे यही मालूम न हो वह वहाँ कितने दिन रूकेगा दस दिन या उससे कम तो वह नमाज़ पूरी पढ़ेगा या क़स्र?
6. मुसाफ़िर के अहकाम के हिसाब से बड़े और छोटे शहरों के बीच क्या फ़र्क़ है?

पाठ

54

पंजगाना नमाज़ें (20)

क़ज़ा नमाज़ नमाज़े इजारा ,

मां बाप की क़ज़ा नमाज़

15. क़ज़ा नमाज़

1. जो इंसान वक़्त के अंदर वाजिब नमाज़ न पढ़े उस पर वाजिब है कि उसकी क़ज़ा पढ़े चाहे वह नमाज़ के पूरे वक़्त में सो रहा हो या बीमारी या नशे की वजह से उसने नमाज़ न पढ़ी हो। लेकिन अगर पूरे वक़्त में बेहोश रहा हो तो उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं है और मुसलमान होने वाले काफ़िर और हैज़ व नेफ़ास वाली औरत का भी यही हुक्म है कि उन पर भी (कुफ़्र और हैज़ व नेफ़ास के ज़माने की) क़ज़ा वाजिब नहीं है।
2. अगर नमाज़ का वक़्त निकल जाने के बाद पता चले कि उसने जो नमाज़ पढ़ी थी वह बातिल थी तो उस पर क़ज़ा वाजिब है जैसे ग़ुस्ले जेनाबत करने का सही तरीक़ा न जानता हो और

ग़लत तरीक़े से ग़ुस्ल करे तो उस पर उन नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब है जो उसने जेनाबत (हदसे अकबर) के साथ पढ़ीं थीं।

3. उन नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब है जिनके छूट जाने या बातिल होने का यक़ीन हो लेकिन अगर शक हो कि उसकी पिछली कुछ नमाज़ें बातिल थीं या छूट गईं थीं तो उनकी क़ज़ा वाजिब नहीं है।

4. क़ज़ा नमाज़ों के बीच तरतीब (क्रमानुसार पढ़ना) वाजिब नहीं है मगर यह कि ज़ोह्र व अस्र और मग़रिब व इशा की क़ज़ा एक ही दिन की हों। इसी तरह तरतीब को हासिल करने के लिए नमाज़ों को कई बार पढ़ना भी वाजिब नहीं है इसलिए जो इंसान एक साल की कज़ा नमाज़ें पढ़ना चाहता हो वह इस तरह नमाज़ों को पढ़ सकता है कि सुबह की नमाज़ बीस बार पढ़े, ज़ोहर और अस्र की बीस बीस बार पढ़े, फिर मग़रिब और इशा की बीस बीस बार पढ़े इसी तरह पढ़ता रहे यहां तक कि एक साल की नमाज़ पूरी हो जाए। और ऐसा भी कर सकता है कि किसी एक नमाज़ से शुरू करे और जिस तरह रोज़ाना की नमाज़ें पढ़ी जाती हैं उसी तरह तरतीब (क्रम) से पढ़ता चला जाए।

5. जिसके ऊपर क़ज़ा नमाज़ें हों लेकिन वह न जानता हो कितनी नमाज़ें कज़ा हुई हैं जैसे याद न हो कि दो नमाज़ें छूटी हैं या तीन तो उसके लिए कम तादाद में पढ़ लेना काफ़ी है। (यानि जितनी नमाज़ें छूटने का यक़ीन हो।)

6. अगर कोई इंसान तीन बार जेनाबत का ग़ुस्ल करे जैसे बीसवीं, पच्चीसवीं और सत्ताईसवीं तारीख़ को ग़ुस्ल करे उसके बाद यक़ीन हो जाए कि तीन ग़ुस्लों में से कोई एक बातिल था तो एहतियाते वाजिब है कि उतनी नमाज़ों की क़ज़ा पढ़े कि उसे अपनी ज़िम्मेदारी के पूरा हो जाने का यक़ीन हो जाए।

7. नाफ़िला और मुस्तहब नमाज़ें क़ज़ा नमाज़ की जगह नहीं ले सकतीं। इसलिए अगर किसी के ऊपर क़ज़ा नमाज़ हो तो उसके लिए क़ज़ा की नियत से पढ़ना वाजिब है।
8. जो लोग फिलहाल छूटी हुई सभी नमाज़ों की क़ज़ा नहीं पढ़ सकते उनके लिए जितना मुमकिन हो क़ज़ा पढ़ें और बाक़ी नमाज़ों के लिए वसीयत करें।

2. नमाज़े इजारा (पैसा लेकर पढ़ी जाने वाली नमाज़)

1. कोई इंसान किसी की ज़िंदगी में उसकी क़ज़ा नमाज़ें नहीं पढ़ सकता है चाहे उसके लिए क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना मुमकिन न हो। हाँ मरने के बाद उसकी तरफ़ से क़ज़ा पढ़ने में कोई हरज नहीं है। मुकल्लफ़ पर शरअन वाजिब है कि वह अपनी नमाज़ों को अपनी ज़िंदगी में जैसे भी मुमकिन हो ख़ुद पढ़े। जब तक ज़िन्दा है किसी नाएब की तरफ़ से पढ़ी जाने वाली नमाज़ें चाहे पैसा देकर हों या बिना पैसे के काफ़ी नहीं हैं।
2. नमाज़े इजारा में मय्यत की डिटेल बयान करना ज़रूरी नहीं है। और केवल ज़ोहर व अस्र और मग़रिब व इशा में तरतीब का ख़्याल रखना ज़रूरी है। और इजारे के वक़्त अगर अजीर (वह जो उजरत पर नमाज़ पढ़ रहा है) के लिए किसी ख़ास शर्त को बयान न किया गया हो जैसे यह न कहा गया हो कि नमाज़ को मस्जिद में पढ़ना वाजिब है या फ़लां वक़्त में पढ़ना है और कोई ख़ास ऐसा तरीक़ा भी न पाया जाता हो जिसकी तरफ़ बात करते वक़्त ज़हन जाए तो नमाज़ पढ़ने वाले (अजीर) के लिए ज़रूरी है जिन मुसतहब्बात के साथ आम तौर से नमाज़ पढ़ी जाती है उस तरह नमाज़ पढ़े लेकिन हर नमाज़ के लिए अज़ान कहना ज़रूरी नहीं है।

3. माँ बाप की क़ज़ा नमाज़ें

1. बड़े बेटे पर वाजिब है कि अपने बाप और एहतियाते वाजिब की बिना पर मां के मरने के बाद उनकी छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा पढ़े।
2. अगर माँ बाप बिलकुल नमाज़ न पढ़ते रहे हों तब भी एहतियाते वाजिब की बिना पर बड़े बेटे पर उनकी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना वाजिब है।
3. बड़े बेटे से मुराद वह बड़ा बेटा है जो माँ बाप के मरने के बाद लड़कों में सबसे बड़ा हो इसलिए अगर बड़ा बेटा चाहे बालिग़ हो या नाबालिग़, अगर माँ बाप की ज़िंदगी में मर जाए तो माँ बाप के मरने के बाद जो बड़ा बेटा ज़िंदा हो उसी पर उन दोनों की नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब होगी।
4. माँ बाप की क़ज़ा नमाज़ों के वाजिब होने का मापदंड वह बड़ा बेटा है जो औलाद में सबसे बड़ा लड़का हो इसलिए अगर मय्यत की बड़ी औलाद लड़की हो और दूसरा लड़का हो तो माँ बाप की क़ज़ा नमाज़ उस पर वाजिब होगी जो बेटा है।
5. अगर कोई इंसान माँ बाप की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ दे तो बड़े बेटे पर से क़ज़ा नमाज़े पढ़ने की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है।
6. बड़े बेटे पर माँ बाप की केवल उन्हीं नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब है जिन नमाज़ों के छूट जाने का उसे यक़ीन हो। इसलिए अगर उसे मालूम न हो कि उनकी नमाज़ें छूटी हैं या नहीं? तो पूछना और छानबीन करना वाजिब नहीं है।
7. बड़े बेटे पर माँ बाप की नमाज़ों की क़ज़ा जैसे भी मुमकिन हो वाजिब है। और अगर न पढ़ सकता हो यहां तक कि किसी को पैसा देकर भी न पढ़वा सकता हो तो उसका उज़्र क़बूल है।

8. जिस पर अपनी क़ज़ा नमाज़ें भी हों और माँ बाप की क़ज़ा नमाज़ें भी उस पर वाजिब हो जाएं तो उसे दोनों में किसी को भी पहले पढ़ने का इख़्तियार है।
9. जिस बेटे पर माँ बाप की क़ज़ा नमाज़ें वाजिब हैं अगर वह मर जाए तो दूसरों पर कुछ भी वाजिब नहीं। यानि माँ बाप की क़ज़ा नमाज़ें लड़के के बड़े बेटे या उसके भाई पर वाजिब नहीं हैं।

सवाल

1. इस्लाम क़ुबूल करने के बाद काफ़िर की उन नमाज़ों का क्या हुक्म है जो उसने कुफ़्र के ज़माने नहीं पढ़ी हैं?
2. जिस पर क़ज़ा नमाज़ें वाजिब हों अगर वह मुस्तहब नमाज़ें पढ़े तो क्या मुस्तहब नमाज़ों को क़ज़ा नमाज़ों की जगह गिना जाएगा?
3. क्या नमाज़े इजारा (पैसा लेकर पढ़ी जाने वाली नमाज़) पढ़ते वक़्त मय्यत की डिटेल को बयान करना वाजिब है?
4. अगर किसी के बाप ने एक भी नमाज़ न पढ़ी हो तो क्या फिर भी बड़े बेटे पर सारी नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब है?
5. बड़े बेटे से मुराद कौन है?
6. अगर बड़े बेटे की अपनी नमाज़ें क़ज़ा हों और माँ बाप की नमाज़ें भी उस पर वाजिब हो जाएं तो किन नमाज़ों को पहले पढ़ेगा?

पाठ

55

नमाज़े आयात

ईदुल फ़ित्र और ईदे क़ुरबान की नमाज़ें

1. नमाज़े आयात

1. नमाज़े आयात कब वाजिब होती है।

नमाज़े आयात चार सूरतों में वाजिब होती है:

1. सूरज गहन, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो।
2. चाँद गहन चाहे थोड़ा ही क्यों न हो।
3. ज़लज़ला (भूकम्प) आने पर।
4. हर वह असामान्य और गैर मामूली आपदा जिससे ज़्यादातर लोग डर जाएं जैसे काली या लाल आंधी या गहरा अंधेरा, ज़मीन धंस जाना, पहाड़ फटना, आसमानी चीख़ या आवाज़ या आग की जो कभी कभी आसमान पर दिखाई देती है।
   - सूरज गहन, चांद गहन और भूकम्प के अलावा दूसरी घटनाओं में ज़्यादातर लोगों का डरना शर्त है

अगर ऐसा न हो या केवल कुछ ही लोग डरें तो नमाज़े आयात वाजिब नहीं होगी।

- नमाज़े आयात केवल उसी शहर वालों पर वाजिब होती है कि जहां गहन लगा हो या कोई और घटना घटी हो या दो शहर जो एक दूसरे से इतने ज़्यादा मिले हों कि उन्हें एक ही शहर माना जाता हो।
- अगर नेशनल अर्थक्वेक इंफोर्मेशन सेंटर (भूकंप विज्ञान केंद्र) ऐलान करे कि किसी एरिये में भूकंप के हलके हलके कई झटके आए हैं लेकिन उस एरिये के रहने वाले उन झटकों को महसूस न करें तो उन पर नमाज़े आयात वाजिब नहीं है।
- हर भूकंप चाहे वह हलका हो या तेज़ अगर उसे एक अलग भूकंप माना जाए तो उसके लिए अलग से नमाज़े आयात पढ़ी जाएगी।

2. नमाज़े आयात पढ़ने का तरीक़ा।

नमाज़े आयात दो रकअत है। हर रकअत में पाँच रुकूअ और दो सजदे हैं और उसको पढ़ने के कई तरीक़े हैं:

1. **पहला तरीक़ाः**

   नियत और तकबीरतुल एहराम के बाद अलहम्दो और सूरा पढ़ें फिर रुकूअ में चला जाए और रुकूअ से सर को उठाकर फिर अलहम्दो और सूरा पढ़ें। फिर रुकूअ में जाए फिर सर उठाकर अलहम्दो और सूरा पढ़े इसी तरह पढ़ता रहे यहां तक कि एक रकअत में पाँच रुकूअ पूरे हो जाएं और हर रूकूअ से पहले उसने अलहम्दो और सूरा पढ़ा हो फिर सजदे में जाकर दो सजदे करे और फिर दूसरी रकअत के लिए उठ जाए और पहली रकअत की तरह ही दूसरी रकअत पढ़े और दो सजदे करने के बाद तशह्हुद और सलाम पढ़े।

2. **दूसरा तरीक़ाः**

नियत और तकबीरतुल एहराम के बाद सूरा-ए-हम्द पूरा करे फिर किसी सूरे की एक आयत या एक आयत का कुछ हिस्सा पढ़ कर रुकूअ में जाए फिर रुकूअ से सर उठाकर सूरे का दूसरा हिस्सा पढ़े फिर रुकूअ में जाए और रुकूअ से सर उठाने के बाद सूरे का तीसरा हिस्सा पढ़े इसी तरह पांच रुकूअ करें और पाचवें रूकअ से पहले वह सूरा पूरा कर ले जिसे शुरू किया था फिर पाँचवे रुकूअ से सर उठाने के बाद सजदे में जाए और दो सजदे करने के बाद दूसरी रकअत के लिए खड़ा हो जाए। और पहली रकअत की तरह दूसरी रकअत भी पढ़े और सजदों के बाद तशह्हुद व सलाम पढ़ कर नमाज़ को तमाम करे। और अगर नमाज़ी हर रुकूअ से पहले किसी सूरे की एक आयत ही पढ़ना चाहता है तो उस रकअत में सूरए हम्द को एक बार से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए।

- एहतियाते वाजिब यह है कि "बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" को सूरे का हिस्सा मानते हुए उसके बाद रूकूअ नहीं किया जा सकता है।

3. **तीसरा तरीक़ाः**

एक रकअत पहले तरीक़े से पढ़े और दूसरी रकअत को दूसरे तरीक़े पर पढ़े।

4. **चौथा तरीक़ाः**

जिस सूरे की कुछ आयतों को पहले, दूसरे या तीसरे रूकूअ से पहले पढ़ा है अगर चौथे रूकूअ से पहले सूरा पूरा हो जाए तो रुकूअ से सर उठाने के बाद वाजिब है कि पहले अलहम्दो पढ़े और उसके बाद पूरा सूरा पढ़े या उस सूरे की कुछ आयतें पढ़े और इस सूरत में पांचवे रुकूअ से पहले सूरे को पूरा कर लेना वाजिब है।

3. ईदुल फ़ित्र और ईदे क़ुरबान की नमाज़

1. ईदुल फ़ित्र और ईदे क़ुरबान की नमाज़ आज (इमामे ज़माना अ. की ग़ैबत) के दौर में वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है।
2. ईदुल फ़ित्र और ईदे क़ुरबान की नमाज़ दो रकअत है। पहली रकअत में हम्द और सूरे के बाद पांच तकबीरें कहे और हर तकबीर के बाद एक क़ुनूत पढ़े और पांचवें क़ुनूत के बाद तकबीर कह कर रुकूअ में जाए और उसके बाद दो सजदे करे। दूसरी रकअत में हम्द और सूरे के बाद चार तकबीर कहे और हर तकबीर के बाद क़ुनूत पढ़े फिर चौथा क़ुनूत पूरा करने के बाद रुकूअ करे और फिर सजदों के बाद तशह्हुद व सलाम पर नमाज़ को ख़त्म कर दे।
3. ईदुल फ़ित्र और ईदे क़ुरबान के क़ुनूत के लम्बा होने या छोटा होने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता और इससे नमाज़ बातिल नहीं होती लेकिन उनकी तादाद कम या ज़्यादा करना जाएज़ नहीं है।
4. ईद की नमाज़ में एक़ामत नहीं कही जाती लेकिन अगर इमाम ईदुल फ़ित्र या ईदे क़ुरबान की नमाज़ में एक़ामत कह दे तो इमाम और मामूम दोनों की नमाज़ों को नुक़सान नहीं पहुंचेगा।
5. वली-ए-फ़क़ीह के जिन नुमाइन्दों को नमाज़े ईद पढ़ाने की इजाज़त है और इसी तरह वली-ए-फ़क़ीह की तरफ़ से जुमा पढ़ाने के लिए तैनात किए गए इमामे जुमा के लिए मौजूदा ज़माने में (इमामे ज़माना की ग़ैबत के दौर में) नमाज़े ईद जमाअत के साथ पढ़ाना जाएज़ है। लेकिन उनके अलावा दूसरों के लिए एहतियाते वाजिब है कि

नमाज़ को फ़ुरादा की नियत से पढ़ें। रेजा-ए-मतलूबियत की नियत (सवाब की उम्मीद की नियत से) से जमाअत की नियत से भी पढ़ सकते हैं लेकिन यह नियत न हो कि ईद की नमाज़ का हुक्म जमाअत से है। हाँ अगर वक़्त की माँग हो कि किसी शहर में एक ही ईद की नमाज़ पढ़ी जाए तो बेहतर यह है कि वली ए फ़क़ीह की तरफ़ से तैनात इमाम जुमा के अलावा कोई और न पढ़ाए।

6. नमाज़े ईद की क़ज़ा नहीं है।
7. दूसरे नमाज़ियों के लिए नमाज़े ईद को दोबारा पढ़ाना सही नहीं है।

सवाल

1. नमाज़े आयात कब वाजिब होती है?
2. भूकम्प आने के बाद कुछ दिनों तक जो हल्के झटके महसूस किए जाते हैं उनके लिए नमाज़े आयात का क्या हुक्म है?
3. नमाज़े आयात के पढ़ने का तरीक़ा बयान कीजिए?
4. ग़ैबत के ज़माने में ईदुल फ़ित्र व ईदे क़ुरबान की नमाज़ का क्या हुक्म है?
5. क्या मौजूदा दौर में इमाम जमाअत के लिए नमाज़े ईदुल फ़ित्र व ईदे क़ुरबान पढ़ाना जाएज़ है?
6. क्या नमाज़े ईदुल फ़ित्र की क़ज़ा है?

पाठ

56

पाठ – 56

नमाज़े जमाअत (1)

नमाज़े जमाअत की शरई हैसियत व अहमियत

1. **नमाज़े जमाअत की शरई हैसियत व अहमियत**
   1. नमाज़े जमाअत इस्लाम के अहेम मुस्तहब्बात और अज़ीम निशानियों में से है और कम से कम दो लोगों के साथ पढ़ी जाती है एक इमाम और दूसरा मामूम।
   2. इमामे जमाअत अगर इमामत (नमाज़ पढ़ाने) और जमाअत की नियत किए बिना नमाज़ शुरू कर दे तो दूसरों के लिए उसके पीछे नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है यानि जमाअत के लिए इतना ही काफ़ी है कि मामूम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने की नियत करे लेकिन इमाम का जमाअत की नियत करना शर्त नहीं है। हाँ अगर इमाम भी जमाअत का सवाब हासिल करना चाहता है तो उसे इमामत और जमाअत की नियत करनी पड़ेगी।

3. एहतियात के तौर पर पढ़ी जाने वाली क़ज़ा नमाज़ की नियत से इमामत करना सही नहीं है इसलिए जो इंसान कुछ जगहों पर जमाअत पढ़ाना चाहता है तो एहतियात के तौर पर क़ज़ा की जाने वाली नमाज़ों की नियत से जमाअत नहीं पढ़ा सकता है।
4. किसी के पीछे नमाज़ पढ़ने के सही होने के लिए उसका राज़ी होना ज़रूरी नहीं है इसलिए ऐसे किसी इंसान के पीछे नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है जो इमामत के लिए राज़ी न हो।
5. जब तक मामूम (जमाअत से नमाज़ पढ़ने वाला) नमाज़े जमाअत पढ़ रहा हो उसके पीछे नमाज़ पढ़ना सही नहीं है लेकिन अगर किसी को मालूम न हो कि वह मामूम है और वह उसके पीछे नमाज़ पढ़ने लगे तो अगर रुकूअ व सजदे में फ़ुरादा (तन्हा) नमाज़ पढ़ने वाले की तरह अमल कर रहा हो यानि जानबूझ कर या भूले से रुक्न में कमी या ज़्यादती न करे (और बाद में पता चले कि वह मामूम है) तो उसकी नमाज़ सही है।
6. रोज़ाना की वाजिब नमाज़ों में दूसरे मामूमीन के लिए दूसरी बार जमाअत से नमाज़ पढ़ाने में कोई हरज नहीं है बल्कि मुस्तहब है लेकिन एक बार से ज़्यादा जाएज़ नहीं है इसलिए एक इमामे जमाअत दो मस्जिदों में एक ही नमाज़ को दो बार पढ़ा सकता है।
7. रोज़ाना की नमाज़ों में किसी भी नमाज़े जमाअत के साथ कोई भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है जैसे अगर किसी को इशा की नमाज़ पढ़ना है और इमाम मग़रिब की नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसके पीछे जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ सकता है।

8. औरतों के लिए नमाज़े जमाअत में शामिल होने में कोई हरज नहीं है और उन्हें भी जमाअत का सवाब मिलेगा।
9. ऐसी जमाअत में शिरकत करने में कोई हरज नहीं है जिसमें मामूम की निगाह में पीछे पढ़ने और जमाअत की शर्तें मौजूद हों चाहे वह नमाज़े जमाअत मस्जिद के नज़दीक ही क्यों न हो और मस्जिद में उस वक़्त जमाअत हो रही हो। हाँ मोमनीन के लिए मुनासिब यह है कि वह नमाज़े जमाअत की अहमियत को बढ़ाने के लिए एक जगह जमा होकर जमाअत में हिस्सा लें। जमाअत से आपस में यूनिटी और मोहब्बत बढ़नी चाहिए, इख़्तेलाफ़ और मतभेद नहीं। इसलिए अगर मस्जिद के क़रीब जमाअत से इख़्तेलाफ़ और मतभेद हो तो जाएज़ नहीं है।
10. अगर इमाम, नमाज़ के आख़री तशह्हुद में हो और कोई इंसान जमाअत का सवाब लेना चाहता है तो उसे चाहिए कि जमाअत की नियत करके तकबीरतुल एहराम कहे और बैठ जाए, इमाम के साथ तशह्हुद पढ़े लेकिन सलाम न पढ़े और थोड़ी देर रुके ताकि इमाम सलाम पढ़ ले और उसके बाद खड़े होकर अपनी नमाज़ पूरी करे। यानि हम्द और सूरा पढ़े और वह उसकी पहली रकअत होगी यह तरीक़ा जमाअत की नमाज़ के आख़री तशह्हुद से मख़सूस (विशेष) है इसलिए तीन रकअती और चार रकअती नमाज़ के पहले तशह्हुद में ऐसा करना सही नहीं है।
11. इमाम और मामूम के बीच तक़लीद में इख़्तेलाफ़, (इमाम के) पीछे नमाज़ पढ़ने में रुकावट नहीं है इसलिए अगर इमाम मुसाफ़िर की नमाज़ में किसी मुजतहिद की तक़लीद करता हो और मामूम किसी दूसरे की तक़लीद

में हो तो वह उसके पीछे नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन उस इंसान के पीछे नमाज़ पढ़ना सही नहीं है जिसकी नमाज़ मामूम के मुजतहिद के फ़तवे के हिसाब से क़स्र हो लेकिन इमाम के मुज्तहिद के फ़तवे के हिसाब से पूरी हो या इसके विपरीत।

- जो लोग नमाज़े जमाअत के दौरान फ़ुरादा (अकेले) नमाज़ पढ़ते हैं अगर उनके इस काम से जमाअत का अपमान या उसे कमज़ोर करना मक़सद हो या उस इमामे जमाअत की इंसल्ट होती हो जिसे लोग आदिल (न्यायी) मानते हैं तो इस सूरत में फ़ुरादा पढ़ना जाएज़ नहीं है।
- किसी लॉजिकल मक़सद के लिए दिखावे में नमाज़े जमाअत में शामिल होने में कोई हरज नहीं है जैसे आरोप को दूर करने के लिए। लेकिन जेहरी (आवाज़ में पढ़ी जाने वाली) नमाज़ों जैसे मग़रिब और इशा कि जिसमें हम्द और सूरे को आवाज़ में पढ़ना ज़रूरी है केवल दिखावे के लिए जमाअत में शामिल होकर उन सूरों को धीरे पढ़ना सही नहीं है और ऐसी नमाज़ काफ़ी नहीं है।
- ऑफ़िस में मुस्तहब काम अंजाम देना जैसे नमाज़ों के बीच में या उससे पहले या उसके बाद लम्बी दुआएँ पढ़ना जैसे दुआए तवस्सुल या दूसरी लम्बी दुआएँ पढ़ने से अगर नमाज़े जमाअत का वक़्त ख़िंचता हो और उससे ऑफ़िस का वक़्त बर्बाद होता हो या ज़रूरी काम में देरी होती हो तो ऐसा करना सही नहीं है।
- इमामे जमाअत के लिए नमाज़े जमाअत की उजरत (मज़दूरी) लेना जाएज़ नहीं है हां नमाज़े जमाअत के लिए आने के बदले उजरत ले सकता है।
- नमाज़े जमाअत में सलाम के बाद दुरूद वाली आयत का पढ़ना और पैग़म्बर और उनकी आल पर दुरूद भेजने में न

केवल यह कि कोई हरज नहीं है बल्कि यह एक मुस्तहब काम है और इसमें बहुत ज़्यादा सवाब भी है इसी तरह इस्लामी और इन्क़ेलाबी नारे जैसे तकबीर और इस जैसे नारे भी जिससे ईरान के इस्लामी इन्क़ेलाब का मक़सद ज़िंदा रहता हैं, अच्छा काम है।

- नमाज़ के अव्वले वक़्त और जमाअत की फ़ज़ीलत को हासिल करने के लिए बेहतर यह है कि ऑफ़िस में काम करने वालों के लिए दफ़्तर का शैडयूल इस तरह से सेट किया जाए कि वह लोग जमाअत के साथ नमाज़ की ज़िम्मेदारी को कम से कम वक़्त में अंजाम दे सकें।

सवाल

1. नमाज़े जमाअत के लिए कम से कम कितने लोगों का होना ज़रूरी है?
2. क्या दो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाने के लिए इमामे जमाअत एक नमाज़ को दो बार पढ़ा सकता है?
3. अगर कोई इंसान नमाज़े इशा पढ़ना चाहता हो तो क्या वह उस इंसान के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है जो मग़रिब की नमाज़ पढ़ रहा हो?
4. अगर कहीं नमाज़े जमाअत हो रही है और वहाँ बड़ी तादाद में नमाज़ी भी हों तो उससे क़रीब ऐसी जगह पर दूसरी जमाअत पढ़ाना जहाँ अज़ान व इक़ामत की आवाज़ पहुँच रही हो कैसा है?
5. नमाज़े जमाअत के दौरान फ़ुरादा नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है?
6. क्या इमामे जमाअत, नमाज़ के लिए उजरत (पैसा) ले सकता है?

पाठ

57

पाठ – 57

नमाज़े जमाअत (2)

नमाज़ के कुछ अहेम मसअले

1. **नमाज़े जमाअत की शर्तें**
   1) बीच में किसी चीज़ की रुकावट न हो।
   2) इमाम के खड़े होने की जगह, मामूम के खड़े होने की जगह से ऊँची न हो।
   3) इमाम और मामूम के बीच फ़ासला न हो।
   4) मामूम के खड़े होने की जगह इमाम से आगे न हो।
2. **बीच में किसी चीज़ की रुकावट न हो।**
   1. अगर जमाअत की पहली सफ़ (लाइन) में सब ऐसे लोग हों कि जिनकी नमाज़ क़स्र है और बाद वाली लाइन में वह लोग हों जिनकी नमाज़ पूरी है तो अगर अगली सफ़ के लोग दो रकअत नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन दो रकअत पढ़ने की नियत कर लें तो जमाअत सही है।

2. अगर कुछ नाबालिग़ बच्चे जमाअत की तीसरी या चौथी लाइनों (सफ़ों) में खड़े हो जाएं और उनके बाद कुछ बालिग़ भी खड़े हों तो बाद वाली सफ़ों की नमाज़ सही है।

3. नमाज़े जमाअत में अगर मर्दों की सफ़ के आगे औरतों की सफ़ हो और मर्दों की सफ़ें औरतों द्वारा इमाम से जुड़ी हों जैसा कि कभी कभी इमाम रज़ा अ. के रौज़े या नमाज़े जुमा की बड़ी जमाअतों में हो जाता है तो इसमें कोई हरज नहीं है।

   - औरतें अगर नमाज़े जमाअत में मर्दों के पीछे वाली लाइन में खड़ी हों चाहे उनके बीच कोई फ़ासला न हो तो कोई हरज नहीं है और उनके बीच किसी रुकावट या पर्दे की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर बग़ल में खड़ी हों तो आड़ और पर्दे की ज़रूरत है ताकि औरत और मर्द के साथ खड़े होने की कराहत ख़त्म हो जाए। और यह कहना कि औरत व मर्द के बीच पर्दे का होना औरतों का अपमान और उनकी शान के ख़िलाफ़ है मात्र एक कल्पना और वहेम है जिसकी कोई हैसियत नहीं है।

3. इमाम के खड़े होने की जगह, मामूम के खड़े होने की जगह से ऊँची न हो।

अगर इमाम के खड़े होने की जगह मामूम के खड़े होने की जगह से इतनी ऊंची हो जिसकी शरीअत ने इजाज़त नहीं दी है तो नमाज़े जमाअत बातिल हो जाएगी।

4. इमाम और मामूम के बीच फ़ासला न हो।

अगर मामूम पहली लाइन के बिलकुल किनारे पर खड़ा हो तो अगर इमामे जमाअत के नमाज़ शुरू करने के बाद उसके और इमाम

के बीच खड़े हुए नमाज़ी जमाअत में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हों तो जमाअत की नियत से वह भी नमाज़ में शामिल हो सकता है।

5. नमाज़े जमाअत के अहकाम

1. मामूम के लिए ज़ोहर व अस्र की नमाज़ में हम्द व सूरा पढ़ना जाएज़ नहीं है चाहे ध्यान न भटकने के लिए ही क्यों न हो।
2. अगर इमाम नमाज़े इशा की तीसरी या चौथी रकअत में हो और मामूम दूसरी रकअत में तो मामूम पर धीमी आवाज़ में हम्द और सूरा पढ़ना वाजिब है।
3. अगर कोई इंसान नमाज़े जमाअत की दूसरी रकअत में शामिल हो लेकिन मसअला न जानने की वजह से अपनी दूसरी रकअत में तशह्हुद और क़ुनूत न पढ़े तो उसकी नमाज़ सही है लेकिन उस पर वाजिब है कि एहतियात की बिना पर तशह्हुद की क़ज़ा करे और एहतियाते वाजिब है कि दो सजदए-सह्वो भी करे।
4. जो इंसान तीसरी रकअत में जमाअत में शामिल हुआ हो और यह सोच कर कि इमाम की पहली रकअत है कुछ न पढ़े तो अगर रुकूअ से पहले समझ जाए तो हम्दो व सूरे पढ़ना वाजिब है लेकिन अगर रुकूअ में जाने के बाद समझे तो उसकी नमाज़ सही है और उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है। अगरचे एहतियाते मुस्तहब है कि अनजाने में क़ेराअत (हम्दो व सूरा) छूट जाने की वजह से दो सजदा-ए-सह्वो करे।
5. अगर इमामे जमाअत तकबीरतुल एहराम के बाद भूले से रुकूअ में चला जाए और मामूम नमाज़ में शामिल होने के बाद और रुकूअ करने से पहले समझ जाए तो

उस पर वाजिब है कि फ़ुरादा की नियत करके हम्द और सूरा पढ़े।

6. अगर इमामे जमाअत नमाज़ के बीच किसी शब्द को पढ़ने के बाद उसके उच्चारण में शक करे और नमाज़ के ख़त्म होने के बाद मालूम हो जाए कि उस शब्द को ग़लत पढ़ा था तो उसकी और सारे नमाज़ियों (मामूमीन) की नमाज़ सही है।
7. इस्लामी एकता के लिए अहले सुन्नत की जमाअत में शामिल होना जाएज़ है और अगर एकता को बचाने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ें जिसे अहले सुन्नत अंजाम देते हैं तब भी नमाज़ सही और काफ़ी है जैसे जानमाज़ पर सजदा करना पड़े लेकिन नमाज़ में हाथ बाँधना सही नहीं है मगर यह कि तक़य्या की वजह से ऐसा किया जाए।

4. इमामे जमाअत की शर्तें

इमामे जमाअत की शर्तें:

1. बालिग़ हो।
2. आक़िल हो। (पागल व दीवाना न हो)
3. आदिल हो। (न्यायी)
4. हलालज़ादा हो।
5. शिया इसना अशरी हो।
6. नमाज़ सही पढ़ता हो।
7. मर्द हो (अगर मामूम मर्द हों)

1. आदिल हो

1. अगर इमामे जमाअत कोई ऐसी बात कहे या ऐसा मज़ाक़ करे जो आलिम की शान के मुनासिब न हो तो

जब तक वह चीज़ शरीअत के ख़िलाफ़ न हो उससे उसकी अदालत को कोई नुक़सान नहीं पहुँचेगा।

2. अगर इमाम अच्छाई का हुक्म और बुराईयों से नहीं रोकता (अम्र बिल मारूफ़, नहीं अनिल मुन्कर नही करता) तो इससे उसकी अदालत पर असर नहीं पड़ेगा और उसके पीछे नमाज़ पढ़ी जा सकती है इसलिए कि हो सकता है किसी वजह से वह ऐसा न कर रहा हो।

3. अगर कोई इंसान इमामे जमाअत के आदिल होने का यक़ीन रखता हो लेकिन यह भी यक़ीन रखता हो कि कुछ जगहों पर उसने उस पर ज़ुल्म भी किया है तो जब तक यह साबित न हो जाए कि इमामे जमाअत का वह काम जो उसके हिसाब से ज़ुल्म है, इल्म, इरादे, इख़्तियार और बिना किसी शरई दलील के है उस वक़्त तक इमामे जमाअत पर फ़िस्क़ (गुनाह, दुराचार) का हुक्म लगाना जाएज़ नहीं है।

   - इमामे जमाअत के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए उसकी सही पहचान होना ज़रूरी नहीं है बल्कि अगर किसी भी रास्ते से मामूम के लिए इमाम का आदिल होना साबित हो जाए उसके पीछे नमाज़ पढ़ सकता है और नमाज़े जमाअत सही है।

2. सही तरीक़े से नमाज़ पढ़ना

1. अगर किसी इंसान की क़ेराअत सही न हो और सीख भी न सकता हो तो उसकी नमाज़ सही है लेकिन दूसरे उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ सकते।

2. अगर मामूम की निगाह में इमाम की क़ेराअत सही न हो जिसके नतीजे में वह उसकी नमाज़ को सही न समझता हो तो उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ सकता और अगर

उसके पीछे पढ़ेगा तो उसकी नमाज़ बातिल है और उसे दोबारा पढ़ना होगा।

3. **इमामे जमाअत का मर्द होना**

औरत केवल औरतों के लिए इमामत कर सकती है।

इमामे जमाअत की शर्तों के सिलसिले में कुछ बातें

- अगर आलिमे दीन (मौलाना) मौजूद हो तो ग़ैर आलिमे दीन के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए।
- अगर इमामे जमाअत क़याम की हालत में नेचुरल तरीक़े से सुकून व आराम से खड़ा हो सकता हो और उसी हालत में हम्द और सूरे पढ़ सकता हो, नमाज़ की सारे आमाल अंजाम दे सकता हो, पूरी तरह से रुकूअ और सजदा कर सकता हो और सही तरह से वुज़ू भी कर सकता हो तो इमामत की सारी शर्तें जान लेने के बाद दूसरों के लिए उसके पीछे नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है। और उसके पीछे जमाअत की नमाज़ सही है।

  हाँ अगर उसका पूरा हाथ या पूरा पैर कटा हो या पैरालिसिस का शिकार हो चुके हों तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ने में हरज है। लेकिन अगर उसके पैर का केवल अंगूठा कटा हो तो उसकी इमामत सही है।
- अगर कोई इंसान शरई वजह से ग़ुस्ल न कर सकता हो तो वह ग़ुस्ल के बदले तयम्मुम करके इमामे जमाअत हो सकता है और दूसरों के लिए उसके पीछे नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है।
- अगर कुछ लोग शरई मसअला न जानने की वजह से ऐसे इंसान के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हों जिसके पीछे नमाज़ पढ़ना सही नहीं था जैसे किसी का दाहिना हाथ न हो तो उनकी पिछली नमाज़ें सही हैं और दोबारा पढ़ना वाजिब नहीं है।

4. नमाज़ के कुछ अहेम मसअले

1. नमाज़े सुबह के लिए घर वालों को जगाने का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है।
2. बच्चों के गार्जियन के लिए मुस्तहब है कि जब बच्चे मुमय्यज़ (जब बच्चा अच्छाई और बुराई समझने लगे) हो जाएं तो उनको शरई मसअले और इबादतों के अहकाम सिखाए।
3. शराब पीने वाले इंसान की नमाज़ चालीस दिन तक नमाज़ नहीं" से मुराद यह है कि शराब पीने की वजह से उसकी नमाज़ क़ुबूल नहीं होगी न यह कि शराब पीने की वजह से उस पर अदा नमाज़ वाजिब ही नहीं है बल्कि उसकी क़ज़ा वाजिब है या उसके लिए अदा व क़ज़ा दोनों ज़रूरी होती हैं।
4. सलाम फेरने और नमाज़ ख़त्म होने के बाद मुसाफ़ेहा करने (हाथ मिलाने) में कोई हरज नहीं है। बल्कि मोमिनों के साथ मुसाफ़ेहा करना मुस्तहब है।
5. अगर कोई किसी इंसान को देखे कि वह नमाज़ के कुछ कामों में ग़लती कर रहा है तो इस सिलसिले में देखने वाले की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। मगर यह कि उस इंसान की ग़लती शरई हुक्म न जानने की वजह से हो तो इस सूरत में एहतियाते वाजिब यह है कि उसको सही मसअले के बारे में बताए।

सवाल

1. अगर औरतें मर्दों के पीछे सफ़ में खड़े होकर नमाज़े जमाअत पढ़ रही हों तो क्या उनके बीच में परदे की ज़रूरत है?
2. क्या मामूम के लिए अपने ध्यान को भटकने न देने के लिए ज़ोह्र व अस्र की जमाअत में हम्द और सूरे को पढ़ना जाएज़ है?
3. अगर इमामे जमाअत तकबीरतुल एहराम के बाद भूले से रुकूअ में चला जाए तो मामूम की क्या ज़िम्मेदारी है?
4. अगर इमामे जमाअत कोई ऐसी बात कहे या ऐसा मज़ाक़ करे जो एक मौलाना की शान के लिए मुनासिब न हो तो क्या उससे उसकी अदालत ख़त्म हो जाती है?
5. क्या क़िराअत सही होने के सिलसिले में फ़ुरादा नमाज़ या मामूम और इमाम की नमाज़ में कोई फ़र्क़ है? या यह कि क़िराअत का सही होना हर एक के लिए एक जैसा है?
6. क्या औरत, औरतों को नमाज़ पढ़ा सकती है?

चौथा चैप्टर

रोज़ा

पाठ

58

रोज़ा (1)

रोज़े का मतलब – रोज़े की क़िस्में – वाजिब रोज़े

रोज़ा वाजिब होने की शर्तें - रोज़ा सही होने की शर्तें

1. रोज़े का मतलब

इस्लाम में रोज़े का मतलब यह है कि मुकल्लफ़ पूरे दिन तुलूए-फ़ज्र (भोर) से मग़रिब तक अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए खाने पीने और उन सारी चीज़ों से कि जिन्हें आगे बयान किया जाएगा, परहेज़ करे।

- रोज़े के वक़्त का शरई मापदंड सुबहे सादिक़ (भोर) है न सुब्हे काज़िब और इसका पता लगाना मुकल्लफ़ की ज़िम्मेदारी है।
- फ़ज्र होने (रोज़े के लिए सहरी को तर्क करने) के सिलसिले में चाँदनी रातों और अंधेरी रातों में कोई फ़र्क़ नहीं है।
- अगर रोज़ेदार को इत्मीनान हो जाए कि अज़ान वक़्त आने के बाद शुरू हुई है तो अज़ान शुरू होते ही इफ़्तार कर लेना जाएज़ है और अज़ान के ख़त्म होने का इंतेज़ार करना ज़रूरी नहीं है।

2. रोज़े की क़िस्में

1. वाजिब रोज़ा जैसे रमज़ान के मुबारक महीने के रोज़े।
2. मुस्तहब रोज़ा जैसे रजब और शाबान के महीने के रोज़े।
3. मकरूह रोज़ा जैसे आशूरा (दस मोहर्रम) के दिन का रोज़ा।
4. हराम रोज़ा जैसे ईदुल फ़ित्र और ईदे क़ुरबान का रोज़ा।
   - जिस इंसान को मालूम हो कि रोज़ा उसके लिए नुक़सानदे है या रोज़े से उसको नुक़सान पहुँचने का डर हो तो उसके लिए रोज़ा रखना जाएज़ नहीं है। इसलिए अगर वह रोज़ा रखेगा भी तो उसका रोज़ा सही नहीं होगा बल्कि ऐसा करना हराम है चाहे यह यक़ीन और डर उसे निजी एक्सपीरियंस की बिना पर हो या भरोसेमंद डाक्टर की राय या किसी दूसरी वजह से हो।
   - रोज़े से बीमार होने, बीमारी बढ़ने या रोज़ा न रखने की ताक़त का मापदंड ख़ुद रोज़ेदार की अपनी तशखीस (Diagnosis) है। इसलिए अगर डॉक्टर कहे कि रोज़ा नुक़सानदे है लेकिन अगर उसे ख़ुद से यक़ीन हो कि नुक़सानदे नहीं है तो उस पर रोज़ा वाजिब है। इसी तरह अगर डॉक्टर कहे कि रोज़ा नुक़सानदे नहीं है लेकिन उसका अपना यक़ीन हो कि रोज़ा नुक़सानदे है या रोज़े से नुक़सान पहुंचने का डर हो तो उसके लिए रोज़ा रखना जाएज़ नहीं हैं।
   - अगर इस यक़ीन के साथ रोज़ा रखे कि रोज़ा नुक़सानदे नहीं है और बाद में मालूम हो कि रोज़ा नुक़सानदे था तो उस रोज़े की क़ज़ा वाजिब है।

- अगर डॉक्टर मरीज़ को नुक़सान पहुंचने के डर की वजह से रोज़ा रखने से मना करे तो डॉक्टर की बात उसी वक़्त मान्य होगी जब मरीज़ को डॉक्टर के कहने से इत्मीनान हासिल हो जाए या नुक़सान का डर हो वरना उसके कहने का कोई ऐतबार नहीं है।

3. वाजिब रोज़े

1. रमज़ान के महीने के रोज़े।
2. क़ज़ा रोज़े।
3. कफ़्फ़ारे के रोज़े।
4. माँ बाप के क़ज़ा रोज़े।
5. वह मुस्तहब रोज़े जो नज़्र[1] अहेद[2] या क़सम की वजह से वाजिब हो जाते हैं।
6. ऐतेकाफ़[3] के दिनों में तीसरे दिन का रोज़ा।
7. हज्जे तमत्तो में क़ुरबानी के बदले का रोज़ा।[4]

4. रोज़ा वाजिब होने की शर्तें

1. बालिग़ होना।
2. आक़िल होना।

---

1. नज़्रः नज़्र का मतलब है कि इंसान तय करे कि किसी अच्छे काम को अल्लाह के लिए अंजाम दे या किसी ग़लत काम को अंजाम न दे।
2. अहेदः अहेद का मतलब यह है कि इंसान अल्लाह से अनुबंध करे कि अगर उसकी हाजत पूरी हो गई तो वह कोई अच्छा काम अंजाम देगा।
3. एतेकाफ़ः इबादत की नियत से कुछ ख़ास शर्तों के साथ मस्जिद में ठहरना।

3. क़ादिर (समर्थ) होना।
4. बेहोश न होना।
5. मुसाफ़िर न होना।
6. हैज़ और नेफ़ास के ख़ून से पाक होना।
7. रोज़े रखने में किसी तरह का नुक़सान न हो।
8. रोज़े में कोई हरज (परेशानी) न हो।

- रोज़ा उस इंसान पर वाजिब है जिसमें ऊपर बयान की गई शर्तें पाई जाती हों। इसलिए नाबालिग़, पागल, बेहोश, जिसमें रोज़ा रखने की सकत न हो, मुसाफ़िर, हैज़ और नेफ़ास वाली औरत या जिसके लिए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल हो या वह इंसान जिसके लिए रोज़ा नुक़सानदे हो उन सब पर रोज़ा वाजिब नहीं है।
- केवल कमज़ोरी की वजह से रोज़ा छोड़ना मुकल्लफ़ के लिए जाएज़ नहीं है लेकिन अगर कमज़ोरी इतनी हो कि उसका सहन करना बहुत मुश्किल हो तो रोज़ा छोड़ सकता है इसी तरह अगर रोज़े से नुक़सान या नुक़सान का डर हो तब भी रोज़ा छोड़ा जा सकता है। इसलिए लड़कियों पर बालिग़ हो जाने के बाद (यानि जब चाँद के हिसाब से नौ साल पूरे हो जाएं) रोज़ा वाजिब है। मुश्किल होने, बदन की कमज़ोरी की वजह से उनके लिए रोज़ा छोड़ना जाएज़ नहीं है। हाँ अगर रोज़ा उनके लिए नुक़सानदे हो या उसका सहन करना बहुत ज़्याद मुश्किल हो तो उनके लिए इफ़्तार करना जाएज़ है।

5. रोज़ा सही होने की शर्तें

1. इस्लाम
2. ईमान
3. अक़्ल

4. बेहोश न होना
5. मुसाफ़िर न होना
6. हैज़ और नेफ़ास की हालत में न होना
7. नुक़सानदे न हो
8. नियत
9. रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से दूरी।
10. उसके ज़िम्मे क़ज़ा रोज़ा न हों (यह शर्त उसके लिए है जो मुस्तहब रोज़ा रखना चाहता हो)

- केवल उन्हीं लोगों का रोज़ा सही है जिनके अंदर यह शर्तें पाई जाएं इसलिए काफ़िर, पागल, बेहोश, मुसाफ़िर, हैज़ और नेफ़ास वाली औरतें, जिसके लिए रोज़ा नुक़सानदे हो, जिसने रोज़े की नियत न की हो या जानबूझ कर रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम अंजाम दे लिया हो या जिसके ज़िम्मे क़ज़ा रोज़ा हो उसका मुस्तहब रोज़ा सही नहीं है।

सवाल

1. रोज़े का क्या मतलब है बयान कीजिए?
2. वाजिब रोज़े कौन कौन से हैं?
3. अगर डॉक्टर किसी को रोज़ा रखने से मना करे तो क्या उसकी बात पर अमल करना वाजिब है?
4. रोज़ा वाजिब होने की क्या शर्तें हैं?
5. जो लड़कियां जल्द ही बालिग़ हो गई हैं और उनके लिए रोज़ा रखना थोड़ा मुश्किल हो तो उनका क्या हुक्म है?
6. रोज़ा सही होने की शर्तें बयान कीजिए?

पाठ

26

रोज़ा (2)

रोज़े की नियत

6. रोज़े की नियत

1. नियत का मतलब और उसकी ज़रूरत

दूसरी सभी इबातदों की तरह रोज़े में भी नियत वाजिब है। इसका मतलब यह है कि मुकल्लफ़ अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए खाने पीने और रोज़ा तोड़ने वाली सभी चीज़ों से परहेज़ करे। नियत में इरादा ही काफ़ी है ज़बान से कहना वाजिब नहीं है।

2. नियत करने का वक़्त

मुस्तहब्ब रोज़े

शुरू रात से लेकर मग़रिब से इतनी देर पहले तक कि जिसमें नियत कर सके। (यानि मग़रिब से पहले इतना वक़्त बाक़ी हो कि उसमें नियत की जा सके।)

वाजिब रोज़े

1. वाजिबे मुअय्यन (जिसका वक़्त तय हो) जैसे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े।

1) फ़ज्र से पहले तकः सही है

2) ज़वाल यानि सूरज ढलने से पहलेः
   - अगर जानबूझ कर होः सही नहीं है।
   - भूले से या न जानता हो तो एहतियाते वाजिब है कि रोज़े की नियत करके रोज़ा रखे और बाद में क़ज़ा भी करे।

3) ज़वाल (सूरज ढलने) के बादः काफ़ी नहीं है।

2. वाजिबे ग़ैर मुअय्यन (जिसे अंजाम देने का कोई ख़ास वक़्त तय न हो) जैसे रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा।

- ज़वाल से पहले तकः सही है।
- ज़वाल के बादः सही नहीं है।

1. क्योंकि रोज़ा तुलू-ए-फ़ज्र (अज़ाने सुबह के अव्वले वक़्त) से शुरू होता है। इसलिए उसकी नियत में भी एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। बेहतर यह है कि तुलू-ए-फ़ज्र से पहले ही रोज़े की नियत कर ले।
2. अगर रात में ही अगले दिन के रोज़े की नियत कर ले और उसके बाद सो जाए और सवेरे की अज़ान के बाद जागे या किसी काम में इतना बिज़ी हो जाए कि उसे पता ही न चले कि कब सुबह हो गई और बाद में ध्यान आए तो उसका रोज़ा सही है।
3. अगर रमज़ान के महीने में तुलू ए फ़ज्र के वक़्त जानबूझ कर रोज़े की नियत न करे तो अगर दिन में किसी वक़्त नियत करे तो उसका रोज़ा बातिल है लेकिन उस पर वाजिब है कि मग़रिब तक रोज़ा तोड़ने वाली सारी चीज़ों से दूर रहे और रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा करे।

4. अगर भूले से या अनजाने में रमज़ान के रोज़े की नियत न करे और दिन में उसकी तरफ़ ध्यान जाए और अगर उसने ऐसा कोई काम अंजाम दे दिया है जिससे रोज़ा टूट जाता है तो उसका रोज़ा बातिल है और मग़रिब तक रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से परहेज़ करना भी ज़रूरी है। और अगर ऐसा कोई काम न किया हो जिससे रोज़ा टूट जाता है और ज़वाल के बाद ख़याल आए तो उस दिन का रोज़ा बातिल है और अगर ज़ोह्र से पहले ख़्याल आ जाए तो एहतियाते वाजिब की बिना पर रोज़े की नियत करके रोज़ा रखे और बाद में उस रोज़े की क़ज़ा भी करे।
5. अगर रमज़ान के रौज़ों के अलावा किसी और वाजिब रोज़े जैसे कफ़्फ़ारे के रोज़े या क़ज़ा रोज़े की नियत ज़ोहर से पहले तक न करे और उस वक़्त तक रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम न किया हो तो रोज़े की नियत कर सकता है उसका रोज़ा सही होगा।
6. मुस्तहब रोज़े की नियत दिन में किसी भी वक़्त कर सकता है और उसका रोज़ा सही रहेगा इस शर्ते के साथ कि उस वक़्त तक उसने कोई ऐसा काम न किया हो जिससे रोज़ा टूट जाता है।
7. जिस पर रमज़ान के क़ज़ा रोज़े वाजिब हों वह मुस्तहब्बी रोज़ा नहीं रख सकता है चाहे वह उस वक़्त मुस्तहब्बी रोज़े की नियत करे जब वाजिब रोज़े की नियत का वक़्त निकल चुका हो (यानि ज़ोहर के बाद) तब भी उसका मुस्तहब्बी रोज़ा सही नहीं होगा। अगर भूल जाए कि उसके ऊपर वाजिब रोज़ा है और मुस्तहब्बी रोज़े की नियत करे और दिन में

किसी वक़्त वाजिब रोज़ा याद आए तो उसका मुस्तहब्बी रोज़ा बातिल हो जाएगा (चाहे ज़ोह्र से पहले याद आए या बाद में) लेकिन अगर ज़ोहर से पहले याद आ जाए तो वह रमज़ान के क़ज़ा रोज़े की नियत कर सकता है और उसका रोज़ा सही होगा।

8. जिस पर रमज़ानुल मुबारक का क़ज़ा रोज़ा वाजिब हो अगर वह मुस्तहब्बी रोज़ा रखे तो जो रोज़ा उसने मुस्तहब की नियत से रखा है वह क़ज़ा के बदले हिसाब नहीं होगा।
9. जिसे मालूम न हो कि उस पर क़ज़ा रोज़ा वाजिब है या नहीं तो अगर वह इस नियत से रोज़ा रखे कि उस पर जो भी शरई ज़िम्मेदारी है (चाहे मुस्तहब्बी हो या क़ज़ा) रोज़ा रख रहा है और हक़ीक़त में उस पर क़ज़ा रोज़ा वाजिब भी हो तो वह क़ज़ा रोज़े में हिसाब हो जाएगा।
10. अगर रमज़ानुल मुबारक में बीमार दिन में किसी वक़्त ठीक हो जाए तो उसके ऊपर नियत करके उस दिन का रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर ज़ोहर से पहले ठीक हो जाए और उसने ऐसा कोई काम भी न किया हो जिससे रोज़ा टूट जाता है तो एहतियाते मुस्तहब है कि रोज़े की नियत करके रोज़ा रखे फिर बाद में क़ज़ा भी करे।

3. यौमुश शक (शक के दिन) के रोज़े की नियत

जिस दिन के बारे में शक हो कि वह शाबान के महीने का आख़री दिन है या रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन (यौमुश शक) तो मुकल्लफ़ पर उस दिन रोज़ा रखना वाजिब नहीं है और अगर रोज़ा रखना चाहे तो रमज़ान की नियत से नहीं रख सकता है। बल्कि

शाबान के मुस्तहब्बी रोज़े या अगर उस पर क़ज़ा रोज़ा हो तो उसकी नियत से रोज़ा रखे और बाद में मालूम हो कि रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन था तो वही रोज़ा काफ़ी होगा और उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं है। और अगर दिन में किसी वक़्त मालूम हो जाए तो उसी वक़्त रमज़ान के रोज़े की नियत करना ज़रूरी है।

4. नियत पर बाक़ी रहना

1. रोज़े में सुबह से मग़रिब तक नियत पर बाक़ी रहना वाजिब है।
2. **वह चीज़ें जिनसे नियत बाक़ी नहीं रहती है**
    1) रोज़ा तोड़ने की नियत करना (यानि दिन के किसी हिस्से में रोज़े की नियत से फिर जाए यानि रोज़े को जारी रखने का इरादा न हो) तो रोज़ा बातिल हो जाएगा और फिर से रोज़े की नियत करने का कोई फ़ायदा नहीं है (मग़रिब तक रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से परहेज़ भी ज़रूरी है।)
    2) रोज़ा बाक़ी रखने में संकोच हो जाना (यानि अभी रोज़ा बातिल करने का इरादा नहीं किया है केवल संकोच है और तय नहीं कर पाया है कि रोज़े को तोड़ दे या नहीं) तो एहतियाते वाजिब है कि रोज़े को पूरा करे और बाद में क़ज़ा भी करे।
    3) पक्का इरादा करले (कि ऐसा कोई काम अंजाम देगा कि जिससे रोज़ा टूट जाता है लेकिन अभी वह काम अंजाम न दिया हो) तो एहतियाते वाजिब है कि रोज़ा रखे और बाद में क़ज़ा भी करे।
    4) अब तक हमने जो कुछ बयान किया है वह मुअय्यन वाजिब रोज़े का हुक्म है जैसे रमज़ान का रोज़ा या मुअय्यन नज़्र का रोज़ा। लेकिन मुस्तहब है या ग़ैर

मुअय्यन वाजिब रोज़ा जिसे किसी ख़ास दिन रखना वाजिब नहीं है तो अगर उसे तोड़ने की नियत कर ले लेकिन रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम अंजाम न दे और दोबारा रोज़े की नियत कर ले (वाजिब में जोहर से पहले और मुस्तहब में सूरज डूबने से पहले) तो उसका रोज़ा सही है।

सवाल

1. अगर कोई इंसान रात के शुरू में ही यह नियत कर ले कि कल रोज़ा रखेगा और सुबह अज़ान के बाद उसकी आंख खुले तो क्या उसका रोज़ा सही है?
2. मुस्तहब रोज़े की नियत कब तक की जा सकती है?
3. जिसे यह याद न हो कि उसके ज़िम्मे कोई क़ज़ा रोज़ा है और वह मुस्तहब रोज़ा रख ले और फिर पता चले कि उसके ज़िम्मे क़ज़ा रोज़ा है तो क्या यह क़ज़ा रोज़े में हिसाब होगा?
4. "यौमुश्शक" (शक के दिन का रोज़ा) का हुक्म बयान कीजिए।
5. रोज़ा तोड़ने की नियत करने और रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम अंजाम देने की पक्की नियत करने के हुक्म में क्या अंतर है?
6. जो इंसान रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा तोड़ने का इरादा करे लेकिन रोज़ा तोड़ने वाले किसी काम को अंजाम देने से पहले अपना इरादा बदल दे तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है?

पाठ

59

रोज़ा (3)

मुफ़तेरात(1)

1. **मुफ़तेरात**
   1. खाना पीना।
   2. जेमाअ (संभोग करना)
   3. इस्तिमना (हस्तमैथुन)
   4. अल्लाह तआला, नबियों अ. और मासूमों अ. की तरफ़ झूठी निस्बत देना (एहतियाते वाजिब की बिना पर)
   5. गाढ़ी धूल मिट्टी को हलक़ तक पहुंचाना। (एहतियाते वाजिब की बिना पर।)
   6. पूरे सर का पानी में डिबोना (एहतियाते वाजिब की बिना पर।)
   7. सुबह की अज़ान तक जेनाबत या हैज़ व नेफ़ास की हालत पर बाक़ी रहना।
   8. लिक्वेड (बहने वाली चीज़) से एनिमा लेना।

9. जान बूझ कर उल्टी करना।
    - जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है उन्हें मुफ़्तेरात कहते हैं।

1) खाना पीना

1. अगर रोज़ेदार जानबूझ कर खाए और पिए तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा चाहे वह चीज़ आमतौर पर खाई पी जाती हो या आम तौर पर खाने, पीने के लिए इस्तेमाल न की जाती हो जैसे काग़ज़ व कपड़ा आदि चाहे कम हो या ज़्यादा चाहे पानी की एक बूंद हो या रोटी का छोटा सा टुकड़ा।
2. दाँतों के बीच जो खाना रह जाता है अगर रोज़ेदार जानबूझ कर उसको निगल ले तो रोज़ा बातिल हो जाएगा लेकिन अगर मालूम न हो कि दांतों के बीच खाना है या पता न चले कि हल्क़ तक पहुँच गया है या जानबूझ कर उसे न निगले तो रोज़ा बातिल नहीं होगा।
3. अगर भूले से कुछ खा पी ले तो रोज़ा बातिल नहीं होता और इस बारे में वाजिब या मुस्तहब रोज़े में कोई अन्तर नहीं है।
4. थूक निगलने से रोज़ा बातिल नहीं होता।
5. एहतियाते वाजिब है कि रोज़ेदार ताक़त या भूक लगने वाली दवा या नस वाला इंजेक्शन लगवाने से बचे इसी तरह हर तरह के गुलूकोस चढ़ाने से भी बचे। लेकिन मांसपेशियों में या सुन करने के लिए इंजेक्शन लगाना या ज़ख़्म पर दवा रखने में कोई हरज नहीं है।
6. एहतियाते वाजिब है कि रोज़ेदार, ऐसी नशीली चीज़ों का इस्तेमाल न करे जिन्हें नाक से सूंघा या ज़बान के नीचे रखे जाता है।

7. अगर सहरी खाते वक़्त पता चल जाए कि सुबह हो गई है तो वाजिब है कि जो खाना मुँह में है उसे बाहर थूक दे और अगर जानबूझ कर निगल ले तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। (जो इंसान जानबूझ कर रोज़ा बातिल करे उसका हुक्म बाद में बयान किया जाएगा।)
8. सिर व सीने से निकलने वाला बलग़म जब तक मुँह तक न पहुँचे तो उसके निगलने से रोज़ा बातिल नहीं होता लेकिन अगर मुँह तक आ जाए तो एहतियाते वाजिब है कि न निगले।
9. अगर रोज़े के बीच ब्लडप्रेशर की गोली खाना ज़रूरी हो तो इसमें कोई हरज नहीं है लेकिन उसके खाने से रोज़ा बातिल हो जाएगा।
10. मसूढ़ों से निकलने वाले ख़ून को जब तक हल्क़ के अंदर न ले जाए उससे रोज़ा बातिल नहीं होता और अगर वह थूक में मिलकर ख़त्म हो जाए तो पाक है और उसके निगलने में कोई हरज नहीं है और उससे रोज़ा बातिल नहीं होता। इसी तरह जब शक हो कि थूक के साथ ख़ून था कि नहीं? तब भी उसके निगलने में कोई हरज नहीं है और रोज़ा भी सही है।
    - मुँह से ख़ून निकलने से रोज़ा बातिल नहीं होता है लेकिन उसको हलक़ तक पहुँचने से रोकना वाजिब है।

2) जेमाअ (संभोग)

1. संभोग (सेक्सुअल इंटरकोर्स) से रोज़ा बातिल हो जाता है चाहे मनी न निकले।
2. अगर भूल जाए कि रोज़े से है और दिन में संभोग कर ले तो रोज़ा बातिल नहीं होगा लेकिन जैसे ही याद

आए फ़ौरन अलग होना ज़रूरी है वरना रोज़ा बातिल हो जाएगा।

3) इस्तिमना (हस्तमैथुन)

1. अगर जानबूझ कर ऐसा काम करे जिससे मनी निकल जाए तो रोज़ा बातिल हो जाएगा।
2. दिन में एहतेलाम (नींद में मनी निकलने) से रोज़ा बातिल नहीं होता और अगर रोज़ेदार जानता हो कि सोएगा तो एहतेलाम हो जाएगा तब भी उसके लिए सोने से बचना ज़रूरी नहीं है।
3. अगर मनी निकलते वक़्त रोज़ेदार की आँख खुल जाए तो उसे रोकना वाजिब नहीं है।

4) अल्लाह, नबियों और इमामों की तरफ़ झूठी निसबत देना।

1. एहतियाते वाजिब की बिना पर अल्लाह, नबियों और मासूम इमामों की तरफ़ झूठी बातें मढ़ने से रोज़ा बातिल हो जाता है। चाहे वह बाद में तौबा कर ले और कहे कि मैंने झूठ बोला था।
2. जो रिवायतें किताबों में मौजूद हैं अगर कोई न जानता हो कि यह ग़लत हैं तो उनको बयान करने में कोई हरज नहीं हैं अगरचे एहतियाते (मुस्तहब) यह है कि उन किताबों का हवाला देकर पढ़े। (जैसे इस तरह कहे "फ़ला किताब में लिखा है कि रसूले इस्लाम ने फ़रमाया है।")

5) गाढ़ी धूल मिट्टी को हलक़ तक पहुचाना।

1. एहतियाते वाजिब है कि रोज़ेदार गाढ़ी धूल मिट्टी को हलक़ तक न पहुँचने दे जैसे ज़मीन पर झाड़ू देने के बाद जो धूल उठती है। हाँ धूल जब तक हलक़ तक न जाए रोज़ा बातिल नहीं होता और केवल नाक और मुँह में जाने से रोज़ा बातिल

नहीं होता। एहतियाते वाजिब की बिना पर सिग्रेट और दूसरी चीज़ों के धुएँ से भी रोज़ा टूट जाता है।

2. अगर किसी रोज़ेदार को सांस की बीमारी हो और ऐसी चीज़ एस्तेमाल करे जिसमें हवा के प्रेशर के साथ दवा (चाहे वह गैस हो या पाउडर) हलक़ के अंदर जाती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है।

सवाल

1. किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है?
2. रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाने या ग्लूकोज़ चढ़ाने का क्या हुक्म है?
3. क्या रोज़े की हालत में ब्लड प्रेशर की दवा खाना जाएज़ है? और उससे रोज़े को नुक़सान नहीं पहुंचता?
4. क्या अगर दिन में एहतेलाम (मनी निकल जाए) हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है?
5. जो रिवायतें किताबों में लिखी हैं और मालूम नहीं कि सही हैं या ग़लत तो क्या रोज़े की हालत में उनको बयान किया जा सकता है?
6. रोज़े में स्मोकिंग जैसे सिग्रेट आदि का क्या हुक्म है?

पाठ

61

रोज़ा (4)

मुफ़तेरात(2)

6) पानी में सर डिबोना

1. अगर रोज़ेदार जानबूझ कर पूरा सर पानी में डिबो दे तो एहियाते वाजिब की बिना पर रोज़ा बातिल हो जाएगा और उसकी क़ज़ा करना पड़ेगी।
2. पिछले मसअले में केवल सर को डुबाने या सर के साथ बदन को डुबाने में कोई अन्तर नहीं है। (यानि सर को डुबोते वक़्त उसका बदन पानी में हो या पानी से बाहर हो इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता)।
3. अगर आधा सर डुबा कर निकाल ले फिर दोबारा आधा सर डुबाए तो रोज़ा बातिल नहीं होगा।
4. अगर पूरा सर पानी में चला जाए केवल थोड़े से बाल बाक़ी रह जाएं तो रोज़ा बातिल हो जाएगा।

5. अगर शक हो कि पूरा सर पानी में डूबा है या नहीं तो रोज़ा सही है।
6. अगर रोज़ेदार बेइख़्तियार पानी में गिर जाए और उसका पूरा सर पानी में डूब जाए तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन उस पर वाजिब है कि फ़ौरन सर को पानी से बाहर निकाल ले। इसी तरह अगर भूल जाए कि रोज़े से है और अपने सर को पानी में डुबा दे तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही याद आए फ़ौरन सर को बाहर निकालना वाजिब है।
7. अगर रोज़ादार ग़ोताख़ोरी का लिबास पहन कर पानी में डुबकी लगाए और पानी से उसका बदन न भीगे तो अगर लिबास उसके सर से चिपका हुआ हो तो उसके रोज़े का सही होना मुश्किल है। और एहतियाते वाजिब की बिना पर रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी है।
8. बर्तन आदि से सर पर पानी डालने से रोज़े को नुक़सान नही पहुंचता है।

7) सुबह की अज़ान तक जेनाबत या हैज़ व नेफ़ास की हालत पर बाक़ी रहना।

1. जो इंसान रमज़ानुल मुबारक की रात में मुजनिब हो जाए तो उस पर सुबह की अज़ान से पहले ग़ुस्ल करना ज़रूरी है और अगर उस वक़्त तक जानबूझ कर ग़ुस्ल न करे तो रोज़ा बातिल है। और यही हुक्म रमज़ानुल मुबारक के क़ज़ा रोज़े के बारे में भी है।

- अगर रमज़ान की रात में मुजनिब हो जाए और बिना किसी इरादे के सुबह की अज़ान तक ग़ुस्ल न करे जैसे नींद की हालत में मुजनिब हो और सुबह की अज़ान के बाद आँख खुले तो रोज़ा सही है।

- जेनाबत की हालत पर बाक़ी रहने से केवल रमज़ानुल मुबारक और उसकी क़ज़ा के रोज़े बातिल होते हैं और दूसरे रोज़े ख़ास कर मुस्तहब रोज़े बातिल नहीं होते।

2. अगर रमज़ानुल मुबारक की रात में जेनाबत का ग़ुस्ल करना भूल जाए और सुबह तक जेनाबत की हालत पर बाक़ी रहे, तो रोज़ा बातिल है और एहतियाते (वाजिब) की बिना पर रमज़ान के क़ज़ा रोज़े का भी यही हुक्म है। लेकिन दूसरे रोज़े इससे बातिल नहीं होते।
3. अगर जेनाबत की हालत में कई दिन तक रोज़ा रखता रहे और उसे पता न हो कि रोज़ा सही होने के लिए जेनाबत से पाक होना शर्त है तो उसके रोज़े बातिल हैं और उन दिनों के रोज़ों की क़ज़ा उस पर वाजिब है।
4. अगर रमज़ान में नजिस पानी से जेनाबत का ग़ुस्ल कर ले और कुछ दिनों के बाद पता चले कि पानी नजिस था तो उसके रोज़े सही हैं।
5. रमज़ानुल मुबारक की रात में जिस पर ग़ुस्ल वाजिब हो जाए लेकिन टाइम कम होने या पानी के नुक़सान करने की वजह से ग़ुस्ल न कर सके तो उस पर ग़ुस्ल के बदले तयम्मुम करना वाजिब है।

- जिस इंसान की शरई ज़िम्मेदारी तयम्मुम हो वह रमज़ानुल मुबारक की रातों में जानबूझ कर मुजनिब हो सकता है इस शर्त के साथ की मुजनिब होने के बाद तयम्मुम करने के लिए वक़्त मौजूद हो।
- अगर अज़ान से पहले जेनाबत का ग़ुस्ल या उसके बदले में तयम्मुम कर ले तो उसका रोज़ा सही है चाहे अज़ान के बाद बेइख़्तियार उसकी मनी निकल जाए।

6. अगर रोज़े की हालत में सोते वक़्त मुजनिब हो जाए तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। इसलिए अगर सुबह की अज़ान से पहले या उसके बाद सो जाए और सोते वक़्त मुजनिब हो जाए और सुबह की अज़ान के बाद आँख खुले तो उस जेनाबत से उसके रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हां नमाज़ के लिए ग़ुस्ल करना वाजिब है और ग़ुस्ल को नमाज़ के वक़्त तक टाल सकता है।

- अगर रमज़ान के महीने या उसके अलावा दूसरे दिनों में रोज़ेदार मुजनिब हो जाए तो जागने के फ़ौरन बाद ही ग़ुस्ल करना वाजिब नहीं है।

7. जो इंसान रमज़ान की रात में जागते हुए मुजनिब हो या सोते में मुजनिब हुआ हो और फिर जाग जाए और उसे मालूम हो कि अगर वह फिर सो गया तो सुबह की अज़ान से पहले उसकी आँख नहीं खुलेगी तो उसके लिए ग़ुस्ल किए बिना सोना जाएज़ नहीं है। और अगर वह सो जाए और अज़ान से पहले ग़ुस्ल न करे तो उसका रोज़ा बातिल है लेकिन अगर उसे यह गुमान हो कि अज़ाने सुबह से पहले जाग जाएगा और ग़ुस्ल भी कर लेगा मगर आँख न खुले तो उसका रोज़ा सही है लेकिन अगर दोबारा फिर सो जाए और सुबह तक आंख न खुले तो उस दिन के रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी है।

- अगर रमज़ान की रात में अज़ाने सुबह से पहले शक हो कि सोते में उसे एहतेलाम हुआ है या नहीं और वह शक की परवाह न करे और दोबारा सो जाए फिर सुबह की अज़ान के बाद जागने पर मालूम हो कि अज़ान से पहले उसे एहतेलाम हो चुका था। तो इस सूरत में अगर पहली बार जागने के बाद उसे अपने अंदर एहतेलाम की कोई निशानी न दिखाई दी हो बल्कि सिर्फ़ उसका गुमान हो और उसे कुछ भी न दिखाई दे और वह अज़ान के बाद तक सोता रहे तो उसका रोज़ा सही है चाहे बाद

में यह मालूम हो कि वह अज़ान से पहले मुजनिब हो गया था। इसी तरह अगर सुबह की अज़ान से पहले एहतेलाम के बारे मालूम न हो और दोबारा सो जाए और अज़ान के बाद आँख खुले और उसे पता चले कि सुबह की अज़ान से पहले मुजनिब हो गया था तो उसका रोज़ा सही है।

8. जो औरत माहवारी या नेफ़ास से पाक हो गई हो और उस पर ग़ुस्ल वाजिब हो चुका हो लेकिन वह (रमज़ान के महीने में) सुबह की अज़ान तक ग़ुस्ल न करे तो उसका रोज़ा बातिल है।
9. अगर रोज़ेदार औरत को दिन में हैज़ या नेफ़ास आ जाए तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा चाहे मग़रिब का वक़्त नज़दीक ही क्यों न हो।

- अगर कोई औरत किसी ख़ास दिन रोज़ा रखने की नज़्र करे और उस दिन हैज़ आ जाए तो उस दिन का रोज़ा बातिल हो जाएगा और पाक होने के बाद उस पर उसकी क़ज़ा वाजिब होगी।

8. लिक्वेड से एनिमा लेना

1. लिक्वेड से एनिमा लेने से रोज़ा बातिल हो जाता है चाहे मजबूरी और इलाज के लिए ही क्यूं न हो।
2. कुछ ऐसी दवाईयाँ जिन्हें औरतों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बदन के अंदर रखा जाता है उससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता।

9. जानबूझ कर उलटी करना

1. अगर रोज़ेदार जानबूझ कर उलटी करे तो चाहे किसी बीमारी की वजह से वह ऐसा करे, उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर भूले से या बेइख़्तियार उलटी हो जाए तो रोज़ा सही है।

2. अगर रोज़ेदार के मुँह में डकार के साथ खाना आ जाए तो उसे थूकना वाजिब है। हाँ अगर बेइख़्तियार वापिस चला जाए तो रोज़ा बातिल नहीं होगा।

- अगर रोज़ेदार जानबूझ कर ऐसा काम करे जिससे रोज़ा टूट जाता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर जानबूझ कर ऐसा न करे जैसे पैर फिसल जाए और पानी में गिर जाए या भूले से कुछ खा ले या जबरन उसके हलक़ में कोई चीज़ डाल दी जाए तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। और इस बारे में वाजिब, मुस्तहब, रमज़ान या ग़ैर रमज़ान के रोज़ों में कोई अंतर नहीं है।
- अगर रोज़ेदार रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ को दूसरे के मजबूर करने पर खाए दूसरे शब्दों में कोई और उसे रोज़ा तोड़ने पर मजबूर करे जैसे इसको धमकी दे कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हारी जान या माल को नुक़सान पहुँचाएंगे और वह इस नुक़सान से बचने के लिए खाना खा ले तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा।
- अगर रोज़ेदार भूले से ऐसा काम करे जिससे रोज़ा बातिल हो जाता हो और फिर यह सोच कर कि रोज़ा बातिल हो चुका है, दोबारा कोई ऐसा काम करले कि जिससे रोज़ा टूट जाता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा।
- अगर शक करे कि रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम किया है या नहीं तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा, जैसे अगर शक करे कि जो गाढ़ी धूल मुंह में ली थी वह हलक़ में गई या नहीं? या मुंह में जो पानी लिया था उसे थूक दिया या नहीं? तो उसका रोज़ा सही है।

सवाल

1. अगर रोज़ेदार ग़ोताख़ोरी का कपड़ा पहन कर पानी में डुबकी लगाए और पानी से उसका बदन न भीगे तो उसके रोजे का क्या हुक्म है?
2. क्या नल या फ़व्वारे के नीचे नहाने या किसी बर्तन आदि से सर पर पानी डालने से रोजा बातिल हो जाता है?
3. क्या यह जायज़ है कि मुजनिब इंसान सूरज निकलने के बाद गुस्ले जेनाबत करे और मुस्तहब या क़जा रोजा रख ले?
4. अगर कोई मुजनिब रमज़ानुल मुबारक या किसी दूसरे दिनों में सुबह तक ग़ुस्ले जेनाबत करना भूल जाए और उसे दिन में याद आए तो उसका हुक्म क्या है?
5. अगर इंसान रमज़ानुल मुबारक की रात में सुबह से पहले जाग जाए और उसे पता हो कि वह मुजनिब हो चुका है और फिर इस उम्मीद पर सो जाए कि गुस्ल करने के लिए सुबह की अज़ान से पहले उठ जाएगा मगर वह सुबह की अज़ान तक सोता रह जाए तो उसके रोजे का क्या हुक्म है?
6. डकार लेते हुए अगर रोजेदार के मुंह में खाना आ जाए तो उसका क्या हुक्म है?

पाठ

62

रोज़ा (5)

रमज़ानुल मुबारक में जानबूझ कर अफ़्तार करने का कफ़्फ़ारा। (ऐटोंमेंट)

8. रमज़ानुल मुबारक में जानबूझ कर इफ़्तार करने का कफ़्फ़ारा

1. कफ़्फ़ारा कब वाजिब होता है।

1. अगर रमाज़ान के महीने में जानबूझ कर अपनी मर्ज़ी से और बिना किसी शरई उज़्र (औचित्य) के ऐसा काम करे जिससे रोज़ा बातिल हो जाता हो तो क़ज़ा के साथ साथ उस पर कफ़्फ़ारा भी वाजिब होगा। चाहे रोज़ा तोड़ते वक़्त कफ़्फ़ारा वाजिब होने के बारे में न जानता हो।

- अगर किसी इंसान को यह शक हो कि किसी वजह से रोज़ा उस पर वाजिब नहीं है और वह रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखे। लेकिन बाद में उसको पता चले कि रोज़ा उस पर वाजिब था। तो उस पर क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों वाजिब है। क्योंकि केवल इस शक पर कि रोज़ा वाजिब नहीं है रोज़ा छोड़ना जाएज़ नहीं है। हाँ अगर

उसने नुक़सान के डर से रोज़ा न रखा हो और यह डर किसी रेशनल और माक़ूल वजह से हो तो कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं है लेकिन क़ज़ा ज़रूरी है।

- अगर इस्लामी शरीअत के हुक्म को न जानते हुए ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करे जिससे रोज़ा बातिल हो जाता हो जैसे न जातना हो कि सर को पानी में डुबाने से रोज़ा बातिल हो जाता है तो उसका रोज़ा बातिल है और क़ज़ा भी वाजिब होगी लेकिन कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं है।
- अगर किसी ऐसे काम को करे कि जिसके हराम होने का उसे इल्म हो लेकिन यह न जानता हो कि उससे रोज़ा बातिल हो जाता है तो एहतियाते वाजिब की बिना पर क़ज़ा के साथ साथ कफ़्फ़ारा भी वाजिब है।
- अगर किसी इंसान के लिए किसी वजह से रोज़ा तोड़ना जाएज़ या वाजिब हो जाए जैसे उसे रोज़ा तोड़ने पर मजबूर किया जाए या किसी डूबने वाले को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े तो उस पर केवल क़ज़ा वाजिब है कफ़्फ़ारा नहीं।

2. अगर पेट से कोई चीज़ रोज़ेदार के मुँह में आ जाए तो उसको फिर से निगलना जाएज़ नहीं है। और अगर जानबूझकर निगल जाए तो उस पर क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों वाजिब है।
3. अगर ऐसा इंसान रात होने की ख़बर दे जिसकी बात पर यक़ीन नहीं किया जा सकता और रोज़ेदार इफ़तार कर ले और बाद में मालूम हो कि रात नहीं हुई थी तो क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों वाजिब है।
4. अगर रमज़ानुल मुबारक में कोई इंसान दिन में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी (संभोग) करे और बीवी भी

इस काम पर राज़ी हो तो दोनों पर कज़ा के साथ साथ कफ़्फ़ारा भी वाजिब होगा।

2. कफ़्फ़ारे की मात्रा और तरीका

1) इस्लाम में रमज़ानुल मुबारक में जानबूझ कर रोजा तोड़ने का कफ़्फ़ारा इन तीन चीजों में से एक है।

   1) एक ग़ुलाम आजाद करना।
   2) दो महीने (60 दिन) रोजा रखना।
   3) साठ फ़क़ीरों को खाना खिलाना।

- चूंकि आज के दौर में ग़ुलाम नहीं होते कि उनको आज़ाद किया जाए इसलिए बाक़ी दोनों कफ़्फ़ारों में से किसी को अंजाम दे।
- हलाल या हराम चीजों से रोजा तोड़ने वालों के कफ़्फ़ारे की मात्रा में कोई अंतर नहीं है। जैसे ज़ेना (बलात्कार) या इस्तेमना या हराम चीज़ खाने पीना। अगरचे एहतियाते मुस्तहब है कि हराम चीज़ से रोज़ा तोड़ने की सूरत में तीनों कफ़्फ़ारे दे। यानी एक गुलाम आजाद करे, दो महीने के रोज़े भी रखे और साठ फ़कीरों को खाना भी खिलाए।
- अगर इन तीनों कामों में से कोई भी काम मुमकिन न हो तो जितने फ़क़ीरों को खाना खिला सकता है उन्हें खाना खिलाए और एहतियाते वाजिब यह है कि इस्तिग़फ़ार (तौबा) भी करे। लेकिन अगर फ़क़ीरों को खाना खिलाना भी मुमकिन न हो तो सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार करे यानि दिल और ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहे ("मैं खुदा से माफी चाहता हूं।)
- अगर रोज़ेदार कफ़्फ़ारे के रोज़े न रख सकता हो और फ़क़ीरों को खाना भी न खिला सकता हो और उसकी ज़िम्मेदारी केवल इस्तिग़फ़ार हो लेकिन बाद में रोज़ा

रखने या खाना खिलाने के क़ाबिल हो जाए तो उसके लिए ऐसा करना ज़रूरी नहीं है अगरचे एहतियाते मुस्तहब है कि ऐसा करे।

2) जिसको कफ़्फ़ारे के तौर पर लगातार दो महीने रोज़ा रखना हो उस पर वाजिब है कि एक महीना और एक दिन यानि इक्तीस (31) रोज़े लगातार रखे और दूसरे महीने के रोज़े लगातार न हों तो कोई हरज नहीं है।

3) अगर कोई औरत कफ़्फ़ारे के तौर पर लगातार दो महीने रोज़े रखना चाहे लेकिन बीच में माहवारी की वजह से रोजा न रख सके तो उन दिनों के बाद बकिया दिन का रोज़ा रखेगी और फिर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है।

4) साठ फ़क़ीरों को दो तरह से खाना खिलाया जा सकता है।
   1. सबको खाना पकवा कर खिला दिया जाए।
   2. हर एक को एक मुद (750 ग्राम) खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, आटा, चावल आदि दे दिया जाए।

5) जो इंसान साठ ग़रीबों को पिछले मसअले के हिसाब से खाना खिलाना चाहे अगर उसे साठ ग़रीब मिल जाएं तो दो या उससे ज्यादा हिस्से एक फकीर को नहीं दे सकता है बल्कि इसके लिए जरूरी है के साठ फ़क़ीरों में से एक को एक ही हिस्सा दे हां यह कर सकता है कि एक फ़क़ीर के घर में जितने लोग हो उन सबका हिस्सा उस घर के मुखिया को दे दे और वह अपने घर वालों पर खर्च करे।

➢ फकीर होने में बच्चे, बड़े और मर्द व औरत के बीच कोई अंतर नहीं है।

3. कफ़्फ़ारे के अहकाम

1. अगर रोज़ेदार एक दिन में कई बार रोज़ा तोड़ने वाले काम अंजाम दे तो उस पर केवल एक कफ़्फ़ारा वाजिब

होगा हाँ अगर वह रोज़े तोड़ने वाली चीज़ संभोग या इस्तेमना हो तो एहतियाते वाजिब है कि जितनी बार ऐसा करे उतने कफ़्फ़ारे दे।

2. अगर रोज़ादार जानबूझ कर रोज़ा तोड़ दे और उसके बाद सफ़र पर चला जाए तो जो कफ़्फ़ारा वाजिब हुआ है वह ख़त्म नहीं होगा जैसे अगर रात में जागे और पता चले कि मुजनिब है लेकिन अज़ान से पहले ग़ुस्ल न करे फिर दिन में रोज़े से बचने के लिए सफ़र का इरादा कर ले और अज़ान के बाद सफ़र पर निकल जाए तो सिर्फ रात में सफ़र का इरादा कर के सफ़र कर लेने से कफ़्फ़ारा ख़त्म नहीं होगा।

3. जिस इंसान पर कफ़्फ़ारा वाजिब हो उसे तुरन्त कफ़्फ़ारा देना वाजिब नहीं है हां इतनी देर भी न करे कि वाजिब को अंजाम देने में सुस्ती कहा जाए।

4. अगर कई साल तक कफ़्फ़ारा न दे तो दूसरी कोई चीज़ उस पर वाजिब नहीं होगी।

5. रोज़े के कफ़्फ़ारे में क़ज़ा और ख़ुद कफ़्फ़ारे के बीच तरतीब (क्रम) ज़रूरी नहीं है।

सवाल

1. अगर कोई इंसान मसअला न जानने की वजह से कोई ऐसा काम अंजाम दे जिसके बारे में उसे मालूम हो कि यह हराम है लेकिन यह न मालूम हो कि उससे रोजा टूट जाता है तो क्या उन दिनों के रोज़ों की क़जा काफ़ी है?
2. अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे और बीवी भी राजी हो तो क्या हुक्म है?
3. रमज़ानुल मुबारक में जानबूझकर रोजा तोड़ने का कफ़्फ़ारा क्या है?
4. जो इंसान बलात्कार या इस्तेमना से या कोई हराम चीज़ खाकर रोजा तोड़े उसका क्या हुक्म है?
5. अगर रोजेदार रमज़ान के महीने में एक दिन में कई बार रोजा तोड़ने वाला काम अंजाम दे तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है?
6. अगर कई साल तक वाजिब कफ़्फ़ारा अदा न करे तो क्या उस में कोई बढ़ोत्तरी होगी?

पाठ

63

रोज़ा (6)

रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तोड़ने का कफ़्फ़ारा – देर करने का कफ़्फ़ारा -फ़िदया

9. रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को तोड़ने का कफ़्फ़ारा

1. कफ़्फारा कब वाजिब होता है?

अगर किसी ने रमज़ानुल मुबारक की क़ज़ा की नियत से रोजा रखा हो तो वह जोहर के बाद रोजा नहीं तोड़ सकता और अगर जानबूझकर ऐसा करे तो उसको कफ़्फ़ारा देना होगा।

- रमज़ानुल मुबारक के रोजे की क़ज़ा करने वाला जोहर से पहले अपना रोज़ा खोल सकता है इस शर्त के साथ कि क़ज़ा के लिए वक्त तंग न हो लेकिन अगर वक्त कम हो जैसे उसके जिम्मे 5 दिन की क़ज़ा बाकी हो और रमज़ान का महीना शुरू होने में 5 दिन से ज्यादा बाक़ी न हो तो फिर उसके लिए (ज़ोहर के बाद की तरह) जोहर से पहले भी एहतियाते

(वाजिब) की बिना पर रोज़ा खोलना जाएज़ नहीं है। हां अगर रोजा खोल ले तो उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं होगा।

- अगर कोई इंसान पैसा लेकर (उजरत पर) रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख रहा हो और वह ज़ोह्र के बाद कुछ खा पी ले तो उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं है।

2. कफ़्फ़ारे की मिक़दार (मात्रा)

रमज़ानुल मुबारक के क़जा का रोजा तोड़ने का कफ़्फ़ारा दस ग़रीबों को खाना खिलाना है और अगर यह मुमकिन न हो तो तीन दिन (एहतियाते वाजिब की बिना पर लगातार तीन दिन) रोज़ा रखे।

10- देर करने का कफ़्फ़ारा

अगर किसी ने किसी मुश्किल की वजह से रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा न रखा हो और बिना किसी वजह के केवल काहली की बिना पर पर अगले रमज़ानुल मुबारक तक उसकी क़जा भी न करे तो रमज़ान के बाद उसकी क़जा करे और हर रोज़े की देरी का कफ़्फ़ारा भी अदा करे लेकिन अगर रमज़ानुल मुबारक के रोजे की क़जा में यह देरी किसी वजह से हो जैसे सफ़र (या बीमारी) और यह वजह अगले रमज़ान तक बाकी रहे तो केवल रोज़ों की क़जा काफी है और कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं है अगरचे एहतियाते (मुस्तहब) यह है की क़जा भी करे और कफ़्फ़ारा भी दे।

- अगर कोई यही ना जानता हो कि रमज़ानुल मुबारक के रोजे की क़जा वाजिब है और अगले साल तक वह रोजा न रखे तो इस न जानने की वजह से देर करने का कफ़्फ़ारा माफ़ नहीं होगा इसलिए अगर कोई इंसान मसअला न जानने की वजह से अगले साल तक क़ज़ा रोज़े न रखे तो हर दिन के बदले देर करने का कफ़्फ़ारा अदा करना जरूरी है।
- रमज़ानुल मुबारक के क़ज़ा रोज़े चाहे कितने ही साल देरी से रखे जाएं उनका कफ़्फ़ारा केवल एक बार ही वाजिब है और कई साल देर करने पर कई कफ़्फ़ारे वाजिब नहीं होंगे

इसलिए अगर रमज़ान के रोजे कई साल बाद क़ज़ा करे तो हर रोज़े के लिए देर करने का एक ही कफ़्फ़ारा देना होगा।

2. देर करने के कफ़्फ़ारे की मात्रा (मिक़दार)

देर करने के कफ़्फ़ारे की मात्रा एक मुद्द (750 ग्राम) खाना है जो फ़क़ीर को देना ज़रूरी है।

- जो इंसान हर दिन के बदले एक मुद्द देर करने का कफ़्फ़ारा दे रहा है वह कुछ दिनों का कफ़्फ़ारा एक फ़क़ीर को दे सकता है।

11. फ़िदया

1. फ़िदया कब दिया जाएगा

1. वह बूढ़े मर्द और औरतें जिनके लिए रोजा रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो।
2. जिसे प्यास की बीमारी हो और रोज़े से बहुत ज़्यादा परेशानी होती हो।
3. प्रेग्नेंट औरत जिसके यहां डिलिवरी का टाइम करीब हो और उसके बच्चे के लिए रोजा नुकसानदे हो।
4. दूध पिलाने वाली ऐसी औरत जिसका दूध कम हो और रोजा रखने से उसके उस बच्चे को नुकसान पहुंचता है जिसे वह दूध पिलाती है।
5. ऐसा बीमार जिसके लिए रोजा नुकसानदे हो और उसकी यह बीमारी का सिलसिला अगले साल रमज़ान तक बाक़ी रहे।

1. जिस प्रेग्नेंट औरत को रोजे की वजह से अपने बच्चे के बारे में नुकसान का डर हो और उसका यह डर सही भी हो तो

वह रोजा न रखे बल्कि हर दिन के बदले फ़िदया दे और फिर बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा करे।

2. बच्चे को दूध पिलाने वाली जिस औरत को दूध कम होने या सूख जाने का खतरा हो और उस से बच्चे को नुकसान पहुंचे तो वह रोजा न रखे बल्कि हर दिन के बदले फ़िदया दे और फिर बाद में रोजों की क़ज़ा करे।

3. जो बीमार किसी बीमारी की वजह से रमज़ानुल मुबारक के रोजे न रख सके और उसकी यह बीमारी अगले साल रमज़ान तक बाकी रहे तो उसने जो रोजे नहीं रखे हैं उनकी क़ज़ा वाजिब नहीं है बल्कि हर दिन के बदले केवल एक फ़िदया अदा करे।

- जो औरत किसी भी बीमारी के वजह से रोज़ा न रख सके और उसकी यह बीमारी अगले साल तक बाकी रहे तो फिदया खुद औरत पर वाजिब होगा न कि शौहर के ज़िम्मे।
- जिस औरत ने लगातार दो साल तक किसी शरई मजबूरी की बिना पर रोज़े न रखे हों अगर यह रोज़े उसने अपने बच्चे के लिए नुकसान के खतरे से न रखे हो तो क़ज़ा के अलावा हर रोज़ फ़िदया भी अदा करे और अगर उसने रमज़ान के बाद किसी मुश्किल के बिना दूसरे रमज़ान तक रोजों की क़ज़ा न की तो क़ज़ा और फ़िदये के अलावा देर करने का कफ़्फ़ारा भी वाजिब है और अगर रोजा ख़ुद उसके लिए नुकसानदे हो और उसी नुकसान की वजह से वह अगले रमज़ान तक रोजा न रख सके तो फिर हर दिन के बदले फ़िदया अदा करे और रोज़ों की क़ज़ा उस पर वाजिब नहीं है।

2. फ़िदये की मात्रा

फ़िदये की मात्रा एक मुद (750 ग्राम) खाना है जिसे फ़कीर को देना ज़रूरी है।

- अगर किसी ख़ास दिन रोज़ा रखने की नज़्र करे और उस दिन जान बूझकर रोज़ा न रखे या अपना रोज़ा तोड़ दे तो उसका कफ़्फ़ारा अदा करे।
- नज़्र का कफ़्फ़ारा क़सम के कफ़्फ़ारे के बराबर है जिसे नज़्र व क़सम के चैप्टर में बयान किया जाएगा।

सवाल

1. रमज़ानुल मुबारक के कजा रोज़े को तोड़ने का कफ़्फ़ारा कब वाजिब होता है और कितना है?
2. देर करने का कफ़्फ़ारा कब वाजिब होता है और कितना वाजिब है?
3. जो इंसान यह मसअला ना जानता हो कि अगले रमज़ान से पहले रोजे की क़जा वाजिब है इसलिए वह रोजा न रखे तो क्या उस पर देर करने का कफ़्फ़ारा भी वाजिब है?
4. फ़िदया कब दिया जाता है?
5. जो औरत बीमारी की वजह से रोजा न रख सकती हो और अगले साल तक उसकी क़जा भी न कर सकती हो तो उसका कफ़्फ़ारा खुद उस पर वाजिब है या उसके शौहर पर?
6. अगर एक औरत लगातार दो रमज़ान में प्रेग्नेंट हो और उन दिनों में रोजा न रख सकती हो लेकिन अब रोजा रख सकती हो तो अब उस का हुक्म क्या है?

पाठ

64

रोज़ा (7)

जहां क़ज़ा वाजिब है मगर कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं
क़ज़ा रोज़े के अहकाम – मां-बाप के क़ज़ा रोज़ों के अहकाम – मुसाफ़िर के रोज़ों के अहकाम

1. **जहां क़ज़ा वाजिब है मगर कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं**
   1. अगर कोई इंसान रमज़ान में रोज़े की नियत न करे या दिखावे के लिए रोज़ा रखे लेकिन रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम न करे तो उस दिन के रोज़े की केवल क़ज़ा वाजिब है कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं है।
   2. अगर कोई इंसान रमज़ान में जेनाबत का ग़ुस्ल करना भूल जाए और एक या कई दिन उसी हालत में रोज़ा रखे तो उस पर क़ज़ा वाजिब है। (कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं है।)
   3. अगर कोई इंसान रमज़ानुल मुबारक में सहरी के वक़्त छानबीन न करे कि सुबह हो गई है या नहीं और ऐसा कोई काम कर ले जिससे रोज़ा टूट जाता है और बाद में पता चले कि सुबह हो चुकी थी तो उस दिन की क़ज़ा वाजिब है। लेकिन अगर छानबीन करे और मालूम हो कि

सुबह नहीं हुई है और कुछ खा पी ले बाद में पता चले कि सुबह हो चुकी थी तो उस दिन की क़ज़ा वाजिब नहीं है।

4. अगर रमज़ान के महीने में धुँध और अन्धेरे की वजह से रात होने का यक़ीन हो जाए या शरई हिसाब से जिसकी बात पर भरोसा किया जा सकता हो वह कहे कि मग़रिब का वक़्त हो चुका है और वह रोज़ा इफ़्तार कर ले बाद में पता चले कि मग़रिब का वक़्त नहीं हुआ था तो उस पर उस दिन की क़ज़ा वाजिब है।

5. अगर बादलों की वजह से यह सोचे कि मग़रिब का वक़्त हो चुका है और रोज़ा इफ़तार करले बाद में मालूम हो कि मग़रिब का वक़्त नहीं हुआ था तो उस दिन के रोज़े की क़ज़ा वाजिब नहीं है।

6. रमज़ान में सहर के वक़्त जब तक तुलू ए फ़ज्र का यक़ीन न हो जाए उस वक़्त तक रोज़े को तोड़ने वाले कामों को अंजाम दे सकता है लेकिन अगर बाद में पता चले कि सुबह हो चुकी थी तो उसका हुक्म वही है जो मसअला (3) में बताया जा चुका है।

7. रमज़ान में जब तक मग़रिब का वक़्त हो जाने का यक़ीन न हो जाए रोज़ा खोलना (इफ़्तार) जाएज़ नहीं है। और अगर यक़ीन हो जाए कि रात हो चुकी है और इफ़्तार कर ले लेकिन बाद में मालूम हो कि मग़रिब का मक़्त नहीं हुआ था तो उसका हुक्म मसअला न. 4 व 5 में बताया जा चुका है।

8. अगर रोज़ेदार वुज़ू करते वक़्त कुल्ली करने जैसे मुस्तहब काम को अंजाम दे और अचानक पानी हलक़ में चला जाए तो रोज़ा सही है और क़ज़ा वाजिब नहीं है लेकिन अगर पानी को मुँह में वुज़ू के बजाए ठंडक हासिल करने

या किसी और काम के लिए लिया जाए और पानी हलक़ में पहुँच जाए तो उस पर क़ज़ा वाजिब है।

2. क़ज़ा रोज़ों के अहकाम

1. जो इंसान एक या कई दिन तक बेहोश रहे और बहोशी की हालत में उसके रोज़े छूट जाएं तो उन दिनों की क़ज़ा उस पर वाजिब नहीं है।
2. नशे की वजह से अगर किसी का रोज़ा छूट जाए जैसे कि नशे की हालत में रोज़े की नियत न करे तो चाहे पूरा दिन रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से परहेज़ करे तब भी उस पर उस दिन की क़ज़ा वाजिब है।
3. अगर कोई इंसान रोज़े की नियत करने के बाद नशे में मस्त हो जाए फिर पूरा दिन या कुछ वक़्त नशे में मस्त रहे तो एहतियाते (वाजिब) है कि रोज़े की क़ज़ा करे ख़ास कर जब नशा इतना ज़्यादा हो कि वह अपने होश व हवास में न रहे।

- पिछले दो मसअलों में इस बात में कोई अन्तर नहीं है कि नशीली चीज़ का इस्तेमाल उसके लिए हराम रहा हो या बीमारी व मसअला न जानने की वजह से हलाल रहा हो।

4. जिस औरत ने हैज़ या नेफ़ास की वजह रोज़े न रखे हों रमज़ान मुबारक के बाद उस पर उनकी क़ज़ा वाजिब है।
5. अगर किसी ने रमज़ान मुबारक में किसी मुश्किल की वजह से कुछ दिन रोज़े न रखें हों मगर यह न मालूम हो कि कितने दिन रोज़े नहीं रखे थे यानि उसे याद न हो कि 5 रोज़े छूटे हैं या 6 रोज़े जैसे उसे मालूम न हो कि रमज़ान की पच्चीस तारीख़ को सफ़र पर गया था या 26 को तो ऐसी सूरत में उन रोजों की क़ज़ा करे जिनके छूटने

का यक़ीन हो। लेकिन अगर यह जानता हो कि सफ़र कब शुरू हुआ है जैसे मालूम हो कि पाँच रमज़ान को सफ़र शुरू हुआ था लेकिन यह याद न हो कि दसवीं की रात में वापस लौटा था कि नतीजे में 5 रोज़े क़ज़ा हुए या ग्यारहवीं की रात में कि जिसके नतीजे में 6 रोज़े क़ज़ा हुए तो ऐसी सूरत में एहतियाते वाजिब है कि ज़्यादा रोज़ों की क़ज़ा करे।

6. अगर रमज़ान के कई महीनों के रोज़ों की क़ज़ा वाजिब हो तो जिस रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा को पहले रखना चाहे रख सकता है लेकिन अगर आख़री रमज़ान की क़ज़ा का वक़्त कम (तंग) हो जैसे रमज़ान में केवल पाँच दिन रह गए हों और पिछले रमज़ान के पाँच रोज़ों की क़ज़ा बाक़ी हो तो एहतियाते वाजिब है कि आख़री महीने के रोज़ों को पहले रखे।

7. रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा करने वाला ज़वाल से पहले इफ़्तार कर सकता है इस शर्त के साथ कि क़ज़ा करने का वक़्त तंग न हो लेकिन ज़वाल के बाद जाएज़ नहीं है।

8. अगर बीमारी की वजह से रमज़ान के रोज़े छूट जाएं और बीमारी अगले साल रमज़ान तक ख़त्म न हो तो उन रोज़ों की क़ज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन अगर किसी और वजह जैसे सफ़र की वजह से रोज़े छूट गए हों और अगले रमज़ान तक वह वजह बाक़ी रहे तो जिन दिनों के रोज़े छूटे हैं रमज़ान मुबारक के बाद उनकी क़ज़ा उस पर वाजिब है। इसी तरह जब बीमारी की वजह से रोज़े छूटे हों लेकिन बीमारी ठीक हो जाने के बाद दूसरी कोई और मजबूरी (जैसे सफ़र) पेश आ जाए तो उस पर क़ज़ा वाजिब है।

- **रोज़ों की क़ज़ा के बारे में एक मसअला।**
  केवल कमज़ोरी और रोज़ा रखने की सकत न होने की वजह से अगर रोज़ा न रख सके या उसकी कज़ा न कर सके तो उससे रोज़े की क़ज़ा ख़त्म नहीं होती इसलिए जो बच्ची बालिग़ हो गई हो लेकिन वह जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से रमज़ान का रोज़ा या उसकी क़ज़ा न रख सके और अगला रमज़ान आ जाए तो जितने रोज़े उसके छूट गए हैं उनकी क़ज़ा उस पर वाजिब है। यही हुक्म उस इंसान का भी है जिसने कई साल तक रोज़े न रखे हों और तौबा तरके दोबारा अल्लाह की तरफ़ पलटना चाहता हो तो उस पर वाजिब है कि छूटे हुए तमाम रोज़ों की क़ज़ा करे और अगर न रख सके तो उस पर से क़ज़ा ख़त्म नहीं होगी बल्कि उसकी ज़िम्मेदारी बाक़ी रहेगी।

माँ बाप के क़ज़ा रोज़ों के अहकाम

1. अगर बाप और एहतियाते वाजिब की बिना पर माँ सफ़र के अलावा किसी दूसरी मुश्किल की वजह रोज़ा न रख सकें और वह दोनों क़ज़ा रोज़े रख सकते थे लेकिन उन्होंने छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा न रखी हो तो उनकी मौत के बाद बड़े बेटे पर वाजिब है कि या उनकी तरफ़ से ख़ुद रोज़ा रखे या किसी इंसान से पैसा दे कर रोज़ा रखवाए लेकिन जो रोज़े सफ़र की वजह से छूटे हों उनकी क़ज़ा वाजिब है चाहे उन्हें क़ज़ा रखने का वक़्त न मिला हो।
2. जो रोज़े माँ बाप ने जानबूझ कर न रखे हों तो एहतियाते वाजिब है कि बड़ा बेटा उनकी मौत के बाद ख़ुद क़ज़ा करे या किसी दूसरे को पैसा (उजरत) दे कर उनके रोज़े रखवाए।
3. माँ बाप की क़ज़ा नमाज़ों और रोज़ों में किसी को भी पहले अदा किया जा सकता है और नमाज़ व रोज़े में किसी को

तरजीह (वरीयता) हासिल नहीं है। (यानि ऐसा नहीं कि पहले नमाज़े अदा होनी चाहिएं और बाद में रोज़े।)

15. मुसाफ़िर के रोज़ों के अहकाम

1. जो इंसान रमज़ान के महीने में सफ़र करता है अगर उसकी नमाज़ क़स्र हो तो रोज़ा भी नहीं रख सकता और अगर चार रकअती नमाज़ पूरी पढ़ना वाजिब हो तो रोज़ा भी रखना वाजिब होगा जैसे वह मुसाफ़िर जो किसी जगह दस दिन रहने का इरादा करे या वह जिसका पेशा ही सफ़र हो। (हां कुछ जगहें इस हुक्म से अलग हैं।)
2. अगर रोज़ेदार ज़वाल के बाद सफ़र करे तो उस दिन के रोज़े को पूरा करना वाजिब है, लेकिन अगर ज़वाल से पहले सफ़र करे तो उसका रोज़ा बातिल है। लेकिन हद्दे तरख़्ख़ुस से पहले रोज़ा खोलना जाएज़ नहीं है। इसलिए अगर हद्दे तरख़्ख़ुस से पहले ही रोज़ा खोल ले तो एहतियात की बिना पर कफ़्फ़ारा वाजिब है (वह कफ़्फ़ारा जो रमज़ान में जानबूझ कर रोज़ा तोड़ने पर वाजिब होता है।) लेकिन अगर मसअला न जानता हो तो उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं है।
3. अगर मुसाफ़िर ज़वाल से पहले वतन लौट आए या ज़वाल से पहले उस जगह पहुँच जाए जहां उसने दस दिन ठहरने का इरादा किया है तो अगर उसने रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम न किया हो तो उस पर रोज़ा रखना वाजिब है। लेकिन अगर हद्दे तरख़्ख़ुस से पहले उसने रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम अंजाम दे दिया हो तो बाद में उसकी क़ज़ा करना वाजिब है। लेकिन अगर ज़वाल के बाद पहुँचे तो रोज़ा नहीं रख सकता।
4. रमज़ान के महीने में सफ़र करना जाएज़ है चाहे रोज़ों से बचने के लिए ही क्यूं नहो। हां बेहतर यह है कि सफ़र न करे मगर यह कि सफ़र किसी अच्छे या ज़रूरी काम के लिए हो।

5. अगर मुसाफ़िर मस्जिदुल हराम (मक्का) में एतेकाफ़ करना चाहे तो अगर मक्के में दस दिन रहने की नियत करले या सफ़र में रोज़ा रखने की नज़्र करले तो दो दिन के बाद उस पर वाजिब है कि तीसरे दिन का एतेकाफ़ रोज़े के साथ पूरा करे। लेकिन अगर दस दिन ठहरने का इरादा न करे और सफ़र में रोज़े की नज़्र भी न की हो तो सफ़र में रोज़ा सही नहीं है और जब रोज़ा सही नहीं होगा तो एतेकाफ़ भी सही नहीं है।

सवाल

1. अगर रोज़ेदार वुज़ू करते वक़्त कुल्ली करने जैसे मुस्तहब काम को अंजाम देने के लिए मुंह में पानी ले और अचानक पानी हलक़ में चला जाए तो क्या उसका रोज़ा बातिल है?
2. जिसके कई साल के रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हों वह कैसे उन्हें अदा करे?
3. जो बच्ची बालिग़ हो गई हो लेकिन जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से रोज़ा न रख सके तो क्या उसकी क़ज़ा वाजिब है?
4. मां-बाप के रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म बयान कीजिए?
5. अगर कोई इंसान ज़वाल से पहले अपने वतन पहुंचना चाहता हो लेकिन किसी वजह से वक़्त पर न पहुंच सके तो क्या उसका रोज़ा बातिल है?
6. क्या रोज़ों से बचने के लिए रमज़ान के महीने में सफ़र करना जाएज़ है?

पाठ

65

रोज़ा (8)

महीने की पहली तारीख़ साबित होने के रास्ते

रोज़े के कुछ दूसरे मसअले

1. **महीने की पहली तारीख़ साबित होने के रास्ते**
   1) मुकल्लफ़ ख़ुद चाँद देखे।
   2) दो आदिल गवाही दें।
   3) ऐसी शोहरत जिससे यक़ीन हो जाए।
   4) तीस दिन बीत जाएं।
   5) हाकिमे शरअ हुक्म दे कि पहली तारीख़ है।

1. ग़ुरूब से पहले चांद का दिखाई दिया जाना क़मरी महीने (चांद के महीने) के साबित होने के लिए काफ़ी है। और बिल्कुल ग़ुरूब के वक़्त या ग़ुरूब के बाद दिखाई दिया जाना ज़रूरी नहीं है।

- दूरबीन लगाकर चाँद देखने या आम तरीक़े से चांद देखने के बीच कोई फ़र्क़ नहीं है बस उसका मापदंड यह है कि चांद देखना कहा जाए। इसलिए आँख, दूरबीन या टेलीएस्कोप से चाँद देखने का हुक्म एक ही है। हाँ अगर चाँद की तस्वीर के रिफ़लेक्शन को कमप्यूटर में देखा जाए तो उसे देखना कहा जाना मुश्किल है।
- चाँद देखना शरअन वाजिब नहीं है।
- चाँद का छोटा और नीचा होना या बड़ा और ऊँचा होना या मोटा व पतला होना शरई तौर पर पहली या दूसरी तारीख़ की दलील नहीं है हाँ अगर मुकल्लफ़ को यक़ीन हो जाए तो इस सिलसिले में उसके लिए अपने यक़ीन पर अमल करना वाजिब है।
- कैलेंडरों और खगोलवादियों (एस्ट्रोनॉमर्स) के हिसाबो किताब से चाँद साबित नहीं होता मगर यह कि उनकी बातों से यक़ीन हासिल हो जाए।

2. अगर किसी शहर में पहली तारीख़ साबित हो जाए तो उन शहरों में भी जिनका उफ़ुक़ (क्षितिज) एक हो चाँद साबित हो जाएगा।
   - उफ़ुक़ (क्षितिज) के एक होने का मतलब यह है कि चांद दिखाई देने या न दिखाई देने की सम्भावना के हिसाब से बराबर हों।

3. जब तक हाकिमे शरअ हुक्म न दे कि चाँद हो गया है तब तक केवल उसके नज़दीक चाँद साबित हो जाने से दूसरे लोगों के लिए भी उसकी बात मानना काफ़ी नहीं है मगर यह कि लोगों को भी चाँद साबित हो जाने का यक़ीन हो जाए।
   - अगर कोई इंसान चाँद देखे और उसे पता हो कि हाकिम के लिए किसी वजह से चाँद देखना मुमकिन नहीं है तो

उस पर हाकिम को बताना वाजिब नहीं है मगर यह कि न बताने की सूरत में ख़राबी फैलने का खतरा हो।

- अगर हाकिम हुक्म दे कि कल ईद है और उसका हुक्म पूरे मुल्क के लिए हो तो उसका हुक्म सभी शहरों के लिए मान्य है।
- चाँद का ऐलान करने वाली हुकूमत की पैरवी के लिए उसका इस्लामी होना ज़रूरी है बल्कि मापदंड यह है कि जिस एरिये में मुकल्लफ़ रहता है उसमें चाँद दिखाई देने का यक़ीन हासिल हो जाए।
- अगर किसी शहर में चाँद दिखाई न दे लेकिन रेडियों और टी.वी. से पहली तारीख़ का ऐलान हो जाए तो अगर इससे चाँद के साबित होने का यक़ीन हो जाए या चाँद के साबित होने का हुक्म वली ए फ़क़ीह की तरफ़ से दिया गया हो तो वही काफ़ी होगा और छानबीन की ज़रूरत नहीं है।

4. अगर चाँद देखने से महीने की पहली तारीख़ साबित न हो यहां तक कि एक ही क्षितिज वाले पास के शहरों से भी मालूम न हो सके और न ही दो आदिलों की गवाही और न ही हाकिम के हुक्म से साबित हो तो जब तक महीने की पहली तरीख़ साबित न हो एहतियात करे।
5. अगर रमज़ान की पहली तारीख़ साबित न हो तो रोज़ा रखना वाजिब नहीं लेकिन अगर बाद में साबित हो जाए कि जिस दिन रोज़ा नहीं रखा था वही महीने की पहली तारीख़ थी तो उस दिन की क़ज़ा वाजिब है।
6. जिस दिन के बारे में शक हो कि रमज़ान का आख़िरी दिन है या शव्वाल का पहला दिन तो उस दिन रोज़ा रखना वाजिब है। लेकिन अगर बीच दिन में साबित हो जाए कि पहली

शव्वाल है तो रोज़ा तोड़ना वाजिब है चाहे मग़रिब का वक़्त नज़दीक हो।

2. रोज़े के कुछ और मसअले

1. ऐसी जगहों पर जहां ज़्यादातर लोग रात में क़ुरआन और दुआ पढ़ने या मज़हबी प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए जागते रहते हैं, मस्जिदों से माइक पर सहरी के ख़ास प्रोग्राम को प्रसारित करने में कोई हरज नहीं है लेकिन अगर उससे मस्जिद के पड़ोसियों को परेशानी हो तो जाएज़ नहीं है।
2. रमज़ानुल मुबारक की वह ख़ास दुआएं जो पहले दिन और दूसरे दिन की दुआओं के नाम से बयान हुई हैं अगर सवाब हासिल करने की नियत से पढ़ीं जाएं तो इसमें कोई हरज नहीं है।
3. अगर मुस्तहब रोज़ा रखा हो तो उसको पूरा करना वाजिब नहीं है बल्कि जिस वक़्त चाहे इफ़्तार कर सकता है। और अगर मोमिन भाई उसको इफ़्तार की दावत दे तो उसकी दावत को क़बूल करके रोज़े के बीच इफ़तार करना मुस्तहब है। मोमिन भाई की दीवत को क़बूल करके खाना खा लेने से अगरचे रोज़ा बातिल हो जाएगा लेकिन रोज़ेदार को उसका सवाब मिलेगा।
4. अगर रोज़ेदार मग़रिब के बाद रोज़ा इफ़्तार करके ऐसे शहर में जाए जहां अभी सूरज न डूबा हो तो उसका रोज़ा सही है। और इस बात के मद्देनज़र कि वह मग़रिब के बाद इफ़्तार करके निकला था इसलिए जिस जगह अभी सूरज नहीं डूबा वहां उसके लिए खाना पीना जाएज़ है।
5. अगर कोई इंसान अपने शहर में महीने की पहली से सत्ताईसवीं तारीख़ तक रोज़ा रखे और अट्ठाईस की सुबह सफ़र करके उंतीस तारीख़ को उस जगह पहुँचे जिसका और

उसके शहर का उफ़ुक़ (क्षितिज) एक हो और मालूम हो कि वहां उस दिन ईद है तो अगर उंतीस तारीख़ को ईद का ऐलान शरई हिसाब से सही हो तो उस दिन की क़ज़ा उस पर वाजिब नहीं होगी। लेकिन इससे यह पता चलता है कि महीने के शुरू में उससे एक रोज़ा छूट गया है इसलिए जिस रोज़े के छूट जाने का यक़ीन है उसकी क़ज़ा उस पर वाजिब है।

सवाल

1. महीने की पहली तारीख़ साबित होने के रास्ते बयान कीजिए?
2. उफ़ुक़ एक होने का क्या मतलब है?
3. क्या केवल हाकिमे शरअ के नज़दीक चाँद साबित हो जाने से दूसरे लोग उस पर अमल कर सकते हैं?
4. जिस दिन के बारे में शक हो कि रमज़ान का आख़िरी दिन है या शव्वाल की पहली तारीख़ तो उस दिन रोज़ा रखने का क्या हुक्म है?
5. रमज़ानुल मुबारक की उन ख़ास दुआओं (जो पहले दिन और दूसरे दिन की दुआओं के नाम से बयान हुई हैं) के सही होने के बारे में अगर शक हो तो उनके पढ़ने का क्या हुक्म है?
6. अगर किसी रोज़ेदार ने मग़रिब के बाद रोज़ा इफ़्तार कर लिया और फिर ऐसे शहर चला गया जहां अभी सूरज न डूबा हो तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है? और क्या वह वहां सूरज डूबने से पहले रोज़ा तोड़ने वाले काम कर सकता है?

पांचवा चैप्टर

ख़ुम्स

पाठ

66

ख़ुम्स

ख़ुम्स का मतलब–ख़ुम्स का वाजिब होना 7–चीज़ें जिन पर ख़ुम्स वाजिब है

ख़ुम्स न देने के कुछ बुरे प्रभाव

1. ख़ुम्स का मतलब

डिक्शनरी में ख़ुम्स पाँचवें हिस्से को कहते हैं और परिभाषा में उसकी गिनती इस्लाम के महत्वपूर्ण आर्थिक व फाइनैंशियल वाजिबात में होती है और माल के उस पांचवें हिस्से को कहा जाता है जिसे शर्तें पाई जाने की सूरत में मुकल्लफ़ अदा करता है।

- इस्लामी रिपब्लिक ईरान के क़ानून के अनुसार जो टैक्स लगाए जाते हैं, अगरचे जो भी उस टैक्स के क़ानून की धाराओं में आता है उस पर टैक्स देना वाजिब है और उस साल के बीच अदा किए जाने वाले टैक्स को उसी साल के ख़र्च में गिना जाएगा। लेकिन टैक्स को ख़ुम्स में नहीं जोड़ा जा सकता बल्कि उन लोगों के लिए अपनी सालाना बचत पर अलग से ख़ुम्स देना वाजिब है।

2. ख़ुम्स का वाजिब होना

ख़ुम्स का वाजिब होना इस्लाम की ज़रूरियात (इस्लाम के ज़रूरी सिद्धांतों में से) में से है और अगर उसके इंकार से रसूले इस्लाम (स) की पैग़म्बरी का इंकार होता हो और रसूले इस्लाम स.अ. का झुठलाना या शरीअत में कमी का सबब बने तो यह कुफ्ऱ और इरतेदाद (इस्लाम से फिर जाना) है।

- केवल ख़ुम्स न दे सकने या ख़ुम्स देने में मुश्किल व परेशानी होने से शरई ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। इसलिए जिन लोगों पर ख़ुम्स वाजिब है और उन्होंने अब तक नहीं दिया है और अभी उनमें देने की सकत भी नहीं है या देना कठिन है तो उनके ऊपर वाजिब है कि जब भी उनके लिए ख़ुम्स देना मुमकिन हो ख़ुम्स दें। और ऐसे लोग वली-ए-अम्र या उसके वकील की इजाज़त से अपनी हैसियत के हिसाब से धीरे धीरे ख़ुम्स अदा कर सकते हैं।
- जिस साल ख़ुम्स वाजिब हो उसको दूसरे साल तक टालना जाएज़ नहीं है हालांकि जब भी ख़ुम्स निकालेगा उसकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी। और अगर उस बीच पैसे की क़ीमत में कमी आ जाए तो एहतियाते वाजिब की बिना पर हाकिमे शरअ से समझौता करे।
- अगर नाबालिग़ बच्चे के माल में ख़ुम्स वाजिब हो जाए (जैसे खनिज पदार्थ और हलाल माल हराम में मिल जाए) तो उसके वली (गार्जियन) पर वाजिब है कि ख़ुम्स अदा करे। लेकिन व्यापार से होने वाले फ़ायदे या उसकी कमाई से होने वाले फ़ायदे का ख़ुम्स निकालना उसके वली पर वाजिब नहीं है। बल्कि एहतियाते वाजिब की बिना पर बालिग़ होने के बाद अगर वह फ़ायदा बाक़ी बचा हो तो ख़ुद बच्चे पर उसका ख़ुम्स निकालना वाजिब है।

- ख़ुम्स केवल Natural person यानि लोगों पर वाजिब होता है लेकिन Legal personality यानि हुकूमतों, कानूनी संस्थाओं, बैंकों और दफ़्तरों आदि पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है। इसलिए अगर किसी संस्था या कम्पनी को प्रॉफेट हासिल हो तो साल का ख़र्च निकालने के बाद कम्पनी पर बचत का ख़ुम्स वाजिब नहीं है। हाँ अगर वह संस्था या कम्पनी किसी इंसान की प्रापर्टी हो तो उसके मालिक पर वाजिब है कि कम्पनी से जितना फ़ायदा हो तो उस पर ख़ुम्स निकाले (इसलिए कि वह फ़ायदा उसके मालिक की प्रापर्टी है चाहे वह संस्था के नाम पर हो।)

3. ख़ुम्स सात चीज़ों पर वाजिब है

1. आमदनी (कारोबार का फ़ायदा)
2. खनिज।
3. ख़ज़ाना।
4. वह हलाल माल जो हराम से मिल जाए।
5. वह रत्न व जवाहरात जिसे समंदर में डुबकी लगाकर निकाला जाए।
6. जंग में मिला हुआ माल (माले ग़नीमत)
7. वह ज़मीन जिसे काफ़िरे ज़िम्मी[1] मुसलमान से ख़रीदे।

4. ख़ुम्स न देने के कुछ बुरे प्रभाव

1. किसी रीज़न के बिना ख़ुम्स न देना हराम है।

---

[1] . ऐसा काफ़िर जो मुस्लमान हुकूमत में रहता हो और मुसलमान हुकूमत उसके जान माल की ज़िम्मेदार हो।

2. अगर मय्यत ने वसीयत की हो कि उसके छोड़े हुए माल में से थोड़ा माल ख़ुम्स के नाम से निकाला जाए या वारिसों को यक़ीन हो कि मरने वाले ने कुछ माल में ख़ुम्स नहीं निकाला है तो वारिस जब तक मय्यत के माल में से जितना उसने वसीयत की है या जिस मात्रा में ख़ुम्स अदा न होने का यक़ीन है, अदा न कर दें, उसका इस्तेमाल जाएज़ नहीं है। और मय्यत की वसीयत पर अमल करने या मय्यत के ऊपर जो ख़ुम्स वाजिब है उसे अदा करने से पहले उस माल को इस्तेमाल करना ग़स्ब के हुक्म में है और वह लोग (वारिस) उस माल के भी ज़िम्मेदार हैं जिसे वह इस्तेमाल कर चुके हैं।

सवाल

1. इस्लामी रिपब्लिक ईरान को जो क़ानूनी टैक्स दिया जाता है क्या उसके बाद ख़ुम्स निकालना ज़रूरी नहीं है?
2. जिन लोगों ने आज तक ख़ुम्स अदा नहीं किया है और फिलहाल अदा नहीं कर सकते हैं या ख़ुम्स देना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है तो उनकी क्या ज़िम्मेदारी है?
3. ख़ुम्स किन चीज़ों पर वाजिब है?

पाठ

67

आमदनी पर ख़ुम्स (1)

आमदनी का मतलब–आमदनी की क़िस्में

जिन चीज़ों की गिनती आमदनी में नहीं होती है

- हर उस मुकल्लफ़ पर जिसमें शर्तें पाई जाती हों वाजिब है कि साल भर का ख़र्चा निकालने के बाद बचे हुए माल में ख़ुम्स निकाले।

1. **आमदनी का मतलब**

यहां आमदनी से मुराद वह माल और प्रॉपर्टी है जिसे इंसान आर्थिक मैदान में जैसे व्यापार व कारोबार से हासिल करे और उसे कमाई कहा जाता हो।

2. **आमदनी की क़िस्में**

   1. खेतीबाड़ी से हासिल होने वाली आमदनी।
   2. व्यापार से हासिल होने वाली आमदनी।
   3. प्रापर्टी की आमदनी जो चीज़ों को किराए पर देने से हासिल हो जैसे घर या गाड़ी आदि को किराए पर देने से जो आमदनी होती हो या धातु तराशने की मशीनें या

कपड़ा बुनने वाली मशीनें आदि किराए पर देने से जो फ़ायदा हासिल होता हो।

4. किसी भी तरह की नौकरी या मज़दूरी से होने वाली आमदनी जैसे पढ़ाने के बदले में टीचर की सैलरी या तकनीकी काम करने पर इन्जीनियर का वेतन या काम करने पर मज़दूर की मज़दूरी। इसी तरह से हर वह इंसान जो अपनी जिस्मानी ताक़त को दूसरों के हवाले करके उसके बदले वेतन या मज़दूरी लेता है।

3. जिन चीज़ों की गिनती आमदनी में नहीं होती है

1. मीरास

1. मीरास (पैतृक चीज़ों) और उसके बेचने से हासिल होने वाले माल में ख़ुम्स नहीं है चाहे उसकी क़ीमत ज़्यादा ही क्यों न हो गई हो मगर यह कि उसको व्यापार या क़ीमत बढ़ाने की नियत से रोका गया हो कि अगर ऐसा हो तो एहतियाते वाजिब की बिना पर बढ़ी हुई क़ीमत पर ख़ुम्स वाजिब होगा।
2. छोटे बच्चों को जो मीरास मिलती हैं उस पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है लेकिन अगर मीरास में मिलने वाली चीज़ों का फ़ायदा उनके बालिग़ होने तक बाक़ी रहे तो एहतियाते वाजिब की बिना पर उनमें से हर एक को उस फ़ायदे का ख़ुम्स देना होगा।

2. मेह्र[1]

मेह्र पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है चाहे मेहर की रक़म को शादी के समय दिया गया हो या बाद में दिया जाना हो चाहे नक़द हो या किसी चीज़ की शक्ल में।

---

[1]. निकाह के अवसर पर शौहर की ओर से बीवी को दी जाने वाली राशि।

3. हेबा[1] और हदिया (गिफ़्ट)

1. हेबा और हदिये (गिफ़्ट) पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है हालांकि एहतियाते मुस्तहब यह है कि अगर साल के ख़र्च से ज़्यादा हो तो उसका ख़ुम्स दिया जाए।
2. हेबा या हदिये को हेबा और हदिया कहा जाना, देने वाले के इरादे पर निर्भर है इसलिए वह ख़र्च जो बाप भाई या किसी रिश्तेदार की तरफ़ से मिलता है उसको उस वक़्त हेबा और हदिया कहा जाएगा जब देने वाले ने हेबा और हदिये के इरादे दिया हो।
3. वह चीज़े जो किसी को माँ बाप या किसी और की तरफ़ से गिफ़्ट के तौर पर मिलती हैं उन पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है चाहे उसे उनकी ज़रूरत न हो या लोगों की निगाह में उसकी शान व हैसियत से ज़्यादा हों। हां अगर मां बाप के लिए ऐसी चीज़े हदिये के तौर पर देना उनकी शान व हैसियत से ज़्यादा हो तो यह उनके ख़र्चे में शामिल नहीं होगा बल्कि उनपर उसका ख़ुम्स वाजिब है।
4. वह आवासीय फ़्लैट जो बाप अपनी बेटी को दहेज में दे, अगर लोगों की निगाह में बाप की शान और हैसियत के अनुसार हो और उसने साल के ख़र्चे से हेबा किया हो तो उस पर ख़ुम्स नहीं है।
5. दिखावटी हेबा जिसे केवल ख़ुम्स से बचने के लिए दिया गया हो उसमें ख़ुम्स वाजिब है इसलिए अगर मियां बीवी ख़ुम्स की तारीख़ आने से पहले केवल ख़ुम्स से बचने के लिए अपनी सालाना बचत एक दूसरे को हेबा कर दें तो

[1] . किसी चीज़ को किसी को दे देना।

दोनों पर उसका ख़ुम्स निकालना वाजिब है। (इस दिखावटी हेबा से ख़ुम्स ख़त्म नहीं होगा।)

6. हेबा और हदिये को बेचने के बाद उससे हासिल होने वाली क़ीमत में ख़ुम्स नहीं है चाहे उसकी क़ीमत ज़्यादा हो जाए मगर यह कि उसको व्यापार के लिए क़ीमत चढ़ने की नियत से रखा गया हो तो इस सूरत में एहतियाते वाजिब की बिना पर बढ़ी हुई क़ीमत में ख़ुम्स वाजिब होगा।
7. हर साल हुकूमत की तरफ़ से कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस चाहे नक़द हो या कोई चीज़, उस पर ख़ुम्स नहीं है चाहे ख़ुम्स की तारीख़ तक बाक़ी रहे। लेकिन अगर यह चीज़ें उन्हें कम क़ीमत पर दी जाएं तो चूंकि वास्तव में यह चीज़ें कुछ हुकूमत की तरफ़ से मुफ़्त और कुछ क़ीमत के बदले में दी गई हैं इसलिए जो चीज़ें ख़ुम्स की तारीख़ तक बच गई हैं उसमें जितने हिस्से के बदले रूपये दिए गए हैं उस क़ीमत का ख़ुम्स देना वाजिब है।

4. इनाम (पुरस्कार)

बैंकों या क़र्ज़ देने वाली संस्थाओं की तरफ़ से लोगों को जो इनाम दिए जाते हैं उन पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है।

5. वक़्फ़

वक़्फ़ की गई चीज़ों पर जैसे ज़मीन, ख़ुम्स नहीं है चाहे वक़्फ़ ख़ास हो (ख़ास तौर पर किसी के लिए वक़्फ़ हो) और उसकी फ़ायदे में भी किसी तरह का ख़ुम्स नहीं है।

6. शरई हुक़ूक़ (वज़ीफ़ा)

जो शरई हुक़ूक़ यानि वज़ीफ़ा (जैसे ख़ुम्स ज़कात) मराजे केराम की तरफ़ से मदरसे के तलबा (स्टूडेंट्स) को दिया जाता है उस पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है।

7. आमदनी के ख़र्चे

इंसान अपनी सालाना आमदनी में से जो रक़म आमदनी हासिल करने के लिए ख़र्च करता है जैसे दुकान या गोदाम का किराया, ट्रांस्पोर्ट, वज़न कराना, कमीशन या दलाली आदि उस साल के ख़र्चे से अलग कर दिए जाएंगे और उनमें ख़ुम्स वाजिब नहीं है।

8. मुख़म्मस माल (जिस माल का ख़ुम्स निकल चुका हो)

जिस माल का ख़ुम्स दिया जा चुका है दोबारा उसमें ख़ुम्स वाजिब नहीं है इसलिए अगर मुख़म्मस माल नए साल में ख़र्च न हो और ख़ुम्स की अगली तारीख़ आ जाए तो दोबारा उस पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है।

9. बीमा

इंश्योरेंस कम्पनियाँ अपने कांट्रेक्ट के अनुसार नुक़सान की भरपाई या इलाज के लिए जो पैसा देती हैं उसमें ख़ुम्स वाजिब नहीं है।

10. स्कॉलरशिप

वह वज़ीफ़ा और स्कॉलरशिप जो युनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से मिलती है उस पर ख़ुम्स नहीं है। हां जिन लोगों को स्कालरशिप मिलती है और पढ़ाई के ज़माने से ही वह लोग जॉब भी करते हैं तो उनकी सैलेरी पर ख़ुम्स वाजिब है।

11. क़र्ज़ (लोन)

उधार लिए गए माल पर ख़ुम्स नहीं है मगर वह उधार का माल जिसकी क़िस्तें सालाना आमदनी से अदा की जा चुकी हों उनका ख़ुम्स वाजिब है। इसलिए अगर किसी ने क़र्ज़ लिया हो और ख़ुम्स की तारीख़ से पहले उसको न चुका सके तो उसका ख़ुम्स निकालना उस पर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर अपनी आमदनी से उसकी क़िस्तें अदा करता रहे और ख़ुम्स की तारीख़ आने तक उसके पास लोन का अस्ली पैसा बचा रहे तो जितनी क़िस्तें उसने अदा कर दीं हैं उसका ख़ुम्स देना वाजिब है।

सवाल

1. ख़ुम्स में आमदनी से क्या मुराद है?
2. मीरास में ख़ुम्स का क्या हुक्म है?
3. क्या हेबा और बोनस पर ख़ुम्स वाजिब है?
4. मियां व बीवी अपने साल के आख़िर में ख़ुम्स से बचने के लिए अपनी सालाना बचत को एक दूसरे को गिफ़्ट दे दें तो क्या ख़ुम्स वाजिब नहीं होगा?
5. बैंक की तरफ़ से लोगों को जो इनाम दिये जाते हैं उन पर ख़ुम्स वाजिब है या नहीं?
6. इंश्योरेंस कम्पनियाँ अपने कांट्रेक्ट के अनुसार नुक़सान की भरपाई या इलाज के लिए जो पैसा देती हैं उसमें ख़ुम्स वाजिब है या नहीं?

पाठ

68

आमदनी पर ख़ुम्स (2)

मऊना का मतलब – मऊना की सीमा

वह मऊना जो ज़रूरत से ज़्यादा हो -

- जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि सालाना बचत के ख़ुम्स में सालाना ख़र्चों को अलग कर लिया जाएगा और उन पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है।

1. मऊना (सालभर के ख़र्च) का मतलब

यहां मऊना से मुराद साल भर के ख़र्चे हैं (न कि आमदनी के ख़र्चे)। मऊना से मुराद इंसान के वह ख़र्चे हैं जो ज़िंदगी गुज़ारने के लिए उसके और उसके घर वालों पर ख़र्च होते हैं, जैसे खाना, लिबास, घर का सामान, गाड़ी, किताबें, सफ़र के ख़र्चे, सदक़ा (दान) पुरस्कार, नज़्र, कफ़्फ़ारा और मेहमानदारी आदि पर होने वाले ख़र्चे।

2. मऊना (साल भर ख़र्च) की सीमा

1. ज़रूरतें
2. सालाना ख़र्चे।
3. साल का एक होना।

4. उसकी हैसियत और शान के अनुकूल होना।

5. ख़र्च किया जा चुका हो।

1. ज़रूरतें

हर तरह के ख़र्चों को मऊना नहीं कहा जाता है। केवल उन ख़र्चों को मऊना कहते हैं जो ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए उन चीज़ों के ख़र्चे जो ज़रूरी नहीं हैं मऊना के दायरे में नहीं आते हैं जैसे वह माल जिसे हराम चीज़ें ख़रीदने में ख़र्च किया जाए जैसे मर्द के लिए सोने की अंगूठी या जुए का सामान या इसी तरह की चीज़ों की ख़रीदारी।

2. सालाना ख़र्चे

मऊना से इंसान के रोज़ाना या महीने के ख़र्चे मुराद नहीं हैं बल्कि उसके साल भर के ख़र्चे मुराद हैं इसलिए उस आमदनी का ख़ुम्स निकाला जाएगा जो साल भर की ज़रूरतों से ज़्यादा हो।

3. साल का एक हो

मऊना (साल भर का ख़र्चे) में उन्हीं ख़र्चों को शामिल किया जाएगा जो उसी साल की आमदनी से उसी साल ख़र्च हुआ हो न कि पिछले और अगले साल के ख़र्चे। इसलिए अगर किसी साल आमदनी न हुई हो तो उस साल के ख़र्चों को पिछले या अगले साल की आमदनी से कम नहीं किया जा सकता।

4. शान और हैसियत के अनुकूल हो

मऊना से मुराद वह ख़र्चे है जो आमतौर पर उस जैसे लोगों के होते हैं इसलिए जहां मऊना केवल शुरूआती और ज़रूरी चीज़ों में सीमित नहीं हैं वहीं वह ख़र्चे भी मऊना में शामिल नहीं है जो उसकी शान और हैसियत से ज़्यादा हों जैसे जहेज़, शादी या मेहमानदारी आदि में इसराफ़ और फ़ुज़ूल ख़र्ची।

5. ख़र्च किया जा चुका हो।

मऊना से मुराद वह छोटे बड़े ख़र्चे हैं जिन्हें इंसान अपने और अपने बीवी बच्चों और जिनका ख़र्च वह उठाता है, उन पर ख़र्च कर चुका हो और वह ख़र्च इस मऊने में शामिल नहीं है जिन्हें उसने अभी ख़र्च नहीं किया। चाहे अगर वह उसे ख़र्च भी कर देता तो लोगों की निगाह उसकी हैसियत से ज़्यादा न होता। इसलिए जो इंसान सख़्त ज़िंदगी गुज़ार कर अपनी हैसियत के अनुकूल अपने और अपने बीवी बच्चों के ऊपर ख़र्च न करे तो उसे यह अधिकार नहीं है कि वह हिस्सा जिसे अपने ऊपर ख़र्च करना था मगर उसने नहीं किया उसे मऊना में हिसाब करे।

- वह सोना जिसे मियां अपनी बीवी के लिए ख़रीदे अगर उसकी शान के अनुकूल हो तो मऊना में शामिल है और उस पर ख़ुम्स नहीं है।
- अगर अपने बच्चों के फ़्युचर के लिए अपने घर की दूसरी मंज़िल बनाए और मौजूदा समय में अपने बच्चों के फ़्युचर के लिए जो दूसरी मंज़िल बना रहा है उर्फ़ में उसकी शान व हैसियत के अनुकूल हो तो जितना पैसा उस हिस्से के बनाने में लगाया है तो उस पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है लेकिन अगर ऐसा न हो और उस वक़्त न उसको और न उसके बच्चों को उसकी कोई ज़रूरत न हो तो उस पर ख़ुम्स देना वाजिब है।
- अगर कोई इंसान भारी क़ीमत पर किसी प्रापर्टी को ख़रीदे और उसको बनाने और सही करने में बहुत ज़्यादा पैसा ख़र्च करे और अपने उस बेटे को जो बालिग़ नहीं है गिफ़्ट में दे दे और उसके नाम रजिस्ट्री भी करा दे तो जो कुछ उसने इस प्रापर्टी को ख़रीदने, बनाने और सही करने में ख़र्च किया है अगर साल की आमदनी से किया है और उसी साल बेटे को हेबा कर दिया है और उर्फ़ में उसकी शान व हैसियत के

अनुकूल हो तो उस पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है और अगर ऐसा न हो तो उस पर ख़ुम्स वाजिब है।

- वह पैसे जिन्हें इंसान अच्छे कामों में ख़र्च करता है जैसे स्कूल और बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करना, तो उसकी गिनती साल के ख़र्च में होगी और उस पर ख़ुम्स नहीं है।

6. वह ख़र्चे जिनकी गिनती ज़रूरी चीज़ों में नहीं होती

वह ख़र्चे जिनकी अब ज़रूरत नहीं रही जैसे किसी ने अपने रहने के लिए घर ख़रीदा या बनाया लेकिन उसे सरकारी घर मिल गया और अब उसे अपने घर की ज़रूरत नही रही तोः

1. अगर उसको सालाना आमदनी से ख़रीदा जिसमें ख़ुम्स नहीं है या मुख़म्मस माल (जिस माल का ख़ुम्स दिया जा चुका हो) से ख़रीदा हो तो उसमें ख़ुम्स वाजिब नहीं है।
2. अगर उस आमदनी से ख़रीदा हो जिस पर ख़ुम्स वाजिब हो चुका था लेकिन उसने ख़ुम्स अदा नहीं किया है तो जो माल उसने ख़रीदने और बनाने पर ख़र्च किया है उसका ख़ुम्स वाजिब है।

7. मऊना की क़ीमत और उसके बेचने से हासिल होने वाला फ़ायदा

ग़ैर ज़रूरी ख़र्चों के बारे में जो कुछ हमने बताया है वही हुक्म ख़रीदा हुआ सामान बेचने का भी है। इसलिए अगर घर, गाड़ी या वह चीज़ें जिनकी उसे या घर वालों को ज़रूरत हो जिनकों उसने सालाना आमदनी से या ख़ुम्स निकले हुए माल (मुख़म्मस माल) जैसे मीरास और हेबा आदि से ख़रीदा हो अगर उन चीज़ों को किसी ज़रूरत के लिए या अच्छी चीज़ों में बदलने के लिए या किसी और कारण से बेच दे तो उसकी अस्ली क़ीमत या बढ़ी हुई क़ीमत से हासिल होने वाले फ़ायदे पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है। हाँ अगर उसको उस आमदनी से ख़रीदा हो कि जिस पर ख़ुम्स वाजिब था मगर अदा

नहीं किया गया हो तो उस सामान के ख़रीदने में जो पूंजी लगाई थी उसका ख़ुम्स अदा करना वाजिब है चाहे उसे न बेचे।

- अगर कोई इंसान अपनी गाड़ी बेचता है

    1. अगर वह गाड़ी उसके मऊना (सालाना ख़र्च का हिस्सा हो) यानि वह उसके निजी इस्तेमाल और उसकी शान व हैसियत के अनुकूल हो तो उसके बेचने का हुक्म घर के दूसरे सामान बेचने की तरह है जिसे पहले बयान किया जा चुका है।
    2. अगर गाड़ी काम करने के लिए हो तो उस माल का ख़ुम्स देना वाजिब है जो उसने ख़र्च किया है।

सवाल

1. मऊना का क्या मतलब है?
2. मऊना की सीमा क्या है?
3. मियां अपनी बीवी के लिए जो ज्वैलिरी ख़रीदता है क्या उस पर ख़ुम्स वाजिब है?
4. जिस सामान की ज़रूरत न रहे उसका क्या हुक्म है?
5. अगर कोई इंसान अपना घर बेच कर उसकी रक़म बैंक में फ़ायदे के मक़सद से रख दे और ख़ुम्स की तारीख़ आ जाए तो उसका क्या हुक्म है? और अगर उस पैसे को दूसरा घर ख़रीदने के लिए फ़िक्स डिपाज़ेट करे तो उसका क्या हुक्म है?
6. वह सामान जिसका ख़ुम्स न दिया गया हो जैसे गाड़ी, मोटर साइकिल, क़ालीन आदि को बेच दिया जाए तो क्या उसे बेचने के फ़ौरन बाद उसका ख़ुम्स अदा करना ज़रूरी है?

पाठ

69

आमदनी पर ख़ुम्स (3)

वह चीज़ें जो मऊना में शामिल नही हैं

7. वह चीज़ें जो मऊना में शामिल नही हैं

1. पूंजी

वह पूंजी जो कमाई (कारोबार या सैलरी) से हासिल हो उसमें ख़ुम्स वाजिब है, इसलिए जो इंसान किसी दूसरे को अपनी पूंजी मुज़ारबे[1] पर देता है उस पर वाजिब है कि उसका ख़ुम्स निकाले। इसी तरह वह आमदनी जो कारोबार से हासिल हुई है उसमें जो मऊना (ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ों) पर ख़र्च हो उस पर ख़ुम्स नहीं है लेकिन जो माल ख़र्चे से ज़्यादा हो उसमें ख़ुम्स वाजिब है।

1. अगर कोई इंसान साल की आमदनी से ज़मीन ख़रीदे ताकि उसे बेचकर जो मुनाफ़ा हासिल हो उसे घर बनाने में ख़र्च करे तो उस पर ख़ुम्स निकालना वाजिब है।

---

[1] . किसी इंसान को माल देना कि वह उस माल से काम करे और फ़ायदे में दोनों भागीदार हों।

2. अगर कोई इंसान कई मंज़िला मकान इसलिए ख़रीदे या बनाए कि कुछ मंज़िलों को किराए पर देगा और उसके किराए से ज़िंदगी का ख़र्चा चलाएगा तो जिन मंज़िलों को किराए पर देने के लिए बनाया है उनका ख़ुम्स निकालना वाजिब है।
3. ऐसी बन्जर, सूखी ज़मीन जिसको इस मक़सद से आबाद करे कि उसमें फलों का बाग़ लगाएगा तो उस पर आमदनी से होने वाले ख़र्च में ख़ुम्स निकालना वाजिब है।

➢ **पार्टनरशिप में**

1. भागीदारों में से हर एक पर वाजिब है कि अपने हिस्से का ख़ुम्स निकाले इसलिए अगर कुछ लोगों ने पार्टनरशिप में स्कूल बनाया हो तो उनमें से हर एक पर वाजिब है कि जितनी पूंजी लगाई है उसका ख़ुम्स निकालें इसी तरह ख़ुम्स की तारीख़ आने पर साझा पूंजी से हासिल होने वाला फ़ायदे पर जो सालाना ख़र्च से ज़्यादा हो उसका ख़ुम्स निकालना वाजिब है।
2. कम्पनी की अस्ल पूंजी और हासिल होने वाले फ़ायदे में ख़ुम्स निकालना हर भागीदार की शरई ज़िम्मेदारी है कि कम्पनी की साझा पूंजी में से अपने हिस्से का ख़ुम्स निकाले। इसलिए मैनेजर अगर चाहे कि सबकी तरफ़ से ख़ुम्स निकाल दे तो कम्पनी के सारे भागीदारों की ओर से वकालतनामा (पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी) और उनकी मंज़ूरी ज़रूरी है।
3. जब कम्पनी का हर भागीदार अपने हिस्से का ख़ुम्स निकाल दे तो नए सिरे से पूरी पूंजी में से ख़ुम्स निकालना वाजिब नहीं है।

➢ इंट्रेस्ट फ़्री लोन फंड

1. अगर भागीदार इंट्रेस्ट फ़्री लोन फंड में अकाउंट खोलते वक़्त जमा की गई पूंजी के अलावा हर महीने अस्ल पूंजी में बढ़ोत्तरी के लिए कुछ पैसा जमा करते रहें तो अगर उनमें से हर एक ने अपने हिस्से का पैसा अपनी कमाई या सैलरी की बचत से ख़ुम्स का साल पूरा होने के बाद दिया हो ख़ुम्स निकालना वाजिब है लेकिन अगर साल के बीच में पैसा जमा किया हो तो अगर ख़ुम्स की तारीख़ पर अपनी रक़म वापिस ले सकता है तो तारीख़ आने पर उसका ख़ुम्स अदा करे वरना जब भी उसे वह पैसा मिले, ख़ुम्स निकालना वाजिब है।
2. अगर लोन फंड का पैसा कुछ लोगों की साझा प्रापर्टी हो तो उससे हासिल होने वाले हर आदमी के हिस्से का फ़ायदा उसकी निजी सम्पति होगा और सालाना ख़र्च से के बाद बचे हुए माल में ख़ुम्स देना वाजिब है लेकिन अगर फंड का पैसा किसी एक इंसान या कुछ लोगों की अपनी सम्पत्ति न हो जैस वक़्फ़े आम (आम लोगों के लिए वक़्फ़ की गई सम्पत्ति) आदि हो तो उससे मिलने वाले फ़ायदे पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है।
3. व्यापार की जगह (दुकान) की गिनती अस्ल पूंजी में होती है और उस पर ख़ुम्स वाजिब है और अगर एक साथ उसका ख़ुम्स अदा न कर सकता है तो वलीए अम्र या उसके वकील के साथ समझौता करके क़िस्तों में अदा कर सकता है।
4. पगड़ी भी अस्ल पूंजी में शामिल है इसलिए उसका ख़ुम्स निकालना वाजिब है।

2. मशीनें और टूल्स

मशीनों और टूल्स का भी वही हुक्म है जो अस्ल पूंजी का है यानि अगर आमदनी से ख़रीदे गए तो ख़ुम्स वाजिब है इसलिए वह मशीनें और टूल्स कामकाज के लिए ख़रीदे गए हों तो उनका ख़ुम्स भी वाजिब है।

3. पूंजी की क़ीमत में बढ़ोत्तरी

1. वह चीज़ें जिनके दाम बढ़ गए हों और ख़रीदने वाले भी मौजूद हों लेकिन वह साल ख़त्म होने तक ज़्यादा फ़ायदे के लिए उसे न बेचे तो उस पर वाजिब है कि ख़ुम्स की तारीख़ आने पर बढ़ी हुई क़ीमत का ख़ुम्स निकाले। लेकिन वह माल या चीज़ें जिनको ख़ुम्स की तारीख़ तक नहीं बेचा गया और उसका कोई ख़रीदार नहीं था तो फिलहाल उसकी बढ़ी हुई क़ीमत का ख़ुम्स देना वाजिब नहीं है बल्कि बढ़ी हुई क़ीमत को उस साल की आमदनी में गिना जाएगा कि जिस साल उसे बेचना मुमकिन हो।
2. अगर किसी चीज़ को बेचने की नियत से उस माल से जिसका ख़ुम्स निकाला जा चुका है (मुख़म्मस माल) ख़रीदे और कुछ समय बाद उसे बेच दे तो ख़रीदी हुई क़ीमत से ज़्यादा जो आमदनी हुई है साल भर के ख़र्चे के बाद उसमें जो बचत हुई है उस पर ख़ुम्स वाजिब है।

4. फ़िक्स डिपोज़िट

1. जो माल फ़िक्स डिपोज़िट किया जाता है ख़ुम्स की तारीख़ आने पर उसका ख़ुम्स निकालना वाजिब है मगर यह कि ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ों के लिए फ़िक्स डिपोज़िट ज़रूरी हो और उसने तय कर रखा हो कि जल्द ही (ख़ुम्स की तारीख़ के कुछ ही दिन बाद) उसे ज़रूरी चीज़ो में ख़र्च करेगा तो इस सूरत में उस पर ख़ुम्स नहीं है।

- जिस इंसान को ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ों जैसे फ़्रिज आदि की ज़रूरत है और वह उसे एक वक़्त में नहीं ख़रीद सकता है बल्कि वह हर महीने पैसा जमा करके उसे ख़रीदना चाहता है तो अगर इस तरह जमा किए जाने वाले पैसे की जल्द ही ज़रूरत हो तो उस पर ख़ुम्स नहीं है।

2. साल की आमदनी में जितनी बचत की जाती है उस पर केवल एक बार ख़ुम्स वाजिब होता है और अगर बैंक में कुछ पैसा जमा करे (बिना ब्याज) तो उस पर भी ख़ुम्स वाजिब होगा।

5. उधार दी हुई राशि

1) वह राशि जो किसी को उधार सामान बेचने या किसी काम की मज़दूरी की वजह से दूसरों के ज़िम्मे बाक़ी है तो अगर ख़ुम्स की तारीख़ पर वसूल करना मुमकिन हो तो चाहे उसने वसूल न किया हो ख़ुम्स की तारीख़ आने पर ख़ुम्स निकालना वाजिब है। दूसरी सूरत में जिस साल वह उधार की राशि वसूल करेगा उस साल की आमदनी में उसे गिना जाएगा। इसलिए

   1. अगर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कई साल देर हो गई हो तो उसी साल की आमदनी में गिना जाएगा जिस साल उसे मिला हो न कि जिस साल काम किया था। और साल के ख़र्च से जो ज़्यादा हो उस पर ख़ुम्स वाजिब होगा।
   2. वह कर्मचारी जिनकी ख़ुम्स की तारीख़ फाइनेंसियल ईयर के आख़िर में हो और ख़ुम्स की तारीख़ से कुछ दिन पहले उन्हें एडवांस सैलरी मिल जाए, अगर उन्होंने ख़ुम्स की तारीख़ तक पैसे को ख़र्च नहीं किया तो जितने पैसे के बदले वह काम कर चुके हैं उसका ख़ुम्स देना वाजिब है।

2) अगर किसी ने कुछ पैसा उधार दिया हो और उसने वह पैसा सालाना आमदनी में ख़ुम्स निकालने से पहले दिया हो तो अगर ख़ुम्स की तारीख़ आने से पहले उधार वापस ले सकता है तो उस पर ख़ुम्स देना वाजिब है लेकिन अगर उधार वापस नहीं ले सकता तो फिलहाल उस पर ख़ुम्स देना वाजिब नहीं है लेकिन जब भी उसे वसूल करे उसका ख़ुम्स निकालना वाजिब है।

6. सिक्केदार सोना

अगर सिक्केदार सोना, साल की आमदनी में गिना जाए तो दूसरी सारी आमदनियों की तरह बचत के हुक्म में है और उस पर भी ख़ुम्स वाजिब है।

7. पेंशन

पेंशन का पैसा अगर साल भर के ख़र्च के बाद बच जाए तो उस पर ख़ुम्स वाजिब है।

8. कफ़न

अगर कफ़न ख़रीद कर रख दे और कई साल तक रखा रहे तो उसका ख़ुम्स देना वाजिब है।

सवाल

1. अगर किसी के पार्टनर ख़ुम्स न निकालते हों तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है?
2. क्या इंट्रेस्ट फ़्री लोन फंड की पूंजी में ख़ुम्स वाजिब है? और उससे मिलने वाले फ़ायदे में ख़ुम्स का क्या हुक्म है?
3. किसी काम में जो मशीनें या टूल्स इस्तेमाल होते हैं क्या उन पर ख़ुम्स ज़रूरी है?
4. जो माल घर ख़रीदने या दूसरी ज़रूरतों के लिए थोड़ा थोड़ा जमा किया जाता उस पर ख़ुम्स वाजिब है?
5. अगर किसी को उसकी सैलरी ख़ुम्स की तारीख़ गुज़रने के बाद मिले तो क्या उस पर ख़ुम्स निकालना वाजिब है?
6. अगर कोई इंसान अपने ख़ुम्स की तारीख़ से पहले किसी को कोई रक़म उधार दे और ख़ुम्स की तारीख़ गुज़रने के कुछ महीने बाद उसे वसूल करे तो उसका क्या हुक्म है?

पाठ

70

आमदनी पर ख़ुम्स (4)

वह चीज़ें जो मऊना में शामिल नही हैं

1. इस्तेमाल से ख़त्म और बाक़ी रह जाने वाली चीज़ें

इस्तेमाल से ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें जैसे चीनी, चावल, तेल, घी आदि जो प्रतिदिन की ज़रूरी चीज़ें हैं और अगर उनको साल की आमदनी से ख़रीद कर ख़र्च करे तो उसे मऊना (ज़रूरी ख़र्च) में गिना जाएगा और उसमें ख़ुम्स नहीं है। लेकिन जो साल के ख़र्च से ज़्यादा हो वह मऊना (साल के ख़र्च) में शामिल नहीं है और उसका ख़ुम्स देना वाजिब है।

लेकिन बाक़ी रहने वाले सामान जैसे आवासीय घर, घरेलू सामान, निजी गाड़ी, औरतों की ज्वैलिरी और इस जैसी चीज़ें जिनके इस्तेमाल के बाद भी अस्ल चीज़ बाक़ी रहती है (यानि उनसे लम्बे समय तक फ़ायदा हासिल होता रहता है) तो अगर यह चीज़ें उसकी ज़रूरत की हों और इन चीज़ों को उसने साल की आमदनी से अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदा हो तो उनकी गिनती मऊना में होगी और उस पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है।

- वह ज़रूरी चीज़ें जो इस्तेमाल से ख़त्म नहीं होतीं उनमें ख़ुम्स के वाजिब होने का मापदंड उनका ज़रूरी होना है और साथ

ही इंसान की शान व हैसियत के अनुकूल होना है चाहे साल भर उसे इस्तेमाल की ज़रूरत न पड़े इसलिए क़ालीन या बर्तन जो साल भर तक इस्तेमाल न हों लेकिन मेहमान के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी हों तो उन चीज़ों पर ख़ुम्स नहीं है लेकिन जो चीज़े इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती हैं उसमें ख़ुम्स के वाजिब होने का मापदंड उनका इस्तेमाल होना है कि अगर साल के ख़र्च से कुछ बच जाए तो उस पर ख़ुम्स वाजिब है।

- जिस किताब की कई जिल्दें हों जैसे वसाएलुश शिया (फ़िक़्ह की एक किताब) अगर किसी को सभी जिल्दों की ज़रूरत हो या जिस एक जिल्द की ज़रूरत हो उसके ख़रीदने के लिए सारी जिल्दों का ख़रीदना ज़रूरी हो तो उसमें ख़ुम्स नहीं है वरना (अगर बिना ज़रूरत के) जिन जिल्दों की उसको अभी ज़रूरत नहीं है उन सबका ख़ुम्स देना वाजिब है इसी तरह हर जिल्द का एक पेज पढ़ लेने से ख़ुम्स ख़त्म नहीं होगा।
- जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि आवासीय मकान मऊना में शामिल है इसलिए अगर तीन मंज़िला घर हो और उसकी पहली मंज़िल में ख़ुद रहता हो और दूसरी दो मंज़िलों में उसके बेटे रहते हों तो उसमें ख़ुम्स नहीं है।
- गाड़ी अगर साल की आमदनी से ख़ुद अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदी गई हो ताकि ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा किया जाए और उर्फ में उसकी शान व हैसियत के अनुकूल हो तो उसे मऊना में गिना जाएगा और उसका ख़ुम्स वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर वह उसे कामकाज के लिए ख़रीदे जैसे टैक्सी, जीप और बस आदि तो ख़ुम्स के वाजिब होने में उसका वही हुक्म है जो कामकाज के दूसरे सामानो और टूल्स का है और उस पर ख़ुम्स वाजिब है।

- जिन दवाओं को साल की आमदनी से ख़रीदा गया हो अगर वह ख़ुम्स की तारीख़ आ जाने तक इक्सपाएर न हुई हों तो अगर उन्हें ज़रूरत के समय इस्तेमाल के लिए ख़रीदा गया हो और उनकी ज़रूरत भी हो तो वह भी मऊना में शामिल हैं और उन पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है।

2. क़िस्तों में ख़रीदी जाने वाली ज़रूरी चीज़ें

ज़रूरत की चीज़ें जैसे घर का सामान, लड़की का दहेज, आवासीय घर या इस जैसी चीज़ें जिन्हें इंसान एक ही बार में नहीं ख़रीद सकता बल्कि अगले कुछ सालों की आमदनी लगाकर धीरे धीरे ख़रीदे और उन्हें ज़रूरत के वक़्त के लिए बचा के रखे तो अगर उसकी शान व हैसियत के अनुकूल हो तो उसे मऊना (ख़र्च) में गिना जाएगा और उस पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है।

- अगर किसी एरिये में यह रस्म हो कि लड़के के घर वाले जहेज़ और घर की ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा करते हों और वह इन चीज़ों को धीरे धीरे वक़्त गुज़रने के साथ जमा करते हों और इस बीच ख़ुम्स की तारीख़ भी आ जाए तो अगर फ़्युचर के लिए इन ज़रूरी चीज़ों का जमा करना लोगों की निगाह में मऊना में गिना जाता हो तो उसमें ख़ुम्स नहीं है।
- जिस इंसान के पास रहने के लिए घर न हो लेकिन घर बनाने के लिए थोड़ी ज़मीन हो और कई साल बीतने के बाद भी उस पर घर न बना सका हो तो अगर उसे ज़मीन पर घर बनाने के लिए ज़रूरत है और उसने साल की आमदनी से उसे ख़रीदा हो तो जब तक उसे बेचे नहीं ख़ुम्स वाजिब नहीं है। लेकिन अगर उसने साल की आमदनी से उसे इसलिए ख़रीदा हो ताकि उसे बेच कर मिलने वाले पैसे से घर बनाएगा तो उस पर ख़ुम्स वाजिब है।

- ज़रूरत के लिए घर बनाने की नियत से जो ज़मीन मौजूद है उस पर ख़ुम्स के वाजिब न होने में इस बात में कोई अंतर नहीं है कि वह एक प्लाट हो या कई प्लाट या एक घर एक हो या कई घर बल्कि ख़ुम्स के वाजिब होने में मापदंड उर्फ़ में उसकी हैसियत व शान के हिसाब से उसकी ज़रूरत है और धीरे धीरे घर बनाने में उसकी माली हालत कैसी है।
- जिस इंसान के पास रहने के लिए घर न हो और वह साल की आमदनी से घर बनाने के लिए ज़मीन ख़रीदे और घर बनाने लगे मगर घर पूरा होने से पहले ही ख़ुम्स की तारीख़ आ जाए तो जितना पैसा उसने अब तक ख़र्च किया है उसमें ख़ुम्स नहीं है।

3. उधार चुकाना

वह उधार जो अदा न किया गया हो चाहे फ़ौरन वापस करना ज़रूरी हो या कुछ समय बाद अदा करने वाला उधार हो चाहे राशि उधार ली गई हो या कोई चीज़ उधार ख़रीदी गई हो इन सबको साल की आमदनी और आय से अलग नहीं किया जाएगा। मगर यह कि वह उधार सालाना ख़र्च को पूरा करने के लिए लिया गया हो इस सूरत में आमदनी में से जितना उधार को वापस करने में लगे उसे कम किया जाएगा लेकिन अगर उधार पिछले कई सालों का हो तो अगरचे उसको आमदनी में से अदा करना जाएज़ है लेकिन अगर वह ख़ुम्स की तारीख़ तक वापिस न किया जाए तो उसे साल की आमदनी से अलग नहीं किया जा सकता है इसलिए:

1. अगर नौकरी करने वाले लोगों का कुछ माल साल भर के ख़र्चे के बाद बच जाए तो बाक़ी बचे माल का ख़ुम्स निकालना वाजिब है चाहे उसके ऊपर नक़दी या क़िस्तों में उधार भी हो। हाँ अगर उधार उसी साल के ख़र्च के लिए लिया गया हो और साल के बीच में ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने के लिए हो तो अगर वह अपने उधार को उसी साल की आमदनी से चुकाना

चाहता है तो उस साल की बची हुई रक़म से उधार की रक़म को अलग कर दिया जाएगा।

2. होम लोन की क़िस्तों को अगरचे सालाना आमदनी से देना जाएज़ है लेकिन अगर वह क़िस्तें अदा न करे तो फिर उस साल की आमदनी से उसे अलग नहीं किया जाएगा बल्कि ख़ुम्स की तारीख़ आने पर जितनी आमदनी बाक़ी बची है सबका ख़ुम्स निकालना वाजिब है।

3. वह क़र्ज़ा जो मऊना (सालाना ख़र्च) के लिए न लिया गया हो बल्कि ग़ैर मऊना के लिए हो (जैसे पूंजी में बढ़ोत्तरी या ऐसी ज़मीन की ख़रीदारी के लिए लिया गया हो जैसे फ़्युचर में बेचने का इरादा हो) तो अगरचे उसी साल की आमदनी से उसे अदा करना जाएज़ है लेकिन अगर साल के आख़िर तक अदा न किया जाए तो जिस साल का वह क़र्ज़ है उस साल की आमदनी से अलग नही होगा बल्कि आमदनी में से साल का ख़र्चा पूरा करने के बाद बचत हो उस पर ख़ुम्स वाजिब है।

4. पगड़ी और एडवांस किराया

1. वह पैसा जो किरायेदार मालिक को पेशगी के तौर पर देता है अगर वह किरायेदार की सालाना आमदनी की बचत से हो तो ख़ुम्स की तारीख़ आने पर उस पर ख़ुम्स वाजिब है और जब भी वह मालिक से उस माल को वापिस लेगा तो उस पर ख़ुम्स वाजिब है।

2. कभी-कभी सामान की ख़रीदारी के लिए राशि पहले ले ली जाती है और सामान नहीं दिया जाता है (एडवांस बुकिंग) तो ऐसी राशि पर ख़ुम्स नहीं है इस शर्त के साथ कि वह सामान ख़रीदार की शान, हैसियत और ज़रूरत के हिसाब से हो।

सवाल

1. ख़र्च में ख़ुम्स वाजिब न होने का मापदंड यह है कि साल के अंदर उसे इस्तेमाल किया जाए या यह कि साल में उसकी ज़रूरत पड़ सकती हो चाहे ज़रूरत पेश न आई हो?
2. जो दवाएं साल की आमदनी से ख़रीदी गई हों अगर वह ख़ुम्स की तारीख़ तक ख़राब न हों तो क्या उन पर ख़ुम्स वाजिब है?
3. अगर किसी के पास घर न हो और वह घर बनाने के लिए ज़मीन ख़रीदे लेकिन पैसा न होने की वजह से घर नहीं बना सका और उसने ज़मीन बेची भी नहीं तो क्या उस ज़मीन का ख़ुम्स वाजिब है?
4. अगर नौकरी करने वाले लोगों का कुछ माल साल भर के ख़र्चे के बाद बच जाए और उनके जिम्मे नक़द या क़िस्ती क़र्ज़ भी हो तो उन पर ख़ुम्स वाजिब है?
5. किराये पर घर लेने के लिए दी जाने वाली पगड़ी अगर सालाना आमदनी से दी गई हो और कई साल तक घर मालिक के पास रहे तो क्या वसूल करने के फ़ौरन बाद ख़ुम्स देना वाजिब है? और अगर उसी पैसे से दूसरी जगह घर किराये पर लेना चाहे तो क्या करे?

पाठ

71

आमदनी पर ख़ुम्स (5)

आमदनी का हिसाब किताब और उसे देने का तरीक़ा (1)

10. आमदनी के ख़ुम्स का हिसाब व किताब और उसे देने का तरीक़ा

1. ख़ुम्स वाजिब होने का वक़्त

आमदनी पर ख़ुम्स उसी समय वाजिब हो जाता है जब आमदनी हाथ में आए लेकिन ख़ुम्स निकालने के लिए एक साल तक की छूट दी गई है इसलिए मालिक के लिए जाएज़ है कि वह ख़ुम्स की तारीख़ से पहले ख़ुम्स निकाल दे इसी तरह वली-ए-अम्र की इजाज़त से ख़ुम्स की तारीख़ को आगे पीछे कर सकता है इस शर्त के साथ कि पिछली आमदनी का हिसाब करे और ख़ुम्स के हक़दारों का नुक़सान न हो।

- अगर कोई इंसान सोने का सिक्का या कोई और चीज़ बेचने की नियत से ख़रीदे तो ख़ुम्स की तारीख़ पर उसकी ख़रीदारी की क़ीमत और बढ़ने वाली क़ीमत पर ख़ुम्स होगा चाहे उसे बेचा न जाए और अगर बेचने की नियत से न ख़रीदा हो तो केवल ख़रीदने वाली क़ीमत पर ख़ुम्स होगा।

2. सालाना आमदनी के ख़र्चे को कम करना

सालाना आमदनी और फ़ायदा हासिल करने के लिए जो कुछ ख़र्च किया जाता है जैसे ट्रांस्पोर्ट का ख़र्चा, सम्भावित नुक़सान, दुकान का किराया, कारीगर की मज़दूरी, टैक्स आदि उसी साल की आमदनी में से कम किए जाएंगे और उन पर ख़ुम्स नहीं है।

3. सालाना ख़र्चों पर ख़ुम्स का न होना

सालाना ख़र्चों पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है यानि साल भर की आमदनी से इंसान जो ज़रूरी चीज़ों और ज़िंदगी गुज़ारने की ज़रूरतों के लिए ख़र्च करता है उसमें ख़ुम्स नहीं है। बल्कि साल ख़त्म होने पर आमदनी में से जो बच जाए केवल उसी पर ख़ुम्स वाजिब है।

4. हर साल के ख़र्चों का उसी साल की आमदनी से कम होना

हर साल के ख़र्चे उसी साल की आमदनी से कम किए जाएंगे न पिछले साल से या न अगले साल से। इसलिए अगर किसी साल किसी तरह की कोई आमदनी न हो तो उस साल के ख़र्चों का पिछले या अगले साल की आमदनी से कम नहीं किया जा सकता है।

5. आमदनी में से ख़र्च करने के लिए दूसरा माल होना शर्त नहीं है।

आमदनी में से मऊना (सालाना ख़र्च) कम करने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि उसके पास उस आमदनी के अलावा कोई दूसरा माल न हो बल्कि अगर आमदनी के अलावा उसके पास कोई दूसरा माल हो जिस पर ख़ुम्स न हो या ख़ुम्स हो मगर अदा कर चुका हो तो वह अपना ख़र्च सालाना आमदनी से लेकर पूरा कर सकता है। हाँ अगर सालाना आमदनी और मुख़म्मस (ख़ुम्स दिए जा चुके माल) दोनों में सालाना ख़र्चों के लिए ख़र्च कर रहा हो तो ख़ुम्स की तारीख़ आने पर उस पूरे माल का का ख़ुम्स निकाले जिसका ख़ुम्स नहीं निकाला है और उसे यह अधिकार नहीं है कि उस साल की आमदनी को उसने जो मुख़म्मस माल ख़र्च किया है उसके बदले अलग कर ले जैसे वह चावल ख़र्च करे जिसका ख़ुम्स दे चुका है तो नए चावल में

से ख़र्च किए हुए चावल के बराबर अलग नहीं कर सकता है इसलिए नए चावल में से जो कुछ साल भर में ख़र्च किया है उसमें ख़ुम्स नहीं है लेकिन ख़ुम्स की तारीख़ आने पर जो चावल बचा होगा उस पर ख़ुम्स वाजिब है।

6. ख़ुम्स की तारीख़ का फ़िक्स होना।

जिन लोगों की कोई आमदनी है चाहे थोड़ी ही क्यों न हो चाहे वह विवाहित हों या न हों उनकी ख़ुम्स की तारीख़ तय होनी चाहिए ताकि वह उस साल की तारीख़ में साल की आमदनी का हिसाब कर सकें और अगर उस तारीख़ में आमदनी में से कुछ बच जाए तो उसका ख़ुम्स दें। अगरचे तारीख़ फ़िक्स करना और सालाना आमदनी का हिसाब व किताब रखना अपने आप में वाजिब नहीं है बल्कि ख़ुम्स के वाजिब होने या न होने को जानने का तरीक़ा है लेकिन तारीख़ तय करना उस समय वाजिब हो जाता है जब किसी इंसान को यह पता हो कि ख़ुम्स उस पर वाजिब है कितना वाजिब है यह न जानता हो लेकिन अगर उसके पास कारोबार के फ़ायदा में से कुछ न बचा हो बल्कि जो कमाता है सब ख़र्च हो जाता है तो ख़ुम्स उस पर वाजिब नहीं है कि उसका हिसाब करना पड़े।

- वह मियां बीवी जो संयुक्त रूप से अपनी सैलरी घर की ज़रूरतों पर ख़र्च करते हैं तो उनमें से हर एक के लिए ख़ुम्स की तारीख़ फ़िक्स करना ज़रूरी है ताकि साल पूरा होने पर अपनी आमदनी का ख़ुम्स निकाल सकें। यही हुक्म उस औरत का है जो हाउसवाइफ़ है कि जिसके मियां के ख़ुम्स का साल तय हो वह साल के आख़िर में अपना ख़ुम्स देता हो और कभी कभी औरत की भी कुछ आमदनी होती है तो उस पर वाजिब है कि जिस दिन से उसे पहला फ़ायदा हासिल हो उस दिन से अपने ख़ुम्स का साल शुरू करे और साल के बीच अपनी आमदनी में से जितना ख़ुद पर ख़र्चा करे जैसे ज़ियारत और उपहार आदि उसमें ख़ुम्स नहीं है लेकिन साल की आमदनी

में ख़र्च करने के बाद जो बच जाए तो उस पर साल के आख़िर में उसका ख़ुम्स देना वाजिब है।

- इंसान अपने माल के ख़ुम्स का ख़ुद हिसाब कर सकता है और जितना उस पर वाजिब है उसे वली-ए-अम्र या उसके वकील को दे दे।

7. ख़ुम्स के शुरुआती साल का तय होना

ख़ुम्स का साल शुरू होने के लिए मुकल्लफ़ का तारीख़ तय करना ज़रूरी नहीं है बल्कि पहली आमदनी हासिल होते ही ख़ुम्स का साल शुरू हो जाता है इसलिए कारोबारी या कर्मचारियों के ख़ुम्स का साल उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन उन्हें काम की पहली सैलरी या आमदनी मिलती है और दुकानदारों और व्यापारियों के ख़ुम्स का साल उस दिन से शुरू होता है जिस दिन वह ख़रीदना बेचना शुरू करें और किसानों के ख़ुम्स का साल उस दिन से शुरू होता है जिस दिन खेती की पहली फ़स्ल कटती है।

- जैसा कि हमने ऊपर बयान किया है कि मज़दूर, नौकरी करने वाले या सैलरी और वज़ीफ़ा लेने वालों के ख़ुम्स की तारीख़ वह पहला दिन है जिस दिन उन्हें पहला वेतन, मज़दूरी या वज़ीफ़ा मिलता है या ले सकते हैं नाकि जिस दिन काम या नौकरी शुरू करते हैं।

ख़ुम्स की तारीख़ तय करने का अधिकार

मुकल्लफ़ को अधिकार है कि वह ख़ुम्स के लिए चाँद (क़मरी) का साल अपनाए या सूरज (ईसवी) का।

सवाल

1. क्या ख़ुम्स की तारीख़ को आगे पीछे क्या जा सकता है?
2. किसी के पास एक प्रापर्टी (घर या ज़मीन) है जिस पर ख़ुम्स वाजिब है तो क्या उसका ख़ुम्स वह सालाना आमदनी से दे सकता है? और क्या उस पर ख़ुम्स अदा करना भी वाजिब है?
3. किसी के पास साल के आख़िर में जैसे एक लाख रूपये की बचत होती है जिसका उसने ख़ुम्स अदा कर दिया है अब अगर अगले साल यह बचत बढ़ कर एक लाख पचास हज़ार हो गई तो नए साल में वह केवल 50 हज़ार का ख़ुम्स अदा करेगा या पूरे एक लाख पचास हज़ार का?
4. जो अविवाहित जवान अपने मां बाप के साथ रहते हैं क्या उनके लिए ख़ुम्स की तारीख़ तय करना ज़रूरी है?
5. क्या कोई इंसान अपने ख़ुम्स का ख़ुद हिसाब कर सकता है? और उस पर जो कुछ वाजिब हो वह पैसा वली-ए-अम्र या उसके वकील को दे सकता है?
6. ख़ुम्स की तारीख़ किस तरह तय होती है?

पाठ

72

आमदनी पर ख़ुम्स (6)

आमदनी का हिसाब किताब और उसे देने का तरीक़ा(1)

9. पूंजी में ख़ुम्स के हिसाब किताब करने का तरीक़ा

पूंजी में ख़ुम्स के हिसाब किताब के लिए सबसे पहले इंसान के पास जितनी चीज़ें या नक़द माल हो उन सबकी क़ीमत लगाकर साल के आख़िर में ख़ुम्स निकाले फिर अगले साल बाक़ी बची पूंजी को अस्ल पूंजी के साथ मिला कर देखे कि अगर अस्ल पूंजी ज़्यादा हुई है तो उसकी गिनती बचत में होगी और उसमें ख़ुम्स वाजिब है लेकिन अगर ज़्यादा न हुआ हो तो ख़ुम्स वाजिब नहीं है। जैसे किसी इंसान के पास 98 भेड़ बकरियाँ और कुछ नक़द माल हो जो उसकी अस्ल पूंजी हो उन सबका ख़ुम्स उसने दे दिया हो और जब दूसरा साल आए तो उसकी मौजूदा भेड़ बकरियों की क़ीमत और इसी तरह मौजूदा नक़द माल सब मिलाकर 98 भेड़ बकरियों और पिछले साल के ख़ुम्स निकले हुए नक़दी माल से ज़्यादा हो तो जितना ज़्यादा होगा उस पर ख़ुम्स वाजिब होगा।

- बचत और पूंजी का हिसाब करते वक़्त तमाम सामानों (जो चीज़ें नक़द नहीं हैं) की क़ीमत का आंकलन करना वाजिब है

चाहे अनुमान ही लगाकर क्यों न हो इस काम के मुश्किल होने का बहाना बनाकर इसको छोड़ना जाएज़ नहीं है।

- जिस माल में ख़ुम्स वाजिब नहीं है जैसे इनाम आदि, अगर वह अस्ल पूंजी में मिल जाए तो साल के आख़िर में उसे अस्ल पूंजी से अलग करके बचे हुए माल पर ख़ुम्स दिया जा सकता है। मगर यह कि उसकी पूंजी ऐसी हो कि वह अपना ख़र्च उसी पूंजी से लेता हो जैसे दुकानदार, तो इस सूरत में उसने ख़र्च के लिए जो कुछ अस्ल पूंजी से लिया है मुख़म्मस और ग़ैर मुख़म्मस माल के अनुपात के अनुसार ख़ुम्स देगा।

10. ख़ुम्स के हिसाब किताब के सही होने में शक

अगर किसी इंसान को पिछले सालों के ख़ुम्स के हिसाब किताब के सही होने में शक हो तो इस शक पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और फिर से उनका ख़ुम्स देना वाजिब नहीं है। हाँ अगर उसे बचत के बारे में शक हो कि वह पिछले सालों की आमदनी है कि जिसका ख़ुम्स दे चुका है या मौजूदा साल की है कि जिसका ख़ुम्स अभी नहीं दिया है तो यहां पर वाजिब है कि एहतियात करते हुए उसका ख़ुम्स दे। मगर यह कि यह साबित हो जाए कि पहले उसका ख़ुम्स दिया जा चुका है।

11. ख़ुम्स निकालने में शक

अगर किसी चीज़ पर ख़ुम्स वाजिब हो जाए और शक करे कि ख़ुम्स दिया है या नहीं? तो ख़ुम्स के निकालने का यक़ीन हासिल करना ज़रूरी है।

12. मुसालेहत (समझौता)

जिसे यही मालूम न हो कि उसकी आमदनी में ख़ुम्स वाजिब है या नहीं जैसे किसी इंसान को यह यक़ीन हो कि उसने अपनी सालाना आमदनी से मकान ख़रीदा है लेकिन वह यह नहीं जानता कि साल के बीच की आमदनी से ख़रीदा है या ख़ुम्स का साल आ जाने के बाद और ख़ुम्स निकालने से पहले ख़रीदा है तो उस इंसान पर

वाजिब है कि हाकिमे शरअ (वली-ए-अम्रे ख़ुम्स) या उसके वकील के साथ समझौता करे।

- जितनी मात्रा में ख़ुम्स होने का यक़ीन हो कि उसमें मुसालेहत (समझौता) की गुंजाइश नहीं होती। (चूंकि समझौता शक में होता है।)

13. दस्तगरदान[1]

जिन लोगों पर ख़ुम्स वाजिब हो चुका हो लेकिन फिलहाल ख़ुम्स अदा नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि उन पर जो ख़ुम्स वाजिब है उसके बारे में वली-ए-अम्रे ख़ुम्स या उनके वकील से बात करें और ख़ुम्स को दस्तगरदान करा लें और बाद में धीरे धीरे क़िस्तों में अदा करें।

- अगर किसी ने ऐसे माल का ख़ुम्स दे दिया जिस पर ख़ुम्स वाजिब नहीं था तो अगर ख़ुम्स की राशि शरई जगह पर इस्तेमाल हो गई तो उस ख़ुम्स के बदले उसका हिसाब नहीं कर सकता जो फिलहाल उसके ज़िम्मे है। हाँ अगर अस्ल माल मौजूद हो और ख़र्च न हुआ हो तो उसकी वापसी की माँग का अधिकार रखता है।
- ख़ुम्स या दूसरी शरई राशि को बैंक के माध्यम से अदा करने में कोई हरज नहीं है। इसलिए जिस इंसान के लिए ख़ुद ख़ुम्स के माल को हाकिम शरअ या उसके वकील तक पहुँचाना मुश्किल हो तो बैंक के माध्यम से भेज सकता है। चाहे बैंक से मिलने वाले पैसे वह नोट न हों जो बैंक को दिए गए थे।

---

[1]. मरजा-ए-तक़लीद का ऐसे इंसान से ख़ुम्स लेकर उसे वापस कर देना या क़र्ज़े के तौर पर दे देना जिस पर ख़ुम्स वाजिब तो है लेकिन उसके लिए ख़ुम्स देना मुमकिन नहीं है।

सवाल

1. पूंजी का हिसाब लगाने और उसे अदा करने का तरीक़ा क्या है?
2. जिस माल पर ख़ुम्स नहीं है जैसे इनाम आदि अगर अस्ल पूंजी में मिल जाए तो क्या ख़ुम्स की तारीख़ पर उसे अस्ल पूंजी से अलग कर के बाक़ी माल का ख़ुम्स दे सकते है?
3. जिसे अपने पिछले ख़ुम्स के हिसाब किताब में शक हो तो उसकी शरई ज़िम्मेदारी क्या है?
4. किन अवसरों पर समझौता होता है?
5. दस्तगरदान कब हो सकता है?
6. जिस माल पर ख़ुम्स वाजिब नहीं था अगर किसी ने उस माल का ख़ुम्स दे दिया तो क्या वह उसे उस माल के बदले हिसाब कर सकता है जो उसे ख़ुम्स में देना है?

पाठ

73

खान का ख़ुम्स – ख़ज़ाना – हलाल माल हराम माल में मिल जाए

ख़ुम्स ख़र्च करने की जगहें

1. खान का ख़ुम्स

अगर कोई एक इंसान या कई लोग मिलजुल कर खान खोदें तो उसमें से निकलने वाले मेटेरियल पर ख़ुम्स वाजिब है इस शर्त के साथ जो कुछ उन्होंने निकाला है उसे निकालने और सफ़ाई का ख़र्चा निकालने के बाद हर एक के हिस्से में 20 दीनार सोना या 200 दिरहम चाँदी या उसकी क़ीमत के बराबर आए।

- खनिज पदार्थ में ख़ुम्स के वाजिब होने की यह भी शर्त है कि जो इंसान या कई लोग मिलजुल कर मेटेरियल निकालें उनमें से हर एक का हिस्सा नेसाब (कोरम) तक पहुँच जाए। (20 दीनार या 200 दिरहम)। इसके अलावा जो कुछ उन्होंने निकाला है वह उनकी प्रापर्टी हो इसलिए खनिज पदार्थ जिनको हुकूमत निकलवाती है वह किसी एक इंसान या कुछ

लोगों की प्रापर्टी नहीं है बल्कि हुकूमत की प्रापर्टी है इसलिए उसमें ख़ुम्स वाजिब होने की शर्त नहीं पाई जाती इसलिए हुकूमत पर ख़ुम्स वाजिब नहीं है।

2. हलाल माल, हराम में मिल जाए

अगर किसी इंसान को यक़ीन हो जाए कि उसके माल में कुछ हराम माल मिल गया है लेकिन सही तरह से हराम की मात्रा मालूम न हो और न ही उसके मालिक का पता हो तो उसके हलाल बनाने का रास्ता यह है कि उसका ख़ुम्स निकाले लेकिन अगर उसको अपने माल में हराम माल मिल जाने का केवल शक हो तो उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।

- जो इंसान ऐसे घराने में ज़िंदगी गुज़ार रहा हो जो लोग ख़ुम्स और ज़कात नहीं देते और उनके माल में ब्याज भी मिला हो तो जब तक उसको उनके माल के हराम होने का यक़ीन न हो उसके लिए उनका इस्तेमाल करना जाएज़ है। (अगरचे उसको यक़ीन है कि यह लोग ख़ुम्स और ज़कात नहीं देते और उनके माल में ब्याज की मिलावट है लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि जिस माल को वह इस्तेमाल कर रहा है वह माल ही हराम है) हाँ जो माल वह इस्तेमाल कर रहा है अगर उसके हराम होने का यक़ीन हो जाए तो उसका इस्तेमाल उसके लिए जाएज़ नहीं है मगर यह कि उस घराने से अलग होना और उनसे समाजी सम्बन्ध तोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो तो इस सूरत में इस्तेमाल कर सकता है लेकिन जो माल वह इस्तेमाल करेगा उसमें जो जितना दूसरों का माल है वह उसका ज़िम्मेदार है।

3. ख़ुम्स का मसरफ़ (ख़र्च करने की जगहें)

1. सहमे इमाम (इमाम का हिस्सा) व सहमे सादात (सय्यदों का हिस्सा)

1. ख़ुम्स को दो बराबर हिस्सों में बाँटा जाता है एक हिस्सा इमाम और दूसरा सादात का होता है।
2. इमाम से मुराद हर ज़माने का मासूम इमाम है और हमारे ज़माने के इमाम हज़रत इमाम मेहदी (अज्जलल्लाहो तआला फ़रजहुश्शरीफ़) हैं। और सादात से मुराद वह लोग हैं बाप की तरफ़ से जिनका वंश हज़रत रसूले इस्लाम स.अ. के परदादा हज़रत हाशिम से मिलता हो।
3. चूंकि हमारे ज़माने में इमाम महदी अ.ज तक पहुंचना मुमकिन नहीं है इसलिए मौजूदा दौर में सहमे इमाम का अधिकार वली अम्रे मुस्लेमीन के हाथ में है। ताकि वली ए अम्र उसको उन जगहों पर ख़र्च करे जिनमें इमाम ज़माना की मंज़ूरी हो और वह मुसलमानों के हित और फ़ायदे ख़ास कर हौज़-ए-इल्मिया (मदरसों) को चलाने आदि पर ख़र्च करे। सहमे सादात का भी अधिकार सहमे इमाम की तरह वली ए अम्रे मुसलेमीन के हाथों में है।

   इसलिए जिसके ऊपर या जिसके माल में इमाम का हिस्सा हो या सहमे सादात हो तो उस पर वाजिब है कि उसे ख़ुम्स के ज़िम्मेदार या उसके वकील के हवाले कर दे और अगर ख़ुद ख़ुम्स की रक़म को बताई गई जगहों जैसे ज़रूरी किताबें छापने, ज़रूरतमंद सादात (सय्यद) की शादी कराने या सादात के बिजली पानी के बिल चुकाने में ख़र्च

करना चाहे तो पहले हाकिमे शरअ या उनके वकील से इजाज़त ले।

4. अगर कोई इंसान अपने मरजा-ए-तक़लीद के फ़तवे के अनुसार इमाम और सादात के हिस्से को अदा कर दे तो उसकी अपनी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी।
    - इमाम और सादात के हिस्से को बख़्शा नहीं जा सकता है।
    - जिस शरई माल (जैसे ख़ुम्स और ज़कात) को उनकी सही जगह पर ख़र्च करना वाजिब है अगर उसे कारोबार में इस्तेमाल किया जाए तो चाहे वह किसी मज़हबी काम के लिए ही क्यों न हो, वली ए अम्र ख़ुम्स की इजाज़त के बिना ऐसा करना सही नहीं है। बहरहाल कारोबार में लगाने की सूरत में जो फ़ायदा उससे हासिल होगा वह भी अस्ल पूंजी के अधीन होगा यानि उस फ़ायदे को भी उसी जगह पर ख़र्च करना वाजिब है जहाँ अस्ल पूंजी को ख़र्च किया जाता है औऱ उसमें ख़ुम्स नहीं है।
    - अगर किसी इंसान को किसी के ख़ुम्स के ऐजाज़े (ख़ुम्स ख़र्च करने की इजाज़त) में शक हो तो उसकी इज़्ज़त का ख़्याल रखते हुए उससे लिखित परमिट दिखाने की मांग कर सकता है या उससे कहे कि ऐसी रसीद दिखाए जिस पर वली ए अम्र की मोहर लगी हो इसलिए अगर उसने वली ए अम्र के परमिट के अनुसार काम किया हो तो उसका काम सही है।

- उस इंसान के लिए सहमे सादात या सहमे इमाम लेना जाएज़ नहीं है जो शरई हिसाब से उसका हक़दार न हो और हौज़-ए-इल्मिया (मदरसे) के वज़ीफ़े के क़ानून के दायरे में भी न आता हो।

2. जिन्हें सहमे सादात दिया जा सकता है उनकी शर्तें

1. सय्यद हो।
2. मोमिन हो (बारह इमामी शिया)
3. ग़रीब व फ़क़ीर हो।
4. ख़ुम्स देने वाले पर उसका नान व नफ़क़ा (रोटी कपड़ा) वाजिब न हो।
5. गुनाह में ख़र्च न करे।
6. खुल्लम खुल्ला गुनाह न करता हो।

1. सय्यद हो

1) उस सय्यद के लिए सहमे सादात लेना जाएज़ है जिसका वंश बाप की तरफ़ से हज़रत रसूले इस्लाम स.अ के परदादा हज़रत हाशिम से मिलता हो इसलिए सारे अलवी (हज़रत अली अ. की नस्ल) अक़ीली (हज़रत अक़ील की नस्ल) और अब्बासी (जनाब अब्बास की नस्ल) जो हाशमी हैं वह सादात का हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं।

2) जो इंसान बाप की तरफ़ से हज़रत अब्बास बिन अली (अ) की नस्ल से है वह अलवी सय्यद है।

3) माँ की तरफ़ से जो लोग रसूलुल्लाह स.अ. की नस्ल से हैं अगरचे वह रसूलुल्लाह स. की संतान कहलाते हैं लेकिन सय्यद होने के शरई हुक्म का मापदंड बाप की तरफ़ से सय्यद होना है।

2. ग़रीब होना

1. वह सादात जो कामकाज करते हैं और उनकी आमदनी लोगों की निगाह में उनकी शान व हैसियत के हिसाब से काफ़ी हो तो वह ख़ुम्स के हक़दार नहीं हैं।
2. अगर सय्यद घराने में घर का मुखिया ख़र्चा देने (नान नफ़क़ा) में लापरवाही करता हो और घर वाले उससे अपना ख़र्चा नहीं ले सकते हैं तो ज़रूरत भर सहमे सादात से उन्हें दिया जा सकता है।
3. ज़रूरतमंद सादात को रोटी कपड़े के अलावा अगर उनकी शान व हैसियत के अनुकूल किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत हो तो सहमे सादात से उनकी वह ज़रूरतें पूरी करना जाएज़ है।
4. अगर सैदानी (सय्यद औरत) का मियां ग़रीबी की वजह से उसके ख़र्चे न दे सकता हो और बीवी भी ग़रीब हो तो वह औरत अपनी ज़रूरत भर सहमे सादात से ले सकती है। और उसे अपने बच्चों और मियां पर भी ख़र्च कर सकती है।

5. वाजिबुन नफ़क़ा न हो (ख़ुम्स देने वाले पर उसका नान व नफ़क़ा यानि रोटी कपड़ा वाजिब न हो।)

जिसका ख़र्चा देना (नफ़क़ा) वाजिब हो उसको ख़ुम्स देना जाएज़ नहीं है जैसे किसी भी इंसान के लिए जाएज़ नहीं है कि अपने ग़रीब माँ बाप को ख़ुम्स दे।

6. ख़ुम्स के कुछ और मसअले।

1. जिस माल में शक हो कि उस पर ख़ुम्स वाजिब हुआ है या नहीं उसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है
2. जब तक यह यक़ीन न हो जाए कि जो खाना खा रहा है उसमें ख़ुम्स वाजिब हो चुका है तो ऐसे इंसान के यहां

खाने पीने में कोई हरज नहीं जो अपने माल में ख़ुम्स नहीं निकलाता।

3. अगर दुकानदार को मालूम न हो कि जो इंसान उसके साथ लेने देने कर रहा है उसने अपने माल में ख़ुम्स दिया है या नहीं? तो उसके ज़िम्मे कुछ नहीं है और छानबीन करना भी ज़रूरी नहीं है।
4. ऐसे मुसलमानों से मेलजोल रखना जाएज़ है जो दीनीं कामों ख़ास कर ख़ुम्स और नमाज़ पर ध्यान नहीं देते, इस शर्त के साथ कि उनके साथ मिलना जुलना, उनकी बेदीनी की ताईद न हो लेकिन अगर उनसे दूरी की जाए तो वह दीनदारी की तरफ़ पलट सकते हों तो वाजिब है नहि अनिल मुन्कर (बुराई से रोकना) के उनवान से कुछ समय के लिए उनसे मिलना जुलना छोड़ देना वाजिब है।
5. अगर कोई इंसान उस शरई माल को जो उसके ज़िम्मे वाजिब है उस इंसान के इजाज़े (परमिट) को देखते हुए कि जिसको शरई माल देना सही है, मदरसा (स्कूल) आदि बनाने में ख़र्च कर दे तो उसे अपना माल वापस मांगने और मालिकाना हक़ जताने का अधिकार नहीं है।
6. अगर हज कमेटी या टूर ऑपरेटर के पास मुस्तहब हज पर जाने के लिए कोई इंसान पैसा जमा करे लेकिन हज पर जाने से पहले मर जाए तो जो पैसा वापिस मिलेगा वह उसका तरका (छोड़ा हुआ माल) होगा और अगर उसके ऊपर वाजिब हज नहीं है और उसने वसीयत भी नहीं की है तो अब उसकी तरफ़ से मुस्तहब हज कराना वाजिब नहीं है। लेकिन जो माल उसने हज के सफ़र के लिए दिया था अगर उस पर ख़ुम्स वाजिब था और उसने नहीं दिया तो उसका ख़ुम्स देना वाजिब है।

सवाल

1. खनिज पदार्थ में ख़ुम्स के वाजिब होने की शर्त बयान कीजिए?
2. जो इंसान ऐसे घराने में ज़िंदगी बिता रहा हो जो लोग ख़ुम्स और ज़कात नहीं देते और उनके माल में ब्याज भी मिला हो तो उसकी शरई ज़िम्मेदारी क्या है?
3. सहमे इमाम और सहमे सादात किन लोगों का हिस्सा है और कौन लोग इससे मुराद हैं?
4. कुछ लोग ख़ुद सादात का पानी या बिजली का बिल भर देते हैं क्या इसे ख़ुम्स में शामिल किया जा सकता है?
5. जो सादात कामकाज करते हैं या उनकी कुछ आमदनी है वह ख़ुम्स के हक़दार हैं या नहीं?
6. क्या ऐसी सैदानी (सय्यद औरत) को जो विवाहित है सहमे सादात दिया जा सकता है कि जो ख़ुद तो ग़रीब सैदानी है लेकिन मियां ग़ैर सय्यद लेकिन ग़रीब है? और क्या वह अपने बच्चों और मियां पर भी सहमे सादात ख़र्च कर सकती है?

छठा चैप्टर

अनफ़ाल

पाठ

74

अनफ़ाल का मतलब - अनफ़ाल के सोर्स

1. **अनफ़ाल का मतलब**

अनफ़ाल उस पब्लिक प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसका अधिकार नबी अकरम (स) और उनके बाद मासूम इमामों (अ.स) के पास है और बारहवें इमाम (अ.स) की ग़ैबत में उसका अधिकार वली ए अम्र मुसलेमीन के पास है। (यानि यह प्रॉपर्टीज़ इस्लामी हुकूमत के अधिकार में रहेंगी।) और वाजिब है कि जनहित में उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाए।

2. **अनफ़ाल के सोर्स**

    1. फ़ैई (यानि वह चीज़ें जो हमला किए बिना मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गई हों चाहे वह ज़मीन हों या दूसरी चीज़ें।
    2. वह बंजर ज़मीनें जिन्हें आबाद किए बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

3. वह शहर या गांव जहां के रहने वाले छोड़कर पलायन कर गए हों और अब वह जगह वीरान हो।
4. समंदर और बड़ी नदियों के तट
5. जंगल, घाटियाँ और पहाड़ियों की चोटियाँ।
6. राजा महाराजाओं की ख़ास और अनमोल चीज़ें जो जंग में मुसलमानों के हाथ लगी हों।
7. ग़नीमत में मिलने वाले बढ़िया घोड़े और महंगे कपड़े आदि।
8. इस्लामी हाकिम (इमाम अ.स) की इजाज़त के बिना लड़ी गई जंग में जो ग़नीमत का माल मुसलमानों को मिले।
9. ऐसे इंसानों की मीरास जिनका कोई वारिस न हो।
10. खान

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए नदियों के किनारे से रेत और मिट्टी आदि उठा कर उसे बिल्डिंग व शहरों के निर्माण के लिए इस्तेमाल करना जाएज़ है। और बड़ी नदियों और तट पर अगर कोई अपनी प्रापर्टी का दावा करे तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी।
    - ऐसी प्राकृतिक चरागाहें जो पहले से किसी की प्रापर्टी न रही हों वह अनफ़ाल और पब्लिक प्रापर्टी का हिस्सा हैं और उसका अधिकार वली ए अम्रे मुसलेमीन को है। इसलिए उसका ख़रीदना बेचना किसी भी तरह से सही नहीं है और आदिवासियों और क़बाइलियों का वहाँ पहले से आना जाना उनके मालिक होने की दलील नहीं बनता।
    - ऐसी सार्वजनिक चरागाहें जो पहले से किसी की प्रॉपर्टी न रही हों वह किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं हैं

और न ही उन्हें किसी को बेचने का अधिकार है लेकिन गाँव के प्रधान को अधिकार है कि वह जनहित में जानवर चराने के लिए कुछ पैसे वसूल करे।

- अगर किसी को पब्लिक चरागाहों में जानवरों को चराने की इजाज़त मिल जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे चरागाह से मिली हुई दूसरों की प्रापर्टी और ज़मीन में जानवर चराने और दूसरों के पानी का इस्तेमाल करना का हक़ हासिल हो गया है बल्कि मालिक की इजाज़त के बिना ऐसा करना जाएज़ नहीं है।
- चूंकि वक़्फ़ करने के लिए शरई एतेबार से उस चीज़ का मालिक होना ज़रूरी है जिस तरह मीरास में भी वही चीज़ मिल सकती है जो मोवर्रिस (जिसकी प्रापर्टी थी जो उसका मालिक है) के पहले से प्रॉपर्टी रही हो। इसलिए वह जंगल और प्राकृतिक चरागाहें जिनका कोई मालिक न रहा हो और न ही किसी ने उसे आबाद किया हो वह किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए उनका वक़्फ़ करना सही नहीं है और न वह किसी की मीरास बन सकती हैं।

हां अगर जंगल को शरई और क़ानूनी तरीक़े से खेती या रहने के लिए आबाद किया गया हो और शरई प्रापर्टी बन गई हो और अगर उसको वक़्फ़ किया जाए तो शरई मुतवल्ली (प्रापर्टी ट्रस्ट का ज़िम्मेदार) उसे इस्तेमाल करने का अधिकार रखता है और अगर वक़्फ़ न किया गया हो तो उसके इस्तेमाल के लिए मालिक की इजाज़त की ज़रूरी है। लेकिन वह जंगल और चरागाहें जो प्राकृतिक जंगल के रूप में हो वह

पब्लिक प्रॉपर्टी और अनफ़ाल का माल हैं जिस पर इस्लामी हुकूमत के क़ानून लागू होगें।

सवाल

1. अनफ़ाल से क्या मुराद है?
2. अनफ़ाल के सोर्स बयान कीजिए?
3. क्या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को शहर की तरक्क़ी या सड़कों को बनाने के लिए नदियों के किनारे से बालू और मौरंग निकालने का अधिकार है? और अगर कोई और अपनी प्रॉपर्टी का दावा करे तो उसका क्या हुक्म है?
4. क़बीलों की चरागाहों को ख़रीदना बेचना किस सूरत में सही है?
5. अगर सार्वजनिक चरागाहों में जानवर चराने की इजाज़त हासिल हो तो क्या उस इजाज़त के आधार पर चरागाह के पास वाले खेतों में जानवर चराना या पानी का इस्तेमाल करना सही है?

सातवां चैप्टर

जेहाद

पाठ

75

जेहाद

जेहाद का मतलब – जेहाद का वाजिब होना – जेहाद की क़िस्में

1. जेहाद का मतलब

यहां जेहाद से मुराद इस्लाम की तरफ़ दावत देना, उसकी तबलीग़ करना और उसे फैलाने के लिए कोशिश करना या दुश्मनों के हमले के सूरत में इस्लाम का बचाव करना है।

2. जेहाद का वाजिब होना

जेहाद दीन का अहेम रूक्न (महत्वपूर्ण स्तंम्भ) है और उसका वाजिब होना ज़रूरियाते दीन (ऐसा ज़रूरी वाजिब जिसके इंकार से इंसान दीन से बाहर हो जाता है।) में से है।

3. जेहाद की क़िस्में

जेहाद दो तरह का होता है:

1. **इब्तेदाई जेहादः**

   (आरम्भिक लड़ाई) यह वह जेहाद है जो दीन के प्रचार के रास्तों में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए होता है इसका मतलब यह है कि इस्लाम की तबलीग़ (प्रचार) के

रास्तों में पाई जाने वाली रुकावटों को हटाने, कल्मा-ए-हक़ को ऊँचा करने, दीनी निशानियों को मज़बूत करने तथा काफ़िरों व मुश्रिकों की हिदायत करने और शिर्क व बुतपरस्ती को ख़त्म करने के लिए इस्लामी सेना दुश्मन पर हमला करती है और उससे जंग करती है चाहे उस पर हमला न हुआ हो है। (अस्ल में आरम्भिक जेहाद का मक़सद दूसरे देशों, राज्यों पर क़ब्ज़ा करना और मुल्क जीतना नहीं है बल्कि उन इंसानों के स्वाभाविक अधिकारो का बचाव करना है जो कुफ़्र व शिर्क और साम्राज्यवादी ताक़तों की वजह से ख़ुदा की इबादत, तौहीद और अदालत से वंचित हैं।)

2. जेहादे देफ़ाईः

(आत्मरक्षा के लिए जेहाद) इसका मतलब है दुश्मनों के हमले का मुक़ाबला करना और यह उस समय होता है जब दुश्मन इस्लामी शहरों पर हमला करके राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैन्य और आर्थिक तौर पर क़ब्ज़ा करना चाहता है।

1. जेहादे इब्तेदाई (आरम्भिक जेहाद)
    1. जेहादे इब्तेदाई रसूले इस्लाम (स.अ) या मासूम इमाम (अ.स) के ज़माने से मख़सूस (विशेष) नहीं है बल्कि ऐसा फ़क़ीह जो वली-ए-अम्रे मुस्लेमीन है अगर ज़रूरत महसूस करे तो इब्तेदाई जेहाद का हुक्म दे सकता है।
    2. अहले किताब (जैसे ईसाई, यहूदी और ज़रतुश्ती) जब तक इस्लामी हुकूमत के क़ानून पर अमल करते रहें कि जिसकी छत्र छाया में वह ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और कोई ऐसा काम न करें जो समझौते के विपरीत हो तो वह "मुआहद" के हुक्म में है (यानि उनकी जान, माल, इज़्ज़त की सुरक्षा की जाएगी

और उनके वैध और क़ानूनी अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा।)

3. अगर काफ़िर मुसलमान इलाक़ों पर हमला करें और जंग के बीच मुसलमान, कुछ काफ़िरों को क़ैदी बना लें तो उन क़ैदियों का अधिकार इस्लामी शासक के हाथों में है मुसलमानों में किसी को अधिकार नहीं है कि वह उन क़ैदियों का फ़ैसला करे। इसलिए मुसलमानों में किसी को भी अहले किताब और दूसरे काफ़िरों को चाहे मर्द हो या औरत चाहे काफ़िर देश में हो या मुसलमान मुल्क में ग़ुलाम या कनीज़ बनाना जाएज़ नहीं है।

2. जेहादे देफ़ाई (आत्मरक्षा के लिए जेहाद)

1. इस्लाम और मुसलमानों की रक्षा करना वाजिब है और इसके लिए माँ बाप की इजाज़त ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी इंसान के लिए उचित है कि जहां तक मुमकिन हो उनको राज़ी करने की कोशिश करे।

2. अगर किसी की जान बचाना और क़त्ल से रोकना तत्काल और डायरेक्ट हस्तक्षेप पर निर्भर हो तो ऐसा करना जाएज़ बल्कि शरीअत की निगाह में वाजिब है चूंकि जान की रक्षा करना वाजिब है और इसके लिए हाकिम की इजाज़त और हुक्म की ज़रूरत नहीं है, हाँ अगर किसी की ज़िंदगी को बचाना हमलावर के क़त्ल पर निर्भर हो तो उसकी कई सूरतें हैं और हर सूरत का अपना अलग हुक्म हो सकता है।

सवाल

1. जेहाद क्या है, बयान कीजिए?
2. जेहाद कितनी तरह का होता है?
3. जेहादे इब्तेदाई का क्या मक़सद है?
4. ग़ैबत के ज़माने में जेहादे इब्तेदाई का क्या हुक्म है? क्या वली-ए-अम्रे मुस्लेमीन जेहादे इब्तेदाई का हुक्म दे सकता है?
5. क्या कोई मुसलमान काफ़िर या मुस्लिम एरिये में किसी काफ़िर या अहले किताब को ग़ुलाम या कनीज़ बना सकता है?
6. अगर इस्लाम को ख़तरा हो तो क्या उसकी रक्षा के लिए मां बाप की इजाज़त ज़रूरी है?

आठवां चैप्टर

अम्र बिल मारूफ़
व
नहि अनिल मुनकर

(भलाई का हुक्म और बुराई से रोकना)

पाठ

76

अम्र बिल मारूफ़ व नहि अनिल मुनकर (1)

अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का मतलब – अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का वाजिब होना – अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का दायरा – अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर की शर्तें

1. अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का मतलब।

अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का मतलब है लोगों को अच्छे कामों की तरफ़ बुलाना और बुरे कामों से रोकना।

2. अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का वाजिब होना।

अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, इस्लाम के बहुत ज़्यादा अहेम और ज़रूरी वाजिबात में से है और जो इंसान इस ज़िम्मेदारी को छोड़ दे या उसके करने में सुस्ती से काम ले वह गुनहगार है और उसे सख़्त सज़ा का सामना करना होगा। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के वाजिब होने पर न केवल यह कि

सारे फ़ोक़्हा सहमत हैं बल्कि उसका वाजिब होना इस्लाम की ज़रूरियात (जिनके इंकार से इंसान दीन से बाहर हो जाता है।) में से है।

- इस्लामी अहकाम की रक्षा और स्वस्थ इस्लामी समाज के लिए ज़रूरी शर्तों के साथ अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर हर मुकल्लफ़ की शरई ज़िम्मेदारी है। और केवल इस भ्रम की वजह से कि ग़लत काम अंजाम देने वाले या कुछ दूसरे लोग इस्लाम के बारे में ग़लत सोच रखने लगेंगे, इस अहेम ज़िम्मदारी को छोड़ा नहीं जा सकता है।
- जिन लोगों को क़ानून तोड़े जाने जैसे बैतुलमाल में करेप्शन की जानकारी हो उनकी ज़िम्मेदारी है कि शरीअत में बताए गए तरीकों व शर्तों के अनुसार नही अनिल मुनकर करें और किसी भी काम के लिए चाहे बुराई को रोकने के लिए ही सही रिश्वत या ग़ैर क़ानूनी रास्ता अपनाना जाएज़ नहीं है। हाँ अगर अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की शर्तें मौजूद न हों तो उस पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। जैसे अगर इस ज़िम्मेदारी पर अमल करने की सूरत में अफ़सरों की तरफ़ से नुक़सान पहुँचने का डर हो तो उस पर से यह ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यह हुक्म वहाँ के लिए है जहाँ इस्लामी हुकूमत न हो लेकिन इस्लामी हुकूमत (कि जिसकी एक ज़िम्मेदारी अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को लागू करना है) में जो इंसान ख़ुद यह ज़िम्मेदारी अंजाम नहीं दे सकता है उसके लिए ज़रूरी है कि वह हुकूमत की तरफ़ से इस काम पर नियुक्त लोगों को ख़बर दे और करेप्शन के जड़ों को ख़त्म करने के लिए लगातार कोशिश करता रहे ताकि बुराईयों और भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म किया जा सके।
- बुराई के हिसाब से बुराईयों में कोई अन्तर नहीं है फिर भी मुमकिन है कि कुछ बुराईयां दूसरी बुराईयों के मुक़ाबले

हराम होने के हिसाब से ज़्यादा सख़्त हों बहरहाल अगर दूसरी शर्तें पाई जा रही हों तो नही अनिल मुनकर (बुराई से रोकना) शरअन वाजिब है इसलिए कि उसको छोड़ना और उसमें सुस्ती करना जाएज़ नहीं है इस सिलसिले में बुराईयों के बीच कोई अन्तर नहीं है कि युनिवर्सिटी का माहौल हो या कोई और जगह बल्कि यह ज़िम्मेदारी हर जगह वाजिब है।

- अफ़सरों पर वाजिब है कि इस्लामी हुकूमत के कुछ विभागों में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञों को हुक्म दें कि वह लोग खुलेआम शराब और हराम गोश्त खाने जैसे हराम कामों से दूर रहें और लोगों के सामने ऐसा न करें। लेकिन किसी भी सूरत में उन्हें सार्वजनिक शालीनता व नैतिकता के विपरीत काम अंजाम देने की इजाज़त न दी जाए। बहेरहाल ज़रूरी है सम्बंधित अधिकारी ऐसे लोगों के बारे में सही रास्ता चुनें ताकि इन चीज़ों की रोकथाम हो सके।
- को-एजुकेशन कालेजों और युनिवर्सिटी में अगर कुछ ख़राबियां पाई जाएं तो वहां पढ़ने वाले मोमिन जवानों पर वाजिब है कि उस बुराई से बचते हुए अगर शर्तें पाई जा रही हों तो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की ज़िम्मेदारी पर अमल करें।
- जो औरतें पूरी तरह से पर्दा नहीं करती हैं उन्हें अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करना उनकी तरफ़ वासना की निगाह से देखने पर निर्भर नहीं है इसलिए उनको टोकना वाजिब है हालांकि हर मुकल्लफ़ पर वाजिब है कि हराम से बचे ख़ास तौर से उस समय जब वह बुराई से रोकने की ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहा हो।

3. अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का दायरा।

अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर किसी ख़ास वर्ग या गिरोह से विशेष नहीं है और बल्कि अगर शर्तें पाई जाएं तो सभी वर्गों और गिरोहों के हर इंसान पर वाजिब है यहाँ तक कि बीवी और बेटे पर भी वाजिब है कि अगर शौहर या बाप वाजिब छोड़े या हराम काम करे तो शर्तें पाई जाने की सूरत में अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करें।

- शर्तें पाई जाने की सूरत में अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर सभी मुकल्लफ़ों की शरई ज़िम्मेदारी होने के अलावा सामाजिक और इंसानी ज़िम्मेदारी भी है। इस काम में मुकल्लफ़ के हालात का कोई दख़ल नहीं है कि वह विवाहित है या नहीं इसलिए किसी के विवाहित न होने से उसकी शरई ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती।

4. अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की शर्तें

अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की कुछ शर्तें हैं जिन्हें नीचे बयान किया जा रहा है।

1. मारूफ़ (अच्छाई) और मुनकर (बुराई) का इल्म होना।
2. असर होने की सम्भावना हो।
3. गुनाह पर इसरार (ज़ोर दे रहा) हो।
4. अम्र बिल मारूफ़ और नहि अनिल मुनकर करने से कोई ख़राबी पैदा न हो।

1. मारूफ़ और मुनकर का इल्म होना।

2. अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मनुकर के वाजिब होने की पहली शर्त यह है कि इंसान अच्छाई और बुराई का इल्म रखता हो यानि अच्छाई का हुक्म देने वाले (आमिर) और बुराई से रोकने वाले (नाही) के लिए वाजिब है कि वह अच्छाई और बुराई को पहचानता हो। अगर न जानता हो

तो उस पर अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर वाजिब नहीं है बल्कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए इसलिए कि मुमकिन है वह जेहालत व नादानी के नतीजे में बुराई का हुक्म दे दे और अच्छाई से रोक दे। इसलिए किसी ऐसे इंसान को नही अनिल मुनकर करना वाजिब नहीं है बल्कि जाएज़ नहीं है जिसके बारे में मालूम न हो कि वह जो कह रहा है वह हराम है या नहीं। (जैसे न जानता हो कि जिस म्युज़िक को सुन रहा है हराम है या हलाल)।

2. टोकने पर असर होने की उमीद

अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के वाजिब होने की दूसरी शर्त यह है कि टोकने से असर होने की सम्भावना भी हो यानि आमिर (अच्छाई का हुक्म देने वाला) और नाही (बुराई से रोकने वाला) यह जानता हो कि उसके कहने और मना करने का असर उस इंसान पर पड़ेगा अगर ऐसा न हो तो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वह अच्छाई का हुक्म दे या बुराई से रोके।

- अगर अफ़सरों के लिए साबित हो जाए कि उनके ऑफ़िस का कोई कर्मचारी नमाज़ में सुस्ती करता है या नमाज़ ही नहीं पढ़ता और उसको समझाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है तब भी उन पर वाजिब है कि शर्तों को ध्यान में रखते हुए अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते रहें और अगर असर न पड़े और मायूस हो जाए तो इस सूरत में अगर क़ानून इजाज़त देता हो कि इस तरह के लोगों को मिलने वाली कुछ सुविधओं को ख़त्म कर दिया जाए और उन्हें यह बता दिया जाए कि उनके ख़िलाफ़ यह कारवाई दीनी ज़िम्मेदारी में सुस्ती और उसको छोड़ने की वजह से की गई है।

3. गुनाह पर ज़ोर दो रहा हो

अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के वाजिब होने की तीसरी शर्त गुनाह पर डटे रहना है इसका मतलब यह है कि गुनहगार

लगातार गुनाह करता हो और उस पर ज़ोर देता हो अगर यह पता चल जाए कि वह जल्दी ही बिना कहे सुने गुनाह से रुक जाएगा यानि जल्दी ही अच्छाई के रास्ते पर आ जाएगा और बुराई छोड़ देगा तो उसको अम्र और नही करना (कहना और रोकना) वाजिब नहीं है।

4. कोई ख़राबी पैदा न हो।

अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के वाजिब होने की चौथी शर्त यह है कि उसके करने से कोई ख़राबी पैदा न हो यानि अच्छाई का हुक्म और बुराई से रोकने के नतीजे में कोई ख़राबी पैदा न हो। इसलिए अगर अम्र और नही करने की वजह से अम्र और नही करने वाले या दूसरे मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त (नामूस) को नुक़सान पहुँचने का डर हो तो उस पर यह काम करना वाजिब नहीं है।

लेकिन मुकल्लफ़ पर वाजिब है कि वह देखे कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की ज़िम्मेदारी को अंजाम देने से ज़्यादा ख़राबी पैदा होती है या उसको छोड़ देने से। जिसमें ज़्यादा ख़राबी हो उसे छोड़ दे जो अहेम हो उसे अंजाम दे।

- अगर किसी को डर हो कि अगर हम फलां इंसान को को अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करेंगे तो चूंकि वह ताक़तवर इंसान है और समाज में उसका दबदबा है इसलिए उसकी तरफ़ से उसे भारी नुक़सान पहुँच सकता है तो ऐसी सूरत में उस पर अम्र व नहीं वाजिब नहीं है लेकिन शर्त है कि उसके डर की कोई उचित वजह हो। लेकिन अम्र व नहीं करने वाले के लिए उचित नहीं कि केवल किसी की बड़ाई का ध्यान रखते हुए उसको अम्र और नही न करे या केवल इस वजह से उसको थोड़ा नुक़सान पहुँच सकता है मोमिन भाई को समझाने व नसीहत करने में ढील दे बहरहाल हमेशा ख़्याल रखे कि ज़्यादा अहेम क्या है।

- अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर उसी सूरत में वाजिब है जब बयान की गईं चारों शर्तें पाई जाएं इसलिए अगर इन शर्तों में से कोई शर्त न हो जैसे अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के नतीजे में कोई ख़राबी पैदा हो तो ऐसी सूरत में अम्र व नही वाजिब नहीं है चाहे दूसरी शर्तें पाई जा रही हों।
- अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर में शर्त नहीं है कि अम्र व नही करने वाला ख़ुद भी उस अच्छाई पर अमल करता हो जिसका हुक्म दे रहा है या उस बुराई से दूर रहता हो जिससे रोक रहा है यानि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर गुनाहगार इंसान पर भी वाजिब है और इसलिए कि वह ख़ुद गुनहगार है इस ज़िम्मेदारी को छोड़ नहीं सकता। (क़ुरआन और हदीसों में ऐसे लोगों की निंदा की गई है जो ख़ुद अमल नहीं करते लेकिन दूसरों को अमल का उपदेश देते हैं। या ख़ुद तो गुनाह करते हैं और दूसरों को गुनाह से रोकते हैं। यह निंदा इसलिए है कि उन्होंने अपने शरई ज़िम्मेदारी को नहीं निभाया यह इसलिए नहीं है कि उन्होंने अम्र बिल मअरूफ़ और नही अनिल मुनकर किया है।)
- अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि उसके करने से उस इंसान के सम्मान व इज़्ज़त में कमी न होनी चाहिए कि जो अच्छाईयों को छोड़ता है और बुराईयों को अंजाम देता है। इसलिए अगर अम्र और नही की शर्तों पर अमल करे लेकिन उसके बाद भी जिस इंसान को अम्र और नही कर रहा है उसकी बेइज़्ज़ती हो या इज़्ज़त व सम्मान में कमी आ रही हो तब भी अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने में कोई हरज नहीं है।

सवाल

1. अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का क्या मतलब है? उसका हुक्म बयान कीजिए?
2. अगर सरकारी ऑफ़िसों में काम करने वाले कर्मचारी यह देखें के उनके अधिकारी क़ानून या शरीअत के ख़िलाफ़ काम करते हैं तो उनकी क्या ज़िम्मदारी है?
3. अगर किसी युनिवर्सिटी में अच्छाईयों पर अमल नहीं होता और बुरे काम भी आम हैं और साथ ही साथ अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की शर्तें भी मौजूद हों तो क्या ऐसे माहौल में अविवाहित इंसान पर अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर वाजिब है?
4. अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की शर्तें बयान कीजिए?
5. अगर किसी इंसान के बारे में मालूम न हो कि उसका काम हराम है या नहीं तो क्या हुक्म है?
6. अगर अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर से ऐसे इंसान का अपमान होता हो या इज़्ज़त में कमी आती हो कि जो वाजिबात को तर्क करता है या हराम कामों को अंजाम देता है तो ऐसी सूरत में अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की क्या ज़िम्मेदारी है?

पाठ 77

अम्र बिल मारूफ़ और नहि अनिल मुनकर (2)

अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के चरण व स्तर

1. अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के चरण व स्तर

अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के कुछ चरण व स्तर हैं

1. दिल द्वारा अम्र और नहि करना।
2. ज़बान से अम्र और नहि करना।
3. अमल से अम्र और नहि करना।
   - अम्र बिल मारूफ़ और नहि अनिल मुनकर के स्टेप (चरण) पर अमल करना वाजिब है। इसका मतलब यह है कि अगर पहले स्टेप में मक़सद हासिल हो जाए तो दूसरे चरण में जाना जाएज़ नहीं है।

1. दिल से अम्र और नहि करना।

1. अम्र बिल मारूफ़ और नहि अनिल मुनकर का सबसे पहला स्टेप दिल से अम्र और नही करना है। इसका मतलब यह है कि दिल से ख़ुशी या नाराज़गी दिखाना यानि मुकल्लफ़ पर वाजिब है कि वह अच्छे काम के लिए अपनी दिली ख़ुशी और बुरे काम के बारे में अपनी दिली नाराज़गी और नफ़रत ज़ाहिर करे। और इस तरीक़े से अच्छाई छोड़ने वाले और बुराई करने वाले को अच्छे काम करने और बुराईयों से बचने के लिए तैयार कर सके।
2. दिल से अम्र और नहि (राज़ी होना या नाराज़गी जताना) की भी हद और कुछ स्टेप हैं। अगर पहले स्टेप से मक़सद पूरा हो जाए तो दूसरे से काम लेना जाएज़ नहीं है। और चरण, दर्जे, सख़्त, नर्म और विभिन्न रूप व क़िस्में होने के हिसाब से इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हैं। जिनमें से कुछ यह हैः हंसते मुस्कुराते मुलाक़ात करना, आँखें बंद कर लेना, घूर के देखना, हाथ पर हाथ मारना, दांतों से होंठ दबाना, हाथ या सर से इशारा करना, सलाम न करना, मुँह फेर लेना, गर्दन या पीठ फेर लेना, बात न करना, आना जाना छोड़ देना।

2. ज़बान से अम्र व नहि करना।

1. अम्र बिल मारूफ़ और नहि अनिल मुनकर का दूसरा स्टेप ज़बान से अम्र और नहि करना है इसका मतलब यह है कि मुकल्लफ़ ज़बान से किसी इंसान से कहे बुरे कामों को छोड़ दो और अच्छे कामों को अंजाम दो।
2. ज़बान से अम्र बिल मारूफ़ और नहि अनिल मुनकर करने के भी चरण और दर्जे हैं। अगर पहली बार नर्म ज़बान और अच्छे व्यवहार से मक़सद पूरा हो जाए तो बाद वाले

स्टेप से काम लेना जाएज़ नहीं है। और चरण, दर्जे, सख़्त, नर्म और विभिन्न रूप व क़िस्में होने के हिसाब से इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हैं। जैसे बता देना, याद दिलाना, नसीहत करना, समझाना, हित और अहित, फ़ायदे और नुक़सान को बताना, बहस करना, वाद विवाद करना, प्रमाण और दलीलें या सख़्ती से बात करना और धमकी देना आदि।

3. अमल से अम्र और नहि।

1. अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का तीसरा दर्जा या स्टेप अमल से अम्र और नही करना है। इसका मतलब है ताक़त और ज़ोर का इस्तेमाल करना और किसी को अच्छाई के करने और बुराई को छोड़ने पर मजबूर करना है।
2. अमली तौर पर अम्र और नही के चरण और दर्जे हैं अगर पहले दर्जे में आसानी से मक़सद पूरा हो जाए तो दूसरे और सख़्त दर्जे का इस्तेमाल करना जाएज़ नहीं है। और चरण, दर्जे, सख़्त, नर्म और विभिन्न रूप व क़िस्में होने के हिसाब से इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हैं। जैसे बीच में आ कर रुकावट बन जाना, हाथ से हथियार छीन लेना, गुनाह में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को दूर कर देना, पीछे खींच लेना, सख़्ती से पकड़ लेना, रोक देना, मना करना सख़्ती करना, चोट पहुँचाना, घायल करना, हाथ पैर तोड़ देना, ज़मीन पर पटक देना, बदन का कोई हिस्सा काट देना, या क़त्ल कर देना।
3. शरीअत में मुसलमान के सलाम का जवाब देना वाजिब है। लेकिन अगर नही अनिल मुनकर के इरादे से बुरे काम करने वाले के सलाम का जवाब न दे और

उर्फ़ में उसे नही अनिल मुनकर समझा जाता हो तो ऐसा करना जाएज़ है।

- हुकूमत की तरफ़ से गुनाहों और बुराईयों से रोकने के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी न करें तब भी प्रशासन, पुलिस या कोर्ट के कामों में दूसरों का हस्तक्षेप करना जाएज़ नहीं है। लेकिन अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर की शर्तों को ध्यान में रखते हुए लोगों को अच्छाई की दावत और बुराईयों से रोकने में कोई हरज नहीं है।
- अगर गाड़ी के ड्राईवर अपनी गाड़ी में गाना और हराम म्युज़िक लगाते हों तो मुकल्लफ़ पर वाजिब है कि अगर अम्र और नही की शर्त पाई जाती हो तो उन्हें बुराई से रोके। लेकिन मुकल्लफ़ पर केवल ज़बान से रोकना वाजिब है। लेकिन अगर कहने और टोकने के बावजूद वह न माने तो मुकल्लफ़ पर वाजिब है कि वह हराम गाने और संगीत सुनने से ख़ुद को बचाए। लेकिन अगर न चाहते हुए गाने की आवाज़ उसके कानों तक पहुँच जाए तो गुनहगार नहीं है।
- अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए लोगों के घरों के अन्दर जाना जाएज़ नहीं है। इसलिए अगर कुछ घरों से हराम म्युज़िक की आवाज़ आ रही हो जिससे मोमिनों को परेशानी हो रही हो तब भी उन्हें रोकने के लिए उनके घरों में जाना जाएज़ नहीं है (बल्कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की शर्तों और चरण का ख़्याल रखते हुए पहले दिल, फिर ज़बान से मना करे और अगर उसका भी असर न हो तो पुलिस को ख़बर दे।)
- अगर किसी का रिश्तेदार गुनाह करने में लापरवाही करे तो उसके ग़लत और ग़ैर दीनी कामों के ख़िलाफ़ नाराज़गी जताए और भाईयों जैसे अंदाज़ में समझाए लेकिन सम्बन्ध तोड़ लेना

जाएज़ नहीं है। हाँ अगर यह उमीद हो कि कुछ वक़्त के लिए सम्बंध तोड़ लेने से वह गुनाहों को छोड़ देगा तो कुछ समय के लिए अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए ऐसा करना वाजिब है।

- हर मुकल्लफ़ के लिए अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की शर्तों व चरणों और इसी तरह उनके वाजिब होने और वाजिब न होने की जगहों का सीखना वाजिब है ताकि कही ऐसा न हो कि बुराई का हुक्म और अच्छाई से मना न कर बैठे।

6. अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के कुछ दूसरे मसअले

1. उन लोगों से सम्बन्ध रखने का मापदंड जो लोग किसी ज़माने में हराम काम अंजाम देते थे जैसे शराब पीते थे उनकी मौजूदा हालत है। इसलिए अगर उन्होंने अपने बुरे कामों से तौबा कर ली हो तो उनके साथ वैसे ही पेश आया जाएगा जैसे सारे मोमिनों से पेश आया जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान अब भी हराम काम कर रहा हो तो नही अनिल मुनकर के रास्तों से उसको रोकना ज़रूरी है। अगर वह सम्बंध तोड़ लेने और मिलना जुलना ख़त्म करने के अलावा किसी और रास्ते से गुनाहों को न छोड़े तो नही अनिल मुनकर के तौर पर उससे सम्बंध तोड़ लेना वाजिब है।
2. हर सूरत में मर्दों के लिए सोना पहनना या गर्दन में डालना हराम है। और ऐसे कपड़े पहनना भी जाएज़ नहीं है जो उर्फ़े आम की निगाह में डिज़ाइन, सिलाई या रंग की वजह से इस्लामी दुश्मनों के कल्चर की पैरवी और उसकी पब्लिसिटी माना जाए। इसी तरह ऐसी ज्वैलरी इस्तेमाल करना भी जाएज़ नहीं है जिन्हें इस्लाम और मुस्लमान दुश्मनों के कल्चर की पब्लिसिटी माना जाता हो। इसलिए दूसरों पर दुश्मनों

के इस कल्चरल हमले के ख़िलाफ़ ज़बान से नहि अनिल मुनकर करना वाजिब है।

3. जो इंसान बेनमाज़ी के साथ सम्बंध रखने, उसके साथ बात करने या कुछ कामों में उसकी मदद करने पर मजबूर हो तो उस पर वाजिब है कि अगर शर्तें पाई जाने की सूरत में लगातार उसको अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करता रहे और इसके अलावा उसकी कोई और ज़िम्मेदारी नहीं है। और उसकी मदद करने और उससे सम्बंध रखने से अगर नमाज़ छोड़ने पर उसकी हिम्मत न बढ़ती हो तो उसके साथ मिलने जुलने में कोई हरज नहीं है।
4. अगर किसी औरत का मियां दीनी बातों को ज़्यादा महत्व न देता हो जैसे नमाज़ न पढ़ता हो तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि हर मुमकिन तरीक़े से उसमें सुधार लाने की कोशिश करे। लेकिन किसी भी तरह की सख़्ती और ग़लत रवैये से बचे कि जिससे सम्बंध ख़राब हो जाएं। लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि मज़हबी प्रोग्रामों में हिस्सा लेने और दीनदार लोगों के यहाँ आने जाने से उसमें सुधार मुमकिन है।
5. अगर किसी मुस्लमान मर्द को कुछ निशानियों से पता चल जाए कि उसकी बीवी छुप कर नाजाएज़ काम करती है तो उस पर वाजिब है कि वह ग़लत शक वाली निशानियों और संदेह वाले सबूतों से बचे। लेकिन अगर उसको यक़ीन हो जाए कि उसने हराम काम किया है तो उस पर वाजिब है कि समझाने और नही अनिल मुनकर से काम लेते हुए उसे ऐसा करने से रोके। अगर नही अनिल मुनकर उसको रोकने से उस पर असर न हो और उसके पास सबूत व गवाह हो तो वह कोर्ट में शिकायत कर सकता है।
6. किसी भी लड़की के लिए जाएज़ है कि वह इस्लामी कानूनों की रिआयत करते हुए पढ़ाई या दूसरे कामों में किसी जवान

की मदद कर सकती है लेकिन शैतानी चालों और बहकने से पूरी तरह होशियार रहना चाहिए। और उस पर वाजिब है कि शरई अहकाम का ख़्याल रखे जैसे नामहरम (अजनबी) इंसान से अकेले में न मिले।

7. अगर उल्मा (मौलानाओं) का ज़ालिम बादशाहों और हाकिमों के यहाँ आना जाना और उनसे सम्बंध रखने के बारे में अगर उल्मा के लिए यह साबित हो जाए कि उनके यहां आने जाने से उनके ज़ुल्म में कमी आएगी और नहि अनिल मुनकर करने में प्रभावशाली है या इस सम्बंध के नतीजे में उससे कोई अहेम काम लिया जा सकता है तो उस ज़ालिम बादशाह से सम्बंध रखने में कोई हरज नहीं।

सवाल

1. अम्र बिल मारूफ़ व नहि अनिल मुनकर के स्तर और चरण बयान कीजिए?
2. क्या हराम काम करने वाले के सलाम का जवाब देना जाएज़ है?
3. अगर हुकूमत की तरफ़ से गुनाह और बुराईयों को रोकने के लिए नियुक्त किए गए लोग अपनी ज़िम्मेदारी को सही से अंजाम न दें तो क्या पब्लिक ख़ुद यह काम अंजाम दे सकती है?
4. अगर कोई रिश्तेदार गुनाह करता हो और अपने गुनाह के बारे में लापरवाह हो तो उससे सम्बंध रखने का क्या हुक्म है?
5. जो लोग पहले गुनाह करते थे जैसे शराब पीते थे तो उनके साथ सम्बंध रखने का क्या हुक्म है?
6. अगर मियां अपनी दीनी ज़िम्मेदारियों जैसे नमाज़ आदि पर ध्यान न देता हो तो बीवी की क्या ज़िम्मेदारी है?